खण्ड-253, अंक-6
सोमवार, 26 माघ, शक संवत् 1886
(15 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९१–५९४
प्रश्नोत्तर	५९५–६४४
प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति	६४५
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का २४ वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६४५–६४६
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	६४६
माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६४६–६४८
श्री मुमताज मुहम्मद खां के कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना	६४८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया) ..	६४८–६५४
विविध विषयों के संबंध में जानकारी	६५४–६५६
१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	६५६–६९८
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	६९८–७०२
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	७०२–७०६
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के अननुमोदनार्थ संकल्प (विचार स्थगित)	७०६–७०७
उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	७०७–७२०
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय-स्वीकृत)	७२०–७२१
नत्थियां	७२२–७५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रदत्त हिंस, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामआधार कौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रूद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १५ फरवरी, १९६५

तारांकित प्रश्न

मथुरा जिला संबंधित स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावलियां

*१—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा के स्थानीय निकाय में अब तक कितने नाम वोटर लिस्ट में बढ़े और कितने नाम लिस्टों में से काटे गये तथा नाम बढ़ाने से सरकार को कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जिला मथुरा के स्थानीय निकायों से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सन् १९६३ में १५,८१७ नाम बढ़ाये गये, और १५,१४७ नाम काटे गये हैं। सन् १९६४ में १,०९९ नाम बढ़ाये गये हैं तथा कोई नाम काटे नहीं गये। नाम बढ़ाने से सरकार को २६६ रुपया प्राप्त हुआ है।

आजमगढ़ जिला खाद्य परामर्श दात्री समिति के निर्णय

*२—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की कितनी-कितनी बैठकें गत अप्रैल, मई तथा जून माह में हुईं उनमें किन-किन बातों का निर्णय लिया गया ?

*३— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन निर्णयों में से कौन-कौन से कार्यान्वित किये गये ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२२–७२४ पर)

श्री बृजबिहारी—

क्या जो निर्णय ४ अप्रैल, १९६४ को लिये गये थे उनको कार्यान्वित करने में सरकार सफल हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह तो जिला स्तर पर कार्य होने थे, सरकार का सम्बन्ध उससे नहीं है।

श्री बृजबिहारी—

जिले की तरफ से उस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया गया या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह बात तो सूची में अंकित है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अप्रैल, मई और जून की बैठकों के कार्य विवरण संक्षेप में क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सारी चीजें सूची में हैं। सूची लम्बी है, अगर कहें तो पढ़ दूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो प्रस्ताव जिला कमेटी में पास होते हैं क्या वे सरकार के पास भेजे जाते हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनके आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

४ अप्रैल को जो खाद्य समिति की बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिये गये जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उसमें ३ निर्णय लिये गये थे। उनमें से एक तो यह था कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर आटा, मैदा और सूजी दी जाय और दूसरा यह था कि सीमेंट के वितरण का काम एक परामर्शदात्री समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और तीसरा यह था कि जहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें खुलें, उनकी सूची जिला पूर्ति अधिकारी अविलम्ब दे दे। इन तीनों पर कार्यवाही हुई।

श्री बृजबिहारी—

४ अप्रैल की बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आटा कानपुर से न मंगा कर वाराणसी से मंगाया जाय क्योंकि वाराणसी कानपुर की अपेक्षा करीब पड़ता है आजमगढ़ से। सरकार ने उस निर्णय के लिये वाराणसी से मंगवाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। क्या सरकार इस असमर्थता के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मिलें किसी क्षेत्र में ज्यादा हैं और किसी में कम हैं। जैसे कि वाराणसी है उसके नजदीक गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर हैं, तो इनको देने में ही वह खत्म हो जाता है तो बाकी दूसरी जगहों से देना पड़ता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आटा या गेहूं का जो कोटा मुकर्रर होता है वह जिले की खाद्य समिति करती है या आर० एफ० सी० करते हैं ? यदि आर० एफ० सी० करते हैं तो खाद्य समिति को कहां तक अधिकार है इसमें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हर जिले का कोटा गवर्नमेंट मुकर्रर करती है और किया हुआ है। अब जहां तक उसको देने लेने की बात है वह जिला खाद्य समिति करती है कि कहां पर जरूरत कम है या ज्यादा है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

जिला सलाहकार खाद्य समिति के जो सुझाव आते हैं या जो उनके निर्णय या निश्चय होते हैं उनको राज्य सरकार विचार करके पूरा करने का प्रयत्न करती है या वे फार्मल होते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो जिले के स्तर की बातें हैं और जो वे तय करते हैं उन पर वहां कार्यवाही हो जानी चाहिये। कहीं-कहीं ज्यादा मतभेद हो तो वे गवर्नमेंट को रेफर कर सकते हैं।

मुजफ्फरनगर से मेहतरों का प्रार्थना-पत्र

*४--श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार के पास मुजफ्फरनगर के मोहल्ला अबुपुरा के मेहतरों का कोई प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में आया है कि उनकी बस्ती से मिले हुये चमड़ा, हड्डियों और आंतों के गोदाम बने हुये हैं जिनकी बदबू और गन्दगी से उन लोगों का जीवन दूभर हो गया है और नर्क बना हुआ है और किसी भी समय भयंकर और जान लेवा रोग फैल सकता है अतः गोदाम वहां से हटा दिये जायें ? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, बताने की कृपा करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। उस प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश मुजफ्फरनगर ने जांच कराई और यह सूचित किया है कि मोहल्ला अबुपुरा के निकट स्थित चमड़ा, हड्डियों एवं आंतों के ५ गोदामों के मालिकों को नगरपालिका द्वारा नोटिस दी गई थी कि वह गोदामों को दूसरी जगह हटा लें परन्तु उन लोगों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया तदनन्तर पालिका ने उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है जो अभी विचाराधीन है।

*५--श्री शुगनचन्द मजदूर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त गोदाम पालिका के लाइसेंस नियमों के विपरीत होते हुये भी इसलिये कायम रक्खे हुये हैं कि उनका सम्बन्ध नगरपालिका के सदस्य से है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नगरपालिका मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित सूचना से विदित है कि हड्डी गोदाम का लाइसेंस किसी सदस्य नगरपालिका के नाम नहीं है।

मजदूरों को जीवन-यापन सुविधायें

*६--श्री रघुनाथसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार खाद्यान्नों और उपभोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं के अत्यधिक बढ़े हुए मूल्य को देखते हुए सर्वहारा वर्ग-खेत, मिल, कारखानों में या व्यक्तिगत रूप से मजदूरी करने वालों तथा निम्नतम वेतन भोगी सरकारी, गैरसरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति के अत्यधिक अभाव को ध्यान में रख कर इनके जीवन-यापन की कुछ विशेष सुविधा के लिये कोई अलग खास व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

शहरी क्षेत्रों में सरकारी सस्ते की गल्ले की दकानों द्वारा मजदूरों को भी गल्ला दिये जाने का प्रबन्ध है। देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों में विशेष रूप से मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। सहकरिता विभाग ने यह प्रबन्ध किया है कि उन उद्योगों में जहां ३०० से अधिक संख्या में मजदूर काम करते हैं वहां एक एक सहकारी उपभोक्ता भंडार खोल दिया जाय। चीनी मिलों में भी ऐसे भंडार तथा सस्ते गल्ले की दकानें खुलवाने के आदेश हैं। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग मजदूरों के महंगाई भत्ते आदि के विषय में समय-समय पर कार्यवाही करते रहते हैं। इसी प्रकार से मजदूरों को सस्ते मूल्यों पर जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं को दिलाने की चेष्टा की जाएगी।

विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तों में हेर-फेर करने के हेतु राज्य वेतन अभिनवीकरण समिति उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर सभी लोगों को उनकी आवश्यकता से कम गल्ला दिया जाता है तो जिन लोगों की क्रय शक्ति बहुत क्षीण हो गई है उनके लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसे लोगों के लिये ग्रेचुटस रिलीफ का प्रबन्ध रेवन्यू विभाग से होता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या प्रान्तीय सरकार के पास रेलवे और पोस्ट आफिस के लोगों की तरफ से ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है कि उनके लिये सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, आया था। रेलवे वालों की जहां पर सहकारी संस्थायें हैं वहीं पर उनके कार्ड वगैरह की व्यवस्था कर दी है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मंत्री जी ने अपने बयान में तो यह कहा है कि गांव के करीब लोगों को भी गल्ला मिलेगा किन्तु उन्होंने यू० पी० के छोटे कस्बों को गल्ला देना बन्द कर दिया है तब यह विरोधाभास क्यों है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो उपलब्धि पर निर्भर करता है। ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा दे देंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इन सब आदेशों का पालन जिले के स्तर पर नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कभी उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्यों नहीं हो रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आज्ञा का पालन सर्वत्र होता है और पूरी शक्ति से होता है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सहकारी उपभोक्ता भंडार कहीं खोले भी जा चुके हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बहुत से कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स खोले जा चुके हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी जितनी संख्या है उसके मुताबिक काम करेंगे और ३ किलो एक महीने के हिसाब से जो वितरण रखा गया है उसे पूरा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे पास जब माल होता है तो पूरा देते हैं नहीं तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिब्यूशन कम कर देते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि श्रम विभाग समय समय पर आवश्यक कार्यवाही करता है तो क्या अभी तक श्रम विभाग ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरा खयाल है कि प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर मिल मालिक को देना पड़ता है और उसी के अनुसार यह दिया जाता है।

श्री रघुनाथसिंह—

जैसा कि उत्तर में कहा गया है मजदूरों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं दिलाने की चेष्टा की जायगी, तो इस चेष्टा को कोई क्या व्यवहारिक रूप भी दिया गया है या यह चिन्ता केवल मन में ही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आपने देखा होगा कि इस समय बजट में जो एनाउन्समेंट्स किये गये हैं वे भी इस दिशा में एक कदम हैं। दूसरे सरकारी नौकरों को सस्ती वस्तुयें मिल सकें इस दिशा में विचार हो रहा है और बहुत से प्राइवेट बिल्स इस सम्बन्ध में हैं। इसके लिये पूरी सूचना देने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथसिंह—

उत्तर में यह भी कहा गया है कि उन के लिये राज वेतन अभिनवीकरण समिति उचित कार्यवाही कर रही है। तो जब तक यह उचित कार्यवाही हो उस समय तक सरकार ने क्या उचित कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं यह बता चुका हूं कि अंतरिम तरीके पर ५, १० और साढ़े १२ रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिये खाद्य वस्तुयें तथा अन्य जीवनयापन की वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये सब्सीडाइज्ड स्टोर्स खोलने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह खोले जा रहे हैं, सरकार इसके लिये चेष्टा कर रही है।

खांडसारी के जिलेवार परमिट

*७—श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, शाहजहांपुर में कितनी खांडसारी शक्कर का स्टाक साल किया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसका जिलेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

		म० टन
मुरादाबाद	.. ..	७,२८४.०
बरेली	.. ..	११,५०९.७
बदायूं	.. ..	१,००२.५
रामपुर	.. ..	४१४.०
पीलीभीत	.. ..	३,७४८.०
बिजनौर	.. ..	४,०४१.६
शाहजहांपुर	.. ..	४,७४०.२
	योग ..	३२,७४०.०

*८—श्री महमूद हसन खां (अनुपस्थित) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सील करने के बाद किस-किस जिले में कितने-कितने परमिट किस-किस क्वालिटी की शक्कर के जारी किये गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२५—७२७ पर)

*९—श्री महमूद हसन खां (अनुपस्थित) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि सेकेन्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की शक्कर जो सील की गई थी वह कहीं भी नहीं उठाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और इस विषय में सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं, संलग्न तालिका से ज्ञात होगा कि लगभग सभी जिलों से सेकेन्ड और थर्ड ग्रेड की खांडसारी शक्कर उठाई गई है।

श्री रियासत हुसैन—

२५ हजार टन में से केवल १३ हजार टन के परमिट दिये गये और बाकी शकर अभी तक सील पड़ी है। तो सील पड़ी रहने के कारण व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सील कोई नहीं है। प्रदेश के अन्दर कोई व्यक्ति कितनी ही बेच सकता है जब परमिट लेकर लोग खरीदने के लिये फर्स्ट क्वालिटी की शक्कर के लिये गये तो व्यापारियों ने उसे थर्ड ग्रेड का बताना शुरू किया और लोगों को बहकाया जिससे वह नहीं बिकी।

श्री रियासत हुसैन—

इस फेहरिस्त से यह जाहिर है कि भूरी और थर्ड ग्रेड की शक्कर के परमिट नहीं दिये गये। तो यह शकर जो खराब हो रही है उसके परमिट जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अक्तूबर के महीने में ही हमने उस को फ्री कर दिया है। अब जो जितनी चाहे उसको बेचे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जितनी शकर के परमिट दिये गये उस में से कितनी शकर उठा ली गई और कितनी शकर के परमिट बेकार गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बेकार कुछ नहीं गये, जितनी शकर के परमिट दिये गये थे उतनी उठा ली गयी। जितनी बाकी बची, उसको हमने रिलीज कर दिया।

श्री रियासत हुसैन—

बरसात तक आप ने उस पर पाबन्दी रखी जिससे काफी बह कर निकल गयी और खराब हो गयी। तो यह पाबन्दी आपने जनता के हित में लगायी या मिल मालिकों के हित में लगायी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सील तो इसलिये की गयी थी कि भाव बढ़ रहे थे और शक्कर को हमारे यहां कमी थी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यू० पी० की सरकार ने पंजाब को इसका कोटा दिया और जब पंजाब के अधिकारी जिस समय मुजफ्फरनगर में कोटा उठाने आये तो उसको व्यापारियों ने मना कर दिया और उसके बाद ही फिर सरकार ने उस को रिलीज कर दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं रिलीज न करता तो क्या करता। क्योंकि जब पंजाब वालों ने शिकायत की कि ये खराब किस्म की देते हैं और रिलीज करने के माने ये हैं कि जब हमें भी नहीं उठानी थी तो क्या करते।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को, जिन व्यापारियों की खांड सील की गई थी, उनकी ओर से शक्कर के खराब हो जाने के और नुकसान के कुछ शिकायती पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये का नुकसान बताया है और कहां कहां से उस की शिकायत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वे तो बराबर लिखते रहे और कहते भी रहे। उनके उत्तर में मैंने कहा कि जब आपके कंट्रोल का ऊंचा भाव है फिर भी बाकी है। उसके लिये निरुत्तर थे। यह पता चला था कि १७ हजार के करीब माल है। इतने माल पर भी कीमतें ऊंची हैं।

कुआना वन क्षेत्र में पेड़ों की क्षति

*१०—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साउथ गोंडा फारेस्ट में कुआना रेन्ज में जुलाई, सन् १९६३ से जुलाई, १९६४ तक कितने दरख्तों की चोरी हुई और कितने का सरकार को नुकसान हुआ और सरकार ने इस चोरी को रोकने का क्या इंतजाम किया ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

साउथ गोंडा फारेस्ट डिवीजन के कुआना रेंज में जुलाई सन् १९६३ से जुलाई सन् १९६४ तक सरकारी वन से ६८७ दरख्तों की चोरी हुई। सरकार को कितने का नुकसान हुआ यह अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि कुछ सम्बन्धित केसों की जांच अभी हो रही है। इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये ८ पेट्रोल गार्ड जंगल की गश्त करने के लिए लगाए गए हैं।

लखनऊ में श्री अब्दुल सत्तार खां सहायक सचिव के मकान का मामला

*११—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१० अगस्त, १९६४ के प्रश्न ५३ के उत्तर के क्रम में क्या यह सही है कि श्री अब्दुल सत्तार खां, सहायक सचिव, कृषि विभाग की इस प्रथम रिपोर्ट पर कि मकान नं० ३६ (पुराना), जगत-नारायन रोड, लखनऊ में उनके लड़के श्री जुवेर अहमद खां भाई-बहनों सहित रहते हैं और गत जून की दूसरी रिपोर्ट पर कि उक्त मकान खाली कर दिया गया है रेंट कन्ट्रोल अफसर ने मौका मुआयना में उनके सम्बन्धी श्री फारूक को आबाद पाया और जिलाधीश, लखनऊ द्वारा २ अगस्त, १९६४ को उनके विरुद्ध गलत बयानी करने की रिपोर्ट की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार जिलाधीश की उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखते हुये बतायेगी कि उनके विरुद्ध गवर्नमेन्ट सर्वेंट कण्डक्ट रूल के आधार पर कार्यवाही न कर के और मकान का कब्जा पुलिस द्वारा मकान मालिक को न दिला कर केवल कागजी रिलीज आदेश दिनांक ३ अगस्त, १९६४ को देने का मकसद क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह सही है कि जिलाधीश द्वारा जांच करने पर श्री फ़ारूक इस मकान में आबाद पाये गये। परन्तु २ अगस्त, १९६४ को जिलाधीश, लखनऊ की कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई अतएव उसे सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये श्री अब्दुल सत्तार खां के खिलाफ गलत बयानी करने की कार्यवाही करने का प्रश्न भी नहीं उठता।

जब श्री अब्दुल सत्तार खां तथा उनके लड़के ने मकान खाली करने की सूचना दी तो कानूनन वैकेन्सी होते हुये रिलीज आर्डर मकान मालिक के हक में इसलिये दिया गया कि उसके आधार पर वे मकान का कब्जा लेने की उचित कार्यवाही कर सकें।

*१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १० अगस्त, १९६४ के प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मंत्री जी को स्वयं स्वीकार है कि श्री अब्दुल सत्तार खां ने अपने परिवार में श्री जमील अहमद खां सहित १० आदमी घोषित किया है और उनके राशन कार्ड में उनके लड़के श्री जमील अहमद खां शामिल हैं और उनका व उनके लड़के श्री जमील अहमद खां के नाम साढ़े चौदह यूनिटों के दो राशन कार्ड बने हैं तो फिर इस प्रत्यक्ष जाल के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न करके अब जिलाधीश द्वारा जांच का आदेश देने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पिछले प्रश्न के उत्तर में केवल यह स्वीकार किया गया था कि श्री अब्दुल सत्तार खां के मकान से दो राशनकार्ड बने हुए थे। जांच के आदेश इसलिये दिये गये कि यह पता चले कि इन कार्डों में कामन यूनिट्स (Common units) तो नहीं थे। जांच करने से पता चला कि उनके लड़के जमील अहमद खां अपने पिता के कार्ड में शामिल नहीं हैं।

*१३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

दिनांक १० अगस्त, १९६४ के प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री अब्दुल सत्तार खां एक हरिजन कर्मचारी के उक्त मकान नं०

३६ में श्री फारूक को किराये पर रखे हुये हैं और मकान मालिक को श्री अब्दुल सत्तार खां ने स्वयं अथवा पुलिस ने कब्जा नहीं दिया तथा उसका लगभग ८०० रुपये किराया न देने व घर का सामान गायब करने के विरुद्ध २२ दिसम्बर, १९६ को धारा ३७९ की रिपोर्ट हुई और मुझे प्रश्नकर्ता ने २६ सितम्बर, १९६३ को मुख्य मंत्री का शिकायती पत्र दिया तो फिर कायदे से कब्जा दिलाने और धारा ३७९ के अन्तर्गत पुलिस केस चलवाने तथा मेरे उक्त पत्र पर कार्यवाही करने के बजाय उक्त हरिजन कर्मचारी को स्वयं कार्यवाही करने का आदेश देने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्री तारा चन्द के हक में उनके मकान को रिलीज किये जाने का कारण पूर्व उत्तर में बताया जा चुका है। इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिये भी रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की दफा ७ ए के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कब्जा दिलाने की कार्यवाही भी की गई परन्तु इस कार्यवाही के खिलाफ कमिश्नर महोदय ने श्री फारूक की अपील पर यह निर्णय लिया कि यह सरकारी कार्यवाही कानूनन उचित नहीं है और रोक दी जाय।

सामान गायब कराने के आरोपों के साबित होने की कोई सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई। अतः मुकदमा पुलिस द्वारा चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

जब श्री अब्दुल सत्तार खां, सहायक सचिव ने जून सन् १९६४ में सरकार को यह सूचना दी कि मकान खाली कर दिया गया है जिसके आधार पर ० जुलाई, १९६४ को मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि मकान खाली कर दिया गया है और आज के उत्तर में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि अब्दुल फारूक, अब्दुल सत्तार के मार्फत अब भी काबिज हैं तो इसे सरकार किस आधार पर गलत बयानी नहीं मानती और ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिसके लिये स्वयं मंत्री जी ने उत्तर दिया, कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अब्दुल सत्तार खां के छोड़ने पर अगर उनके लड़के उसमें रहते थे और उसने जब रेन्ट कन्ट्रोलर के यहां दरख्वास्त दी कि उसके नाम अलाट कर दिया जाय तो रेन्ट कन्ट्रोलर ने कहा कि जब आपके पिता जी रहते थे और अब आप उनके लड़के रहते हैं तो नये अलाटमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता, लड़के का मंत्री जी के सवाल में या जवाब में कोई तजकिरा नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मकान खाली कर दिया गया है और अब्दुल सत्तार खां ने भी जवाब दिया कि हमने जून, १९६४ में मकान खाली कर दिया है और आज के उत्तर में मंत्री जी बतला रहे हैं कि मकान में फारूक रहते हैं तो यह गलत बयानी कैसे है ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें से पूछ लीजिये कि ऐसा क्यों है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बयान में दो जवाब नहीं हैं। अब्दुल सत्तार खां ने कहा कि मैंने मकान खाली कर दिया। यह मैं भी कह रहा हूं। उसका लड़का वहां रह रहा था। उसने यह कहा, कि मेरे नाम पर एलाट कर दिया जाय। रेंट कंट्रोल आफिसर ने इस पर यह कहा कि चूंकि आपके पिता इसमें रह रहे थे इसलिये फिर से आपके नाम एलाटमेंट की आवश्यकता नहीं है, नाम उसके सक्सेशन

में आ गये। मगर यह जो दूसरे साहब का नाम लिखा हुआ है वह उसमें गेस्ट के तौर पर रहते थे। तो यह भी ठीक पाया उन्होंने लड़के के नाम पर होने की वजह से। अब लड़के ने भी खाली कर दिया है, वह भी चला गया है और मकान खाली हो गया है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस शासन से आदेश जारी हुए हैं कि जिसके नाम मकान एलाटेड नहीं है वह ट्रेसपासर है .....

श्री अध्यक्ष—

यह तो सारी बहस है। आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ऐसे नान-एलाटी जिन्हें शिकमी रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो उन्होंने अपने लड़के को कैसे काबिज कर दिया और मकान खाली क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहस है।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं इस सदन का ध्यान ३० जुलाई की कार्यवाही की तरफ थोड़ा-सा दिलाना चाहता हूं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि मकान खाली कर दिया है श्री अब्दुल सत्तार खां ने तो मैंने यह बात कही थी कि लखनऊ के अन्दर जहां सारे प्रदेश की गवर्नमेंट राज्य चलाती है, सदन में प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, मैं अभी चलने को तैयार हूं (व्यवधान).. तो मैं प्रश्न करता हूं कि सदन में झूठ बोला गया है क्या उसके विरुद्ध.....

श्री अध्यक्ष—

क्या झूठ बोला गया है ?

श्री जसरामसिंह—

यह झूठ बोला गया कि मकान खाली है.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सुन लीजिये कि जो कायदा है उसको बरतिये। आप यह पूछ लीजिये कि फलां तारीख को यह बयान किया गया और आज यह बयान किया जा रहा है तो इसमें कौन सा सही है ?

श्री जसरामसिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ३० जुलाई को जो उत्तर इस सदन में मंत्री जी की तरफ से दिया गया कि मकान खाली है, तो इसमें किन-किन अधिकारियों का हाथ था जबकि आज आप कहते हैं कि उसके लड़के के नाम वह है और वह खाली नहीं है। आज की बात सत्य है या उस दिन की सत्य है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३० जुलाई को यह बयान हुआ कि मकान खाली है। आपके उत्तर से यह मालूम होता है कि उसमें लड़का उस समय रह रहा था। रेन्ट कंट्रोल आफिसर ने यह माना कि वह जो रह रहा था वह अपने पिता के नाम पर ही रह रहा था उसके नाम एलाटमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह तो यह मानते थे कि उसके द्वारा अब्दुल सत्तार खां

ही रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि रैंट कंट्रोल आफिसर के मत में लड़के का कब्जा या उसका उस मकान में रहना मानिन्द उसके पिता के रहने के था और मकान खाली नहीं था, तो ३० जुलाई को क्यों यह कहा गया कि मकान खाली हो गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अब्दुल सत्तार ने लिखकर दे दिया कि मैं मकान छोड़ रहा हूं, मेरा दूसरा मकान बन गया है और मैं उसमें शिफ्ट कर रहा हूं। उसके लड़के के अर्जी देने पर कि उसके नाम एलाट कर दिया जाय, रेन्ट कंट्रोलर ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम रह सकते हो।

श्री अध्यक्ष--

वह यह पूछ रहे हैं कि ३० जुलाई को सत्तार खां के लड़के के कब्जे में क्या मकान था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सत्तार खां तो छोड़कर चला गया।

श्री ऊदल--

क्या रेन्ट कंट्रोलर का लड़के से कहना कि तुम रह सकते हो, नियम के विरुद्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

कानून की बात छोड़िये।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

किस तारीख को सत्तार ने मकान छोड़ा और किस तारीख को एलाटमेंट उसके लड़के के नाम किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

एलाटमेंट नहीं किया गया लड़के के नाम।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

फारूक कौन है जो इस मकान पर अभी तक काबिज है और वह एलाटमेंट से काबिज है या ट्रेसपासर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१८ जून को अब्दुल सत्तार खाली करके चले गये। इत्तिला भी दे दी। जब इन्क्वायरी की गई तो फारूक ट्रेसपासर बैठा हुआ था। लड़के ने भी इस बीच एलाटमेंट चाहा मगर वह नहीं किया या और मकान मालिक के फेवर में रिलीज आर्डर कर दिया। फारूक के नाम कोई एलाटमेंट नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

मकान मालिक ने कब्जा बजरिये पुलिस लेना चाहा मगर जिलाधीश, श्री गिरजाशंकर पांडेय, ने उस आर्डर को कैरी आउट नहीं किया। तो अभी तक फारूक ट्रेसपासर से मकान खाली क्यों नहीं कराया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या यह सच है कि सत्तारखां का फारूक के जरिये मकान पर कब्जा अभी भी है और क्या सरकार पुलिस के जरिये मकान मालिक को कब्जा देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कमिश्नर ने भी कहा कि समैरीलो उसे पुलिस फोर्स से नहीं हटाया जा सकता। मकान मालिक के फेवर में पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं होती है। वह सिविल कोर्ट में जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

सत्तार खां ने यह लिखा था कि मैं मकान छोड़ रहा हूं या यह कि छोड़ दिया है? रिलीज आर्डर किसका नाम काट कर हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उसने लिखा था कि वह नये मकान में जाने वाले हैं।

लखनऊ हाउसिंग सोसाइटी

*१४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत दो वर्षों के भीतर कितनी बार लखनऊ हाउसिंग सोसाइटीज ने सरकार तथा लखनऊ महानगरपालिका से उन स्कीमों के अन्तर्गत भूमि को सोसाइटीज के पक्ष में छोड़ देने के लिये लिखा जो किसी न किसी स्कीम के अधीन महापालिका के कब्जे में है परन्तु सरकार और महापालिका ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

नगर महापालिका, लखनऊ के कब्जे में जो भी जमीनें किसी भी स्कीम के अन्तर्गत आती हैं, ऐसी भूमि को छोड़ देने के लिये किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने अभी तक महापालिका अथवा सरकार से नहीं कहा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

रायबरेली में गेहूं न मिलने की शिकायत

*१५---श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली शहर में उपभोक्ताओं को समय पर सरकार द्वारा निर्धारित हफ्ते में डेढ़ किलो गेहूं जो दिया जाता है वह भी नहीं मिल पाता है जिसकी लिखित शिकायत जिलाधीश रायबरेली से की जा चुकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

ऐसी कोई लिखित शिकायत जिलाधीश, राय बरेली को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भगवानदीन---

क्या सरकार पुनः जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इसकी आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद जिले में कृषि फार्मों को अनुदान

*१६---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में ऐसे व्यक्तिगत अथवा संस्थाओं के नाम कौन-कौन कृषि फार्म हैं जिन्हें सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान दिया जाता है तथा उक्त फार्मों का रकबा क्या है?

श्री चरणसिंह—

इलाहाबाद जिले में केवल इलाहाबाद एग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट को ७०,००० रुपये का वार्षिक आवर्त्तक अनुदान दिया जाता है। इस संस्था को कोई ऋण नहीं दिया जाता। इसके फार्म का क्षेत्रफल ३०० एकड़ है।

*१७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त अनुदान तथा ऋण देने का आधार क्या है तथा १९६२–६३ में उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

इलाहाबाद एग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट को १९६२–६३ में ७०,००० रुपया का अनुदान दिया गया था। अनुदान देने के आधार निम्नलिखित हैं :

(क) संस्था पर वार्षिक व्यय दो लाख रुपये से कम न हो।

(ख) इन्टरमीडिएट (कृषि), बी० एस०-सी० (कृषि) तथा कृषि (अभियन्त्रण) कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः २५, २० और १२ से कम न हो।

(ग) संस्था मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी-छोटी जोतों के लिये उपर्युक्त कृषि यंत्रों में सुधार तथा उन पर अनुसन्धान करे।

इलाहाबाद एग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट के अतिरिक्त १९६२–६३ में कुल भास्कर आश्रम कालेज को भी ५,००० रुपये का अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था। यह अनुदान सिंचाई की नालियों के निर्माण के लिये दिया गया था जो आवश्यक था।

लखनऊ में सरस्वती शिशु मन्दिर एवं राम कृष्ण मिशन को भूमि

*१८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री रियासत हुसेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरस्वती शिशु मन्दिर एवं रामकृष्ण मिशन को चांदगंज स्कीम (निराला नगर) लखनऊ में कितनी-कितनी आराजी देने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है जिस पर स्कूल बन रहा है और किन शर्तों पर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सरस्वती शिशु मंदिर को २,११,६९२ वर्गफुट भूमि स्कूल बनाने के लिये २५ सितम्बर, १९६२ से ३० वर्ष के लिये १९५ रु० वार्षिक किराए पर इस शर्त के साथ दी गई है कि शिशु मंदिर को दो बार ३० वर्ष के नवीकरण कराने का अधिकार होगा और दोनों बार किराये में ५० प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। इस संबंध में सरकार से कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी।

रामकृष्ण मिशन को १,५२,८९८ वर्गफुट भूमि भवन चिकित्सालय, वाचनालय आदि के लिये और ५८,३१९ वर्ग फुट पार्क के लिये १ रु० वार्षिक किराये पर ३० वर्ष के लिये ७ जुलाई, १९६१ से इस शर्त पर दी गई है कि मिशन को दो बार ३० वर्ष के नवीकरण कराने का अधिकार होगा और दोनों बार किराए में ५० प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। इस विषय में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

सरस्वती शिशु मंदिर तथा रामकृष्ण मिशन को जो भूमि दी गई उनके पट्टे की मुख्य शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. ७२८ पर)

*१९—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार उर्दू मदर्सा को वह आराजी जो कि न तो चांदगंज स्कीम में है और न कुर्मी पाठशाला स्कीम में और बहुत छोटी सी है (१८० × ३० फिट है) इन्हीं शर्तों पर, जिन पर उक्त बाल मन्दिर को दी है, स्वीकृति देने की कृपा करेगी ? क्या सरकार चांदगंज स्कीम और कुर्मी पाठशाला स्कीम का एक नक्शा मेज पर रखेगी जिसके आधार पर प्लाट लोगों को दिये गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। भूमि की स्थिति तथा प्रार्थी का विवरण दोनों ही उपलब्ध नहीं है। पूर्ण सूचना सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

कुर्मी पाठशाला योजना तथा चांदगंज योजना के नक्शों को माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। इनकी प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं हैं।

*२०—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखनऊ महापालिका ने जो रुपया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ के एक्जीक्यूटिव अफसर मिस्टर पाल के छुट्टी जाने और इस्तीफा देने के समय खर्च कर लिया था उसकी स्वीकृति सरकार ने दी ? यदि हां, तो क्या वह वापस ट्रस्ट को हो गया और वह रकम कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। लखनऊ में १-२-६० के बाद से ट्रस्ट समाप्त हो गया है और अब पूर्ण सम्पत्ति एवं निधि महापालिका की सम्पत्ति है। अतएव रुपया खर्च करने तथा वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर, कानपुर का स्थानान्तरण

*२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर कानपुर का स्थानान्तरण दो बार किन कारणों व किस प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार हाल ही में रोका गया या स्थगित किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर, कानपुर का तबादला केवल एक बार ४ जून, १९६४ को किया गया था वही १२ जून, १९६४ को रद्द हुआ दो बार तबादला नहीं हुआ न दो बार रद्द किया गया। तबादला होने के बाद यह मालूम हुआ कि डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर, बरेली जो कानपुर को तबादला किये गये थे पहले कानपुर में रह चुके हैं। उनका कानपुर भेजा जाना नियमित न होता। यह भी मालूम हुआ कि डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ जो बरेली जाने वाले थे वह केवल एक साल ही मेरठ रहे हैं। डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर कानपुर भी केवल एक साल ही कानपुर रहे थे। इन कारणों से तबादलों के आदेश रद्द कर दिये गये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गोरखधंधे की तरह से है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी का, जो भ्रष्टाचार के लिये मशहूर है, ट्रान्सफर क्यों रोका गया, जिसने लाखों रुपया रोलर फ्लोर मिल्स और ऐजेन्टों से कमाया ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न में आपने यह तो बताया नहीं था कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कारण तो उन्होंने बता दिया कि क्यों ट्रान्सफर रोक दिया गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि ट्रांन्सफर करने से पहले ही रद्द करने वाली परिस्थितियों को क्यों नहीं देख लिया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनका ट्रान्सफर आप लोगों की शिकायत पर ही किया था लेकिन जब आफिस से ये बातें मालूम हुई तो कैंसिल करना पड़ा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जब ३ साल बाद ही ट्रान्सफर का नियम है तो ये ट्रान्सफर एक साल में ही क्यों कर दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ज्यादातर फूड डिपार्टमेंट में हम यह कोशिश करते हैं कि एक ही आदमी एक ही जगह और एक ही काम पर ज्यादा दिन न रहे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या यह सत्य है कि उस आफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें हैं इसीलिये स्थानीय लोगों के कहने पर उसका ट्रांसफर किया गया लेकिन बाद में यहां ऐप्रोच करने पर उसका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नहीं, कोई एप्रोच नहीं हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह कहा गया कि चूंकि वे कानपुर में ३ वर्ष और मेरठ में एक साल रह चुके थे इसलिये उनका ट्रांसफर वहां नहीं हो सका, तो क्या इन डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर साहब का तबादला प्रदेश में और किसी डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर के स्थान पर अविलम्ब करने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बहुत से लोगों की छंटनी होनी है, तो विचार यह किया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम आ ज.यं तब इस मामले को देखा जायगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस अधिकारी के विरुद्ध सख्त और गम्भीर शिकायतें हैं, तो मेरठ व बरेली के अलावा प्रदेश में किसी और दूसरी जगह इनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह शिकायत मैंने अभी सुनी है। हम देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर साहब का ट्रांसफर वेट ऐंड मेजर्स डिपार्टमेंट के अन्दर किसी स्थान पर कर दिया जायगा, जिनके अधीन ही वह विभाग भी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर का वेट ऐंड मेजर्स डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है ।

उर्वरकों का मूल्य

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

१९६४-६५ के आय-व्यय क में कृषि अनुदान की बहस का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि वह उर्वरकों की कीमत कम करने के लिये केंद्रीय सरकार से बात करेंगे तो क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मूल्य के लिये राज्य सरकार द्वारा तब से अब तक क्या प्रयास किया गया एवं उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो उर्वरकों की मुनासिब कीमतों के संबंध में भारत सरकार को अपनी राय शीघ्र देगी । आशा की जाती है कि इस समिति की रिपोर्ट आने पर भारत सरकार उर्वरकों की कीमतों में कमी करने के विषय पर निर्णय लेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, कई बार आप के कहने के बावजूद सरकार की ओर से मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है । पिछले शुक्रवार को भी यही हुआ था । तो कृपा करके आप इसे आज स्थगित कर दें और सरकार को फिर ताड़ित कर दें कि वह सही तरीके से हम लोगों को जवाब पहुंचा दिया करे । प्रातःकाल जब कि एजेंडा हम लोगों के पास जाता है, उसी के साथ वह भी चला जाया करे ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह आदेश दे रखा है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर एक दिन पूर्व न आ जाय तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजी जाय । यद्यपि कुछ के जवाब आ गये हैं, ११ ऐसी सूचनायें हैं जिनके उत्तर आदरणीय सदस्यों को नहीं पहुंचाये जा सके । लेकिन इसमें आपका नाम नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं बराबर यहीं लखनऊ में मौजूद हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समिति किस तारीख को बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है । भारत सरकार ने इस समिति को बनाया है, वह कब तक रिपोर्ट देगी इसकी भी जानकारी इस सरकार को नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि खाद की कीमत कम कराने के लिये वह प्रयास करेंगे, तो क्या वह समिति जो भारत सरकार ने बनाई है उसके सामने माननीय मंत्री जी ने कोई सुझाव दिया है कि किस अनुपात से कीमत कम की जाय ?

श्री चरणसिंह—

वह कमेटी जो प्रश्नावली तैयार करेगी वह हमारे पास आयेगी और हम उसका उत्तर देंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि आश्वासन दिये हुये १ वर्ष हो गया और खाद की कीमत बहुत अधिक है और आज जरूरत इस बात की है कि कृषकों को सस्ता खाद मिले जिससे अन्न उत्पादन बढ़े, कोई ऐसा निश्चित कदम उठावेंगे जिससे खाद की कीमत कम हो जाय ?

श्री चरणसिंह—

खाद की कीमत कम हो जाय इससे तो मैं सहमत हूं, इसकी आवश्यकता है लेकिन उसकी कीमत घटाना न घटाना भारत सरकार के हाथ में है और इसके लिये उन्होंने समिति मुकर्रर की है और इससे जाहिर होता है कि वह इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं, लेकिन वह कब तक घटा पायेंगे यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी प्रश्न की भाषा को देखते हुए बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार ने तो समिति कायम की लेकिन आप ने अपनी ओर से कौन से प्रयास केंद्र से किये, कोई पत्र द्वारा या किसी सम्मेलन में कोई बातचीत की जिस से हम आश्वस्त हो सकें कि आप का आश्वासन सही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर हो चुका, वह कह रहे हैं कि केंद्र ने एक समिति बनाई है, जब उसका क्वेश्चनेयर तैयार हो कर आयेगा तो उसका उत्तर यहां से जायगा जिसमें उनको सब बताया जायगा और सुझाव भी दिये जायेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जब वहां की प्रश्नावली एक वर्ष में भी तैयार नहीं हो सकी तो क्या मंत्री जी अपनी ओर से केंद्र को कुछ लिखेंगे कि हमारे यहां खाद की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और कृषकों पर बोझ अधिक पड़ रहा है इसलिये वह प्रश्नावली जल्दी भेजें ?

श्री चरणसिंह—

जब हमें यह मालूम हो गया कि उन्होंने स्वयं ही कमेटी नियुक्त की है तो हमने इसकी जरूरत नहीं समझी, रहा यह कि जल्दी करें तो आशा है कि ६ मास में वह कर लेंगे, वैसे अभी साल भी नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि आप अपनी ओर से कोई ऐसी कार्यवाही करें ताकि जल्दी हो जाय ।

श्री चरणसिंह—

मास, २ मास में बराबर एक दो मीटिंग्स सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स की होती रहती हैं और हमारी ओर से कई बार इम्प्रेस किया गया है कि कीमत घटनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि भारत सरकार का निर्णय साल २ साल तक न हो, तब तक के लिये कोई सबसिडी उत्तर प्रदेश के बजट से कीमत कम करने के लिये देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

ऐसा अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इतनी विकट अन्न की समस्या है और खाद की कीमत को लेकर जो यह प्रश्न है, साल भर उस समिति को हो गया और शायद अभी एक साल और लगेगा, इसके माने हैं कि आपके ऊपर इसकी भारी जिम्मेदारी है । दूसरी बात यह कि जो कमेटी बनी है उसमें काश्तकारों का हिस्सा देखने वाला भी कोई सदस्य नामजद है कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले फर्टिलाइजर्स आई०सी०आई० से डेढ़ परसेंट प्राफिट पर लिये जाते थे और अब प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार से १२, १३ परसेंट पर लेती है, तो क्या प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार को प्राफिट कुछ कम करने के लिये निवेदन करेगी ?

श्री चरणसिंह—

सारा मामला केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है । अब वह किस परसेंटेज से लेते हैं कि नहीं, इसके लिये मैं इस वक्त तैयार नहीं हूं, इसके लिये नोटिस चाहिये । यह सब मामला केंद्र के विचाराधीन है और हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है ।

श्री विजयसिंह—

क्या यह सही है कि अब हमारी सरकार १२, १३ परसेंट पर लेती है जब कि पहले डेढ़ परसेंट पर लेती थी ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में वह कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है ।

रामनगर कृषि फार्म का क्षेत्र

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रामनगर कृषि फार्म, बाराबंकी का जो रकबा किताबों में दर्ज है उससे अधिक पर कृषि होती है ?

श्री चरणसिंह—

रामनगर कृषि फार्म बाराबंकी पर केवल उतने ही क्षेत्रफल में खेती होती है जितना किताबों में दर्ज है ।

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त फार्म की किताबों से अधिक रकबे की भूमि पर खेती फार्म इन्चार्ज द्वारा करायी जाती है जिसका लाभ जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यालय का हेड क्लर्क तथा फार्म इंचार्ज मिल कर बांट लेते हैं ? क्या सरकार इसके कुल रकबे में हो रही खेती तथा फार्म की किताबों में निर्धारित रकबे की जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

अपवाद निर्मूल है । फार्म का कुल वर्तमान क्षेत्रफल ८०.७७ एकड़ है जिसमें से ७३.४५ एकड़ पर खेती होती है तथा शेष ५.७६ एकड़ में फार्म की इमारतें, सड़कें तथा खलिहान है । १.५६ एकड़ भूमि कृषि के योग्य नहीं है ।

*२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त नाजायज फायदा उठाने की दृष्टि से अब तक उक्त फार्म की भूमि की लिखा-पढ़ी कागजात सरकारी में दाखिल खारिज की नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

फार्म का दाखिल खारिज कागजात सरकारी में अभी तक नहीं हुआ है, परन्तु इस संबंध में तहसीलदार फतेहपुर, बाराबंकी से लिखा-पढ़ी जुलाई, १९५८ से बराबर चल रही है ।

*२६—श्री रामचन्द्र विकल—

[२रे बुधवार के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखीमपुर में फर्मों का कथित चालान

*२७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर नगर में दिनांक १८ जून, १९६४ को Rice Milling Industry Regulation Act, 1953 के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों अथवा फर्मों के चालान मार्केटिंग इंसपेक्टर द्वारा किये गये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दिनांक १८ जून, १९६३ को लखीमपुर नगर में Rice Milling Industry Regulation Act, 1958 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म का चालान नहीं किया गया ।

अलीगढ़ की पैकेज योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का क्रय

*२८—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी तथा फरवरी, १९६४ में अलीगढ़ की पैकेज योजना के अन्तर्गत योजना अधिकारी द्वारा कितने रुपये के कृषि यंत्र खरीदे गये तथा वह किस-किस फर्म से खरीदे गये ?

श्री चरणसिंह—

जनवरी, ६४ में कोई यंत्र नहीं खरीदे गये । फरवरी, ६४ में कुल १,४१,६६३ रुपये के यंत्र सप्लाई करने के आदेश मेसर्स कौशल एन्ड कम्पनी, कानपुर, जिला सहकारी विकास संघ मेरठ, कृषि विकास समिति, नैनी तथा एलाइड ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बाला को दिये गय ।

*२९—श्री शारदानन्द (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कृषि यंत्र जिन फर्मों से खरीदे गये वह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उनसे क्यों खरीदे गये ?

श्री चरणसिंह—

उपरोक्त सभी फर्मों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

*३०—श्री शारदानन्द (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं पैकेज वर्कशाप अलीगढ़ के भवन की मरम्मत के लिये जो टेन्डर वर्ष १९६३–६४ में शासन द्वारा लिये गये उसमें किस-किस ने किस-किस रेट पर टेंडर दिये तथा मरम्मत का ठेका किसको दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

कृषि एवं पैकेज वर्कशाप, अलीगढ़ के भवन की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कोई भी टेंडर नहीं लिया गया और न कोई ठेका ही दिया गया ।

केन्द्रीय कारागारों के अधीक्षक

*३१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय कारागारों में ऐसे भी अधीक्षक हैं जिनको अपने जिले तथा शहर में ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसे अधीक्षक केवल एक ही हैं जिनका तबादला जनहित में नहीं किया गया ।

*३२—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, आगरा के विरुद्ध ऊन व कम्बलों के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केंद्रीय कारागार, आगरा के अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं ।

ट्रेक्टर वर्कशाप, तालकटोरा, लखनऊ में चोरियां

*३३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर वर्कशाप, तालकटोरा, लखनऊ में जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६४ तक वर्कशाप के माल की चोरी की कितनी घटनायें हुईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

केवल दो घटनायें ।

*३४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि एक भूतपूर्व सैनिक चौकीदार, श्री राम प्रसाद, द्वारा वर्कशाप की उक्त समय में एक चोरी पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके बाद उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

*३५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह भी सही ह कि श्री रामप्रसाद ने कई प्रार्थना-पत्र उनको नौकरी से निकालने के बारे में इंजीनियर वर्कशाप तथा आयुक्त कृषि विभाग को आज तक दिये परन्तु उससे संबंधित पत्रावली (असली) वर्कशाप से गायब हो गई ? यदि हां, तो क्या कृषि मंत्री इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्री रामप्रसाद ने स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दिया था । उनके प्रार्थनापत्र निराधार पाये गये । इस सम्बन्ध की कोई पत्रावली वर्कशाप से गायब नहीं हुई, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो चोरियों की घटनायें हुईं, प्रत्येक में कितने का माल चोरी गया और किन तिथियों को चोरी गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पहली घटना १२-१२-६० को हुई जिसमें एक मीटर गायब हो गया वर्कशाप से जिसका मूल्य ३८५ रु० था । पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गयी लेकिन कुछ पता नहीं लगा । यह रकम संबंधित कर्मचारियों से वसूल की गयी ।

दूसरी घटना १-५-६२ की है जिसमें ४,७७०.७६ पैसे का नुकसान हुआ । जांच पड़ताल के बाद कुछ पता नहीं लगा । फिर वर्कशाप की तरफ से सरकार को लिखा गया और सरकार ने बहुत सोच-विचार कर उसको राइट आफ कर दिया ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो चोरी पकड़ी गयी वह किस कर्मचारी द्वारा पकड़ी गयी और उसके चोर कौन-कौन थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्री राम प्रसाद, चौकीदार ने २९-१२-५८ को यह रिपोर्ट दी कि २७-१२-५८ को श्री सी० डी० सिंह, ट्रैक्टर आपरेटर दो छोटे पुर्जे, जो कास्ट आयरन के बने थे, बाहर ले जाते हुए देखे गये । जांच के बाद पता चला कि उनका विक्रय मूल्य कुछ नहीं था इसलिये उस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं की गयी ।

सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच समिति की रिपोर्ट

*३६—श्री कल्पनार्थसिंह, श्री झारखण्डेराय, (जिला आजमगढ़), श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खाद्यान्न जांच समिति ने अपनी कोई अद्यावधि रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच समिति से है । समिति ने एक अद्यावधि रिपोर्ट सरकार को दी है । इसकी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सारांश की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२९-७३१ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरदोई कारागार के जेल विजिटर

*३७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या कारगार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई कारागार के कितने जेल विजिटर सेशन कोर्ट से सजा होने के बाद भी जेल विजिटर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस समय ऐसा कोई नहीं है ।

गोरखपुर कारागार में वार्डर की कथित हत्या एवं आजमगढ़ कारागार में हवालातियों के रखने की व्यवस्था

*३८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ अक्तूबर, सन् १९६४ को जिला कारागार गोरखपुर में दो वार्डरों ने किसी एक वार्डर की हत्या कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार हत्या का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हत्या की कोई घटना नहीं हुई ।

*३९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, आजमगढ़ में द्वितीय श्रेणी के हवालातियों को रखने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस प्रदेश में बन्दियों तथा विचाराधीन अभियुक्तों का वर्गीकरण केवल उच्च तथा साधारण श्रेणी में होता है । द्वितीय श्रेणी नहीं होती है ।

वेटरिनरी कालेज, मथुरा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*४०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा स्थित वेटरिनरी कालेज के प्रिंसिपल तथा अन्य उच्च कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें उन्हें गत ३ वर्षों में मिलीं ? उनमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

मथुरा स्थित वेटरिनरी कालेज के प्रिन्सिपल तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं किन्तु उनकी वास्तविक संख्या बताना संभव नहीं है । उनमें से मुख्य-मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है । सरकार द्वारा इन शिकायतों की उचित जांच की गयी तथा वे मूलतः निराधार पायी गयीं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३२–७३३ पर)

*४१-४२—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[दूसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला पूर्ति कार्यालय, एटा के कर्मचारी

*४३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में पूर्ति कार्यालय में काम करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी कौन-कौन हैं जिनका कि होम डिस्ट्रिक्ट एटा है और जो इस जिले में ३ वर्ष की अवधि से अधिक समय से काम कर रहे हैं और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला पूर्ति कार्यालय, एटा में केवल एक क्लर्क ऐसे हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट एटा है और जो इस जिले में तीन वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं। क्लर्कों का कम वेतन होने के कारण इनको होम डिट्रिक्ट में तीन वर्ष से अधिक न काम करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

खाद्य स्थिति पर विचार के लिए दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*४४—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक रोजमर्रा की चीजों पर पूर्णरूपेण नियन्त्रण किया जाय ? यदि हां, तो कब से तथा किन-किन चीजों पर वह योजना लागू होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*४५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सम्मेलन दिल्ली में प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों का अक्तूबर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में हुआ है उसमें क्या-क्या निश्चय मोटे तौर पर किया गया तथा उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उक्त सम्मेलन में खाद्य समस्या पर तथा उन बातों पर, जो कि जून, १९६४ के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद हुई थीं, सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय हुआ कि मुख्य मंत्री आगामी खाद्य नीति पर विचार करने के लिये पुनः मिलेंगे। इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

टाउन एरिया, दरियाबाद का निरीक्षण

*४६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले की दरियाबाद टाउन एरिया का निरीक्षण डी० एम० और एस० डी० एम० ने सन् १९६१, १९६२, १९६३ तथा १९६४ में किन-किन तरीकों में किया और अपने मुआयनों में बकाया टक्स के बारे में क्या-क्या लिखा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा सब-डिवीजनल आफिसर द्वारा टाउन एरिया, दरियाबाद का निम्नलिखित तारीखों पर निरीक्षण किया गया :—

वर्ष				डी० एम०	एस० डी० एम०
१९६१	..	..	..	१४–१–६१ २७–१२–६१	१७–११–६१
१९६२	..	..	..	१३–११–६२	..
१९६३	..	..	..	..	२५–१२–६३
१९६४	..	..	..	..	..

अवशेष कर के सम्बन्ध में निरीक्षणों में जो लिखा गया है, वह सदन की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७३४–७३५ पर)

*४७—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दरियाबाद टाउन एरिया में दो सदस्य ऐसे भी रहे जो जिला परिषद् में अध्यापक का कार्य करते थे जिन्हें टाउन एरिया मैनुअल की धारा ७ के अनुसार मेम्बरी से हट जाना चाहिये था ? यदि हां, तो वे क्यों नहीं हटाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । यह तथ्य इससे पूर्व अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया गया और न ही कोई आपत्ति उठाई गई । इस कारण सम्बन्धित सदस्य को सदस्यता से नहीं हटाया जा सका ।

देवरिया जिले में आटा के थोक विक्रेता

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में वर्तमान समय में कौन-कौन आटा के होल सेलर हैं, उनमें कौन-कौन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं तथा कौन-कौन होलसेलरी का अधिकार पाने के पूर्व से आटा का व्यापार करते रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में आटा की उक्त होल सेलरी करते समय फार्म में सेल्स टैक्स तथा इन्कम टैक्स देने न देने का विवरण मांगा जाता है ? यदि हां, तो उक्त फार्म की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये क्या यह बताया जायेगा कि बगैर टैक्स देने वालों को आटा का लाइसेंस क्यों दिया गया ? यदि दिया गया, तो उक्त विवरण मांगने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ।

*५०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के उक्त सभी आटा के होल सेलरों को मार्च, १९६४ से आज तक अलग-अलग कितना-कितना कोटा दिया गया और टैक्स रहित व्यापारियों को आटे का अधिक कोटा देने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ऐण्टीहोर्डिंग आर्डर के अन्तर्गत प्राप्त गल्ला

*५१—श्री नरसिंहनारायण पण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न के बढ़े हुये भावों के देखते हुए अभी तक ऐन्टीहोर्डिंग आर्डर या डी० आई० आर० के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितना गल्ला विभिन्न जिलों में प्राप्त किया गया था तथा कुल कितने लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐन्टीहोर्डिंग आर्डर के अन्तर्गत १,४१,०१० क्वाइंट उन्तीस क्विन्टल गल्ला पकड़ा गया और ६४८ लोगों पर मुकदमा चलाया गया।

मऊनाथ भंजन में राशन-कार्ड कर्मचारी

*५२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में राशन कार्डों को ठीक एवं जांच करने हेतु कौन-कौन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और वे नगर में या कहीं अन्यत्र रहते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री परमेश्वर सिंह, सप्लाई इन्सपेक्टर की नियुक्ति मऊ में की गई है। पहले वह विकास कार्यालय परदहा में बैठते थे परन्तु १०-११-१९६४ से वह अपना कार्य नगरपालिका, मऊ के एक कमरे में करते हैं। श्री सिंह मऊ कस्बे में रहते हैं।

मुरादाबाद जिले में स्थानीय निकायों के चुनाव का स्थगन

*५३— श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव किस कारण नहीं कराया गया और म्युनिसिपल बोर्ड, सम्भल और हसनपुर के चुनाव नोटिफिकेशन हो जाने के बाद भी क्यों स्थगित किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुरादाबाद नगरपालिका का चुनाव शान्ति एवं सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं कराया गया। सम्भल और हसनपुर नगरपालिकाओं के चुनावों को उनकी परिसीमन आज्ञाओं से संबंधित वहां के कुछ सदस्यों और स्थानीय जनता से प्राप्त कतिपय आपत्तियों पर विचार करने के कारण स्थगित करना पड़ा।

*५४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त म्युनिसिपल बोर्ड के विषय में क्या कुछ खास मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो वे क्या मामले हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, कोई खास मामले इस समय विचाराधीन नहीं हैं।

राजकीय बाग, सहारनपुर का कोल्ड स्टोरेज

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के राजकीय बाग के अतिथि गृह में जो एयरकन्डीशन लगा हुआ है वह कब, कहां से और कितने में खरीदा गया था ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बाग, सहारनपुर के कोल्ड स्टोरेज पर किस-किस फर्म के टेन्डर मांगे गये थे और वह किस-किस रकम के थे ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने ४२,००० रु० के टेन्डर मंजूर न कर के १,३०,००० रु० में दूसरे से यह कोल्ड स्टोरेज बनवाया ?

श्री चरणसिंह—

अधोलिखित ६ फर्मों से कोटेशन मांगे गए थे परन्तु केवल तीन ने भेजे जिनकी रकम प्रत्येक के नाम के सामने अंकित हैं :

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	कोटेशन की रकम
		रु०
१	बाम्बे अमोनिया एन्ड रेफ्रीजरेटर्स कम्पनी, बम्बई	८२,८००
२	यूनाइटेड रेफ्रीजरेटर्स, लखनऊ	१,४०,०००
३	यूनिवर्सल कूलिंग कार्पोरेशन, कलकत्ता	१,५०,०००
४	एयर कन्डीशनिंग कार्पोरेशन, लिमिटेड, कलकत्ता	..
५	आर० सी० दौरन्त एन्ड कम्पनी, न्यू देहली	..
६	रेफ्रीजरेटर्स (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	..

इसके अतिरिक्त मेसर्स नार्दर्न इन्डिया रेफ्रीजरेटर्स कम्पनी ने भी १,६०,००० रुपये का कोटेशन भेजा था। इनमें से कोई भी कोटेशन ४२,००० अथवा १,३०,००० रुपये का नहीं था। औद्यानिक अनुसन्धान संस्थान के तत्कालीन निदेशक ने ८२,८०० रुपये के कोटेशन, जो सब से कम था, को कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि इस फर्म का माल प्रयोगात्मक कार्य के लिये अनुपयुक्त था। उस के बाद सब से कम १,४०,००० ० का कोटेशन था जो स्वीकृत किया गया।

*५७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सहारनपुर राजकीय बाग के अधिकारियों ने १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में जो पेड़ इत्यादि प्रान्त से बाहर बेचे उन पर २५ प्रतिशत एक्स्ट्रा प्राइस भाड़ा खर्चा ग्राहक से वसूल किया ? यदि नहीं, तो सरकार के आदेश का उल्लंघन होने पर सरकार को जो नुकसान हुआ वह कितना था ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में किसी शासकीय आदेश की अवहेलना नहीं हुई और न सरकार को कोई नुकसान हुआ।

निदेशक, राजकीय उद्यान, सहारनपुर को दण्ड

*६८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२ के अन्तिम महीनों में सरकार के पास सहारनपुर गवर्नमेन्ट गार्डन के डाइरेक्टर हार्टीकल्चर के विरुद्ध शिकायत की गई थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सब आरोप सही साबित होने पर भी सरकार ने उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की?

श्री चरणसिंह—

जी हां। निदेशक के विरुद्ध चार्जशीट लगाने के पश्चात् विधिवत् अनुशासनिक कार्यवाही की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने उक्त अधिकारी को अधिक्षेप (Censure) का दण्ड दिया और उस की चरित्र पंजी में इसकी प्रविष्टि कर दी गयी।

*६९—श्री भीखालाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ऊपर कहे अधिकारी ने ४०,००० रु० के बैंक ड्राफ्ट्स द्वारा अप्रैल, १९६२ से अक्तूबर, १९६२ तक धन अपने हिसाब में वसूल किया? यदि हां, तो सरकार ने सी० आई० डी० को वह केस क्यों नहीं दिया?

श्री चरणसिंह—

जी हां। ऐसी शिकायत थी परन्तु सी० आई० डी० द्वारा जांच के लिये पर्याप्त प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं था।

*६०—श्री भीखालाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऊपर कहे अधिकारी के विरुद्ध हुई आडिटर जनरल की रिपोर्ट हिसाब की गड़बड़ी की हुई और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सिल ने भी उसी सम्बन्ध में रिपोर्ट आरम्भ १९६३ में दी जो सन् १९५७ से १९६२ तक की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—

यह आडिट रिपोर्ट कृषि विभाग के लेखा अनुभाग के कर्मचारियों ने प्रेषित की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर औद्यानिक अनुसन्धान संस्थान, सहारनपुर के भूतपूर्व निदेशक के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई और विधिवत् तथा विस्तृत जांच करने के पश्चात् उसे अधिक्षेप (Censure) का दण्ड दिया गया।

*६१—श्री रक्षपालसिंह—

[माननीय सदस्य से वांछित स्पष्टीकरण के अभाव में हटा दिया गया।)

बिसवां पशु-चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*६२—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नियोजन अधिकारी, सीतापुर के माध्यम से शासन को बिसवां, जिला सीतापुर के पशु-चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध अगस्त, १९६४ में कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—

जिला नियोजन अधिकारी सीतापुर के माध्यम से शासन को बिसवां, जिला सीतापुर के पशु चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध अगस्त, १९६४ में कोई शिकायत नहीं मिली है। कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्रुखाबाद नगरपालिका कर्मचारियों का शेष वेतन

*६३—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों का कितने मास का वेतन बकाया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केवल वर्ष १९४९–५० में देय वेतन का कुछ अंश देना बाकी है।

*६४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त वेतन कब तक दे दिया जायगा तथा अब तक वेतन न देने का क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त बकाया वेतन धनाभाव के कारण अब तक नहीं दिया जा सका। बोर्ड को कहा जा रहा है कि वह शीघ्रातिशीघ्र बकाया वेतन का भुगतान करे।

अध्यक्ष नगरपालिका, कन्नौज के विरुद्ध शिकायत

*६५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान नगरपालिका कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध जनता तथा नगरपालिका के सदस्यों के प्रार्थना-पत्र या रिप्रेजेन्टेशन १ अप्रैल, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ के बीच में मिले हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

अब उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

[] सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच समिति के अध्यक्ष का भत्ता

*६६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सस्ते गल्ले की दुकानों की गतिविधियों तथा व्यवस्था की जांच करने के लिये जो ५ सदस्यीय कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई उसके अध्यक्ष को वेतन भत्ता तथा अन्य क्या-क्या सुविधायें शासन द्वारा दी जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये प्रथम श्रेणी के राज कर्मचारी के समान सफर व दैनिक भत्ता दिया जाता है। परन्तु जब विधान सभा की बैठक, जिसके वे सदस्य हैं, चल रही होती है तो समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता। अपनी जांच के सिलसिले में जब वे लखनऊ

से बाहर जाते हैं तो उन्हें सफर व दैनिक भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शासन की ओर से एक आशुलिपिक व एक अर्दली दिया गया है। उन्हें निवास स्थान पर तथा कार्यालय में टेलीफोन की सुविधायें भी प्राप्त हैं।

*६७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री ओंकारनाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

[११-२-६३ के प्रश्न संख्या २३ की पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

यू० पी० जेल सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*६८—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या कारागार मंत्री कृपया दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ के नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या १८ के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जेल विभाग का क्या यह कर्त्तव्य नहीं है कि सहकारिता विभाग से पूछकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करे जबकि वह कर्मचारी जेल विभाग का है और उसके काम व चरित्र की रिपोर्ट कारागार महानिरीक्षक को देना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस संबंध में सहकारिता विभाग से परामर्श होता रहता है। वे जांच कर रहे हैं। जांच का परिणाम ज्ञात होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

मड़ियाहूं टाउन एरिया में मतदाता

*६९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत मड़ियाहूं टाउन एरिया के तीनों कक्षों में प्रत्येक में अलग-अलग मतदाताओं की संख्या कितनी-कितनी है तथा प्रत्येक कक्ष से चुने जाने वाले कितने-कितने सदस्य हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मड़ियाहूं टाउन एरिया, जिला जौनपुर के तीनों कक्षों की तृतीय सामान्य निर्वाचन के समय की मतदाता संख्या तथा परिसीमन आज्ञा, १९६३ के अनुसार प्रत्येक कक्ष में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है :—

मतदाता	संख्या	सदस्य
१—कजियाना	१,२४२	४
२—पीरजकरिया	१,५६४	३
३—खैरुद्दीनगंज	२,०३६	३

*७०—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नगरपालिकाओं, टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया कक्षों में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस आधार पर रखती है ? क्या टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या नगरपालिका में सदस्यों की संख्या निर्णय के पूर्व राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गये या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ११-ए(२) के अनुसार कक्षों में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अंतिम गणना के अनुसार निर्धारित कक्षों की जन-संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। निर्णय से पूर्व प्रस्तावित परिसीमन आज्ञा जनता के सुझावों के लिये सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। राजनीतिक दलों से अलग से कोई सुझाव नहीं मांगे जाते हैं।

कानपुर में गल्ला तथा शक्कर की दूकानों की समाप्ति

*७१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर व जिले में जनवरी, १९६४ से अब तक कितने शक्कर तथा सस्ते गल्ले की दूकानों को समाप्त किया गया या स्थगित किया गया तथा इन पर यह कार्यवाही करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कंट्रोल आर्डर का उल्लंघन एवं अनियमितता के कारण १-१-६४ से २५-१-६५ तक, ६९ दुकानें समाप्त तथा १५ स्थगित की गईं ।

मथुरा में सीवेज फार्म की जमीन का मुआवजा

*७२—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका के सीवेज फार्म के लिये १०४ एकड़ किसानों से जमीन ली जाने की शासन को दरख्वास्त दी गई है ? यदि हां, तो यह जमीन कितने काश्तकारों की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिका मथुरा ने १०३-५२ एकड़ भूमि अर्जन करने हेतु जिलाधीश, मथुरा को प्रार्थना-पत्र दिया था, उक्त भूमि में से १०१-०१ एकड़ भूमि ४३ काश्तकारों की है ।

*७३—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि मौजा सहजादपुर व अब्दुल नबीपुर के २४ किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन लेने के बाद उन पर एक बिस्वा भी काश्त करने के लिये नहीं रहेगी ? यदि हां, तो उनके भरण-पोषण का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । काश्तकारों को उनकी जमीन का मुआविजा दिया जायेगा जिससे वे अपना भरण-पोषण कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त वे अन्य काश्तकारों की भांति नगरपालिका से सीवेज फार्म के प्लाट लेकर उसे जोत-बो सकते हैं ।

*७४—श्री लखीसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त किसानों को इस जमीन का मुआवजा बाजार भाव से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों, जबकि केंद्रीय सरकार के लैन्ड एक्विजीशन विधेयक में ऐसा संशोधन हो गया है कि जिन काश्तकारों की सीलिंग में आई हुई जमीन में से सरकारी कार्य में जमीन ली जाय तो उनको बाजार भाव से मुआविजा मिलेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चूंकि मुआविजा अभी नहीं दिया गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकायों को रोड फण्ड से अनुदान

*७५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं को उत्तर प्रदेश रोड फंड से जो प्रति वर्ष सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा नवीनीकरण आदि सड़क संबंधी कार्यों के लिये धनराशि प्रदान की जाती है उस धनराशि को किस आधार पर नगरपालिकाओं में वितरित किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

"उत्तर प्रदेश रोड फंड" से सामान्यतया जो धनराशि नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं को वितरित की जाती है उसका आधार उनकी जन-संख्या तथा सड़कों की लम्बाई है, पर स्वीकृति देने से पूर्व उनका पिछले वर्षों में दिये गये अनुदानों की उपयोगिता की स्थिति भी देखी जाती है ।

*७६—श्री राजेन्द्रसिंह—

(२रे बुधवार के लिये प्र०सं० ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।)

नगरपालिका गाजियाबाद को सीमेंट

*७७—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६४ से ३० सितम्बर तक नगरपालिका गाजियाबाद ने सार्वजनिक कार्य के लिये कितने सीमेंट की मांग की है और उसमें से कितना सीमेंट उन्हें दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनवरी, १९६४ से ३० सितम्बर तक नगरपालिका गाजियाबाद ने ८२४ मी०टन सीमेंट की मांग की और उन्हें उक्त अवधि में २०७ मी०टन० सीमेंट दिया गया ।

*७८—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायतें पहुंची हैं कि नगरपालिका गाजियाबाद रोड ग्रांट और लो व मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन को इसलिये खर्च नहीं कर सकी कि उसके पास आवश्यकतानुसार सीमेंट नहीं है ? अगर हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । नगरपालिका गाजियाबाद का कोटा अक्तूबर, दिसम्बर १९६४ व जनवरी, मार्च, १९६५ की तिमाहियों में बढ़ाकर क्रमशः २३० मी० टन व २९९ मी० टन कर दिया गया ।

सीतापुर जिले में आटे की चोर बाजारी

*७९—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ मई, १९६४ को जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर ने महोली में चोर बाजार में आटा बिकते हुए पकड़ा था ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों का आटा पकड़ा गया और उसमें क्या हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर ने ४–५–६४ को महोली में कथित चोर बाजारी में बिकते हुए निम्नलिखित फर्मों का आटा पकड़ा—

१—सर्वश्री ओम प्रकाश दिनेशचन्द,

२—श्री सत्य नारायण अग्रवाल,

३—श्री सीतला प्रसाद,

इन फर्मों के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी गई है । पहले दो फर्मों का मुकदमा अदालत के विचाराधीन है तथा उनकी दूकानें निलम्बित कर दी गई हैं । तीसरी फर्म का मामला सी० आई०डी० के सुपुर्द कर दिया गया है ।

*८०—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसी चोर बाजारी की जांच करने हेतु दिनांक १३ सितम्बर, १९६४ को श्रीमान डी०आई०जी० पुलिस, महोली सीतापुर गये थे ? यदि हां, तो उनकी जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, खेद है कि अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

आजमगढ़ जिले में खाद्यान्नों का मूल्य

*८१—श्री उमाशंकर (जिला अलीगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण संबंधी जो अध्यादेश सन् १९६४ में महामान्य राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है वह प्रदेश के पूर्वी जिलों में क्यों नहीं व्यवहार में लाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

महामान्य राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, १९६४ सारे प्रदेश में लागू है । पूर्वी जिलों में भी ।

*८२—श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी को यह पता है कि आजमगढ़ जिले में खाद्यान्न निर्धारित मूल्य सूची से दुगुनी कीमत पर बिक रहा है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को यह जानकारी नहीं है कि आजमगढ़ जिले में बाजार में नियंत्रित भावों से दुगने मूल्य पर कोई अनाज बिक रहा है ।

गेहूं, जौ, चना पर कोई नियंत्रित भाव नहीं है । मक्का, ज्वार, बाजरा पर २-१/४ महीने नियंत्रित भाव रहा । १८ दिसम्बर, १९६४ के बाद नियंत्रित भाव नहीं है । चावल नं० ३ का भाव आजमगढ़ जिले में ७१ व ७२ पैसे प्रति किलोग्राम आदेश में दिया गया है । इससे दुगने दामों पर चावल बिका, ऐसी और कोई शिकायत किसी व्यापारी विशेष के विरुद्ध सरकार के पास नहीं आई । केवल निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर चावल बेचने पर आजमगढ़ जिले में ११ मुकदमे पुलिस के हवाले किये गये । २२ जनवरी तक इनमें से तीन मुकदमों का चालान पुलिस कर चुकी थी ।

महापालिका, कानपुर की सीमा

*८३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर महापालिका ने अपनी सीमा के अन्दर सन् १९५९ से १९६३ के अन्त तक कितने ग्राम शामिल किये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कानपुर नगर महापालिका ने अपनी सीमा के अन्दर सन् १९५९ से १९६३ के अन्त तक ४७ ग्राम शामिल किये ह जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी छ' आगे पृष्ठ ७३६ पर)

कन्नौज नगरपालिका कर्मचारियों का वेतन

*८४—श्री होरीलाल यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के किन-किन कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के संबंध में अपील नगरपालिका कन्नौज के अध्यक्ष के माध्यम से १ सितम्बर, सन् १९६३ तक सचिव म्युनिसिपल (ए) विभाग के पास भेजे हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

किसी भी कर्मचारी ने नहीं ।

फर्रुखाबाद जिले में आटे की चोर बाजारी

*८५—श्री होरीलाल यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कायमगंज, कमालगंज, सरायमीरा, जिला फर्रुखाबाद में चोरी का आटा गत जून, जुलाई मास, १९६४ में पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कितने बोरी पकड़ा गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

तहसील कायमगंज में श्री बाबूराम निवासी कायमगंज का एक ट्रक आटा जिसमें १०० बोरी थे फर्रुखाबाद से लाते हुये ७-७-६४ को पकड़ा गया था । यह आटा हाकिम परगना कायमगंज के आदेशानुसार सेम्पुल लेने के बाद, बिकवा दिया गया क्योंकि इसके खराब होने की आशंका थी । मामला पुलिस की तहकीकात में दे दिया गया । जांच के बाद यह पाया गया कि यह आटा देशी गेहूं का था । क्योंकि यह आटा विदेशी गेहूं से नहीं था अतएव कोई जुर्म नहीं बनता था और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया । इसी तहसील के गांव बाराबिक् न्याय पंचायत केंद्र के सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदार रामसिंह हरपालसिंह का दस बोरे आटा १४-८-६४ को पकड़ा गया । इनकी दुकान रद्द कर दी गई । जांच के बाद पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई क्योंकि कोई जुर्म साबित नहीं हो सका ।

२—गत २२ जून सन् १९६४ को प्यारेलाल व सुदामा, निवासी सरायमीरा, के कब्जे से क्रमशः दस और दो बोरा आटा बरामद हुआ था । पुलिस द्वारा जांच करने के बाद कोई अपराध साबित नहीं हो सका और इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

३—कमालगंज ब्लाक में स्थित न्याय पंचायत अमानाबाद के सस्ते गल्ले के बिक्रेता श्री चिरौंजी लाल के यहां ८३ बोरे आटा पकड़ा गया । दूकान कैंसिल कर दी गई, आटा हाकिम परगना की आज्ञा से बिकवा दिया गया और कीमत अदालत में जमा कर दी गई, जांच की जा रही है । इसी ब्लाक में स्थित कस्बा कमालगंज के २ दुकानदारों कन्हई लाल । सच्चिदानन्द के यहां से क्रमशः २ क्वींटल और ४० मन आटा ५-६-६४ को पकड़ा गया । कन्हई लाल के मामले में जांच की जा रही है । सच्चिदानन्द के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और अभियुक्त को सजा दे दी गई है । इसी क्षेत्र के व्यापारी श्री होरीलाल का एक ट्रक आटा जिस में ८३ बोरे थे पकड़ा गया, इनके सस्ते गल्ले की दूकान रद्द कर दी गई है और मामले में जांच की जा रही है ।

बांदा जिले में पकड़ा गया गल्ला

*८६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में जिलाधीश बांदा ने गल्ले के कितने व्यापारियों तथा कितने किसानों के गल्ले कुछ समय पूर्व जब्त किये हैं ? उनकी तादाद, तौल कितनी है और किन नियमों के उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बांदा जिले में ४८ व्यापारियों तथा १८ किसानों का गल्ला २६ सितम्बर, १९६४ को पकड़ा गया। जिसका विवरण इस प्रकार है:--

किसानों का गल्ला ..	२,८४४	क्वींटल
व्यापारियों का गल्ला (शहरी)..	४,१३४	,,
व्यापारियों का गल्ला (देहाती) ..	४८६	,,
कुल योग ..	७,४६४	,,

उपरोक्त गल्ला एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ तथा डिफेंस आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने के कारण पकड़ा गया था ।

*८७--श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने बांदा जिलाधीश को जब्त किया हुआ गल्ला नीलाम करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर तथा किन भावों पर क्या-क्या गल्ला नीलाम किया गया है और उसे किसने खरीदा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिलाधीशों को आदेश दिये गये थे कि इस बात का ध्यान रक्खें कि पकड़ा हुआ गल्ला खराब न होने पाये तथा उसका वितरण अदालत के आज्ञानुसार शीघ्र कर दिया जावे । बांदा जिले में पकड़ा गया कुछ गल्ला अदालत की आज्ञानुसार नीलाम कर दिया गया । जिन लोगों ने उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र देकर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया उनका गल्ला सुपर्दगीदार के पास है ।

जो गल्ला नीलाम किया गया उसे कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसायटी ने निम्नलिखित भावों से खरीदा--

गेहूं	५८ रु० प्रति क्विंटल
चना	५६ रु० ,,
चावल	५८ रु० ,,
चना दाल	६० रु० ,,

चना बीज के लिये कृषि विभाग को दे दिया गया और गेहूं और चावल जनता में ६२ पैसे प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया गया है और किया जा रहा है ।

बिजनौर जिले के इस्लामनगर व इनायतपुर ग्रामों से प्रार्थनापत्र

*८८--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम इस्लामनगर उर्फ बनियों वाला ब्लाक अफजलगढ़ जिला बिजनौर से दिनांक २६ नवम्बर, १९६४ को कोई प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें ग्रामवासियों के जरिये पेय जल की व्यवस्था करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रश्न पर क्या कार्यवाही करने जा रही ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। संबंधित अधिकारियों से पूछतांछ की गई है । उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

८९—श्री बसन्तसिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इनायतपुर, जिला बिजनौर के कृषकों की ओर से दिनांक २६ नवम्बर, १९६४ को उन्हें कोई आवेदन-पत्र मिला है जिसमें किसानों ने यह शिकायत की है कि उनकी भूमि पर वन विभाग अनधिकृत कब्जा कर रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । एक प्रार्थना-पत्र जिस पर प्रश्नकर्त्ता द्वारा १६ नवम्बर, १९६४ को सिफारिश की गई है, प्राप्त हुआ है । उसमें इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा १८(४) के अन्तर्गत शासन के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के फैसले तक अन्तरिम आदेश के लिये निवेदन किया गया है । चूंकि उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के निर्णय के अनुसार शासन को उपरोक्त ऐक्ट की उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निगरानी का अख्तियार समाप्त नहीं है, इसलिये उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

गल्ला क्रय

*९०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष सरकार ने कुल कितने रुपये का गल्ला खरीदने का निश्चय किया है और उसमें से कितने रुपये का गल्ला खरीदा जा चुका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

खरीफ की फसल का करीब २० करोड़ रुपये का गल्ला खरीदने का निश्चय किया गया है, उसमें से ६ करोड़ ९२ हजार रुपये का १,३४,५०० टन गल्ला खरीदा जा चुका है ।

खाण्डसारी निर्यात

*९१—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को खांडसारी निर्यात करने के लिये लाइसेंस किस नीति के आधार पर किन व्यक्तियों को दिये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

समय समय पर केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रदेशों के लिये उत्तर प्रदेश से खांडसारी आयात करने का कोटा निश्चित करती है । संबंधित राज्य सरकारें इस कोटे में से अपने प्रदेश के खांड-सारी के थोक विक्रेताओं को आयात परमिट देती हैं । आयातकर्ता इस प्रदेश में किसी भी व्यक्ति से खांडसारी खरीद लेता है । जिस जिले में वह खांडसारी खरीदता है उस जिले का जिलाधीश आयात कर्ता या उसके एजेन्ट में से जो भी आयात परमिट के साथ प्रार्थना-पत्र दे, निर्यात परमिट दे देता है ।

*९२—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को खांडसारी निर्यात करने के लिये खांडसारी के उत्पादक को सीधे आज्ञा क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ।

*९३—श्री मुहम्मद रफी खां, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*९४—श्री कमलासिंह यादव—

[२रे सोमवार के ता० प्रश्न संख्या ४०–४१ में सम्मिलित होने के कारण हटा दिया गया ।]

करनैलगंज नगरपालिका कर्मचारियों का वेतन

*९५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ सितम्बर, १९६४ तक गोंडा जिले की करनैलगंज नगरपालिका के कर्मचारियों का कितने मास का वेतन नगरपालिका पर बकाया था ? अब तक वेतन न मिलने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सफाई मजदूरों का माह जुलाई व अगस्त, १९६४ तथा अन्य कर्मचारियों का माह मई, जून, जुलाई व अगस्त, १९६४ तक का वेतन बकाया था । नगरपालिका द्वारा अपनी अधिकांश आय जन निर्माण कार्य पर व्यय करने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई ।

नौगढ़-मद्धूपुर मार्ग

*९६—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि नौगढ़ से मद्धूपुर रोड तहसील चकिया, जिला वाराणसी, जिसे कभी आम जनता इस्तेमाल करती थी और सवारियों का आवागमन था उसे वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और मद्धूपुर के पास पश्चिम तथा नौगढ़ में सीकड़ लगा कर रोक दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में लेने का विचार करेगी ताकि उस पिछड़े हुये क्षेत्र का विकास हो सके ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । तहसील चकिया, जिला वाराणसी, में स्थित नौगढ़ मद्धूपुर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग से हस्तान्तरित होकर वन विभाग के अधिकार में १ अप्रैल, १९५९ से है । इस मार्ग को पहले की भांति अब भी आम जनता इस्तेमाल करती है और सवारियों का आवागमन भी उसी प्रकार चल रहा है । चूंकि यह मार्ग घने वन से होकर गुजरता है इसलिये वन उपज की अवैध निकासी अथवा चोरी को रोकने के लिये नौगढ़ और जै मोहनी–पोस्ता गांव के पास बैरियर लगाये गये हैं परन्तु इनके कारण आम जनता को किसी प्रकार के आवागमन में रुकावट नहीं पड़ती है और इस क्षेत्र के विकास में भी कोई बाधा नहीं है । अतः इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुनः हस्तांतरित करने के विचार का प्रश्न नहीं उठता ।

संगृहीत खाद्यान्न

*९७—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में खाद्यान्नों के अभाव दूर करने एवं बाजारे में मूल्य पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न खाद्यान्नों का संग्रह करने की क्या योजना बनाई है तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को कितना स्टाक संगृहीत किया जा चुका है और खरीद की दरें क्या रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके निमित्त सरकार ने २ लाख टन चावल और २ लाख टन ज्वार, बाजरा तथा मक्का खरीदने का निर्णय किया है। इस निर्णय के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९६४ तक इन अनाजों की खरीदारी निम्नलिखित मात्रा में की गयी थी :

	टन
चावल	४८,४०४
मक्का	१८,१३०
ज्वार	१०,३१५
बाजरा	७,६९२
कुल योग ..	८४,५४१

उपरोक्त अनाजों की खरीदारी की दरें संलग्न तालिका में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७३७ पर)

*९८-१००—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

[३रे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

खाद्यान्न विक्रय

*१०१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितना गल्ला केन्द्रीय सरकार द्वारा आया तथा कितना गल्ला प्रदेश का १९६१, ६२, ६३ तथा ६४ में सरकारी गल्ले की दुकानों में बेचने हेतु दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना की तालिका 'क' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७३८ पर)

*१०२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक कितनी सरकारी गल्ले की दुकानें शहरी क्षेत्र में खोली गईं और कितनी-कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना की तालिका 'ख' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७३९-७४० पर।)

सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़, के सुअरों की मृत्यु की जांच

*१०३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि झांसी में १० सुअर जो कि सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़, से वहां ट्रक द्वारा ले जायें जा रहे थे वह मर गये ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। सेन्ट्रल डेरी फार्म से २६ अक्टूबर, १९६४ को २३ नर सुअर विभागीय ट्रक द्वारा झांसी ले जाये जा रहे थे जिसमें ७ सुअरों की मृत्यु मार्ग में हो गयी थी। इस विषय में जांच की जा रही है तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों को उचित दन्ड दिया जायगा।

*१०४—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या यह भी सही है कि ट्रक में जगह से ज्यादा सुअर भर दिये गये इसलिये दम घुटकर उनकी मृत्यु हो गई और मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी कीमत क्या थी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। प्रति सुअर २०० रुपये की दर से ७ सुअरों की कीमत १,४०० रुपये थी।

देवरिया जिले में रबी के बीज का वितरण

*१०५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि खंड बीज सहायक एवं ग्राम बीज सहायक द्वारा कितने मन आदर्श बीज का बंटवारा रबी की फसल के लिये इस वर्ष देवरिया जनपद में हुआ ?

श्री चरणसिंह—

खंड बीज सहायक अपना बीज वर्द्धनोपरान्त किसानों को नहीं बांटते बल्कि सहकारी समितियों के हाथ बेच देते हैं। ये समितियां किसानों को सवाया पर बीज बांटती हैं।

ग्राम बीज सहायकों का बीज गांव में किसानों में आपस में वर्द्धनोपरान्त अदल-बदल लिया जाता है। इस अदल-बदल के कोई आंकड़े कृषि विभाग में नहीं रक्खे जाते।

निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्षों में विधायक

*१०६—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष नगरपालिका अध्यक्षों के निर्वाचन में ऐसे कितने अध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं जो कि विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा अथवा राज्य सभा के सदस्य भी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हरदोई एवं गोला गोकरननाथ नगरपालिकाओं के अध्यक्ष ऐसे निर्वाचित हुए हैं जो क्रमशः विधान सभा तथा लोक सभा के सदस्य भी हैं।

*१०७—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[हटा दिया गया।]

कोल्डया-बदौसा मार्ग

*१०८—श्री मतोलासिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कोल्डया जंगल से जो कच्ची सड़क बदौसा को जाती है वह क्या वन विभाग की है ? यदि हां, तो उसे पक्का कराने का आने वाली योजना में वे विचार रखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१०९—श्री रियासत हुसैन—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

जन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने का सुझाव

*११०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने खाद्यान्न की जो कीमत तय की है उसी के अनुपात में कपड़ा तथा अन्य जन उपयोगी वस्तुओं का भी मूल्य तय करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भारत सरकार ने २० अक्टूबर, १९६४ से धोती, साड़ी, लट्ठा (लांग क्लाथ) व कमीजों के कपड़े (शर्टिग) पर परिनियत मूल्य नियंत्रण इस राज्य में लागू कर दिया है।

जहां तक अन्य जन उपयोगी वस्तुओं का प्रश्न है, उनके मूल्य निर्धारित करने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है ।

रायबरेली जिले में पकड़ा गया गल्ला

*१११—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत जुलाई, १९६४ से लेकर दिसम्बर, सन् १९६४ तक डी० आई० आर० में कितने केस पकड़े गये और कितना गल्ला सरकार के कोष में जमा हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला रायबरेली के अन्तर्गत जुलाई से दिसम्बर, १९६४ तक डी० आई० आर० में १७ केस पकड़े गये और १२२१.६४.९६० क्विन्टल गल्ला सरकार के कोष में जमा हुआ ।

प्रतापगढ़ जिले में सीमेंट का वितरण

*११२—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर व अक्तूबर, सन् १९६४, में सीमेंट का कितना-कितना कोटा जिला प्रतापगढ़ को दिया गया और उसमें से प्रतापगढ़ के किन सरकारी अफसरों तथा संस्थाओं को कितनी-कितनी सीमेंट जनता में वितरित करने को दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माह सितम्बर, १९६४ में २,५८० बोरे सीमेन्ट तथा माह अक्टूबर, १९६४ में २,२६० बोरे सीमेन्ट जिला प्रतापगढ़ को प्राप्त हुये, जिसका वितरण निम्नलिखित अधिकारियों में उनके सामने लिखी गई मात्रा में जनता को वितरित करने हेतु किया गया :

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	योग
		बोरे	बोरे	बोरे
१	जिला नियोजन अधिकारी प्रतापगढ़ ..	८००	१,१२५	१,९२५
२	तहसीलदार सदर ..	२२५	७५	३००
३	तहसीलदार कुन्डा ..	२२५	१५०	३७५
४	तहसीलदार पट्टी ..	७५	७५	१५०
५	जिला पूर्ति अधिकारी प्रतापगढ़ ..	१,२५५	८३५	२,०९०
	योग ..	२५८०	२२६०	४८४०

*११३--कुंवर तेजभानसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी प्रतापगढ़ ने स्वयं अपने द्वारा जनता में वितरित करने के लिये माह सितम्बर व अक्तूबर, १९६४ में कितनी सीमेंट ली थी और वह सीमेन्ट किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला पूर्ति अधिकारी प्रतापगढ़ ने माह सितम्बर व अक्टूबर में क्रमशः १,२५५ बोरे तथा ८३५ बोरे सीमेन्ट जनता में वितरित किया। सीमेन्ट किन-किन व्यक्तियों को और कितनी मात्रा में दिया गया । इसकी तालिका† बाद में माहवार संलग्न है।

गौरी बरहज नगरपालिका का अनुदान

*११४--श्री उग्रसेन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६२-६३, १९६३-६४, तथा १९६४-६५ में नगरपालिका गौरी बरहज को कितने रुपये का अनुदान किन-किन मदों में दिया गया है ?

११५--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन अनुदानों से नगरपालिका में कौन-कौन सा काम हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वांछित सूचना संलग्नक में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी ' ट ' आगे पृष्ठ ७४१ पर ।)

*११६--श्री जगन्नाथ राव--

[३रे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

शाहगंज क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु

*११७--श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६४ के प्रथम सप्ताह में शासन को कोई इस आशय की सूचना मिली है कि आगरा के शाहगंज क्षेत्र में पशुओं में भीषण बीमारी फैल गई है जिसके परिणामस्वरूप १०० से अधिक दुधारू भैंसें मर गयीं ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--

आगरा के शाहगंज क्षेत्र में मातारोग से ५४ पशुओं की मृत्यु दिसम्बर, १९६४ में हुई । रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीन मंगा कर विभिन्न क्षेत्रों में ४ पशु चिकित्सक तथा १२ पशु-सेवकों की टोली द्वारा ६७४० पशुओं को टीका लगाया गया और इस प्रकार बीमारी की रोकथाम कर ली गई । घटना का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७४२ पर ।)

इलाहाबाद फ्लावर शो से अस्पतालों को लाभ न पहुंचना

*११८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जो Flower Show सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष मोतीलाल नेहरू पार्क में होता है उस प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद प्रदर्शनी

---

† छापी नहीं गई ।

में आई हुई तरकारी, फल-फूल पांच वर्षों से अस्पतालों में नहीं भेजी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---

इलाहाबाद फ्लावर शो का संचालन एक प्राइवेट कमेटी द्वारा होता है। पहले प्रतियोगी अपनी इच्छानुसार तरकारी, फल, आदि अस्पताल भेजने को तैयार हो जाते थे परन्तु इधर कई वर्षों से प्रतियोगी अपनी-अपनी तरकारी आदि प्रदर्शनी समाप्त होने पर वापस ले जाते हैं। कमेटी द्वारा प्रदर्शनी में आई हुई तरकारी आदि अस्पतालों को भेजने के लिये कोई नियम नहीं बनाया गया है।

गोंडा जिले में बीज वितरण

*११९---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में खरीफ की धान की फसल १९६४ में कितनी पैदावार बढ़ी ?

श्री चरणसिंह---

धान की अन्तिम प्राक्कलन की तिथि १५ फरवरी है। अतः वांछित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

*१२०---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रबी की फसल में गोंडा जिले में कितना टन गेहूं, जौ, चना, मटर का बीज किसानों को दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---

सन् १९६४-६५ की रबी की फसल में निम्नलिखित बीज कृषि विभाग द्वारा गोंडा जिले में वितरित किया गया:---

	टन
गेहूं	४९१.७६५
जौ	१५.६७१
चना	९.७००
मटर	३.५६०

वाराणसी जिले में सरकारी अनाज उठाने की मजदूरी

*१२१---श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सप्लाई विभाग से सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को गल्ला देते समय गोदाम पर लगे लेबरों की मजदूरी फी बोरा के हिसाब से दूकानदारों को भी देना पड़ता है और सरकार से भी मिलता है ? यदि हां, तो क्यों और क्या दोनों तरफ से मिली हुई मजबूरी लेबरों को मिल जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को निकासी के समय छल्ली से बोरा उठाने, उसको कांटे पर रखने, तौलने तथा तौल के बाद कांटे से उतार कर अलग करने तक का खर्च सरकार देती है। यह खर्च सरकारी ठेकेदार को मिलता है, जो कि पल्लेदारों को देते हैं। उक्त खर्चा पल्लेदारों को दुकानदार नहीं देते हैं।

तौल कर रक्खे हुए बोरों को ट्रक या गाड़ी पर लादने या उतारने का उत्तरदायित्व दुकानदार पर होता है। वह चाहे उक्त कार्य को स्वयं करे अथवा अपने आदमी से करावे, अथवा ठेकेदार के पल्लेदारों से उनकी मजदूरी देकर करावे। उक्त खर्चों से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

राजस्थान क्रय विक्रय संघ द्वारा गुड़ घोटाला

*१२२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक आर्गनाइजर के ९ नवम्बर, १९६४ के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित "इनवेस्ट ए लैख एन्ड मेक ए करोर" शीर्षक समाचार की ओर गया है जिसमें कि राजस्थान क्रय-विक्रय संघ द्वारा गुड़ के क्रय-विक्रय के एक घोटाले में उत्तर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दोषी बताया गया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस मामले की जांच करा कर यह बतायेंगे कि: (अ) वास्तविकता क्या है, (ब) घटना से कौन-कौन अधिकारी सम्बन्धित हैं, (स) जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आयें और क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां।

(अ) जांच के पश्चात् राजस्थान क्रय-विक्रय संघ द्वारा गुड़ के क्रय विक्रय में जिस घोटाले का उल्लेख किया गया है उसमें इस राज्य के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

(ब) इस राज्य का कोई अधिकारी इससे सम्बन्धित नहीं है।

(स) जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, कोई भी तथ्य ऐसे नहीं निकले जिस पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हो।

अतारांकित प्रश्न

टाउन एरिया, छाता की मतदाता सूची

१—लखीसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की नोटीफाइड एरिया छाता में ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिये गये जो आबाद हैं और जिन्दा हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

टाउन एरिया छाता की मतदाता सूचियां तृतीय सामान्य निर्वाचन के संबंध में १९६३ में दुहराई गई थीं। इस संबंध में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने घर-घर जाकर जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, उन व्यक्तियों के नाम सूची से काट दिये गये जो आबाद और जिन्दा नहीं पाये गये।

२—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि इनमें से ८ मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान चुनाव में चेयरमैन तथा सदस्यता की उम्मेदवारी के लिये आवेदन-पत्र गत १७ अक्तूबर को दाखिल किये थे और चुनाव आफिसर ने पर्चे भी लिये थे परन्तु क्या १९ अक्तूबर को उनके पर्चे खारिज कर दिये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

६ मतदाता ऐसे हैं जिनके नांमाकन पत्र, जांच के पश्चात् उनके नाम मतदाता सूची में न होने पर, खारिज कर दिये गये ।

पूर्वी जिलों में रबी के बीज का वितरण

३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी के बीज हेतु गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ के जिलाधीशों ने कितनी मांग की थी और उनमें कितने की पूर्ति की गई ?

श्री चरणसिंह—

प्रत्येक जिले की मांग और पूर्ति का अलग अलग विवरण निम्नलिखित है:

	मांग मेट्रिक टनों में	पूर्ति मेट्रिक टनों में
१—गोरखपुर	३००.७	७८७.०
२—देवरिया	१,८३८.४	७२४.६
३—बस्ती	२,६००.०	८५७.०
४—आजमगढ़	१,३०६.२	५६८.६

४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब से जो गेहूं बीज हेतु मंगाया गया है उसे उपरोक्त जिलों में कितना-कितना दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

पंजाब से मंगाये गये गेहूं में से निम्नलिखित गेहूं का बीज उपरोक्त जिलों को दिय गया:

	मैट्रिक टना
१—गोरखपुर	७८७.०
२—देवरिया	७२४.६
३—बस्ती	८५७.४
४—आजमगढ़	५६८.६

देवरिया जिले में चीनी के थोक विक्रेता

५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में वर्तमान समय में कौन-कौन चीनी के होल सेलर हैं ? उनमें कौन-कौन सेल्स-टैक्स व इनकम-टैक्स देते हैं और कौन-कौन होल सेलरी का अधिकार पाने के पूर्व से चीनी का व्यापार करते रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित†सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट क)

†छापी नहीं गई ।

६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया में उक्त चीनी की होलसेलरी देते समय फार्म में सेल्स-टैक्स तथा इन्कम टैक्स देने न देने का विवरण मांगा जाता है ? यदि हां, तो बगैर टैक्स देने वालों को लाइसेंस क्यों दिया गया ? यदि दिया गया, तो उक्त विवरण मांगने का क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, किन्तु ये सूचनायें प्रार्थी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मांगी जाती हैं । उत्तर प्रदेश शक्कर तथा गुड़ व्यापारियों को लाइसेंस देने का आदेश, १९६२ के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि प्रार्थी पहले से शक्कर का व्यापारी रहा हो अथवा आय कर व बिक्री कर देता रहा हो । शक्कर का कोटा लाइसेंस प्राप्त थोक व्यापारियों में उनके पिछले ३ साल के कारोबार के आधार पर मिलता है । इसीलिये पिछले ३ साल के कारोबार, बिक्री-कर तथा आयकर सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाती है ।

७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के उक्त सभी चीनी के होलसेलरों को मार्च, १९६४ से आज तक अलग-अलग कितना-कितना कोटा दिया गया और टैक्स रहित व्यापारियों को चीनी का अधिक कोटा देने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मार्च, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक की वांछित सूचना संलग्न है । (परिशिष्ट ख) जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, आय कर तथा बिक्री कर देने वाले थोक विक्रेताओं की अपेक्षा आय कर तथा बिक्री कर न देने वाले थोक विक्रेताओं को कम ही शक्कर एलाट की जाती है ।

पनियाला ग्राम में सिंचाई

८—श्री खुशीराम—

३ जनवरी, १९५१ को प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में प्रश्नकर्त्ता को सदन में जो यह सूचना दी गई थी कि ग्राम पनियाली में कृषकों की आवश्यकतानुसार सन्तोषजनक सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं तब २३ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या ८ के क्रम पर जो यह सूचना दी गई कि सिंचाई साधनों में कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई, यह सूचना किस आधार से दी गई और इसका विवरण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस गांव में एक पानी पीने के हौज का निर्माण किया गया है । इसके भरने के बाद जो पानी बहता है वह खेतों की सिंचाई के काम आता है । यह पानी सिंचाई के लिये पर्याप्त समझा गया है जिसके आधार पर ही यह सूचना दी गई थी कि सिंचाई साधनों में कोई विषम स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

अलीगढ़ जिले में गल्ले की स्थिति

९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले का २/३ भाग वर्षा और फसलों के डूब जाने से अकाल पीड़ित होने पर भी उसे बचत का जिला गल्ले के लिये किस आधार पर घोषित किया गया और क्या इस जिले में १३ रु० मन मक्का का भाव निर्धारित करने पर जो भी गल्ला बाजार में आ रहा था वह गायब हो गया ? शासन की ओर से उस गल्ले को निकालने की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अलीगढ़ जिले को वहां के तीन साल के औसत पैदावार के आधार पर मक्का के खरीदारी वाले जिलों में शामिल किया गया था। बाद में यह विचार करके कि इस जिले में मक्का की फसल वर्षा में डूब जाने की वजह से खराब हो गई थी इस जिले को दिसम्बर १८, १९६४ से खरीदारी के जिलों में से निकाल दिया गया है और वहां पर मूल्य का प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है।

छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका बनाना

१०—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ टाउन एरिया की वार्षिक आय तथा आबादी क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

टाउन एरिया छिबरामऊ की वार्षिक आय १,१५,७६१ रुपये है तथा १९६१ की जनगणना के आधार पर आबादी १०,७९१ है।

११—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसके पास छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने के कोई प्रार्थना-पत्र पिछले पांच सालों में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। परन्तु टाउन एरिया कमेटी के विरोध करने के कारण प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

१२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश की कम से कम आबादी तथा कम से कम वार्षिक आय को ४ नगर-पालिकाओं के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९६१ की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कम से कम आबादी वाली चार नगरपालिकाओं के नाम निम्नलिखित हः—

(१) उत्तरकाशी,
(२) पिथौरागढ़,
(३) दोगड्डा,
(४) नवाबगंज (गोंडा)

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कम से कम वार्षिक आय वाली चार नगरपालिकायें निम्नलिखित हैं:—

(१) उत्तर काशी,
(२) दोगड्डा,
(३) ककराला,
(४) पिहानी,

खाद्यान्न संग्रह

१३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि Procurement Policy के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक कुल कितने सेन्टर्स खोले गये तथा कितने एजेन्ट्स की नियुक्ति की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश में खाद्यानों का प्रक्योरमेंट २१७ सेन्टर्स पर २,९५९ लाइसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों के माध्यम से किया जा रहा है।

१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि २१ अक्तूबर, १९६४, से आज तक उपरोक्त नीति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल कितना चावल, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न इकट्ठा हो पाया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२१ अक्तूबर, सन् १९६४, से अब तक खाद्यान्नों की खरीदारी की मात्रा इस प्रकार है :

		टन
चावल	.. .. ..	७९,०००
ज्वार	.. .. ..	२३,०००
बाजारा	.. .. ..	८,७००
मक्का	.. .. ..	१९,५९८
कुल योग	..	१,३०,२९८

गोरखपुर जिले में धान मिलों पर मुकदमा

१५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सन् १९६३–६४ में गोरखपुर जिले के किन-किन धान मिलों पर राइस मिलिंग इण्डस्ट्री रेगुलेशन अधिनियम की धारा एक व दो के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया तथा उनके सम्बन्ध में न्यायाधीश ने क्या फैसला किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर जिले में गत १९६३–६४ में निम्नलिखित १६ राइस मिलों पर राइस मिलिंग इण्डस्ट्री (रेगुलेशन) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया, जिनमें से तीन के पक्ष में तथा शेष के विपक्ष में फैसला हुआ :

(१) श्री त्रीयम्बक सिंह, ग्राम कोल्हुई, गोरखपुर ।
(२) श्रीमती सरस्वती देवी, ग्राम मिसरवलिया, गोरखपुर ।
(३) श्री कन्हैयालाल, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।
(४) श्री बंशीलाल मुकुन्दी लाल, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।
(५) श्री परसोत्तम दास, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।
(६) श्री हर नारायण, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।
(७) श्री मदन लाल, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।

(८) श्री रघुवंश पांडे, ग्राम मिठौरा बाजार, गोरखपुर ।
(९) श्री करिया शाह, ग्राम महाराजगंज, गोरखपुर ।
(१०) श्री हरिश चन्द्र, ग्राम मिठौरा, गोरखपुर ।
(११) श्री राम जतन तिवारी, ग्राम पचरुखिया, गोरखपुर ।
(१२) श्री सीताराम, ग्राम नवसर, गोरखपुर ।
(१३) श्री खुबलाल, ग्राम नथुवा, गोरखपुर ।
(१४) श्री धूप सिंह, ग्राम बेलवा, गोरखपुर ।
(१५) श्री चिरकुट, ग्राम छतीराम, गोरखपुर ।
(१६) श्री परस सिंह, ग्राम समदेउरवा, गोरखपुर ।

१६—श्री नाथूराम शिक्षक—

उक्त मुकद्दमे में अदालत ने जिन मिलों के पक्ष में निर्णय दिया क्या उन्हें लाइसेंस पुनः द दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उक्त मुकदमे में अदालत ने निम्नलिखित तीन राइस मिलों को मुकदमें से बरी कर दिया :

(१) श्री बंशीलाल मुकुन्दीलाल, ग्राम चौरी चौरा, गोरखपुर ।
(२) श्री राम जतन तिवारी, ग्राम पचरुखिया, गोरखपुर ।
(३) श्री हरिशचन्द्र, ग्राम मिठौरा, गोरखपुर ।

इनमें श्री बंशीलाल मुकुन्दी लाल, ग्राम चौरी चौरा को राइस मिल के लिये लाइसेंस दे दिया गया है । श्री रामजतन तिवारी ने २०-८-६३ को एक प्रार्थना-पत्र राइस मिल के लाइसेंस के लिये दिया था । इनकी दरख्वास्त दिनांक २०-८-६३ की अब तक विचाराधीन है । श्री हरिश्चन्द्र ने लाइसेंस के लिये अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

खाद्यान्न आन्दोलन में गिरफ्तार विधायकों के साथ कारागार में व्यवहार

१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, १९६४, में खाद्यान्न आन्दोलन में गिरफ्तार सभी तरह के विधायकों को गिरफ्तारी के दिन से ही उच्च श्रेणी में रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों और किनको-किनको तुरन्त और किनको-किनको बाद में उच्च श्रेणी में रखने के आदेश दिये गये, कितनों को उच्च श्रेणी में रखा ही नहीं गया ? देर से रखने न रखने के लिये दोषी जिला अधिकारियों को क्या सरकार सजा देगी ? यदि हां, तो वह क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, १९ विधायकों को तुरन्त उच्च श्रेणी में रक्खा गया और १२ को बाद में शीघ्र ही रक्खा गया । नामों की तालिका संलग्न है । १ विधायक ने उच्च श्रेणी में रहना पसन्द नहीं किया और दो ने रहने से इन्कार कर दिया ।

उच्च श्रेणी देने में जिला अधिकारियों ने अकारण कोई विलम्ब नहीं किया । अस्तु सजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४३ पर)

१८-२०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ११-१३ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में गल्ला व शक्कर के व्यापारियों के लाइसेंस

२१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में सन् १९६४ में शक्कर के होल-सेलर्स, रिटेलर्स तथा गल्ले के फेयर प्राइस शाप के रिटेलर्स के किन-किन व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द किये गये तथा उनके रद्द किये जाने का क्या कारण था ? उनमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये और उनका क्या परिणाम रहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७४४–७४८ पर)

दरियाबाद टाउन एरिया में अवैध सदस्य

२२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या इस समय दरियाबाद टाउन एरिया के सदस्यों में कोई ऐसा सदस्य भी है जो स्थानीय निकाय का कर्मचारी होते हुये भी सदस्य है जबकि टाउन एरिया मैनुअल की धारा ६ के अनुसार डिसक्वालीफाइड होने के कारण वह मेम्बर नहीं रह सकते ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । संबंधित सदस्य के विरुद्ध टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को हटाने के बाद उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिनकी जानकारी में ऐसे व्यक्ति अवैधानिक रूप से मेम्बर बने रहे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी । यह तथ्य जांच के परिणाम स्वरूप ज्ञात हुआ है ।

अमरोहा नगरपालिका के विरुद्ध जांच

२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले की नगरपालिका अमरोहा को सुपरसीड करने के संबंध में अमरोहा नगरपालिका के १६ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक १८ अगस्त, १९६४ को अथवा उसके आस-पास उन्हें मिला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां ।

२५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र क्या है और सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——

उक्त प्रार्थना पत्र एक शिकायती पत्र था जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, अमरोहा के विरुद्ध कई शिकायतें थीं। इस पर जांच कराई गयी थी।

२६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि २५ अगस्त, १९६४, अथवा २६ अगस्त, १९६४, को अमरोहा नगरपालिका के ९ सदस्यों द्वारा इस आशय का कोई शिकायती-पत्र उन्हें मिला है कि उक्त नगरपालिका में पालिका अधिकारियों द्वारा साम्प्रदायिकतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। उस पत्र पर अभी जांच जारी है।

धान मिलों के लिये परमिट

२७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के चावल मिलों के बारे में निश्चय के बाद उत्तर प्रदेश में किन-किन लोगों को चावल मिल खड़ा करने की परमिटें दी गयीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन) एक्ट, १९५८ के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का अन्य कोई निश्चय राज्य सरकार को चावल मिलों के विषय पर नहीं प्राप्त हुआ है।

उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद अब तक १११ परमिट सरकार द्वारा दिये गये हैं। इन व्यक्तियों के नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

उक्त अधिनियम द्वारा परमिट प्रदान करने के लिये शासन अधिकृत की गई है। इन परमिटों के दिये जाने के लिये निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) मिलों के लगने से सरकार को सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण करने के लिये चावल प्राप्त होता है तथा जनता को धान कुटवाने की सुविधा मिलती है।

(२) अधिकतर क्षेत्रों में चावल मिलों के परमिट केवल इसलिये दिये गये थे कि वहां धान की अधिकता पाई गई और वहां की उस समय की मिलें (यानी चावल की पुरानी मिलें) धान को कूटने के लिये अपर्याप्त थीं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७४९–७५१।)

२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई परमिटें पाने वालों में कौन-कौन मिलें खड़ा कर पाये हैं और कौन-कौन नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नया परमिट पाने वालों में २८ व्यक्ति अपने मिल नहीं खड़ा कर पाये। संलग्न तालिका में उनके नाम के आगे संकेत कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७४९–७५१ पर।)

गोरखपुर जिले को लेवी जोन से पृथक् करना

२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ नवम्बर, १९६४ को गोरखपुर के उनके दौरे के सिलसिले में गोरखपुर जिले को Levy Zone से पृथक कर दिया जाय, के संबंध में कोई पत्रक उन्हें जिला अधिकारियों से प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

ऐसा कोई पत्र मुख्य मंत्री जी को तो नहीं हाल ही में सचिव को जिलाधीश से प्राप्त हुआ है । विषय सरकार के विचाराधीन है ।

अवक्रमित स्थानीय निकाय

३०—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री मन्नालाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नागर क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन स्थानीय निकाय हैं जो कि सरकार द्वारा अवक्रान्त कर लिये गये हैं तथा उनके चुनाव कब कराये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो नागर क्षेत्र के स्थानीय निकाय अवक्रमित हैं उनकी तालिका प्रस्तुत है । इस तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि १७ अवक्रमित स्थानीय निकायों में से ६ में चुनाव हो गया है । शेष ११ को अवक्रमण की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिये उनमें चुनाव कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ७५२ पर ।)

गोरखपुर जिले में कथित भुखमरी

३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर तहसील बांसगांव, ग्राम कसिहर तथा ग्राम मिश्रीबौजी के अन्तर्गत सुखारी चमार तथा परदेशी चमार को क्रमशः गत ३० नवम्बर और २८ नवम्बर की मृत्यु भूख के कारण से हो गई और इसकी सूचना वहां के जिलाधीश को श्री गुजेश्वरी प्रसाद द्वारा जांच कराने हेतु भेज दी गई ? यदि हां, तो ज़िलाधीश ने उसकी जांच कर सरकार को सूचना भेजी है ? यदि हां, तो क्या सूचना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सत्य है कि सुखारी चमार की ३० नवम्बर, १९६४ और परदेशी पासी (चमार नहीं) की मृत्यु २८ नवम्बर, १९६४ को हुई ।

श्री गुजेश्वरीप्रसाद ने परदेशी पासी की मृत्यु की सूचना जिलाधीश को दी थी । सुखारी चमार की मृत्यु का उनके पत्र में कोई उल्लेख नहीं था ।

जिलाधीश की सूचना के अनुसार परदेशी पासी का देहान्त ६० वर्ष की अवस्था में एक महीने की बीमारी के उपरान्त हुआ । उनका पुत्र और पुत्र वधू दोनों कमाने वाले थे । परदेशी की मृत्यु भूख से नहीं हुई ।

सुखारी चमार का ६५ वर्ष की आयु में वृद्धावस्था के कारण देहान्त हुआ । उनका एक लड़का बरौनी जंक्शन में नौकर है जो अपने पिता के मृतक संस्कार के अवसर पर गांव आया था । सुखारी की मृत्यु भूख के कारण नहीं हूई ।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरी एक शिकायत है। प्रश्न संख्या ७२ से ७४ और अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २ के उत्तर मुझे नहीं मिले और न यह प्रश्न स्थगित हुए। मुझे पता नहीं कि क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आ जायं। यहां तो पत्रावली मेरे पास रहती नहीं जो मैं जवाब दे सकूं। अगर गलती होगी तो मैं सरकार को लिख कर भेज दूंगा और अगर नहीं तो आपको बता दूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर लगभग १० बजे आये। ये उत्तर उस समय तक नहीं आये थे जब तक मैं वहां से नहीं चला था। श्रीमन्, दूसरा एक और निवेदन है और वह यह कि ४–५ दिन पूर्व बरेली में एक विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में मैंने एक याचिका आपके पास भेजी थी पर अभी तक उसका जिक्र नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

आ जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का २४वां प्रतिवेदन†

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २४वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसकी प्रतियां भी छप कर आ गयी हैं।

इस प्रतिवेदन में उन ३१४ आश्वासनों की वर्तमान स्थिति अंकित की गयी है जो सदन में ३० जुलाई से १४ दिसम्बर, १९६२ की अवधि में दिये गये और जो समिति के १८ तथा १९ वें प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे। उपरोक्त आश्वासनों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने १६८ आश्वासनों को पूर्ण तथा १४६ आश्वासनों को अपूर्ण माना है।

इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने यह देखा है कि जिन आश्वासनों की पूर्ति से दो विभाग संबद्ध हो जाते ह, उनकी पूर्ति म अत्यधिक विलम्ब होता है। जैसे गाजीपुर में बाढ़ विभाग द्वारा निर्मित पुलों तथा पुलियों की मरम्मत से संबंधित आश्वासन सिंचाई मंत्री द्वारा दिया गया था। उक्त पुलों तथा पुलियों का निर्माण उक्त विभाग ने किया था, परन्तु इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की थी। सिंचाई विभाग समिति को अभी तक यह नहीं बतला सका है कि इनकी मरम्मत हो चुकी है अथवा नहीं। समिति को ऐसा आभास होता है कि उनके रख-रखाव के लिये निश्चित रूप से किसी का उत्तरदायित्व न होने के कारण मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। समिति का मत है कि इस प्रकार के सार्वजनिक महत्व के जो भी कार्य किये जायं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उनके निर्माण के पूर्व ही निर्धारित कर दी जाया करे।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

मैं सदन का ध्यान एक अन्य आश्वसान की ओर भी दिलाना चाहता हूं--मखदूमपुर, जिला फैजाबाद, के सहकारी बीज भंडार में हुये गबन से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन १७ अक्तूबर, १९६२ को दिया गया था। इस आश्वासन की पूर्ति के संबंध में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त समिति को यह भी बतलाया गया है कि समिति की आर्थिक दशा इतनी कमजोर है कि वह न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। यहां तक कि डी० जी० सी० से राय लेने का खर्चा भी देने में असमर्थ है। माननीय सहकारिता मंत्री से अनुरोध है कि वे कुछ ऐसे प्रयास करें जिनसे जनता के धन का इस प्रकार अपव्यय न हो सके।

अंत में, मैं आश्वासन समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सहायता, सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद दता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की कुछ सूचनाएं अभी आयी हैं। मैंने उन्हें अभी नहीं देखा है। उन्हें देखकर मैं आदरणीय सदन के समक्ष रखूंगा।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कामरोको प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्सर्गत कुछ सूचनाएं आयी हैं और वे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक संघ की मांगों से संबंधित हैं। प्रायः यह विषय ऐसा है कि जो आय-व्ययक के संबंध में उठाया जा सकता है, तो भी यह बहुत ही महत्वपूण है। मैं चाहूंगा कि यद्यपि यह विषय अनुदान के संबंध में आ सकता है तो भी इस संबंध में सही तथ्य सदन के सामने आ जाने चाहियें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पर वे अपना वक्तव्य दे दें। वे बताने की कृपा करें कि कब वक्तव्य दे देंगे।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सोमवार को दे दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमको भी तो जानकारी हो जाय कि नियम ५२ में किन-किन लोगों ने की है और किस विषय पर है।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं पढ़े देता हूं। एक माननीय दौलतलाल का है—"दिनांक १४ फरवरी सन् ६५ को उत्तर प्रदेश विद्यालयों के अध्यापकों के सारे जनपद के मुख्य केन्द्रों पर तथा लखनऊ नगरी में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा एक विराट प्रदर्शन अपनी मांगों के संबंध में किया गया है जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पास करके निकट भविष्य में होने वाली हाई स्कूल तथा इंटर-मीडियेट की परीक्षाओं का वहिष्कार करने का निश्चय किया है जिससे एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हैं।" इसी प्रकार से माननीय बालोजी अग्रवाल का है--"राज्य के प्राइमरी, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने निश्चय किया है कि वे हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं का वहिष्कार करेंगे। परीक्षाओं के वहिष्कार से राज्य में परीक्षाओं का होना

असम्भव हो जायगा और उन लाखों विद्यार्थियों का, जो इस वर्ष हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, भविष्य अन्धकारमय हो जायगा।" इसी प्रकार से श्री रियासत हुसैन तथा श्री झारखंडे राय के प्रस्ताव हैं। उनमें कुछ और प्रश्न दिये हैं लेकिन उनका भी अभिप्राय यही है।

मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि शुक्रवार के पहले वह बयान दे सकें तो अच्छा है।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, वैसे तो अभी वह प्रस्ताव लिख कर आया नहीं है और मुझे जानकारी नहीं है कि प्रस्ताव पास भी किया है या नहीं किया है और उस प्रस्ताव के क्या शब्द हैं। ये सब समाचार-पत्रों के समाचार हैं। मुझे भी सूचना मंगवानी होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कल यहां नहीं था लेकिन समाचार पत्रों से तथा अन्य प्रकार से जानकारी मुझे यही हुई है कि राज्य के कोने-कोने से लगभग १० हजार अध्यापक आये थे और वे माननीय शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर भी गये थे। उन्होंने अपनी मांगें माननीय शिक्षा मंत्री के सामने पेश कीं, उनसे भेंट भी की और माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, उनकी बातों को सुना। जैसा आपने खुद महसूस किया है, यह तात्कालिक महत्व का प्रश्न है और जाहिर है कि प्रदेश में चिन्ता व्याप्त हो सकती है अगर उन्होंने परीक्षाओं का बायकाट कर दिया तो। माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, उस संबंध में कुछ अभी बतला दें। शुक्रवार में ५, ६ रोज हैं, विस्तार से वक्तव्य शुक्रवार को दे देंगे।

*श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थान पर वे गये थे। मुझे एक पत्र मिला कि दोपहर को वे मेरे स्थान पर आयेंगे। यद्यपि मेरा कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था लेकिन जैसे ही पत्र मुझे मिला और यह ज्ञात हुआ कि इतने शिक्षक आ रहे हैं तो मैंने यह खबर उनको भेज दी कि मैं चार, साढ़े चार बजे तक अपने घर पर लौट आऊंगा। वे लोग आये और आने के बाद उन्होंने मुझे एक अपना मांग पत्र दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने इसे ले लिया है और जितने ऐसे पत्र सरकार के पास आते हैं सरकार उन पर विचार करती है और विचार होता भी रहता है और जो मांग आती रहेंगी उन पर विचार होते भी रहेंगे। इस समय मैं आश्वासन किसी किस्म का नहीं दे सकता, यह भी मैंने उनसे कहा और यह भी कहा कि आपको अपने प्रदेश की स्थिति को भी देखना चाहिये। सरकार तो एक बिचौलिये की तरह काम करती है। जितना आपसे लेती है उतना ही दे सकती है। लेने की भी सरकार की सीमा रहती है। जो प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक दशा होगी उसी हद तक ले सकते हैं। इन चीजों को देखते हुये सरकार काम करती है। अध्यापकों का महत्वपूर्ण कार्य है, इसको देखते हुये जो कुछ होता रहता है वह करते रहते हैं। किसी किस्म का आश्वासन देने की स्थिति में मैं नहीं था और न मैंने दिया। इसके बाद मैं चला गया। अब जैसा आप लोगों को मालूम है उसी तरह से मुझे भी कुछ अखबारों से मालूम है। बाद में वहां उन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया। इससे अधिक की मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मांगपत्र उनको प्राप्त हो गया है इसलिये वे अगर परसों तक सूचना दे दें तो बड़ी कृपा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहता था, अगर उनका प्रस्ताव पास हो गया है, जैसा कि कहा जाता है, तो इसका प्रभाव १५/२० दिन बाद पड़ेगा। उस दिन तक आप बयान दे दें तो कोई बात नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि उनके प्राधिकारी रात मुझे मिले थे, उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी पर्सनल जानकारी है।

श्री झारखण्डेराय—

मेरा कहना यह है कि उनका प्रस्ताव पास हुआ है और प्रैक्टीकल ऐक्जामिनेशन होने वाले हैं, इसलिये महत्व बढ़ जाता है।

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्यों की उत्सुकता और आपके संकेत को देखते हुये बयान बृहस्पतिवार को दिया जा सकता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा नियम ५२ का प्रस्ताव है.....

श्री अध्यक्ष—

एक मैं निवेदन कर दूं कि आपको मालूम होना चाहिये कि जब नियम ५२ का एक प्रस्ताव ले लिया तो दूसरा नहीं ले सकता हूं। अब आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां का कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुमताज मुहम्मद खां द्वारा सूचना आई है कि कांग्रेस द्वारा जनतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य घोषित होने एवं कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कामराज का कांग्रेस के अन्दर जनतांत्रिक समाजवादियों को एकत्रित करने के लिये दिये गये निमंत्रण पर मैंने कांग्रेस के अन्दर समाजवादी शक्तियों के एकीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली है। मेरा कोई संबंध संयुक्त समाजवादी दल से नहीं है। अतः सेवा में सूचनार्थ निवेदन है कि आप मेरा नाम कांग्रेस दल में सम्मिलित करने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है.....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, 'प्वाइंट आफ आर्डर' अब क्या चीज है ?

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, 'प्वाइंट आफ आर्डर,' अब क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया अब प्वाइंट आफ आर्डर न कहा कीजिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, कमलार्सिह जो हिन्दी के हिमायती हैं, वे हिन्दी में ही बोलने की कृपा करें।

*श्री कमलार्सिह यादव—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसके पहले एक आर्डीनेन्स विधेयक गवर्नर महोदय द्वारा इसी सदन में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सूचना इस आर्डीनेन्स की प्रतिलिपि देकर दी गई है। श्रीमन्, जहां तक आर्डिनेन्स का सम्बन्ध है और उसके उद्देश्य और कारण का सम्बन्ध है या उसे लागू क्यों किया गया, वह कौन-सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से यह आर्डीनेन्स लागू किया गया ? उसी आर्डीनेन्स से मैं आपको बताता हूं, किन्तु मुझे अफसोस है कि मुझे अंग्रेजी की प्रति मिली है, हिन्दी की प्रति नहीं मिली है। इसलिये अंग्रेजी से ही बताता हूं। मैंने कोशिश की कि हिन्दी प्रति भी मिल जाये, किन्तु वह नहीं मिल सकी। तो उसमें यह दिया हुआ है—

"A number of appeals filed by State Government against orders of public authority discharging notice issued under section 3 (1) of the Act were dismissed by the appellate court on the ground that section 5 of the Act did not contemplate the filing of an appeal by the State".

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह इसी व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में है। पिछली बार जब माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में चर्चा था तब आपने कहा था कि सरकार द्वारा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, उसमें कोई भी अंग्रेजी का पत्र नहीं आयेगा। तो, श्रीमन्, आज आप देख लीजिये यह अंग्रेजी में छपा हुआ है। यह अंग्रेजी में नहीं छपा होना चाहिये था। आप बार-बार अंग्रेजी में छपवाये चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो मेरे सम्बन्ध में कहा है वह ठीक है। मैंने कहा है कि अंग्रेजी में मेरे यहां से कुछ नहीं छपेगा। मेरे प्रेस से अंग्रेजी में नहीं छपेगा। फिर भी कोई नियम या व्यवस्था ऐसी मेरी नहीं है कि कोई किताब अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा, कोई अंग्रेजी में अखबार नहीं पढ़ेगा। अगर माननीय सदस्य कहीं से ले आये हैं तो उन्हें अधिकार है कि वह ला सकते हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अब अंग्रेजी में छपाकर क्यों दिया गया ? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठने की कृपा करें।

श्री रामायणराय—

इस विधेयक की प्रतियां तो हिन्दी में वितरित की गई हैं। पता नहीं, इन्हें अंग्रेजी से क्यों इतना प्रेम है जो यह अंग्रेजी की प्रति जाने कहां से ले आये और यहां पढ़ने लगे।

*श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक हिन्दी और अंग्रेजी की प्रतियों का सम्बन्ध है, बहुत बातें हिन्दी प्रति में ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उन्हें अंग्रेजी प्रति के साथ मिला कर पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाती हैं, हालांकि इस सदन की भाषा हिन्दी है। इसलिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की प्रतियां साथ-साथ मिल जाया करें तो अच्छा हुआ करे, जिससे हमें विषय को समझने में आसानी हुआ करे। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, मैं यह बता रहा था कि उसके रीज़न्स में यह दिया हुआ है—

"Writ petitions have had to be filed by the State Government against such orders. The decision of writ petitions will take in possession during the pendency of the litigation.

तो, श्रीमन्, इसमें यह है। इसमें बहुत से पिटीशन खारिज कर दिये गये हैं, जिससे मजबूर होकर सरकार को 'रिट' पिटीशन दाखिल करना पड़ा है और रिट-पिटीशन आज भी कोर्ट के अन्दर दाखिल है। हाई कोर्ट में ही रिट दाखिल किये जायेंगे और दूसरा कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है जहां रिट दाखिल हो सकें तो भी सदन में कानून ऐसा लाना कि जो पिटीशन दाखिल किये गये हैं वह पिटीशन हैं यह अनुचित है। पहला प्रश्न यह है कि संविधान के अन्दर यह दिया हुआ है कि कोई भी याचिका, कोई भी मुकदमा अपील के रूप में या कोई भी केस पेंडिंग है तो कोई भी किस्म का यहां कानून बनाया जायेगा तो जो शक्ति न्यायालय को मिली है उसको क्षीण करना होगा, उसका उल्लंघन करना होगा। यदि ऐसी बात यहां पर होती है तो यह कानून को क्षीण करना होगा। इसलिये मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब अनुज्ञा के लिये कोई विधेयक पुरःस्थापित होता है तो उसके सम्बन्ध में आपत्ति नियम १२५ के अन्तर्गत उठाई जा सकती है। उसमें जो वैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है वह यह है कि वह सभा की विधायिनी क्षमता से परे है। तो इस विधेयक के संबंध में यह तो नहीं कहा जा सकता है कि वह विधायिनी क्षमता से परे है। आप की बहस तो यह है कि इस बात को देखते हुए कि कुछ याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं और विचाराधीन हैं, ऐसे समय में ऐसा कानून बनाना अनुचित है।

श्री कमलासिंह यादव—

वैधानिक शक्ति के बारे में, श्रीमन्, आर्टिकिल २०० में यह साफ दिया हुआ है और उसके परन्तुक में दिया हुआ है—

"परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा"।

आर्टिकिल २०० में न्यायालयों की शक्तियां जो हैं, संविधान द्वारा दी गई हैं। अगर वहां पर कोई केस आये और उस समय यदि आप कोई कानून बना दें तो उस समय उनकी शक्तियों को क्षीण करना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह धन विधेयक है। धन विधेयक इस मामले में है कि इसमें जो क्षतिपूर्ति या जो हानि हुई है उसके लिये भी यह कानून बनाया जा रहा है। हानिपूर्ति के बारे में तो मालूम ही है कि कितनी भूमि पर किसने कब्जा कर लिया है, जिसके बारे में वाद-विवाद चल रहा है। तो, श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि धन विधेयक यह है और धन विधेयक जब कोई भी प्रस्तुत किया जायगा तो यह जरूरी होता है कि गवर्नर की सिफारिश इसमें होनी चाहिए थी और ज्ञापन पत्र इसके साथ में लगा हो और किसी तरह से लोगों के कब्जे में भूमि आ गई है, अब उसके निकालने के बाद कितनी क्षति-पूर्ति होगी। तो इसके साथ ज्ञापन-पत्र नहीं ह और दूसरे यह है कि जो इसमें दिया गया है रिकमेंडेशन गवर्नर का वह भी नहीं है।

तीसरी चीज यह है कि जहांतक १२५ का सवाल है, १२५ में यह दिया हुआ है। वह १२५ इसलिये है श्रीमन्, कि आर्डिनेन्स के पढ़ने से ही मालूम हो जायगा कि जो ओरिजिनल बिल लाया गया था श्रीमन्, उसके पूर्व में और अफोरेस्टेशन का कोई जिक्र नहीं था और अब इस विधेयक के जरिये अफोरेस्टेशन का जिक्र किया गया है। जो अपीलें खारिज की गई हैं या जो मुकदमा या दरख्वास्तें खारिज हुईं जिसकी वजह से दाखिल करना पड़ा, श्रीमन्, वह आर्डिनेन्स वाला रीजन अगर पढ़ लें तो साफ है। लास्ट में उसमें दिया गया है :—

"Difficulty was also experienced in instituting eviction proceedings against a large number of trespassers on forest land under this Act, as "afforestation" was not specifically mentioned as one of the purposes specified in the preamble to the Act. To make the position unambiguous and to enable institution of proceedings against trespassers on forest land under this Act, it was thought expedient to rectify this omission also by including a provision to this effect in the Ordinance."

तो श्रीमन्, सारी जो व्यवस्था थी, जो मौजूदा कानून है, अफोरेस्टेशन का इसमें जिक्र नहीं है और लोगों ने जमीन पर जो कब्जा कर लिया है उसके लिये सरकार ने रिट दाखिल कर रखा है। तो जब तक उसे विदड्रा न कर लें तब तक यह कानून बन नहीं सकता। इसकी विधायिनी शक्ति के बाहर यह कार्य होगा। तो जो तीन चार बातें मैंने रखी हैं, यानी एक तो धन विधेयक होने के कारण इसके साथ ज्ञापन-पत्र का न होना, दूसरे गवर्नर की सिफारिश इसके साथ न होना, तीसरे रिट का पेंडिंग होना और चौथे ऐफोरेस्टेशन वाली बात, इन सब के कारण यह विधेयक अपनी विधायिनी शक्ति के बाहर है। इसलिये मैं आप से आशा करता हूं कि संविधान की रक्षा अवश्य की जायगी।

श्री रामायणराय—

माननीय सदस्य का यह कहना कि यह विधायिनी क्षमता से बाहर है, मैं उसके सम्बन्ध में यह कहूंगा ....

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एक बात, अध्यक्ष महोदय, और कह दूं जिससे रामायण राय जी अपने भाषण में उसका भी जवाब देंगे। हाई कोर्ट में केसेज इस वक्त पेंडिंग हैं और बहुत सी बातें इसके सिलसिले में कही जायेंगी। नियमों के मुताबिक जो केसेज पेंडिंग हों और जिन पर कोई डिसीजन बेस्ड हों उनकी चर्चा नहीं हो सकती। इस बात का भी जवाब रामायण राय जी और दे देंगे तो अच्छा रहेगा।

*श्री रामायणराय—

अगर इसके उद्देश्यों और कारणों को कमला सिंह जी ने देख लिया होता तो उन्हें इसका उत्तर ज्ञात हो गया होता। जिला जज ने उसे खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट के सामने अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है।

जहां तक हमारी विधायिनी शक्ति का सम्बन्ध है, यह सदन पूर्णरूप से इस विधेयक को लाने के लिये सक्षम है। यह धन विधेयक नहीं है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया नियमावली में है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होगा। आप देखें कि इस कानून के बन जाने के बाद जो भी व्यवस्था होने वाली है, रेवेन्यू विभाग जिसके जिम्मे यह सारा काम है वही इस काम का भी कार्यान्वयन करेगा। इस बिल के पास होने के बाद कोई नया खर्चा होने वाला नहीं है। इसलिये उनका यह कहना कि इसमें कोई अलग से धन खर्च होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। वह तो उसके कर्त्तव्यों में है। रेवन्यू डिपार्टमेन्ट के कमचारियों के जिम्मे जो कर्तव्य सम्पादन के लिये दिये गये हैं उन्हीं कृत्यों में यह कृत्य होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात अलग से धन खर्च करने की नहीं रह जाती है। वे एक नये ढंग की व्यवस्था को संचालित करेंगे तो उसी को सम्पादित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसलिये अलग से कोई ज्ञापन लाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो उनके माध्यम से एक नया कार्य सम्पादित कराया जायगा। उनका यह कहना कि हाई कोर्ट के सामने यह मामला पेंडिंग है, गलत है। वह तो जिला जज के सामने था, वह खारिज हो गया। अब कोई मामला हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं है। जहां तक हमारी विधायिनी शक्ति का सम्बन्ध है, हम भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कानून बना सकते हैं। सरकार ने नियम के अनुसार ही इस सदन के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

*श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक धन विधेयक का सम्बन्ध है कि सरकारी अधिकारी वसूल करेंगे और उनके रखने में खर्च होगा, मैं रामायण राय जी का ध्यान १९९ (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है कि "राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा में, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना" इस तरीके पर कार्यपूर्ति में जो पैसा वसूल होगा वह निधि में डाला जायगा और खर्च भी होगा। तो धन निधि में डालना और निधि से निकालना, ये दो बातें हैं। इसलिये धन विधेयक होने की वजह से ज्ञापन-पत्र देना आवश्यक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

जो आपत्ति है वह यह है कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में इस बात की चर्चा की गई है कि कुछ नोटिस खारिज की गई है। शासन ने उन खारिज किये जाने के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की। बहुत सी अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शासन को धारा ५ के अधीन अपील करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार के उपबन्ध धारा ७ में हैं। इस विषय में कोई सन्देह न रहे इसलिये यह इष्टकर समझा गया कि सार्वजनिक प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील करने के अधिकार के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाये। तो केवल अपील करने की व्यवस्था के लिये यह कानून बनाया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

इसके बारे में जो आर्डिनेन्स जारी किया गया उसके बारे में हाई कोर्ट में बहुत रिट दाखिल हैं। अभी उनके डिसीजन में समय लगेगा, अभी उनका फैसला नहीं हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका कहना यह है कि इस विधेयक से हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार प्रभावित होगा। दरअसल अनुच्छेद २३० में यह है, २०० में नहीं है जिसमें यह लिखा है कि—

"Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.

Where the High Court of a State exercises jurisdiction in relation to a Union territory,

(*a*) nothing in this Constitution shall be construed as empowering the Legislature of the State to increase, restrict or abolish that jurisdiction ;"

जो प्रतिबन्ध हमारी सभा के ऊपर इस संविधान द्वारा लगाया गया है उसका मंतव्य यह है कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को हम विस्तृत या अल्पीकृत नहीं कर सकेंगे, न उसे सीमित कर सकेंगे। उसके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्णय या उस संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है। तो जब यह हमारा संविधान है, उसके रहते हुए हम इस विधेयक द्वारा हाईकोर्ट के अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्राविधान नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो विवाद इस समय अदालतों में प्रस्तुत हैं, उन पर इसका कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि हम उनके क्षेत्राधिकार पर कोई हमला कर रहे हैं। बल्कि हम तो कानून बना रहे हैं। अगर इसका प्रभाव जो इस समय विचाराधीन मामले हैं उन पर पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन इससे क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। जो जुरिस्डिक्शन है उनका, उसके ऊपर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अब रहा ज्ञापन के सम्बन्ध में, इसके पुरःस्थापित होने के बाद हम अध्ययन कर लेंगे और अगर ज्ञापन की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिये व्यवस्था कर देंगे। इस समय तो वे केवल अनुज्ञा ही मांग रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। जो ज्ञापन नियम १२१ या १२२ के अन्तर्गत आवश्यक होता है उसका मंतव्य यह है कि अगर कोई सरकारी खर्च या व्यय किसी सेवा में अधिक होता है जिसका अभी तक, प्राविधान नहीं है तब आवश्यकता पड़ती है कि सरकार उसका ज्ञापन दे। स्थिति ऐसी है कि जो कुछ क्रियायें या कार्य इस विधेयक के अन्तर्गत होंगे, अगर वह सारे कार्य वर्तमान सेवाओं द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकेंगे, तो उस स्थिति में ज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह इस वास्ते कि सरकार कह सकती है कि हम कोई विशेष व्यय इस सम्बन्ध में नहीं करेंगे। तो उस संबंध में भी पुरः स्थापन के बाद हमको अधिक स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा और हम देखेंगे कि कौन सी धारायें हैं जिनमें इस प्रकार के व्यय की व्यवस्था है ताकि उस के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त कर सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

"राज्य सरकार" नहीं लिखा है। उसका क्लाज बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

पता नहीं आपको क्या है कि जब दूसरा कोई बोल रहा हो उसी समय आप बोलेंगे। आप अपनी बात कहिये, लेकिन बीच-बीच में बोलना बड़ा अशोभनीय है।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जब आप बोल रहे हैं तो किसी माननीय सदस्य का बीच में खड़े हो कर बोलना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष–

अब रहा यह कि गवर्नर की अनुमति की आवश्यकता। आपने १९९ का (ग) पढ़ा। उससे स्पष्ट नहीं होता कि कोई संचित निधि में धन डाला जायगा या उससे लिया जायगा। संचित निधि की व्याख्या तो इसमें मौजूद है और संचित निधि से इस विधेयक की आय का क्या सम्बन्ध होगा, यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव—

आय का जरूर कोई आइटम या हैड होगा और उसके अनुसार सरकारी खजाने में रुपया तो आयेगा ही।

श्री अध्यक्ष—

संचित निधि और है, राजस्व और है। तो यह स्पष्ट नहीं है। इस वजह से इस समय तो मैं यह आक्षेप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। विचार करते समय मुझे यह संतोष हो जायेगा, तो मैं उस वक्त भी उसे अस्वीकार कर सकूंगा।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण तो मांग लें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

वह कब्ल अज़ वक्त होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, इसमें इसके द्वारा सरकार केवल "राज्य सरकार" यह दो शब्द जोड़ने जा रही है, इसमें न धन की व्यवस्था होगी न और कुछ है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय–

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ७५३–७५६ पर)

विविध विषयों के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, सामान्य विवाद से पूर्व मैं एक जानकारी चाहता हूं। व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका का जो विवाद चल रहा था, उस संबंध में एक गुप्त अधिवेशन करने की बात थी। उसके लिये यदि आपने कोई तिथि निश्चित की हो तो वह मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय सदन से निवेदन कर दूं कि मेरा यह विचार था कि मैं आगामी सप्ताह में ५–७ बजे तक का समय इस पर विवाद के लिये रख दूं। लेकिन कुछ आदरणीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि यह सुविधाजनक न होगा। माननीय कमला सिंह जी ने एक प्रस्ताव

भी इस सम्बंध में दिया था। उन्होंने भी ५–७ बजे तक के समय को असुविधाजनक बताया। अतः अप्रैल में किसी दिन इस पर बहस होगी, उसके लिये हम विचार कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, ५ बजे तक यहां बैठने के बाद फिर २ घंटे हम बैठें, यह बड़ा असुविधाजनक है। ५ महीने बाद यह सेशन हो रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको जरूरत पड़े तो आप मई तक बैठ जाइये, मगर ५ बजे के बाद सदन मत चलाइये।

श्री अध्यक्ष—

हम तो आपकी भावनाओं से सहमत हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उस पर क्या आप गुप्त अधिवेशन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उसी वक्त तय हो जायेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अब तक इस संबंध में जो भी कार्यवाही हुई हो उससे संबंधित कागजात अगर हम लोगों को मिल जायं तो हम उसका अध्ययन कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

वह हम आपको दे देंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

नियम १३१ के मातहत मैंने यह निवेदन किया था कि जो विधेयक प्रस्तुत हों उनसे संबंधित जो कागजात हों, जिन पर वह बेस्ड हो, वह हमें मिल जायं। ९ तारीख को मैंने एक पत्र भी लिखा। अभी तक मुझे पेपर्स नहीं मिले। जो भी विधेयक आज शाम से लिये जाने वाले हैं, उनसे संबंधित पेपर्स तो दिलवा दीजिये। इसके लिये मैंने कई बार कहा लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि जितने आर्डर्स दिये हैं उन्हें सरकार को सप्लाई करना चाहिये लेकिन फिर भी सरकार उल्लंघन कर रही है तो, श्रीमन्, इसकी व्यवस्था की जाय और जो उनका विधेयक है, वह भी स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस संबंध में बातचीत की थी। मुझे सूचना मिली कि इस संबंध में कोई विशेष कागज नहीं है और कुछ बातें उन्होंने कहीं। मैं अभी एल० आर० को बुलाकर उनसे इस संबंध में बात कर लूंगा और जो कागज आप कह रहे हैं, आपके पास पहुंचवा दूंगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं पहिले माननीय कमलासिंह जी से चाहूंगा कि पहिले १३१ को ध्यानपूर्वक देख लें। यदि कोई विधेयक किन्हीं पत्रों पर आधारित है और यदि पत्र गोपनीय न हों तो उन्हीं पत्रों को माननीय सदस्यों को मांगने का अधिकार है।

श्री कमलासिंह यादव—

जब आपने व्यवस्था दे दी है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप ठहर जाइये । क्या मंत्री जी यहां माननीय सदस्यों को बयान देने के लिये तैयार हैं । इस संबंध में कोई कागज है या नहीं ताकि मैं भी माननीय सदस्यों को उत्तर दे सकूं । जो उत्तर पांच या चार दिन पहिले आ जाने चाहिये थे वे क्यों नहीं आये ? मुझे इससे क्लेश होता है । मैं इस संबंध में बात कर लूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्रीमन, जुडीशियरी वर्सेज असेम्बली, में गुप्त अधिवेशन की चर्चा चलती है । मेरा निवेदन है कि यह अधिवेशन गुप्त नहीं होना चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट की गोपनीयता भंग हो चुकी है तो क्या उस पर वादविवाद भी हो सकता है । उसके प्रमाण भी हैं जिससे कई आइटस प्रकाश में पहिले से ही आ गये ।

श्री अध्यक्ष—

इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसको आप लिखकर दे दीजिये ताकि मैं उसको आदरणीय सदन के सामने रख सकूं । कोई गोपनीय विषय अगर लीक हो जाय तो यह एक बड़ी खतरनाक सूचना है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर उसमें बात शुरू हो जाती है और मान भी लेते हैं कि गोपनीयता भंग हुई ?

श्री अध्यक्ष—

हम जानना चाहेंगे कि यह कैसे आउट हुआ । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय शारदाभक्तसिंह जी आप बोलेंगे । लेकिन समय बोलने का १०–१५ मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये ।

श्री जे० पी० सिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय २० मिनट से कम नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो आदरणीय सदस्य यहां पर पीठासीन होंगे वे स्वयं इस बात को समझ लेंगे कि १५ या २० मिनट तक समय दिया जा सके । १५ से १८ मिनट हो जाना या १५ के १२ मिनट हो जाना, यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई अड़चन पैदा हो । यह तो आदरणीय सदस्य जो पीठासीन होंगे, उन पर ही छोड़ दीजिये ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं प्रदेश के जनसाधारण का ध्यान इस पर बहुत केंद्रित हुआ । जिस पृष्ठभूमि में यह बजट प्रस्तुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है वह माननीय सदस्यों को पूर्णतया मालूम है। बड़ी आशायें थीं, काफी गम्भीर समस्यायें प्रांत के सामने मुंह बाये खड़ी हैं। लोगों में बेचैनी है और मैं समझता हूं कि इस बजट के प्रस्तुत करने के पूर्व इस प्रदेश के करोड़ों व्यक्ति यह आशा करते थे कि इस बजट से उन्हें पूरी राहत मिलेगी। आज जिस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश में है वह किसी से छिपी नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई, और अभूतपूर्व खाद्य संकट के पाटों के बीच में पिसती हुई जनता यह आशा करती थी कि इस बजट से कोई ऐसा समाधान निकलेगा जिससे भविष्य के बारे में आशा बंधेगी। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी कर्मचारी और अन्य गरीब जनता अपना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी कठिनाइयों को सरकार के सामने विधि तरह से रखने का प्रयत्न कर रही है मैंने देखा कि बजट में उसके लिये सरकारी कर्मचारियों को अनुशासन में रहकर आन्दोलन न करने का उपदेश तो दिया गया लेकिन इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता कि आज सरकारी कर्मचारी, जनसाधारण और गैरसरकारी कर्मचारी सभी त्रस्त हैं। जीवन चलाना उनके लिये कठिन है और इस स्थिति में जब दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें उन्हें प्राप्त न तो रही हों, इतने अधिक मूल्य उनके हों कि अपना जीवन चलाना उन्हें कठिन हो, तो आवश्यक था कि सरकार आन्दोलन के बगैर ही उस सारी परिस्थिति से अवगत होती, उस पर विचार करती और ऐसे कोई उपाय निकालती, इस बजट में ऐसा समाधान प्रस्तुत करती कि वह बेचैनी कम होती और सरकारी कर्मचारियों को ढाढस बंधता।

मैं जानता हूं कि इस बजट में यह बात कही गई है कि सरकार को बहुत खेद है कि सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों से निकलकर सड़क पर चलते हुए दिखाई पड़े। सरकारी कर्मचारी ही नहीं, अध्यापक भी जिनके ऊपर बहुत कुछ भविष्य निर्भर है इस प्रदेश का वह लोग भी, मैं जानता हूं कि यहां के अध्यापक नहीं चाहते लेकिन विवश होकर यह भी आज आन्दोलन के लिये आगे बढ़ रहे हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी आशा से इस बजट की तरफ देख रहे थे, बड़ी उम्मीद थी उनको, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद उनकी सारी आशाओं और आकांक्षाओं पर तुषारापात हुआ। उनमें बेचैनी और बढ़ी और जो थोड़ी-बहुत सरकारी कर्मचारियों के वर्ग के लिये तात्कालिक सहायता दी गई वह मैं ऐसा समझता हूं कि जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। आपने स्वयं कहा है कि मूल्यांकन बहुत आगे बढ़े हैं और उनके अनुपात में अगर आप पांच या दस रुपये उन्हें देते हैं तो मैं यह समझता हूं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इससे नहीं होती।

सरकार की तरफ से कहा जायगा कि हमारे आर्थिक साधन सीमित हैं लेकिन उसके साथ-साथ सरकार इस उत्तरदायित्व से इंकार नहीं कर सकती कि आज प्रांत में जो परिस्थिति बनी है, जो महंगाई आई है और खाद्यान्न का संकट हुआ है, उसकी भी उत्तरदायी सरकार ही है। हम समझते थे कि कोई नया क्रांतिकारी कदम बजट में आवेगा और समस्याओं का समाधान साहस के साथ किया जायगा और सरकार ऐसे उपाय निकालेगी कि जिससे कठिनाइयां कम होंगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और बहुत सीमित लोगों को कुछ सहायता देने की बात कही है, उससे समस्याओं का किसी प्रकार भी समाधान नहीं हो सकता। आपने सरकारी कर्मचारियों को कुछ सहायता देने की बात कही है। लेकिन और जो लोग हैं, अध्यापकवर्ग हैं, उनके लिये इस बजट में सहायता का कोई संकेत नहीं है। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा, सारे उत्तर प्रदेश के अध्यापकगण उनके मकान पर गये और अपनी वेदना का प्रकटीकरण किया। अगर सरकार शिक्षा को वरीयता नहीं देती और उस पर जरूरी खर्चा नहीं करती तो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए।)

इसी सदन में कई बार कहा जा चुका है कि अगर आप खाद्य-उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की सारी सामर्थ्य के साथ गल्ले का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें भी शिक्षा का प्रसार बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा का

[श्री शारदाभक्तसिंह]

प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अध्यापकगण निश्चिन्त होकर अपना काम न कर सकें। उनके हाथ में देश के भविष्य का निर्माण है। कल माननीय मंत्री ने उन्हें बताया कि आप सब बातें समझते हैं, आप गुरु हैं, आपको कुछ त्याग भी करना चाहिये और आप सारी परिस्थिति समझकर संतोष करें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्ति या वर्ग के संतोष का सवाल नहीं है। अगर हम शिक्षा का प्रसार चाहते हैं और उसके द्वारा अपने प्रदेश में भविष्य की पंचवर्षीय योजनाओं के लिये और उन्नति के लिये मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान अध्यापकवर्ग की ओर सबसे पहले जाना चाहिये। आपने अध्यापकों के लिये लाभत्रयी योजना तो स्वीकार की है और उसके बाद यह सोचा कि उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें मैं समझता हूं कि बड़ा भ्रम है। आप इसके पहले भी अध्यापकों को भत्ता देते थे जिसके लिये विद्यार्थियों से फीस ली जाती थी। ४ आने, ६ आने, ८ आने, इस तरह से आप प्राथमिक, माध्यमिक और ऊंचे क्लासों के छात्रों से लेते थे। लड़कों से ही जो कुछ लिया जाता है, अध्यापकों को उसी से भत्ता दिया जा सकता था। प्रावीडेंट फंड और पेंशन के बारे में जो कुछ सरकार ने किया है उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है। पेंशन तो ऐसी है कि अध्यापकों के साथ खिलवाड़ किया गया है और उनके साथ न्याय करने की चेष्टा नहीं की गई इसलिये अध्यापकों की कठिनाइयों को समझते हुए सरकार को साहस के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिये थे कि उनमें संतोष होता और वे भविष्य के निर्माण में पूरा सहयोग हृदय से देते।

शिक्षा में उत्तर प्रदेश पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है। सन् १९५० के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता १०.८ फीसदी है जबकि सारे भारतवर्ष में १७.९३ प्रतिशत है। १९६१ में हमारी साक्षरता १७.६ प्रतिशत है जबकि सारे देश की २५.२६ प्रतिशत है। इस प्रकार हम शिक्षा में बहुत पिछड़े हैं। देश की आबादी का हमारे यहां १/६ भाग है लेकिन साक्षरता को देखते हुये हम सारे देश में १/८ से भी कहीं अधिक है। इसलिये शिक्षा में हमें विशेष प्रयत्न करने हैं। हम अपने प्रदेश में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति २.४ रुपया खर्च करते हैं जबकि देश का प्रति व्यक्ति औसत ४.९७ रुपया है। इस स्थिति में अगर अध्यापकों ने मांग की है कि २० फीसदी आय का शिक्षा पर खर्च होना चाहिये तो अनुचित नहीं है। अध्यापक, जैसा सभी मानते हैं, एक विशेष स्थान समाज में रखता है और वह चाहता है कि उसे शांति के साथ काम करने का अवसर मिले। लेकिन आपने उसे आज सड़क के चौराहे पर खड़ा होने के लिये मजबूर कर दिया है। इस संकेत को सरकार को समझना चाहिये। परिस्थिति गम्भीर है। हम केवल कहने के लिये नहीं करते, परन्तु हमें अनुभव होता है कि जिस सरकार में ऐसी आर्थिक विषमता पैदा हो जाय कि सरकारी कर्मचारी निकल कर आन्दोलन के लिये तैयारी करने लगें, अध्यापकगण आन्दोलन के लिये सड़क पर निकलें, ऐसी भयंकर परिस्थिति को सरकार को समझना चाहिये। मैं चाहता था कि सरकार इस हालत को समझ कर बजट में उन लोगों के लिये कोई राहत का प्रबन्ध करती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

आज स्थानीय निकायों के कर्मचारी उपेक्षित हैं। उनके बारे में इस बजट में सरकार ने एक बात भी नहीं कही। आप अपने सरकारी कर्मचारियों को भत्ता देने की आवश्यकता समझते हैं लेकिन नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों के कर्मचारियों के लिये आपने एक शब्द भी नहीं कहा। सन् ४९ में जो उनका वेतन था तब से बराबर उनकी मांग आ रही है कि सरकार उनके वेतन में वृद्धि करे और उन्हें अन्तरिम भत्ता दे, लेकिन उनके लिये इस बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार यह कह सकती है कि यदि स्थानीय निकाय चाहें तो वे अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकते हैं, उनको सहायता दे सकते हैं, परन्तु सरकार को यह सोचना चाहिये कि स्थानीय निकायों की जो आज आर्थिक अवस्था है उसमें यह संभव नहीं है। भूमि भवन कर और मनोरंजन आदि टैक्सों पर सरकार पहले ही कब्जा किये बैठी है। स्थानीय निकायों की हालत वाटरवर्क्स वगैरह खोलकर ऐसी कर दी है कि

वे सदैव सरकार की ओर देखा करते हैं और लगभग सभी नगरपालिकायें कर्जदार हैं । इसलिये सरकार का यह कह देना कि जिन नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों की स्थिति अच्छी है वे अपने कर्मचारियों को सहायता दे सकते हैं, एक प्रकार से धोखामात्र है । सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि उनके द्वारा कोई सहायता संभव नहीं है और वे कर्मचारी भी रात दिन उतना ही काम और उसी स्तर का काम करते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी करते है, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

जब से महंगाई बढ़ी है तब से मैंने यह सुझाव दिया था कि लोगों को सस्ते दामों पर आवश्यकता की वस्तुएं दी जायं । बजट में मैंने देखा कि सरकार का ध्यान इधर केन्द्रित है और सरकार इधर ध्यान दे रही है । लेकिन जब प्रातःकाल प्रश्नों के द्वारा सरकार से इस बात को पूछा गया तो मंत्री जी ने कहा कि हम चेष्टा कर रहे हैं । जब फिर पूछा गया कि यह चेष्टा कब तक चलेगी, क्या इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है तो फिर मंत्री जी ने कहा कि मैंने साफ कह दिया है कि चेष्टा कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा है । अगर समझा होता तो अभी तक वह चेष्टा कार्यरूप में परिणत हो जाती और लोगों को अगर सस्ते दामों की चीजें मिलती तो लोगों को कुछ राहत मिलती । इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने जो बजट में घोषणा की है वह धोखा देने के लिये ही की है कि भत्ता देने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी । अगर ऐसी दूकानें कारखानों स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, म्युनिसिपल और डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स में खोल दी जायं तो लोगों को काफी राहत मिले इनसे बाजार की कीमतों पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा । लेकिन उसके बारे में कोई कदम न उठाया जाकर केवल यह कह दिया गया है कि हम चेष्टा कर रहे हैं । आज भूखे आदमी को शब्दों से संतोष नहीं हो सकता । जो लोग आन्दोलन करके अपने दुखों को आपके सामने रखना चाहते हैं वे केवल आन्दोलन करने के लिये ऐसा नहीं कर रहे हैं । परिस्थिति ऐसी है कि वे इसके लिये मजबूर हो रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको उनका यह कदम अच्छा नहीं लगता । अपने बच्चों को बिना कपड़े और दूध के देखकर बहुत दिनों इस चीज को कोई सहन नहीं कर सकता । २ वर्ष की महंगाई के बाद भी अगर आप यह कहते हैं कि हम चेष्टा कह रहे हैं तो साफ है कि आप अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया । उनकी मांगों को उचित जानकर वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने सरकार के पास उसको सैंक्शन के लिये भेजा, लेकिन ६-८ महीने हो जाने के बाद भी सरकार ने उस बारे में कोई कदम नहीं उठाया । सरकार यह अनुभव नहीं करती कि भूखे को प्रत्येक दिन एक साल के बराबर लगता है और उनकी कठिनाइयों को समझते हुए अगर सरकार उचित मांगों पर भी ध्यान नहीं देती, तो म समझता हूं कि उस गंभीर परिस्थिति की ओर आंख मीचना होगा । जहां चारों तरफ से यह मांग हो रही है कि हमारे खाने का प्रबन्ध होना चाहिये, हमें आवश्यक वस्तुयें मिलनी चाहिए, जीवन के साध मिलने च हिए लेकिन उसके बारे में सरकार ने पूर्णनिष्ठा के स.थ और साहस के साथ कोई संकेत नहीं दिया ।

दूसरी बात एक सामने और आयी है । सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह ऐसी परिस्थिति में भी नये कर लगाना चाहती है, कुछ कर बढ़ाना चाहती है । और उसके लिये सरकार की नीति है जैसा कि पिछले साल भी उसने कह था कि घ टे का बजट है । उसका कहना है कि १४ करोड़ कुछ लाख रुपये का घाटा है उसे पूर्ण करना होगा और इसलिये ७ करोड़ रुपया हमें कर द्वारा संचित करना पड़ेगा । इस संबंध में सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्रिम बजट का घाटा जो इस प्रदेश में बनाया जाता है और विरोधी दल की ओर से प्रत्येक वर्ष आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि सरकार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर रही है । पिछले जितने भी बजट हैं अगर उनको देखा जाय तो उसके बारे में मैं कोई स्टेटिस्टक्स नहीं देना चाहता हूं, लेकिन प्रत्येक वर्ष यह बतलाया जाता है । सन् १९५४-५५ से लेकर आज तक जितने भी घाटे के बजट सरकार ने प्रस्तुत किये, वर्ष के अन्त में उनमें बचत होती गयी और वह सरप्लस

[श्री शारदाभक्तसिंह]

बजट हो गया। इसलिये जानबूझ कर घाटे का बजट बनाना और ऐसी भूमिका तैयार करना कि जिस जनता की कमर पहले ही टूट चुकी हो उसके ऊपर और टैक्स लगाना कहां तक उचित है, यह सोचने की बात है।

सन् १९५४–५५ में जहां ५८.३७ लाख का घाटा दिखलाया गया वहां वर्ष के अन्त में जाकर ४.८३ करोड़ रु० की बचत हो गयी। जहां १९५५–५६ में ५.५ करोड़ का घाटा दिखलाया गया, वहां १.३ करोड़ की बचत हो गयी। १९५६–५७ में जहां ९.५५ करोड़ का घाटा दिखलाया गया, वहां अन्त में जाकर १२ लाख रु० की बचत हुई। इसी तरह से सन् १९५७–५८ में जहां ११.६७ करोड़ का घाटा बजट में दिखलाया गया, वहां ५.५१ करोड़ की बचत हो गयी। १९५८–५९ में जहां ४.५ करोड़ का घाटा दिखलाया गया, वहां १.०९ करोड़ की बचत हो गयी। सन् १९५९–६० में इसी प्रकार से १.८६ करोड़ का घाटा दिखला गया था लेकिन वर्ष के अन्त में जाकर १.४० करोड़ की बचत हो गयी। सन् १९६०–६१ में यही सिलसिला रहा और सन् १९६१–६२ में जहां ८.८५ करोड़ का घाटा दिखलाया गया, वहां २.८८ करोड़ की बचत हुई। सन् १९६२–६३ में १३.३५ करोड़ का घाटा बजट में दिखलाया गया था लेकिन अन्त में जाकर १.३३ करोड़ की बचत हुई, इसी तरह १९६३–६४ में भी ऐसी ही स्थिति रही। तो मैं यह मानता हूं कि कृत्रिम घाटा दिखला कर अगर आप यह साबित करना चाहते हैं कि कर लगाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में नये कर लगाना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा उसी स्थिति में कर लगाना आवश्यक होता है जब कि आपके पास और कोई विकल्प न रह जाय और किसी प्रकार भी आपका काम बगैर कर के न चल सके और उसी स्थिति में सरकार को नैतिक अधिकार है कि वह टैक्स बढ़ावे या नये कर लगावे। इस संबंध में सेन्ट्रल टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी, १९५४ ने अपनी रिपोर्ट के प्रारम्भ में ही कहा है—

"It appears desirable at the outset of an Inquiry, comprising among other things, investigation of possibility of fresh additional sources of revenue, to undermine the need of ensuring the most effective utilization of existing tax resources for promoting community welfare and development before new and higher burdens are imposed upon the community."

यानी अगर किसी तरह से काम न चलता हो तभी आवश्यक है कि नये कर लगायें जायं। जैसा कि पिछले सालों में भी कहा गया है। और परसों प्रश्नों के उत्तर में कहा गया था। लगभग दस करोड़ रुपया बिक्री कर का बाकी है और हमें जो सूची दी गई है उसको देखने से पता चला कि यह बकाया सबसे अधिक कानपुर और बुलन्दशहर में है। आप इसको समझें कि बुलवन्शहर के माननीय मंत्री कौन हैं, आप जानते है और जितने कानपुर के बकायादार हैं वह सब गुप्ता जी के मित्र हैं तो कड़ाई वसूली में कैसे हो ? यही कारण है कि बड़े-बड़े आदमियों पर दस करोड़ की रकम बाकी है और अगर उसमें कड़ाई की जाती तो वह वसूल हो सकता था और सरकार काम चला सकती थी। इसके अलावा केन सेस और दूसरे कर कई करोड़ के बाकी हैं और उनमें भी अगर सरकार सतर्कता बरतती और निश्चय करती कि बड़े-बड़े लोग और सरमायेंदार जिनके ऊपर यह बाकी है, जो दे सकते हैं, जो नाजायज लाभ उठा रहे है उन पर सख्ती करती और आवश्यक कदम उठाती तो यह वसूली अवश्य हो सकती थी और बिना किसी नये कर के काम चल सकता था, लेकिन उनकी ओर सरकार की नीति बहुत नर्मी की है और जो गरीब जनता है उस पर सरकार की निगाह कड़ी है।

इस बजट में यह भी संकेत है कि हम किसानों की आय को देखते हुये, उन की आर्थिक स्थिति को देखते हुये, उन से भी अपने राष्ट्रनिर्माण में कुछ योगदान चाहते है, घुमाकर कहा गया है कि सरकार की नियत किसानों पर भी कुछ कर लगाने की है। पिछली बार भी सरकार ने

किसानों पर कर लगाकर एक भूल की थी और बाद में उसको सरकार को वापस लेना पड़ा था लेकिन आज फिर मैं उनसे कहूंगा कि किसानों के लिये मूल्य जो आपने निश्चित किये हैं वह पहले से ही कम हैं और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर उनके अनुपात में गल्ले के मूल्य बढ़े नहीं हैं, इस पर भी आप चाहते है कि कृषि उत्पादन बढ़े और उनके साधन बढ़े। अगर आप वाकई चाहते है कि उनके साधन बढ़ें और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो तो आप उन पर कोई कर न लगायें। हमने देखा है कि आज किसानों पर तरह-तरह के कर्ज हैं और सिंचाई आदि के साधनों और दूसरी चीजों के कारण उन पर कर्ज बढ़ते जाते हैं। अगर आप वाकई में किसानों की स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो इस समय जबकि वह पहले से ही महंगाई से परेशान हैं, उनकी आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनके पास उन्नति के साधन नहीं हैं तो कर लगाना उचित न होगा। अगर सरकार का ऐसा कोई निश्चय है कि किसानों पर फिर मालगुजारी बढ़ाई जाय या कोई अन्य कर लगायेंगे तो मैं सरकार से पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहूंगा कि वह आप का बहुत ही नासमझी का कदम होगा और अगर सरकार अपनी हठवादिता में अपने निश्चय से पीछे हटना नहीं चाहती तो मैं खुले तौर से कहूंगा कि अगर इस तरह की बात इस भीषण स्थिति में सरकार ने सोची तो इस बार पूरी तौर पर विरोधी दल की ओर से और विशेषकर भारतीय जनसंघ की ओर से उसका विरोध होगा और आवश्यकता होगी तो आन्दोलन भी होगा। अगर सरकार इस भीषणता को और बढ़ाना चाहती है और आन्तरिक शांति में और बाधा उत्पन्न करना चाहती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं नहीं चाहता कि आज की स्थिति में, आज की इस भीषण परिस्थिति में सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जिससे अशांति के वातावरण में और अशांति पैदा हो। आज जब कि शहरों में आन्दोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्मचारी वर्ग तैयारी कर रहा है कि सरकार से उचित मांगों को कैसे मनवाया जाय, ऐसे समय में सरकार अपना ध्यान किसानों की ओर ले जाना चाहती है। किसानों की आर्थिक स्थिति यहां पहले से ही खराब है और मालगुजारी भी पहले से ही यहां अधिक है, अगर सरकार खाद्य उत्पादन में बाधा उत्पन्न करना चाहती है और किसानों पर अपनी घोषित नीति के विरुद्ध फिर कर लगाने की बात सोचती है तो मैं कहूंगा कि इसका समस्त प्रदेश में गम्भीरता के साथ घोर विरोध होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

इसमें नये कर बढ़ाने की बात भी कही गई है। पहले से ही शहरों में भवन और भूमि कर जनता के लिये एक चिन्ता और आलोचना का विषय बना हुआ है और उससे लोगों को कठिनाई हो रही है। आज तक लोगों को खाना मिलना कठिन है, कपड़े की समस्या है, रहने के मकान पर इतना कर लगा दिया है कि लोग चिन्ता में पड़े हुए हैं कि कर को कैसे खत्म किया जाय। इस पर भी अगर सरकार ने देहाती और शहरी क्षेत्र में कर बढ़ाया तो, जो सरकार की फिजूल-खर्ची है, और जो असफल योजनाओं पर बेकार का खर्चा करना चाहती है, उसके लिये आपको कुछ औचित्य चाहिये। मैंने जब कहा योजनाओं पर खर्चा, तो इस बारे में गलतफहमी नहीं होना चाहिये। भारतीय जनसंघ योजनाओं का विरोधी नहीं है। हम योजना चाहते हैं और हमारा मत है कि कम समय में अधिकतम प्राप्ति के लिये योजनायें चलायी जायं, लेकिन अगर योजनायें गलत हैं, उनकी भूमिका गलत है, अगर उनका नियमन गलत है और लक्ष्यों की प्राप्ति उनसे नहीं हो रही है, सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, तो आवश्यकता है कि हम बैठकर अपनी आर्थिक स्थिति का पुनर्निर्धारण करें और योजनाओं में परिवर्धन करें तथा अपनी भूलों को ठीक करें। इसलिये इन असफल योजनाओं के लिये योजनाओं के नाम पर बगैर सोचे-समझे लोगों का खून चूसना चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

बगैर पैसे के कैसे योजना चलायी जायं?

श्री शारदाभक्तसिंह—

योजना तथा लक्ष्य में सामञ्जस्य करना होगा। आज आपके लक्ष्य असीमित हो जाते हैं और साधनों को विचार नहीं करते इसीलिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेते हैं। अनाप-

[श्री शारदाभक्तसिंह]

शनाप नोट छापे जाते हैं जिससे मुद्रास्फीति होती है। इसलिये आवश्यक है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण सामने रखा जाय और इस प्रकार की भूलों को दुरुस्त किया जाय जिनके कारण आज आर्थिक विषमता है।

बारह साल से अधिक हो गये हम सारी अर्थ व्यवस्था नियोजन के अधीन चला रहे हैं और उससे जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की किसी तरह पूर्ति नहीं हुई, बल्कि उसका कष्ट बढ़ा और आर्थिक व्यवस्था में ऐसा तनाव पैदा हो गया है जिसके कारण अगर समय रहते हुए भूल सुधार नहीं हुआ तो भयंकर विनाशकारी परिस्थिति पैदा होगी। मूल्य बढ़ रहे हैं, बेकारी बढ़ी है, कर भार बढ़ा है, जीवन निर्वाह की वस्तुओं का भाव बढ़ा है और विदेशों पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूं जिस सरकार में स्वदेश प्रेम है, वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकती। अपनी योजनाओं को विदेशों पर इतना निर्भर कर और देश को गिरवी रखने का जो प्रयास हो रहा है, वह घृणित है और उसे छोड़ना होगा। अपनी योजनाओं को अपने साधनों के अनुरूप बनाना चाहिये। जब योजना हमारे सामने लायी गयी उसके कुछ लक्ष्य रखे गये। पहला लक्ष्य यह था कि हम लोगों की आय और सम्पत्ति की विषमता को दूर करेंगे। प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें गरीब और गरीब न हो और अमीर और अमीर न हो। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया ? तृतीय योजना पूरी होने जा रही है और जो फल निकला है वह यह है कि गरीब और गरीब हुआ तथा अमीर और अमीर हुआ।

इस सम्बन्ध में अगर हम आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारा नियोजन हमारे लक्ष्यों के विपरीत गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि हमारे यहां की आय ४५ प्रतिशत लोगों की प्रति मास १० से २० रु० है, ३० प्रतिशत लोगों की २० से ३० रु० है, २४ प्रतिशत लोगों की आय ३० से ५० रु० है और १ प्रतिशत लोगों की आय ५० रु० से ऊपर है। दूसरी ओर १९५१-१९६१ में बड़े उद्योगपतियों की आय देखने से पता चलता है कि वह १ करोड़ से बढ़ कर २.५ अरब तक हो गयी है। यह है हमारी असमानता का हाल ! जहां उद्योगपतियों की अरबों की आय हो रही है वहां पर दूसरे लोगों की दो आने और चार आने आय हो, क्या यही लक्ष्य हमारी इन योजनाओं के थे ? यदि हमारी इच्छित प्राप्ति नहीं हुई है तो हम बैठकर पुनः इन योजनाओं पर विचार करें। नैशनल सेम्पिल सर्वे की विगत १० वर्षों की प्रगति रिपोर्ट में जो आर्थिक स्थिति थी वह इस प्रकार दी हुई है। इसमें कहा गया है कि ६ करोड़ व्यक्तियों की दैनिक आय ६ आना, ५ करोड़ व्यक्तियों की दैनिक आय ५ आना, ४ करोड़ व्यक्तियों की दैनिक आय ४ आना और २ करोड़ व्यक्तियों की दैनिक आय लगभग दो आना है। इस प्रकार ४३ या ४४ करोड़ लोगों में से १२ करोड़ व्यक्ति नारकीय जीवन बिता रहे हैं। बजट में कहा गया है कि हमने तृतीय योजनाओं को भारतीय स्तर पर बनाया है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए खर्चा करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारी आर्थिक असमानता दूर नहीं हुई अतः हमें उनके लक्ष्यों पर और अपने पर विचार करना होगा।

दूसरा लक्ष्य हमने जो अपने सामने रखा था वह यह था कि बेकारी दूर हो। जहां तक बेकारी का सवाल हमारे प्रदेश में है, मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उससे स्पष्ट है कि बेकारी की समस्या को हल करने में हमें तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यही नहीं जितनी हमने पूंजी खर्च की है उसके अनुपात में बेकारी की समस्या हम हल नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में हमें मालूम हुआ और सरकार की ओर से भी यह कहा गया कि बेकारी की समस्या हल नहीं हुई। यदि यह समस्या भी हल नहीं हुई तो फिर इन योजनाओं का क्या परिणाम होता है ?

जैसा मैंने आरम्भ में कहा, कीमतें बढ़ी हैं और जब हम कहते हैं कि कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तो हमारे सामने एक बात कही जाती है कि स्व-विकसित अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों

की वृद्धि होना आवश्यक है। परन्तु यदि ३ या ४ प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हो तो किसी हद तक उचित है पर यदि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत प्रतिवर्ष हो तो यह एक ऐसी चिन्ता की बात है, जिस पर हमें तुरन्त विचार करना है। अगर दूसरे देशों की विकास स्थिति को भी हम देखें तो, मैं समझता हूं कि हमें ज्ञात होगा कि सत्य से परे है। पश्चिमी जर्मनी में १२ प्रतिशत आय बढ़ी है लेकिन मूल्य वृद्धि केवल १ प्रतिशत बढ़ी है। जापान की आय १२.३ प्रतिशत बढ़ी है पर मूल्यों में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इटली में ४९ प्रतिशत की आय की वृद्धि हुई है परन्तु मूल्यों में केवल १ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम ४ वर्षों में हमारी आय ३.६ प्रतिशत बढ़ी है परन्तु मूल्यों में १४ प्रतिशत का घाटा हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी आय ३ प्रतिशत बढ़ी है लेकिन मूल्यों में ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकारी कथन से यदि वर्तमान अर्थ-व्यवस्था का यही लक्ष्य है तो पहली योजना में तो मूल्यों में कमी हुयी लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है। और इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में इतनी महंगाई बढ़ी है कि सारे प्रदेश के सामने यह एक समस्या बनी हुई है और जो यह लक्ष्य रखा था कि हम मूल्य नहीं बढ़ने देंगे, उनको स्थिर रखेंगे, वह भी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ है और फलस्वरूप आज आर्थिक विषमता और कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम विचार करेंगे तो यह पायेंगे कि हमारी योजना की दिशा गलत तरफ है और आज परिमार्जन तथा परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर योजना की पूरी तरह से छानबीन न की गयी और जो लक्ष्य हैं उनके बारे में क्या कार्यक्रम अपनाये जायं उस सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया तो यह निश्चित है कि हम निराशा की ओर बढ़ते चले जायेंगे।

भारतीय जनसंघ की ओर से भी हमने नहीं कहा कि योजना छोड़ देना चाहिये लेकिन हमने यह कार्यक्रम रखा है कि सरकार चूंकि अपनी नीतियों को हठपूर्वक चलाना चाहती है जिसकी वजह से विनाशकारी परिणाम हुए हैं तो जरूरी है कि हम इस आन्दोलन का सूत्रपात करें—"योजना बदलो"। हमारी धारणा है कि सरकार की जो यह योजना है 'टार्गेट्स प्राप्त कर लो, तो देश का भला होगा' उसके स्थान पर यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये और उन लक्ष्यों की तरफ हम बढ़ें और कोई सफलता प्राप्त होती है तो हम यह समझें कि हमें सफलता प्राप्त हो रही है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि नियोजन जो हमारे देश में और प्रदेश में चलना चाहिये वह जो देश की निष्ठायें हैं उनके अन्तर्गत चलना चाहिये। प्रजातांत्रिक पद्धति और हमारी संस्कृति के जो जनवादी मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजना चलानी होगी और इसलिये आवश्यकता है कि हम विचार करें कि जो हमारी निष्ठायें हैं वे हमारे मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी, बल्कि उनसे बल मिलेगा। हाल ही में सम्पूर्णानन्द जी ने अखबारों में लेख लिखा है और संकेत किया है कि जहां योजना के जरिये हम आगे बढ़ रहे हैं वहां उस योजना का आदर्श क्या है, किस आदर्श पर हमें आगे बढ़ना चाहिये, वह साफ नहीं है और इसलिये लोगों में प्रेरणा नहीं है। अगर यह आवश्यक है कि कल की समृद्धि के स्थान पर आज हम कष्ट सहें तो हमारे सामने कोई प्रेरणा अवश्य हो और उसके लिये हमारे सामने जीवन मूल्य ऐसे हों जिनके लिये आज का त्याग कल के लिये किया जा सके। अगर हम चाहते हैं कि जन मन में इस योजना के लिये सिद्धि तथा महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो तो हमको अपनी योजना आदर्शवादी बनानी होगी। अगर योजना के पिछले १२ वर्षों में हमें सफलता नहीं मिली है, आर्थिक विषमता बढ़ी है, हमारी समस्यायें और कठिनाइयां बढ़ी हैं तो हमारी यह मांग है कि एक उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त किया जाय तो विचार करें कि कहां पर हमारी गलती है, जो हमारा मार्ग दर्शन करे। ऐसा न करने पर हमारी कठिनाइयां बढ़ेंगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो नियोजन हमने स्वीकार किया है वह विशेषकर पूंजी प्रधान है। आज हमारे साधनों को देखते हुए हमारी योजना श्रम प्रधान होनी चाहिये और इससे गांवों को विकास करके खेती से मेलजोल बढ़ा कर आगे बढ़ना चाहिये। लेकिन आज हमारी जितनी योजनायें काम कर रही हैं उनका परिणाम भयंकर हुआ है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करके योजनाओं को बदलन

[श्री शारदाभक्तसिंह]

का कार्य करे और जनता का जो मनवांछित फल है उसे प्राप्त करे। लेकिन सरकार की क्या स्थिति है? हमारी सरकार की सारी शक्ति इस ओर लगनी चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, हमको ये न दिखायें, उधर ध्यान आकर्षित करें। जहां हम योजनाओं पर विचार करते, भविष्य के निर्माण पर विचार करते वहां आपके साथी सोते हैं और सोना भी चाहिये। "When Rome was burning Nero was fiddling"। ऐसी दशा में भी मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस के लोगों को दिन में नींद आती है जहां लोगों को रात में नींद नहीं आती है, वहां ये लोग दिन में भी आराम से सोते हैं। फिर आप प्रदेश की भयंकर परिस्थिति से अवगत कैसे हों? इसीलिये मैं कह रहा था कि जहां इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये वहां जो वातावरण पैदा किया जा रहा है वह अभाग्यपूर्ण है।

आज प्रदेश में मंत्रियों में जो आपस में तरह-तरह की बातें हो रही हैं, उनसे आप समझते होंगे कि प्रदेश की जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बजट किस मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिये, वित्त मंत्रालय किसके पास जाना चाहिये, ये भयंकर समस्यायें हमारे सामने हैं। एक तरफ माननीय अली जहीर बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, वित्त मंत्रालय हमें नहीं दिया जा रहा है। अगर दोनों पोर्ट फोलियो हमें दे दिये जाते तो हमें भी कुछ लाभ हो जाता। हमारे साथ मुख्य मंत्री अन्याय कर रही हैं और दूसरे मंत्री के साथ बड़ी दोस्ती की जा रही है, कृपा की जा रही है। इसलिये वे चिन्तित हैं और इतने चिन्तित हैं कि अपने मंत्रि-मंडल में बात करने के बजाय वे अखबारों में सन्देश दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी कह रही हैं कि हम वित्त मंत्रालय देना चाहते थे लेकिन दो पोर्टफोलियो नहीं देना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में देना पड़ा। यह ऐसी परिस्थिति है, हमें इससे विशेष दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अगर इन बातों को जनता के सामने रखा जाता है तो जनता में एक दूसरे पर दोषारोपण चलाने का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सरकार की तरफ से जनता का पहले से ही जिस तरह का प्रभाव है उसको आगे बढ़ाना है कि मंत्रि-मंडल में एकता नहीं है, प्रेम भाव और एकता से कार्य करने की क्षमता नहीं है। इस तरह का प्रभाव उस समय जनता में जगाना, जबकि स्थिति गम्भीर है, लोगों के सामने समस्यायें हैं, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिये और इसके बारे में उनको अपना बयान देना चाहिये। परिस्थिति को देखते हुये ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा होना अच्छा नहीं है।

यहां गुटबन्दी पहले से ही चल रही थी और अब यह बात सामने आई है। इससे यह पता चलता है कि आप दलगत स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ सके हैं। आज आपस की गुटबन्दी इतना घर कर गई है कि आपके पास प्रदेश की स्थिति पर काबू पाने के लिये समय ही नहीं है। केबिनेट में एक मिनिस्टीरियल और दूसरा डिसिडेंट्स का गुट है और दोनों इतने आगे बढ़ गये हैं कि प्रदेश के लोगों में बड़ी चिन्ता है, लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ऐसे समय में अगर आप इस तरह का मार्ग दर्शन कराते हैं तो उसका असर जनता पर अवश्य पड़ता ह। इसके साथ-साथ आपको प्रदेश की बात सोचने की छुट्टी नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि सरकार इन समस्याओं की तरफ से जहां उदासीन है वहां दलगत स्वार्थ बढ़ाने की बात वह सोचती है।

आज बांसी में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में शासन यंत्र का पूर्ण तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। आज वहां जितने भी बी० डी० ओज०, ए० डी० ओज० और पंचायत

कर्मचारी हैं, जितने भी एस० डी० आई० हैं, वह सारे क्षेत्र में विधिवत् दौरा करके कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

आजकल चुनाव कहां हो रहा है?

श्री शारदाभक्तसिंह—

आप तो ऐसा पूछते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं है। मैं समझता हूं कि श्री राममूर्ति जी को जरूर पता होगा। श्रीमन्, राममूर्ति जी पूछ रहे हैं कि कहां चुनाव हो रहा है? अगर माननीय मंत्री जी को चुनाव की तरफ से इतनी उदासीनता हो जाये कि उनको पता न चले कि चुनाव कहां हो रहा है, तो मुझे सन्तोष हो।

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बात करना ठीक नहीं है। आप अपना भाषण दीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

भाषण के बीच में जब कोई ऐसी बात आ जाती है, जब कोई प्रश्न पूछ बैठता है, तो उसका उत्तर देना श्रीमन्, आवश्यक हो जाता है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं कह रहा था कि यह बड़ी गम्भीर परिस्थिति है कि नियोजन के साथ-साथ प्रजातन्त्र को भी आप हर तरह से अपने रुख के अनुसार चलाना चाहते हैं, दलगत स्वार्थों के लिये शासन का आप लाभ उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बांसी क्षेत्र से जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं, यही हैं कि बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० सारे लोग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर प्रभाव डाला जाये कि वह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दें। मैं मुख्य मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में जब हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, इस तरह की कठिनाई पैदा करना कहां तक उचित है। मैं ऐसा समझता हूं और इस सदन में बड़े गर्व के साथ यह कहा गया कि जहां जितने चुनाव हो रहे हैं, हम सबमें जीत रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि जनता हमारे साथ है। तो जहां तक मैं समझता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आपको सन्तोष भले हो कि शासन यंत्र के द्वारा लाखों रुपये खर्च करने के बाद जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, तो आप प्रजातन्त्र की किसी प्रकार की भलाई नहीं कर रहे हैं। इसलिये बांसी में हमें भी जाने का मौका मिला है और हम आज जायेंगे और देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से शासन यंत्र को दलगत स्वार्थों के लिये लागू किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की परम्परा चलाना अनुचित है। आज की परिस्थिति में आवश्यक है कि हम इन दलगत स्वार्थों को भुलाकर एक साथ विचार करें।

अभी पिछले बजट के समय में जब हम यह कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश सारे भारत को देखते हुये बहुत पीछे है, तो सरकार ने एक दूसरा रवैया अख्तियार कर लिया है कि यदि हम पिछड़े हुये हैं तो हमें पैसा ज्यादा चाहिये। अगर हम पिछड़े हुये हैं तो हमारा नियोजन चाहे जितना दोषपूर्ण हो और हमारे नियोजन में चाहे जितनी गलतियां क्यों न हों हमें पैसा चाहिये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि १ पैसा भी खर्च करने के पहले आप जनता में विश्वास पैदा करें कि आप जनता के एक एक पैसे का इस्तेमाल ठीक करते हैं, उसका दुरुपयोग न करके उसका सदुपयोग करते हैं। पिछली बार सरकार ने मितव्ययिता के बारे में भी कहा। मैं इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ईमानदारी से मितव्ययिता की है? क्या अपने वह पद उठाये हैं जो जनता को प्रभावित कर सकें? क्या आपने एक-एक पैसा बचाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायता की है? अभी उस दिन श्री नवलकिशोर जी ने भी कहा था, इस

[श्री शारदाभक्तसिंह]

सम्बन्ध में, कि मितव्ययता जितनी होनी चाहिये नहीं हुई । लेकिन ऐसा लगता है कि जब उनको ऐसा मौका दिया जायगा तो वह इसके विपरीत भी कार्य कर सकते हैं । तो यह निश्चित है कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । तो इस बात की आवश्यकता है कि सारे प्रयत्नों को एकत्रित करके इस प्रान्त को पिछड़ेपन से बाहर निकालें । तो उसके लिये जैसा मैंने कहा कि सरकार के जितने उपाय हैं वह किसी प्रकार सुलभ और सफल नहीं हो रहे हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक हम प्रान्त में जनतंत्र बढ़ाना चाहते हैं, हम जनता के सारे लोगों को अपने आर्थिक नियोजन में साथ लेना चाहते हैं, उनमें उत्साह पैदा करना चाहते हैं, वहां उनकी भावना के बारे में भी हमें और आपको विचार करना होगा ।

आज हिन्दी का प्रश्न हमारे सामने आ रहा है । इस प्रश्न पर जिस तरह के आन्दोलन देश में हुये हैं, बड़े बड़े उत्तरदायी नेताओं ने जो रुख अपनाया है, उससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस में संघर्ष कितना उग्र है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्न है और हमको यह विचार करना चाहिये कि कैसे भी हो हम इस प्रश्न को आखिर तक ले जा सकते हैं । दक्षिण में अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री कामराज जी ने जो बयान दिया कि अगर केन्द्र से या अन्य राज्य से पत्र-व्यवहार हिन्दी में आये तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये । हिन्दी प्रचार सभा में उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया । उसी दिन से दक्षिण में काफी घटनाएं प्रचलित हुई और लोगों को बढ़ावा मिला । उन शक्तियों को बढ़ावा मिला जो बिघटन की ओर जा रही हैं । आज-कल के अखबार से पता चला कि वहां के, मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा कि इस प्रश्न पर कुछ आन्दोलन बढ़ा है वहां पर कुछ ऐसी शक्तियों ने अग्नि में घी डालने का काम किया और एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें अशांति पैदा हो गई । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस बात को मैंने संविधान में माना, हमने नहीं हमारे वह तेजस्वी और वह नेतागण, जिनका आज हमारे सामने उदाहरण है, आदर्श रहित उन लोगों ने बैठकर विचार पूर्वक संविधान में बात तय की कि १५ साल के बाद इस सारे देश की अगर कोई भाषा व्यवहार की भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी हो सकती है, तो मुझे लाना चाहिये । और जब यह बात निश्चय हो गई तो आज कांग्रेस के नेताओं की ओर से उन सारे प्रयत्नों को एक प्रकार से बल मिल रहा है, जिनमें यह मांग की जा रही है कि संविधान को बदलना चाहिये । जो निश्चित बात है उसको बदलकर और हमें नई बातें संविधान में लानी चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है उसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो आज इसके बारे में आन्दोलन कर रहे हैं और सारा शासन और साथ-साथ सारी पार्टी में बैठकर जो आपस में अखिल भारतीय गुटबन्दी चल रही है, इसका बहुत विनाशकारी फल होगा। जो इसने संविधान में अपना लक्ष्य निश्चित किया है जो जो इसने अपने निर्णय लिये हैं उन्हें पूरा करें दृढ़ता के साथ इस पर अमल लायें और देश के लिये अगर आवश्यक है तो हम उन बिघटनाकारी शक्तियों को, उनके सामने अपनी धारा को न बदलें ।

हिन्दी को जो अधिकार प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो हिन्दी भाषी राज्य है, आज वहां पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम शक्ति के साथ खुलकर जो आवश्यक कदम हैं, उठायें । और देश के लिये आवश्यक है कि एक भाषा होनी चाहिये । उसकी कामयाबी का श्रेय आज कांग्रेस के पार्टी लोगों को है । यदि हम इस पर कदम नहीं उठाते हैं, तो देश में भविष्य में कठिनाई पैदा हो सकती है । देश की एकता के लिये पार्टी के भी ऊपर हमें उठना होगा । हमारे शासन में कुर्सी पाने के लिये आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे आन्दोलन चलाएं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की परिस्थिति देश की स्वतंत्रता के लिये एकता आवश्यक है । हमने जो अपना पथ निश्चय किया है, उससे हम विचलित न हों और हिन्दी के लिये जो स्थान इस प्रान्त में प्राप्त होना चाहिये, वह स्थान मिले ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री जी को उनके बहुत छोटे से भाषण के लिये बधाई देता हूं । मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी नान-कमिटल आदमी हैं । उन्ह ने जिन्दगी में कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है और उसकी झलक मुझे इस बजट भाषण में भी दिखाई देती है ।

मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से नेता विरोधी दल के भाषण को सुना, यद्यपि विरोधी पक्ष की तमाम बेंचें खाली थीं फिर भी मैंने तो बड़े यान से उनके भाषण को सुना । उन्होंने सबसे पहले इस बात का संकेत किया कि सरकारी कर्मचारियों की स्थिति आज की महंगाई के समय में बहुत शोचनीय है । टीचर्स की भी बात उन्होंने कही । मैं उनसे इस बात में इत्तिफाक करता हूं कि आज महंगाई को देखते हुये सरकारी कर्मचारियों की स्थिति और विशेषकर जो ४ या ५सौ से नीचे तन्खवाह पाते हैं, अच्छी नहीं है । यह भी सही है कि टीचर्स, विशेषकर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की स्थिति अच्छी नहीं है और उससे एक कदम आगे बढ़ा जाय तो लोकल बाडीज के इम्प्लाइज की स्थिति भी अच्छी नहीं है । यह भी मैं मानता हूं कि स्थिति मंहगाई के कारण शोचनीय है ।

उन्होंने, मान्यवर, कुछ आंकड़े भी दिये कि इतने परसेंट लोग ४ आने रोज, इतने परसेंट ६ आने रोज और इतने परसेंट की ३० रुपये महीने से भी कम आमदनी है । लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि प्रदेश और देश का एक इंटिग्रेटेड ढांचा हो । यह नहीं हो सकता कि ७ करोड़ ८० लाख लोगों में से ७ करोड़ ७५ लाख तो ३ और ४ आने रोज में अपनी जिन्दगी बसर करें और बाकी कुछ लोगों को हम आगे बढ़ाते जायं । मुझे भी इस बात से संतोष नहीं है कि ५ रुपये और साढे १२ रुपये बढ़ाये जायं और हमारी कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब कि केन्द्रीय सरकार अपने यहां महंग ई भत्ता बढ़ाती चली जाती है । मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मारल जिम्मेदारी है कि वह सारे देश और प्रदेश के गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये एक यूनीफार्म पे स्केल्स की व्यवस्था करें और जिन स्टेट्स की इकानामी डेफिसिट है और जो इस बोझ को नहीं उठा सकते उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया सबसीडाइज करे । इसके लिये कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो बजट में इकानामी हो और या फरदर टैक्सेशन हो । फरदर टैक्सेशन के लिये उन्होंने चेलेंज कर दिया कि अगर आपने नया टैक्स लगा दिया तो कम से कम जन संघ तो इस बात की घोषणा करता है कि वे आन्दोलन अवश्य करेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

वे तो आपके ही हम–खयाल लोग हैं ।

श्री नवल किशोर—

अब कौन हम–खयाल है और कौन नहीं, यह तो समय बतायेगा, लेकिन मैं तो उनसे कहूंगा कि इस बात का डर दिखाकर आप कहते हैं कि टैक्स मत बढ़ाइये और चाहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ जायं । सही है कि इकानमी होनी चाहिये । मगर उसके लिये उन्होंने कोई पाजिटिव बात नहीं बतायी कि इकानमी कहां हो । मैं भी मानता हूं कि इकानमी होनी चाहिये, उसके बारे में बाद में कहूंगा, लेकिन अगर इकानमी न हो पायी और तनख्वाह बढ़नी हैं, जैसा मैं भी उनसे इत्तिफाक करता हूं तो उसके लिये पैसा चाहिये और जो पे रेशनलाईजेशन कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसमें ११ करोड़ ५० लाख रुपये के खर्चा होने का अन्देशा है तो और बातों को छोड़िये, अगर उसके लिये टैक्स लगाना पड़े तो तब कम से कम उस में जनसघ के लोग हमारा साथ दें ताकि उस इस मामले में यानी ११ करोड़ तक टैक्स लगाने में तो कम से कम आपस में मतभेद न हो । मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इकानामी का जिक्र किया । मैंने शुरू से ही इस बात की मांग की कि इकानामी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये । जब यहां पर गुप्ता जी थे उन्होंने इस बात की कोशिश की और इकानामी का एक अभियान चलाया

[श्री नवलकिशोर]

और उसके फलस्वरूप ८० लाख रुपये की बचत हुई। इत्तफाक से मैं उस कमिश्नरों की मीटिंग में था। उसमें मेरा मत यह था कि १० करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। जो हमारे कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी तो नहीं बल्कि ५ करोड़ की बचत हो सकती है। मुझे खेद है कि इस बजट में उस तरफ कुछ कदम उठाये गये हैं ऐसा कोई संकेत नहीं मिलत है चूंकि माननीय मंत्री जी ने ही अपने बजट भाषण में इसका इशारा नहीं किया तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस प्रान्त में २६७ करोड़ के बजट में १०, ११ करोड़ रुपये की बचत करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिये। इसकी तरफ बढ़ता कदम उठाना चाहिये। मैं इस बात की मांग करता हूं कि एक परमानेन्ट हाई पावर है इकानामी कमेटी बिठानी चाहिये जो वक्तनफवक्तन अपना समय देकर इस कार्य को सुचारुरूप से करने की चेष्टा करे। उस कमेटी के लिये मैं ३, ४ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। वह इस बात को देखे कि सरकारी अफसरों के कुछ कम्पन्सेटरी अलाउन्स हैं, वह कब और कैसे देना शुरू किये गये थे। इनको वह स्टडी करे कि इनकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। जिस जमाने में सड़कें नहीं थीं उस जमाने में कुछ अलाउन्स मिलते थे। इनक स्टेडी करके देखना चाहिये कि ये किस तरह से कट सकते हैं। साथ ही विभाग को रेशनलाइज किया जा सकता है। इसलिये मेरी यह मांग है कि इकानामी के संबंध में इस तरह की एक कमेटी बनाई जाय।

टीचरों के बारे में कहा गया। मैं समझता हूं शारदाभक्तसिंह जी बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने यह फरमाया है कि यह जो प्राइवेट इस्टीट्यूशन हैं इनमें २, ४, या ६ आना डिमरेनैस के नाम पर लिया जाता है। उससे सरकार को लगभग २ करोड़ की आय होता है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पैसा लिया जाता है उससे अधिक सरकार अपने पास से देती है। उसके आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। १९६२-६३ में इस प्रकार से सरकार को ६३ लाख की आमदनी हुई और सरकार ने अपने पास से ८६ लाख दिया। २३ लाख सरकार ने अपने पास से दिया। १९६३-६४ में अपन पास से ३५ लाख दिया और १९६४-६५ में ४९ लाख अपने पास से इनको दिया। यह कम दिया गया है यह मैं मानता हूं लेकिन जो यह कहा गया कि सरकार को आमदनी होती है इसका जवाब मैंने यह दिया। यह बात मैं आपको मानता हूं कि इस बजट में जितना दिया वह कम दिया लेकिन इसमें टीचरों को छोड़ा नहीं गया है। आज कुछ ऐसी परिस्थिति है कि इस देश में जो राष्ट्रपति है वह टीचर है। जो उपराष्ट्रपति हैं वह भी टीचर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी टीचर हैं और हमारे वित्त मंत्री भी इत्तफाक से टीचर ही हैं। लिहाजा इनसे ज्यादा हमदर्दी किसी को नहीं हो सकती है। फिर जिन टीचरों को कुछ भी नहीं मिलता था जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के उनको ५ रुपया दिया गया है। उसके बाद माध्यमिक स्कूलों के टीचरों के लिये और इंटरमीडियेट वालों को २० रुपया मिलता था और उनके प्रिंसिपल को कुछ महंगाई नहीं मिलती थी उनको भी इसमें दिया गया है। डिग्री कालेज के लिये ३५० तक पाने वालों के लिये भत्ता दिया गया है। उसके बाद जो नान-टीचिंग स्टाफ था उनको भी दिया गया है। इतना आप कह सकत हैं कि थोड़ा दिया गया लेकिन उस तरफ कदम उठाया गया है और उसके लिये सरकार को बधाई देना चाहिये। जले पर नमक की बात आपको नहीं कहना चाहिये। यह आप कह सकते हैं कि कम दिया गया।

मान्यवर, उन्होंने एजूकेशन में एक्सपैंशन की बात कही। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एजूकेशन में पिछड़ा हुआ है। इसे अपनी स्पीच में भी सरकार ने माना है लेकिन अब विद्यार्थी संख्या ४३ परसेंट से बढ़कर ६३ परसेंट होने की आशा है जाहिर है कि इस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि २०, २५ परसेंट क्यों नहीं खर्च करते, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रोग्राम में शिक्षा, उद्योग आदि कई चीजें आती हैं और यह कोशिश की जाती है कि मनुष्य का जीवन स्तर हर तरफ से शिक्षा के साथ साथ बढ़े। मुझे ताज्जुब है कि शारदाभक्त सिंह जी ने आज कहा कि उनको

योजना से कोई आपत्ति नहीं है । इसके माने यह हैं कि योजना में उनकी आस्था है । इसके लिये उनको बधाई है । वह कहते हैं कि शिक्षा में पैसा बढ़ाइये चाहे कुछ योजनायें काट दीजिये । अगर ऐसा ही करना है तो साफ साफ कहिये कि योजनायें बंद करिये । शिक्षा के नाम पर योजनाएं क्यों काट रहे हैं । शिक्षा भी बढ़ेगी और योजना भी चलेगी ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

साधनों को देखते हुए काट दीजिये ।

श्री नवलकिशोर—

इसके माने यह हैं कि जो आदमी तीन मील चल सकता है वह तीन मील ही चलता रहे । प्लानिंग के माने हैं कि वह अपनी कैपेसिटी बढ़ाये । हमारा बिश्वास समाज को बदलने में है, आप स्टेटस को बदलने के पक्षपाती हैं । प्रायोरिटी की बात भी आपकी सही है, लेकिन उसके लिये आपको बतलाना चाहिये कौन सी योजनायें हम काट दें या किसको पहले लें । देर आयद, दुरुस्त आयद । गनीमत है कि आपकी आस्था तो हुई । खैर, मैं एजूकेशन के बारे में कह रहा था । वह बढ़ रही है और टेक्निकल एजूकेशन भी बढ़ रही है ।

उसके बाद उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में जिक्र किया । यह ठीक है कि उसमें सुधार नहीं हुआ । कुछ बढ़ी है, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिये थी उतनी वह नहीं बढ़ी । इसका कारण है कि हमारे प्रदेश की आय कृषि अथवा उद्योग के आधार पर ही बढ़ सकती है । कृषि में हमने काफी पैसा खर्च किया, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि प्रकृति हमारा साथ नहीं देती, और यह भी मुझे मानने में हिचक नहीं है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां भी रहीं जिनके कारण इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकी । मुझे इसका भी दुख है कि तीसरे प्लान का जो टार्गेट था फूड प्रोडक्शन का १८२ लाख टन उसे घटा कर चौथे प्लान में १५२ लाख टन का ही दिखाया गया है । इसमें काफी स्कीम्स हैं । इरिगेशन को बढ़ाया गया है, खाद बीज आदि का इंतजाम किया गया है । बीज बांटने का साधन कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और उनकी सप्लाई कृषि विभाग करता है, लेकिन उसकी प्योरिटी मेन्टेन नहीं हो पाती । यद्यपि कृषि विभाग भी इसको ज्यादा मेन्टेन नहीं कर पाता, लेकिन इसका प्रबन्ध होना चाहिये । इसके अलावा सिंचाई, खाद, सीड आदि का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे किसान को सुविधा प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित कामों को इधर-उधर बांटा न जाय । एक दिन मैंने केन के बारे में कुछ जानकारी करने के लिये टेलीफोन किया तो पता चला कि उसे तीन, चार सेक्रेटरी डील करते हैं । मुझे बड़ी हैरानी हुई । मैं यह निवेदन कर दूं कि केन का डेवलपमेंट भी कृषि का ही एक पार्ट है । मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मंत्री कौन रहे, किन्तु एग्रीकल्चर का जो आल राऊन्ड डेवलपमेंट है वह एक ही व्यक्ति और एजेन्सी के हाथ में रहना चाहिये तथा विभागों का म्युटिलेशन (तोड़फोड़) नहीं होना चाहिये ।

उद्योग के विकास के लिये भी बहुत सी बातें कही गयी हैं, मगर मैं २-३ बातों की तरफ विशेषकर ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां इसमें काफी त्रुटियां हैं । जल्दी ही आपके सामने इसके ऊपर पी० ए० सी० अपनी एक रिपोर्ट रखने वाली है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इन १५ सालों में सरकार की कोई डेफिनिट इंडस्ट्रियल पालिसी नहीं रही है और जो है भी कोई तो वह व्योरोक्रेटिक है और वह इस मानी में कि आपकी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स तो बन जाती है मगर यूनिट्स को रा मैटिरियल नहीं मिल पाता । सरकार का पैसा भी उसमें फंस जाता है और उन लोगों का भी पैसा भी फंस जाता है जो उद्योग खोलते हैं । हर जिले में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट खोलने की बात है पर मेरे विचार से जहां पोटेन्शियल हो, वहां पर ही हमको फस्ट प्रायरिटी देना चाहिये, जब तक हम यह नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी । एक कारखाना मोटर साइकिल के पार्टस बनाने का खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया । जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनसे कहा गया कि वे एप्लीकेशन भेज दें, विचार हो जायेगा । मगर सरदार प्रताप सिंह कैरों को जब पता चला, अब तो उनका मर्डर भी हो चुका है, वह इस कारखाने को फरीदाबाद में ले गये ।

[श्री नवल किशोर]

तो मैं कह रहा था कि इंडस्ट्री तो लग गयी, मगर उसके लिये जो सामान चाहिये वह नहीं मिल रहा है । अगर इंडस्ट्रीज को अपने यहां डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इन्वाइट करना पड़ेगा और उनको हर तरह की सुविधा देना पड़ेगी । एक तरफ तो आप उद्योगों को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आलरेडी उद्योग थाि त हैं उनको सामान नहीं मिल रहा है और वह कई कार ों से गिर रहे हैं । उद्योगों को हम जरूर बढ़ायें, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखें कि जो उद्योग हैं उनका पतन न हो ।

मान्यवर, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज सेन्टर ने हमें दी हैं, हम उसके लिये उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन यू० पी० के साइज के हिसाब से अभी तक पर्याप्त हैवी इंडस्ट्रीज हमको नहीं मिली हैं । माननीय वित्त मंत्री ने आशा प्रकट की है कि और मिलेगी ।

डिस्पैरिटी खत्म करने की बात हुई । हमने इसका कभी दावा नहीं किया कि वे खत्म हो जायेंगी, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर डिस्पैरिटी को खत्म करना है तो हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, साधनों को जुटाना होगा ।

इम्प्लायमेंट की बात कही गयी । यह बात सही है कि हमारे यहां हर साल इम्पलायमेंट बढ़ता है, मगर जिस रेशियो से पापुलेशन बढ़ रही है उस रेशियो से इम्पलायमेंट नहीं बढ़ रहा है ।

एक बात हमारे अन्दर दलबन्दी की कही । वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी, एस० एस० पी० सभी का नक्शा आपके सामने हैं और इसी प्रकार जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों के झगड़े भी आये दिन आप देख सकते हैं । लेकिन फिर भी मैं कहना यह चाहता हूं कि उन्हें हमारे अन्दरूनी झगड़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिये । मैं यह भी चाहता हूं कि कैबिनेट के अन्दर जो कुछ भी मतभेद हो, इसका जिक्र अखबारों में नहीं आना चाहिये ।

इसके अलावा मैं एक दो बातें और कहूंगा । एक तो यह कि विरोधी पक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं । आप केवल जनसंघ के नेता ही नहीं बल्कि आपका और भी उत्तर-दायित्व है । आजकल सदन में यह जो डिमान्स्ट्रेशन का तरीका बन गया है यह कोई मुनासिब बात नहीं है क्योंकि लोगों को शक हो जाता है कि जो लोग सदन में डिमान्स्ट्रेशन करते हैं उनकी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के प्रति आस्था नहीं है ।

हिन्दी के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मैं केवल यह कह सकता हूं कि जो भावनायें हिन्दी के विषय में आपकी हैं वे ी भावनायें हमारी भी हैं । जब हिन्दी के राष्ट्रभाषा की बात हुई थी उस समय राजगोपालाचारी जी भी कान्स्टीट्यूशन में उसे रखने के जिम्मेदार थे, लेकिन हिन्दी के विरोध में आज जो कुछ उपद्रव विरोधी पार्टियों द्वारा किये गये हैं उसके लिये हमारी सरकार को खेद है । इस ग त आन्दोलन में जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं, उनसे हमारी सहानुभूति है परन्तु यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमारी नीति १५ साल से है उसको किसी किस्म के दबाव या फोर्स से खत्म करने की चेष्टा नहीं की जायगी । जो बहकाये गये हैं या जो बहक गये हैं उसके लिये हम सब इस बात की कोशिश करें कि देश का वातावरण दूषित न हो और धीरे-धीरे शांति के साथ हम अपने कदम उठायें जिससे राष्ट्रीय भावात्मक एकता को कोई ठेस न पहुंचे ।

इसके अलावा एक बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, हम १९ य. २० करोड़ नहीं खर्च कर पा रे थे, परन्तु अब तीसरी योजना में ५०२ करोड़ का जो लक्ष्य था उससे बढ़कर अब योजनाओं पर ५१८ करोड़ तक खर्च हो ही जावेगा । और यदि श्री शारदा भक्तसिंह जी ने अगर विरोध की बात छोड़ दी, तो हम १४ करोड़ रुपये और भी खर्च कर सकेंगे जिससे हमारी चौथी प्लान के लिये साउन्ड बेस बन जावे ।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट से इस प्रदेश की बहुमत जनता के हृदय में भय और चिन्ता व्याप्त हो गई है । इस बजट से तो चाहे वह निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हो या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देहात में रहने वाले गरीब किसान या मजदूर हों, उनको कोई राहत पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने सही जिक्र किया कि इस प्रदेश के जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, हमारे सचिवालय के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं या जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों या प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकगण हैं उनके वेतन में इस बजट में कोई खास बढ़ोत्तरी की चर्चा नहीं की गई है । मैं यह चाहता हूं कि यदि सरकार के पास साधन नहीं हैं या सरकार उन्हें जुटाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम इस प्रदेश के अन्दर महंगाई को कम करने का प्रयास इस सरकार को करना चाहिए । मुझे खेद है कि वित्त मंत्री जी ने मंहगाई कम करने का कोई आश्वासन अपने बजट भाषण में नहीं दिया । यह सरकार महंगाई कम करने में असफल सिद्ध हुई है । मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार के चलते इस प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी और ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती जाएगी त्यों त्यों निम्न-वेतन-भोगी कर्मचारियों और जनता की कठिनाइयां बढ़ती जायंगी । यदि इस महंगाई को कम करने का प्रयास सरकार ने नहीं किया तो निश्चित समझें कि यह सरकार चलेगी नहीं । भले ही माननीय नवलकिशोर जी को अभी कुछ खुश कर लें, इनका मुंह बन्द कर दें और इनसे कुछ स्तुति मौके दर मौके इस आदरणीय सदन में करा लें, लेकिन सरकार सुख और चैन नहीं ले सकती । इस सरकार को जाना पड़ेगा ।

हमारे सचिवालय के जो कर्मचारी है, जो हमारे प्रदेश के हजारों अध्यापक हैं इनके पास कोई उपरवार आमदनी नहीं है । आपके सरकारी तंत्र में कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी है जिनकी आय के कुछ असीमित स्रोत हैं, उपरवार आमदनी जिसे हम कहते हैं । लेकिन इस सचिवालय के जो हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं इनके पास कोई उपरवार आमदनी नहीं है, कोई नाजायज आमदनी नहीं है । हमारे प्रदेश के हजारों अध्यापकों के पास कोई उपरवार आमदनी नहीं है । ऐसे लोगों के मुंह में ताला आप नहीं लगा सकते हैं, आप प्रदर्शन को नहीं रोक सकते है, आप हम विरोधी पक्ष के सदस्यों को इन प्रदर्शनों की अगुवाई करने से नहीं रोक सकते हैं । आपके ही लोक सभा के अध्यक्ष ने अध्यक्षों के सम्मेलन में अभी हाल में कहा था कि विधान सभाओं में जो कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं या जो कुछ अप्रिय घटनायें घटी हैं उसकी कुछ पृष्ठभूमि है । उन्होंने सही मूल्यांकन किया, कहा कि जब विधान सभा के सदस्यगण जनता की तकलीफों का एहसास करते हैं और उन तकलीफों की अभिव्यक्ति करते हैं विधान सभाओं में तब वह जोश खरोश या रोश में कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जिसे लोग उचित नहीं मानते । लेकिन वह सदस्य ईमानदारी से जनता के कष्ट को वहां रखना चाहते हैं । तो आज आप भले ही हंसकर के टाल दें नेता विरोधी दल की बातों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई की स्थिति इस प्रदेश में है यदि इस स्थिति को आपने टाला नहीं तो आपको सरकार यहां से टल जायगी ।

माननीय नवलकिशोर जी ने यह भी कहा कि दलबन्दी है । है दलबन्दी । कम्युनिस्ट पार्टी में दो दल हो गए । वाराणसी में हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मतभेद हुआ, दो दल हो गए । दो नाम, दो झंडे, दो नारे हमारे हुए । जनसंघ में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, जनसंघ अलग पार्टी है और स्वतंत्र पार्टी अलग पार्टी है । लेकिन आपके कांग्रेस में क्या है ? आपके यहां दलबन्दी है । पंडित कमलापति त्रिपाठी की दूसरी जन-कांग्रेस बने और माननीय गुप्ता जी की अलग कांग्रेस बने । दो झंडे, दो नाम हों । आप किस मुंह से बात करते हैं ? माननीय नवलकिशोर जी जैसे एक सम्मानित सदस्य के मुंह से इस तरह का हल्का तर्क मैं नहीं सुनना चाहता । दो दल बनाइए, दो झंडे बनाइए । हमारे दो दल हो गए ।... (व्यवधान) मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का हूं । आज इस आदरणीय सदन में माननीय उपाध्यक्ष जी भी आप के दल के हैं, देखते हैं दुख के साथ कि जो अड़ंगेबाजी विरोधी दल द्वारा सम्भव नहीं है, वह अड़ंगेबाजी आपके दल के लोग लगाते हैं ।

श्री नवलकिशोर—

आपने कहा कि हमारे यहां गुटबंदी है । तो हमारे पास तो गुटबंदी के लिए कुछ है, इसलिए आपस में झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप तो फाकेमस्ती में ही डंड पेल रहे हैं ।

श्री मनेजरसिंह—

आपके यहां तो बटवारे का झगड़ा है, लेकिन फाकेमस्तों के यहां जो झगड़े हैं वे विचार के झगड़े हैं, सिद्धांत के झगड़े हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को गम्भीरता पूर्वक, एक राय होकर, आपसी झगड़े और आपसी गुटबंदी को बन्द करके, इस बात को सोचना चाहिए कि आज की इस महंगाई को किस प्रकार से कम किया जाय। गल्ले की जो दुर्दशा है वह सब के सामने है। और आपकी सरकार गल्ले की समस्य हल करने में असफल रही है। अगर इस समस्या को यह सरकार हल नहीं करती तो यह जानें वाली है, रहने वाली नहीं है। महंगाई के कम होने का कोई संकेत माननीय वित्त मन्त्री जी ने नहीं दिया है।

योजनाओं की चर्चा कांग्रेस पार्टी का एक-एक सदस्य खड़े होकर करता है। जनसंघ के माननीय साथी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं और स्वतंत्र पार्टी के लोग, जो नियोजन का अक्षर भी जानते हैं, वह भी खड़े होकर कहते हैं कि नियोजन नहीं होना चाहिए। नियोजन चल ही कहां रहा है? ये कांग्रेस वाले नियोजन का नाम लेकर फूले नहीं समाते हैं। क्या नियोजन है, प्राथमिकता तो ईमानदारी से आप करते नहीं है, किसी भी उद्योग की या निर्माण कार्य की उपयोगिता तो आप ईमानदारी से तय नहीं कर पाते हैं। कोई कारखाना लगेगा तो बरेली में लगेगा, कानपुर में लगेगा या बनारस में लगेगा, आपस में ही खींच-तान चलती रहती है। कोई सड़क बनती है तो भी आपस में खींचतान चलती है। यह होता है कि माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाय, किसी खास सदस्य के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाय या किसी के घर को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जाए, यह ही आप तय नहीं कर पाते हैं। नियोजन के शरीर को जो सांस है उसको ही आप महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार से यहां तो नियोजन का कोई कार्य चल नहीं रहा है। आपका नियोजन फेल हो गया है। आपकी पार्टी के लोगों ने भी इस बात को माना है कि पहली, दूसरी और तीसरी योजना में आप कुछ नहीं कर पाये हैं। इस नियोजन के फेल होने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपने नियोजन के कार्यक्रम को बनाने की जिम्मेदारी जिनकी रखी है, उनका गांवों से कोई वास्ता नहीं है। वे किसी गांव में एक दिन भी नहीं रहे हैं, कहीं नाइट हाल्ट भी नहीं किया। उनको ही आप नियोजन के उच्चाधिकारी बनाते हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज विकास आयुक्त या कृषि उत्पादन आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक दिन भी गांव में नहीं रहा और गांव की कल्पना भी नहीं कर सकता है, जिसके अन्दर गांव की समस्या को समझने का मादा तक नहीं है। आज बड़े-बड़े आफिसर के पदों पर उन्हीं व्यक्तिओं की नियुक्ति होती है जो मंत्रियों की दरबारगीरी करते हैं, आफिसरों की दरबारगीरी करते हैं और इस तरह से ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। आप इस बात को नहीं देखते कि उस व्यक्ति के दिमाग की पृष्ठभूमि क्या है। कहने के लिए तो आप यह कहते हैं कि आप समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रखते ऐसे आदमियों को हैं जो कि समाजवाद का ककहरा तक नहीं जानते। वे जो भी बजट भाषण लिख कर दे देते हैं उसे हमारे वित्त मंत्री जी पढ़ कर सुना देते हैं। माननीय नवलकिशोर जी, क्या आप समझते हैं कि भिडे साहब और कुरेशी साहब के जरिए इस उत्तर प्रदेश में सोशलिज्म आ जाएगा? यह कभी नहीं हो सकता। आप जैसे कर्मठ व होशियार व्यक्तियों की कोई कमेटी बना कर उसका लाभ सरकार क्यों नहीं लेती जिसमें कम से कम ५ सदस्य हों? भिडे साहब के जरिए यहां समाजवाद नहीं लाया जा सकता। उनके दिमाग में ग्राम की कल्पना नहीं है।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि नियोजन के लिए अलग कैडर होना चाहिए। सभी जानते हैं कि कानूनगो शत प्रतिशत नाजायज पैसा लेते हैं, कोई प्रेम से लेता है तो कोई पेच से लेता है। वही कानूनगो नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार १० परसेंट से ज्यादा नहीं लेते हैं और तहसीलदार २५ परसेंट से ज्यादा नहीं लेते हैं। वही डिप्डी कलेक्टर होता है।

जो तहसीलदार पहले नाजायज पैसा लेता रहा तो वह डिप्टी कलेक्टर होने पर कोई साधु तो हो नहीं जायगा ? और बाद में चल कर वही डिप्टी कलेक्टर नियोजन अधिकारी हो जाता है । मैं जानता हूं कि नियोजन विभाग के बहुत से अधिकारी डी० पी० ओ० को घी, दूध, गुड़, भूसा तक पहुंचाते हैं । बहुत से बी० डी० ओ० इस तरह के काम करते हैं और ऐसे लोगों से आप नियोजन का काम कराते हैं । अगर वाकई आप चाहते हैं कि नियोजन का काम इस प्रदेश में अच्छी तरह से चले तो उसके लिए आवश्यक है कि अलग से नियोजन का कैडर ही बनाया जाय ।

(इस समय २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात यह है कि जिस समुदाय से श्री हरीसिंह जी आये हैं, उस वर्ग की दुर्दशा इस प्रदेश के देहाती इलाकों में देख कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । भले ही एम० एल० ए० होने के बाद श्री हरीसिंह का शरीर मोटा तगड़ा हो गया हो, लेकिन उस वर्ग की दशा बहुत ही दयनीय है । हम लोग अपने क्षेत्र में खास कर विरोधी पक्ष के सदस्य पैदल या साइकिल से गांवों में घूमते हैं और हरिजनों की दशा को देखते हैं । पता नहीं उपाध्यक्ष जी आप अपने क्षेत्र में जाते हैं या नहीं । हमारे दिल में रोष आता है । एक तरफ हम उन का ध्यान करते हैं और एक तरफ श्री हरीसिंह का ध्यान करते हैं तो बड़ा व्यापक अन्तर दिखाई देता है । यह समाजवाद नहीं है । हमारे क्षेत्र के गरीब हरिजनों को आज पीने को पानी तक नहीं मिलता, बेचारों की झोंपड़ियों तक का बन्दोबस्त तक नहीं हो पाता और इधर हमारे भाई हरीसिंह जी मोटे तगड़े हो गये क्या यही समाजवाद है ? हमारे सूबे में पांचवें भाग से कुछ ही कम हरिजनों की जनसंख्या है, लेकिन उन के लिए बजट में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है । जहां राज्यपाल के सचिव को विशेष वेतन देने की व्यवस्था है, अतिरिक्त भत्ता देने की व्यवस्था है, कारों को बदलने की व्यवस्था है वहां गरीब हरिजनों के लिए कम से कम पीने के पानी और फूंस की झोंपड़ी तक की व्यवस्था इस बजट में नहीं है । इसलिए मैं आशा करता हूं कि भाई हरीसिंह जो कम से कम इस साल सरकार की चाटुकारिता छोड़कर जिस समुदाय के वह नुमाइन्दे हैं उसकी सही वकालत करेंगे और इस सरकार को ललकारेंगे कि वह हरिजन विरोधी है और गरीबों का शोषण करने वाली है । इस आशा के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जो ने जो यह १९६५–६६ का आय-व्ययक प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन को हृदय से बधाई देता हूं । जहां तक हरिजनों का संबंध है इस सरकार ने अपने काल में काफी हरिजनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है .....

श्री मैनेजरसिंह—

मुझे अब बरदाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कहने के बाद सुनना भी चाहिए ।

श्री हरीसिंह—

मैं आपके द्वारा माननीय विरोधी दल के सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह जरा मेरी बात भी सुनने की कृपा करें । अभी उन्होंने हरिजनों के बारे में फरमाया, मैं मानता हूं कि इस सरकार के जमाने में हरिजनों की जितनी उन्नति होना चाहिए थी वह नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई वह हुई क्या उसमें श्रीमान् जी का भी कोई हिस्सा है, विरोधी दल का कोई हिस्सा है ? जिस विरोधी दल ने और जिस पार्टी ने हमेशा उन का शोषण किया है बल्कि वह नीति अख्तियार की है जो कभी किसी ने नहीं की और इसी कारण से उन के दल छिन्नभिन्न हैं । जिस कांग्रेस सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह]

ने काफी प्रयत्न किया है उस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता लेकिन दोषी तो वे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक सदस्य भी अपने यहां से कौंसिल में नहीं भेज सके। उनको एक रुपया मजदूरी प्रति दिन दी जाती है तो आप उन से ४ आना रोज में काम कराते हैं...

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

अभी-अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इधर वाले एक सदस्य भी कौंसिल में नहीं भेज सके। यहां आप देखें कि शिवचरण इस दल के नुमाइन्दे यहां हैं जो बार-बार आपके नुमाइन्दे की जमानत जब्त करा के यहां आये हैं।

श्री हरीसिंह—

मैंने जो कुछ कहा और जिस के लिए कहा वह समझ गये। यहीं तक नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी जिले के इतने योग्य व्यक्ति इनकी पार्टी में थे, जिन्हें हम भी लीडर मानते हैं, लेकिन बार-बार कोशिश करने पर भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें कोई पद नहीं दिया। उनका नाम है श्री गुरदयालसिंह, एडवोकेट। तो फिर आप कैसे अपने को समाजवादी कह सकते हैं ?

यह बात सही है कि जो हरिजन कल्याण के लिए रकम इस बजट में रखी गयी है वह बहुत कम है। नाम-मात्र के लिए है। क्योंकि जितने विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं उसके देखते हुए इस रकम से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस सरकार ने पददलितों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया और लोग शिक्षा सरकारी सहायता से पा भी रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि १९५२ से १९६५ में काफी अन्तर हो गया है। आज हरिजन वर्ग के काफी विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, लेकिन जितनी छात्रवृत्ति सरकार दे रही है वह बहुत कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि छात्रवृत्ति की रकम और बढ़ायी जाय। मैं मानता हूं कि छात्रवृत्ति देने से शिक्षा का प्रसार तो अवश्य हुआ, परन्तु गरीब वर्ग की जो आर्थिक दशा है, गरीब से मतलब मेरा अकेले हरिजन से ही नहीं है, बल्कि चाहे जिस वर्ग का हो, वह नहीं सुधर पायी और उसका कारण यह है कि भूमि-हीनों को जमीन नहीं दी गयी बारबार हमारे मांग करने पर भी। यहां लोग किसान और मजदूर को लड़ाने की बात करते हैं और ऐसी योजनाएं रखते हैं कि जमीन बटे। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जो मनचाही बढ़ा दी जाय। लेकिम हम यह जरूर चाहते हैं कि जो बंजर भूमि सरकार के अधिकार में पड़ी हुई है उस भूमि को सरकार उत्पादन योग्य बना कर भूमिहीन हरिजनों को दे ताकि उत्पादन बढ़े और सरकार को मालगुजारी भी मिले। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूं सरकार इस सुझाव पर ध्यान दें और अगर ऐसा नहीं किया तो यह सारी बातें बेकार हैं। विरोधी दल का तो काम वही है "आग लगाकर जमालो दूर खड़ी"।

हम चाहते हैं कि उद्योग फैलें और ज्यादा से ज्यादा उद्योग-धंधे छोटे वर्ग के लोगों को दिये जायें ताकि उनकी आर्थिक दशा सुधरे। परन्तु इस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूं सरकार इस ओर अवश्य अब ध्यान देगी और जो भी गरीब हो, चाहे जिस वर्ग का हो, उसको छोटे उद्योग दिये जायं ताकि उत्पादन बढ़े और उनकी कठिनाइयां भी दूर हों।

जहां तक हरिजनों को बैल और हल देने की योजना है मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या फायदा जब उनके पास जमीन ही नहीं है। आज हरिजन विभाग द्वारा ब्लाकों को जो रुपया इस हेतु दिया जाता है वह बिना बटे हुए पड़ा है और मंत्री जी उधर ध्यान ही नहीं देते। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने विभाग की कमियों की तरफ ध्यान दें और देखें कि योजनायें सफल हो रही हैं या नहीं। लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्यों है। आज हरिजन सदस्य जब माननीय मंत्री जी से कुछ कहते हैं तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। माननीय मंत्री जी अपने विकास विभाग को ओर देखें कि हरिजनों के प्रति ये जुल्म क्यों हो रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार के हरिजन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विज्ञान के लिए विद्यार्थियों की संख्या अनिवार्य कर दी है जो मेरे विचार में किसी प्रदेश में नहीं है । यदि सरकार के और विभाग भी इसी प्रकार हरिजनों की समस्या की ओर देखते रहते तो अवश्य ही और निःसन्देह ही उनकी दशा सुधर जाती । हमारे जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं उन्होंने तो एक परम्परा बना ली है कि यदि सरकार अच्छा काम करे तो बुराई और बुरा काम करे तो बुराई सरकार की है ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीया मुख्य मंत्री जी के आने पर ये फिर बदल गये ।

श्री हरीसिंह—

जहां तक, श्रीमन्, कांग्रेस के सिपाहियों का प्रश्न है इनमें से कोई भी अपना रास्ता नहीं बदलता है । हम मर मिटना जानते हैं पर हम अपना रास्ता नहीं बदलते हैं ।

खेती के बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि वह जितनी जमीन उत्तर प्रदेश में पड़ी हुयी है, नदियों और नालियों के समीप उसे काम लायक और जोतने योग्य बनाकर हरिजनों को दे दे । उससे न केवल उन लोगों को रोजगार ही मिलेगा, इससे सरकार को मालगुजारी भी प्राप्त होगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ।

उद्योगों के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की कृपा सरकार को करनी चाहिए । जितने सरमायेदार हैं वे सब विरोधी दल के लोग हैं और जो सरकार सहायता देती है ये भाई लोग खा जाते हैं । दूसरे जो रुपया ब्लाकों में दिया जाता है वह प्रयोग में नहीं लिया जाता । सरकार के खजाने से तो रुपया निकल गया, लेकिन उसका वितरण न होकर ब्लाकों में पड़ा रहता है ।

मकानों के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे बड़े-बड़े लोग अपने हलवाहों के नाम पर ले लेते हैं । कुछ रुपया दे दिया गया और बाकी उनकी जेबों में पड़ जाता है । कुओं के नाम से जो रुपया दिया जाता है उस रुपये से कुयें बनाने के स्थान पर श्रीमानों के यहां रहट लगाये जाते हैं । जो सरकार इन हरिजनों के नाम से सहायता देती है उसे अन्य सामाजिक आदमी किसी न किसी प्रकार प्रयोग में ले लेते हैं । यदि सच्चे मन से हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं तो हम सबको मिल जुल कर ईमानदारी से काम करना चाहिए और इस काम के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए ।

आज यहां ब्लैक होता है उसको करने के लिए हम सभी दोषी हैं । इसलिए सरकार के जो अच्छे काम हैं उनको हमको सराहना करनी चाहिए और जो गलत हैं, जनहित में नहीं हैं उनके लिए सुझाव देना चाहिए ताकि सरकार उनमें सुधार लावे और जनता को उन्नति होते हुए दिखलाई दे । विपक्ष की ओर से बार-बार हरिजनों के बारे में सरकार पर दोष मढ़े गए, लेकिन मेरा कहना यही है कि हरिजनों के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ किया है वह कोई भी सरकार नहीं कर सकती । हां, यह बात सही है कि जितनी उनकी उन्नति होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी है और वह तभी हो सकेगी कि जो रिजर्वेशन उनको मिला है वह पूरा कर दिया जाय ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में आर्थिक विषमता और कठिनाइयां और अधिक बढ़ गयी हैं । इससे भीषण परिस्थिति बन गई है । उसके लिए यह सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार

[श्री विजयसिंह]

के जो हाथ-पैर, कर्मचारी हैं, पिछले दिनों उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उससे ही ज्ञात हो जाता है कि महंगाई कितनी आगे बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने जो कुछ प्रबंध उनके लिए इस बजट में किया है वह इसी एक कहावत को चरितार्थ करता है कि रोटी का एक टुकड़ा फेंक कर बोलने वालों की जबानें बन्द कर दी जायं। उनकी तथा उनके बच्चों की भूख आज कैसे मिटे यह जटिल प्रश्न है और सरकार इसे सुलझाने में असमर्थ है। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने भी कल प्रदर्शन किया, यदि उन्होंने भी पहले किया होता तो सम्भवतः उनके लिए सरकार विचार करती, लेकिन सरकार ने केवल उन्हीं के लिए विचार किया जो बड़े-बड़े शहरों के निवासी हैं। जो रोज ५ बजे के बाद आपके सामने आये। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की आवाज सुनने वाला ही यहां कौन है क्योंकि वह सौतेली मां के बेटे हैं। माननीय नवलकिशोर जी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर नहीं होना चाहिए और वह विषमता मिटनी चाहिए। किन्तु यह प्रदेशीय सरकार की दूरदर्शिता तथा नीति पर निर्भर करता है कि वह इस विषमता को कैसे मिटाये। आपके पड़ोसी प्रदेश ने जहां पर एक चपरासी को १२५ रु० मिलता है जो आपके यहां के दरोगा का वेतन है, यह विषमता समयानुसार उड़ीसा ने मिटायी है।

अब आप बजट की ओर देखें कि पिछले वर्ष भी घाटे का बजट पेश हुआ था, लेकिन बाद में वह सरप्लस हो गया। इसी तरह से इस साल भी घाटे का बजट पेश हुआ है और बाद में सरप्लस हो जायगा। सरकार ने जो योजनायें चलाई हैं उनको वह पूरा नहीं कर सकी है। आपके प्रदेश तथा केन्द्र की बड़ी-बड़ी सर्विसेज से जो बड़े-बड़े अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं वे इस बात को मानते हैं कि सरकार प्लानिंग में फेल हुई है और नौकरी से हटने के बाद उचित सलाह देते हैं। बड़े बड़े आई० ए० एस० और तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सरकार की सारी नीतियां फेल हो रही हैं। खाद्य नीति में आद्योपांत परिवर्तन होना चाहिए। कन्ट्रोल टूटना चाहिए। सारी गड़बड़ी इसी से है।

मान्यवर, जो मूल बजट पेश हुआ है उसमें तथा माननीय वित्त मंत्री के द्वारा भी इशारा किया गया है कि कर लगाये जायेंगे और वे भी किसानों के ऊपर। उनकी परिस्थिति सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, भली भांति मालूम है कि प्रदेश के किसान अंतिम सांस ले रहे हैं। कर के बोझ से वे बुरी तरह से दब चुके हैं। कितना कर और उनके ऊपर लगाते चले जायेंगे? प्रदेशीय सरकारें जिस तरह से आपस में लड़ती हैं उसी तरह से केन्द्र में झंझट हो गया है, वहां भी गुटबाजी और मतभेद बढ़ता जाता है। उसी तरह से शहर और देहात में सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार पैदा कर दिया गया है। सरकार को मालगुजारी से २१ करोड़ की आय प्रदेश में होती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बदले में उनको क्या लाभ दे रहे हैं? सरकार उनको क्या राहत दे पाई है? क्या उनकी पैदावार में कोई फर्क हुआ है? जब उनके पास गल्ला होता है और वह बिकता है तो उस समय भाव के ऊपर कभी सरकार ने सोचा है? जब बरबाद हो गया तब मुंह पोंछने की बात कहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो उनके बच्चे नंगे-भूखे फिरते हैं सरकार उनकी शिक्षा के ऊपर कुछ ध्यान देती है। सरकार ने देहात के बच्चों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया है। देहात में केवल प्राइमरी स्कूल होता है जहां उनके बच्चे पढ़ सकते हैं वह भी निकृष्ट प्रकार की शिक्षा मिलती है। ११ वर्ष की उम्र के लड़के कितने पढ़ रहे हैं वह भी कभी देखा है? लेकिन शहरों में मांटेसरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट तक की पढ़ाई के स्कूल होते हैं और विश्व-विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा का भी प्रबंध होता है। ऐसा कोई भी स्कूल सरकार ने देहात में खोला है? यह देहात के बच्चों और शहर के बच्चों के साथ सरकार ने डिस्क्रिमिनेशन कर रखी है। शहर और देहात में कितना भेदभाव सरकार ने बरता है। प्रदेश में मुस्तकिल रूप से किसान सब से ज्यादा टैक्स देता है वह चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो किसान पर

हर तरह से टैक्स पड़ता ही है फिर भी उसको सरकार ने क्या राहत पहुंचाई ? कुछ नहीं । देश की सुरक्षा के लिए वह अपनी संतानें देता है, लेकिन सरकार द्वारा उसको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिल पाता । आज फौज में आप देखेंगे कि देहात के लोगों की ही संख्या बहुत ज्यादा है जो अपना जीवन देकर देश की रक्षा करते हैं । किसान ही सबको भोजन देता है । वह एक सुधर गृहणी के समान है और इसलिए किसानों पर और टैक्स नहीं लगना चाहिए । टैक्स के और भी बहुत से साधन हैं । अगर सरकार चाहे तो उनसे पैसा ले सकती है । मनोरंजन—विलासी वस्तुओं और बड़े-बड़े मिल मालिकों से पैसा ले सकती है, ११ करोड़ जो सेल टैक्स का बकाया है वह वसूल कर सकती है । पर किसान अब टैक्स का एक तृण भी नहीं उठा पायेगा ।

श्रीमन, सरकार ने खाने में भी विषमता कर रखी है । शहर के लिए अच्छा गेहूं एलाट कर रखा है और देहात में खराब गेहूं पिसवा कर भेजा गया है । देहात के लोगों के जीवन की कोई कीमत नहीं समझी गयी है । ग्रामीण और शहरी जीवन में भेद बरता गया है इसलिए आज वे गांव छोड़ कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें शहरों में अच्छी सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं । पानी की व्यवस्था इस प्रकार है कि शहरों में हर जगह नल लगे हुए हैं । क्या देहात में आपने कोई ऐसा प्रबंध किया है ? दूसरी बात शिक्षा की है सरकार ने दसवीं कक्षा तक लड़कियों की फीस माफ कर रखी है उससे भी शहर वालों को फायदा होता है क्योंकि गांवों में लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं । ८५ फीसदी देहात में रहते हैं और १० फीसदी भी लाभ नहीं पहुंचता है । नौकरियों में भी बड़े-बड़े अफसर शहर के होते हैं क्योंकि गांव वालों की शिक्षा ऐसी नहीं हो पाती है कि वह कम्पटीशन में आ पाते । आज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता जर्नादन के बच्चे काउंसिल हाउस के गार्ड और चपरासी, कुली कबाड़ी ही होकर रह जाते हैं । उद्योग धंधों में भी बड़ी-बड़ी योजनायें शहरों में ही लगती हैं जिन कारणों से यह बड़े-बड़े उद्योग शहरों में ही लगाये जाते हैं । क्या यह आपके साधन किसी देहात में नहीं उपलब्ध कराये जा सकते थे ? फर्टिलाइजर फैक्टरी गोरखपुर में खोली जा रही है, क्या वह किसी देहात में नहीं खोली जा सकती थी, क्या उसके खोलने के लिये देहात में सुविधायें न प्राप्त हो पाती ? मेडिकल कालेज जो खोले जायंगे प्रदेश में वह भी बड़े-बड़े शहरों में ही खोले जायंगे और उनमें शहर के ही लड़के पहुंच पाते हैं, यदि वह कालेज देहात में हो तो वहां का खर्च भी कम पड़ेगा और देहातों के लोग भी आगे बढ़ सकेंगे और उनमें प्राविधिक शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे । मनोरंजन के साधन का भी सरकार की तरफ से देहाती क्षेत्र में कोई प्रबन्ध नहीं है। अभी कल अनुपूरक बजट पर बोलते हुए बताया गया कि रवीन्द्रालय के ऊपर सरकार ने २ लाख रुपया खर्च किया है, क्या देहात में भी ग्रामीणों के मनोरंजन के लिये कोई ऐसी संस्था है, क्या आपने उनके लिये भी कभी २ लाख रुपया खर्च किया है ? लाखों रुपयों के व्यय को ध्यान में लाना तो दूर रहा क्या कभी आपने उन पर इस मद में १० पैसे भी खर्च किये हैं ?

मान्यवर, किसान की जो बहुत ही खास आवश्यकतायें हैं उन्हें भी यह सरकार पूरा नहीं करती है । खाद, बीज और पानी की किसानों की खास जरूरत होती है, किन्तु सरकार वह भी नहीं कर पाती है । अभी मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि वह गांवों में किसानों को शुद्ध बीज देने में असमर्थ रहे हैं । शुद्ध बीज रखना हर आदमी का काम नहीं है और न उसकी शक्ति में ही है, यह तो सरकार का फर्ज है कि वह कृषकों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराये । तो किसान को शुद्ध बीज भी यह सरकार नहीं पहुंचा पाती है । उसको खाद भी अच्छी नहीं मिल रही है । सरकार की ओर से व्यवस्था है कि कर्जे के रूप में खाद दे । आज सरकार फर्टीलाइजर तो बहुत बांटती है, और उससे भी ज्यादा उसका प्रचार भी सदन में करती है । पर उसका उपयोग कैसे हो, फस्लों का क्रम क्या हो यह भी प्रचार करना आवश्यक धर्म है । पर क्या ऐसा करती है ? कभी नहीं गवर्नमेन्ट का एक इनफार्मेशन विभाग है जो कृषि विभाग में है, उसका काम यह होना चाहिये कि घर-घर में जगह-जगह जाकर उनको हर प्रकार के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निश्चित पैम्फलेट बांटे जिससे किसान को स्कीम मिलती रहे कि आप कैसे बीजे बोयें, कैसे खाद डालें । रोटेशन आफ क्राप क्या हो ।

[श्री विजयसिंह]

मैं एक उदाहरण प्रचार का देता हूं। जब आप कोई दवा बाजार में खरीदते हैं तो उसमें उस दवा के प्रयोग की विधि के लिये एक पर्चा दिया रहता है। लेकिन सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि उनके पास भी कोई पर्चा छपवाकर बांट देते जिससे कि सरकार द्वारा दी गई खाद और बीज का वह सही इस्तेमाल कर सकते। हां, यह हो सकता है कि मंत्रियों के और माननीय सदस्यों के पिजेन-होल्स में ऐसी पुस्तकें और पर्चे पड़े रहते हों, लेकिन किसान के पास वास्तव में कोई भी ऐसी चीज नहीं पहुंचती है प्रचार का। एक और उदाहरण देता हूं। अभी इंडिया गवर्नमेन्ट ने अपने यहां कुछ पुस्तकें छपवाई हैं, जो चाइना के बार्डर पर बांटी जाती हैं, जिससे प्रचार होता है, लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। वह क्यों नहीं सोचती कि जैसा केन्द्रीय सरकार कर रही है वैसा प्रदेश की सरकार भी करें ?

मान्यवर, दूसरी बात किसानों के लिये पानी के बारे में है, उसको समय पर पानी नहीं मिल पाता। अभी हमारे एस० एस० पी० के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र कम होता चला जा रहा है, यद्यपि ट्यूब-वेल्स और नहरें और अन्य दूसरे सिंचाई के साधन बढ़े हैं। तो इन तमाम सुविधाओं के बावजूद भी सिंचाई का एरिया घटा है और कृषि पैदावार में कमी हुई है जो १३·२ % से घटकर ८ प्रतिशत अब आ गयी है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी मैं ५ मिनट और बोलूंगा, आपने तो लाल बत्ती अभी से जला दी। मैं अभी अपना भाषण खत्म नहीं कर रहा हूं और आपने बत्ती जला दी। अभी तो मूल तथ्यों का कहना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बत्ती जला दी, क्योंकि आपका समय समाप्त होने वाला है एक मिनट और बोल लें।

श्री विजयसिंह–

आप तब तक बत्ती तो बुझा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग न बोला करें। वह बोल रहे हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

श्री विजयसिंह—

तो मैं अब सूक्ष्म में ही कहना चाहता हूं कि आपकी खाद्य नीति सफल नहीं रही है, यद्यपि हमारे यहां जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी द्वारा इस पर काफी कहा गया है। हम लोग स्वतंत्र व्यापार चाहते हैं, मांग और पूर्ति के आधार पर व्यापार की नीति है। जब कि कम्युनिस्ट आदि की तरफ से कहा जाता है कि स्टेट ट्रेडिंग सरकार को करना चाहिये, तो सरकार उनके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहती है। यह कैसे सफल होगा ? कन्ट्रोल, परमिट, कोटा, लाइसेन्स तोड़िये। देहली की मिसाल से सीखिये कि वहां के कमिश्नर ने डीकन्ट्रोल की घोषणा की और बाजार भाव गिरे। कम्यूनीकेशन और सन्सदीय केन्द्रीय मंत्री, श्री सत्य-नारायण सिन्हा ने कहा कि सरकारी अफसर और पूंजीपति दोनों अपने-अपने स्वार्थ में कन्ट्रोल चाहते हैं जो नितान्त गलत नीति है। मान्यवर, इस वर्ष प्रान्तीय सरकार २९ करोड़ रुपये का गल्ला अतिरिक्त भंडार के लिए खरीद करके रखना चाहती है। अगर सरकार को शक है कि देहात के लोग गल्ला रख लेते हैं यह गल्ला एक साल में तो किसान को निकालना ही पड़ेगा।

आप खुद इतनी खरीद करके भावों को बढ़ाते हैं । आप विदेशी गल्ले को अपने पास रखें और प्रदेश के गल्ले को मांग और पूर्ति के सिद्धान्त पर चलने दें और कन्ट्रोल हटा लें तो भाव गिर जायेंगे । जैसा कि हमारे सेन्ट्रल मंत्री ने भी कहा है । तारीख १२ को श्री सत्यनारायण सिन्हा ने कहा है कि जिस प्रकार से बड़े-बड़े गवर्नमेन्ट आफिसर और पूंजीपति, व्यापारियों को कन्ट्रोल से फायदा है, उसे दिल्ली के कमिश्नर ने समझा और तुरन्त डी कन्ट्रोल की घोषणा की । उसी प्रकार से यहां इस मिसाल को दिल्ली के कमिश्नर के ऐलान की भांति यहां भी कन्ट्रोल तोड़ कर देखिये अवश्य भावों में कमी आयेगी जैसा कि देहली में कर के देखा कि फौरन भाव में कमी आई ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जोकि इकोनामी की बात है कि सरकार बेकार के कामों में रुपया लगा कर बरबाद करती है जो बचाया जा सकता है । यह तो मैं आगे चलकर के बताऊंगा, फिर भी मैं एक बात यह कह देना चाहता हूं कि खन्ड ३ (आयोजनेतर) में आप देखेंगे कि पृष्ठ २५ पर किस प्रकार से आपने खर्च किया है कि सम्पूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर, सितारगंज में कुक्कुट पालन योजना खोली गई है उसमें फायदा तो आपने देखा है केवल २,१०० रुपये और उसमें खर्च किया है ५,१०० रुपये और इसी प्रकार सम्पूर्णानन्द शिविर धुर्मा, जिला मिर्जापुर में साग-भाजी की खेती करने की योजना बनाई है । खेती करने के लिये उसमें ३१,१०० रुपये का लाभ दिखाया है और उसमें खर्च दिखाया है ३३, ६०० रुपये का जिसमें आवर्तक व्यय ११,८०० रुपये होगा । क्या इससे लाभ देश को होगा ? मान्यवर, ऐसी ऐसी स्कीमें, जिनसे लाभ के बजाय हानि ही हानि है, यह किस लिये चलाई जा रही है ? श्रीमन्, ऐसी स्कीमों को हटाया जाना चाहिये । इस प्रकार से करोड़ों का घाटा न रह जायेगा ।

मान्यवर, मैंने पूरे बजट को ध्यान से देखा । उस पूरे बजट में बुन्देलखण्ड का कहीं पर भी जिक्र नहीं है तृतीय योजना में बुन्देलखण्ड को पिछड़ा मानकर उसे प्राथमिकता दी गई है पर इस बजट में वहां कुछ भी नहीं है । सरकार बुन्देलखण्ड की गरीबी की बात पर ध्यान नहीं देती है जब कि वहां के लोगों के लिये उचित प्रबन्ध होना उन्नति के लिये आवश्यक है । वहां की सड़कों के लिये और अन्य बड़े कार्यों के लिये पैसा नहीं देती है, बुन्देलखण्ड के लिये योजनाएं नहीं तैयार करती है, जिस तरह से अन्य स्थानों के लिये सरकार कर रही है, पूर्वी इलाकों तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत अधिक व्यय करती है । तो मान्यवर, वहां के लोग किस प्रकार से तरक्की कर सकेंगे । जिस प्रकार से और स्थानों के गरीबी के मूल कारण जानने के लिये कमीशन भेजा जाता है, उसी प्रकार से बुन्देलखण्ड के लिये भी कमीशन भेजे जायें । पटेल कमीशन की भांति एक कमीशन की नियुक्ति हो जो विशेष रूप से जालौन जिले का सर्वे करे ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट पर विचार करने के लिये कई एक दृष्टिकोण होते हैं । एक जो साधारण दृष्टिकोण है, वह तो यह है कि बजट किस प्रकार का रखा गया, कितना खर्च हुआ ? इस दृष्टिकोण से यह बजट पिछले साल से कुछ भिन्न नहीं है । हर साल यही होता चलता है कि खर्च थोड़ा कम रहे, आमदनी थोड़ी बढ़ जाती है और जो शुरू में घाटा दिखाया जाता है, वह घाटा मिनटों में बदलता है ।

लेकिन दूसरा दृष्टिकोण जो बजट पर विचार करने के लिये सामने रखना चाहिये वह है कि यह रुपया खर्च करके क्या टारजेट एचीव हुए । उस दृष्टिकोण से अगर इस बजट पर विचार करें तो बहुत उत्साह नहीं होता । खेती की चर्चा तो कई मौकों पर हुई इस सदन में । सन् १९६०-६१ खेती की पैदावार में सबसे अच्छा साल रहा है, लेकिन उस साल से अब तक मुतवातिर हर साल पैदावार घटती चली आई है । सन् १९६०-६१ में

*वक्ता ने भाषण का पुनिर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फूलसिंह]

१६२ लाख टन, सन् १९६२-६३ में १३२ लाख टन और सन् १९६३-६४ में ११६ लाख टन। तो इस प्रकार से हमारा उत्साह खेती के बारे में कोई अच्छा नहीं रहा है ।

उद्योग की तरफ देखने को उत्साह होता है । सरकार की तरफ से जो आंकड़े छपते हैं उनमें सितम्बर के महीने के आंकड़े बटे हैं छपकर, जिनसे यह पता लगेगा कि कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं हुआ है जिसमें अप्रैल के बाद कुछ उत्पादन बढ़ा हो। नेशनल पर कैपिटा इन्कम सन् ५५ में हाइएस्ट थी। सभी चीजों को देखना हो तो कम्पेरीजन करके देखते हैं। माननीय सदस्य आम तौर से जब ताईद करनी होती है तो एक आंकड़े ले लेते हैं बिना और आंकड़ों से कम्पेरीजन किये हुए, मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण सही नहीं है। हमारा नेट आउटपुट ५१ से ६१ तक में २० प्रतिशत बढ़ा है जब भारतवर्ष का नेट आउटपुट ४३ प्रतिशत बढ़ा है। अगर हम प्रदेश और भारत की पैदावारों का मुकाबला करें तो ६१ तक हमने और प्रान्तों के मुकाबले में ट्रांसपोर्ट और कामर्स में सिर्फ तरक्की की है, लेकिन खेती और उद्योग को जब हम देखते हैं तो हमें निराशा होती है। मगर इसका कोई इलाज नहीं है। वह है इंटरटेनमेन्ट टैक्स और शराब पर इम्पोर्ट टैक्स इन दो चीजों से आमदनी छोड़कर और किसी टैक्स से आमदनी बढ़ी नहीं है।

मंहगाई की बड़ी चर्चा है। वित्त मंत्री जी ने तो यह कहा कि जिन लोगों को लाभ हुआ है उन पर ही टैक्स बढ़ना चाहिये। सही बात है, मगर लाभ किस को हुआ है। इसी सितम्बर वाली किताब में जो पेरिटी इन्डेक्स है उसमें ४८ को बेस लेकर खेती के आंकड़े हैं १२३ और जो गैर खेती वाले आंकड़े ह वह हैं १४१। इसके मा ने यह हुए कि खेती पैदा करने वाला खेती से पैदा होने वाली चीजों के अलावा जो और चीजें खरीदता है उसमें उसको घाटा लगता है। तो उनके लिये तो कहा नहीं जा सकता कि वे ज्यादा नफा उठाने वाले हैं। भाव बढ़े या घटे जो ज्यादा बेंचेगा उसी को तो नफा होगा। अगर आज रोटी मुझे खानी है तो दस साल पहले १ आने की मिलती थी और आज ८ आने की मिलती है तो ८ आने की लेकर पेट में डालना ही है। तो जिन लोगों के पास अनाज रुकता है वही तो भाव बढ़ाकर फायदा उठाते हैं। और सरकारी आंकड़े हैं कि २५ से ३० परसेन्ट ही उसका मार्केट होता है, बाकी अनाज नहीं बिकता है। तो इतने थोड़े लोगों को नफा हो और उन्हीं के लिये तमाम लोग त्राहि-त्राहि करें, कभी अध्यापक, कभी छोटे सरकारी कर्मचारी, दुनिया भर के लोग परेशान हैं, लेकिन मुनाफा हुआ किसे यह जांचना बड़ा मुश्किल हो जायगा और उस पर टैक्स लगाना कठिन हो जायगा।

एक और दृष्टिकोण है जिससे बजट को आंकना चाहिये। पारसाल भुवनेश्वर में कांग्रेस ने अपना गोल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रखा और ५-६ चीजों की तरफ इशारा किया कि पांच पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के मुताबिक खाना, कपड़ा, मकान, पानी, दवा और शिक्षा का प्रबन्ध कर देंगे। अभी तो तीसरी पंचसाला योजना चल रही है, पांच पंचसाला में अभी समय है। पारसाल का बजट तो भुवनेश्वर से पहले बन गया था, इसलिये उसके लिये कहना तो मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन अगर पिछले सालों के बजट को सामने रखकर इस साल के बजट की आलोचना करें तो कुछ सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं और इस चालू साल के बजट को वास्तव में आप लोगों को इसी कसौटी पर आंकना चाहिये।

मैं समयाभाव के कारण अन्न वाली समस्या पर बहुत चर्चा नहीं करता हालांकि अन्न की समस्या सब से अधिक मुख्य समस्या है। नेपोलियन ने कहा था कि फौज पेट के सहारे ही चलती है और इस युग में भी वह बात सही उतरती है। यह कहा जाता है कि जो पिछड़े हुए मुल्क हैं उनकी गरीबी की समस्या का इलाज अन्न की समस्या के सुलझाने पर निर्भर करता है। तो इस दृष्टि से अगर मैं और ज्यादा इस पर चर्चा न करूं और नई

चीजों का चर्चा करूं तो यह बेजा नहीं है। इसलिये मैं कुछ और चीजों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्न की समस्या के संबंध में २, ३ बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमारी क्या खूराक है और क्या दूसरे मुल्कों की है यह हमको देखना चाहिये। अभी एक किताब छपी। अमेरिका और भारतवर्ष का मुकाबला हुआ। दूसरी किताब में भारतवर्ष का अब का और १८८१ में जो फैमिन आया था उसका मुकाबला किया गया। उनकी रिपोर्ट छपी कि इनमें क्या अन्तर है। उसमें इतनी बात कहने के योग्य है कि उस समय पर कैपिटा प्रोडक्शन अनाज का २६ औंस था और आज १६ औंस है। जो हमारा और अमेरिका का मुकाबला किया गया है उसमें यह लिखा है कि भारतवर्ष वाले लोग अमेरिका के लोगों के मुकाबले में साल में ११३ पौन्ड अनाज ज्यादा खाते हैं, लेकिन १,३०० पौन्ड और चीजें कम खाते हैं। मेरे खयाल में यह ठीक नहीं है कि अमेरिका और भारतवर्ष का मुकाबला किया जाय। अमेरिका एक रईस मुल्क है और हमारा देश गरीब मुल्क है।

एक और बात देखें कि पहले एक बार बापू जी ने इस प्रश्न को उठाया था जब हम सब लोग जेल में थे। न्यूट्रीशन कमेटी की रिपोर्ट उस समय छपी थी। जो लोग उस समय जेल में रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि बापू जी ने उस कमेटी को बिठाया था और उसने निर्णय किया कि एक आदमी की आवश्यक खूराक क्या हो। जब यहां पर गवर्नमेन्ट कांग्रेस की हुई तो उन्होंने भी वह कमेटी बिठाई। उसकी रिपोर्ट को जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि कई चीजों पर उसमें जोर दिया गया था। उसमें दूध और दूध से बनने वाली चीजें, फल सब्जी के लिये कहा गया कि इनकी पैदावार पांच गुनी बढ़नी चाहिये। अंडे के लिये कहा गया कि उनकी पैदावार ३६ गुना बढ़नी चाहिये और अमेरिका के मुकाबले में २०० गुना बढ़नी चाहिये गोश्त में भी, लेकिन इस दिशा में हम पिछड़ गये और बल्कि उत्पादन घटा है।

कुछ लोगों ने औसत निकाला है कि कितनी जमीन पर एक आदमी जीवित रह सकता है। उन्होंने कहा कि १.२ एकड़ फी व्यक्ति जमीन हो तो काम चल जायगा। निम्न श्रेणी के गुजारा करने के लिये २ एकड़ जमीन चाहिये। उससे अच्छा गुजारा करने के लिये ३ एकड़ जमीन चाहिये, लेकिन जब उन्होंने यह हिसाब लगाया तो उन्होंने दो बातें छोड़ दीं कि जितना अन्न पैदा होता है मुल्क में उसका ६ प्रतिशत बीज के लिये चला जाता है। ५, ६ प्रतिशत उसमें से पशुओं के लिये चला जाता है। ७ प्रतिशत जाया चला जाता है। अगर सिविल सप्लाई के आंकड़े देखेंगे तो मालूम होगा उनको ३४ लाख का नुकसान हुआ। वह लाखों में जाता है, लेकिन यह कोई खास बात नहीं है। तो इतना कम हो जाता है। इसलिये जितना पैदा हुआ उसका हिसाब लगा कर बाट दिया जाय, यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिये इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि हम बड़ी कठिनाई में हैं और मुल्क खतरे में है।

तीन साल हुए सरकार की एक योजना थी रूरल हाउसिंग सेल की। लेकिन वह रुपया खर्च नहीं हुआ और उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं हुआ। इस देश में मकानों की बड़ी भारी कमी है। पिछले साल जब शीत लहर आयी थी तो मैं सहारनपुर गया था और मेरे दरख्वास्त करने पर मेरे दोस्तों ने चक्कर लगा कर देखा कि उस शीत लहर में, जिसमें आम तक मर गया था, ३७५ आदमी बाहर पड़े हुए थे। उनको मकान नसीब नहीं थे। यह ठीक है कि मकानों की योजना बनाना सरकार के लिये सम्भव नहीं है, लेकिन मकानों के लिये जमीन देना सरकार के लिये सम्भव है और वह मिलनी चाहिये। लेकिन अगर आपने दस मकानों की जमीन का इन्तजाम किया तो उसे बांटने वाली कमेटी के लोग ही खुद उन्हें ले लेंगे या अपने रिश्तेदारों को दे देंगे, इसलिये इतना इन्तजाम होना चाहिये कि उनसे बचने के बाद लोगों को भी कुछ मकान मिल जायं और इनके लिये इन्तजाम जल्दी ही होना

[श्री फूलसिंह]

चाहिये। पिछले साल इसके लिये ६ लाख का प्राविजन था वह खर्च नहीं हुआ। इस साल दो लाख का ही इन्तजाम है।

इसके अलावा इस बजट में दवाइयों की मद में ३० या ४० लाख की बचत है जिसमें से ९ लाख की बचत मेडिकल आफिसर्स की तनख्वाहों में है और १९ लाख की बचत डिस्पेंसरीज में है।

शिक्षा की चर्चा भी वित्त मंत्री महोदय ने की। उन्होंने कहा कि १९६५-६६ में हम ८३ फीसदी बच्चों को स्कूल में भरती कर सकेंगे। इस साल स्कूलों में ६३ फीसदी बच्चे हैं। लेकिन मेरे खयाल में यह आंकड़े बहुत पुराने हैं। जो बच्चे पहले साल स्कूल जाते हैं दो, तीन साल बाद उनकी संख्या १-३ रह जाती है और वह दो, तीन साल बच्चे स्कूल में जाते इसलिये हैं कि मां, बाप को उनके देखने की फुरसत नहीं मिलती या वह कमाने काबिल नहीं हो पाते। अगर आपको सही आंकड़े देखना है तो ११ साल से १४ साल के बच्चों के आंकड़े देखना चाहिये। उनमें ३१ प्रतिशत शिक्षा है। हमने संविधान में यह कहा था कि १० साल के अन्दर हम प्राइमरी एजूकेशन कम्पल्सरी कर देंगे और फ्री कर देंगे, आज १५ साल हो गये हैं और सरकार यह नहीं कर पा रही है। एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था १९५९ में पूना में। उसमें एक साहब ने कहा था कि जापान १८८३ में, जब बहुत गरीब मुल्क था उस समय ही उसने अपने यहां प्राइमरी एजूकेशन फ्री और कम्पल्सरी कर दी थी। रशा भी बहुत पिछड़ा हुआ था, मगर सन् १९३१ तक उन्होंने इस मामले को हल कर लिया था। हम सन् १९४७ से १९६५ तक पहुंच गये मगर इसको हल नहीं कर पाये। हम यूनिवर्सिटी शिक्षा पर तो जोर दे रहे हैं, काफी रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं, मगर प्राइमरी शिक्षा पर जितना जोर देना चाहिये वह नहीं दे पा रहे हैं। हमें चाहिये कि हम प्राइमरी शिक्षा पर पूरा जोर दें।

पीने के पानी की भी समस्या है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की एक योजना भी है। अखबारों में यह भी छपा था कि केन्द्रीय सरकार रुपया देने को तैयार है मगर कोई लेने वाला नहीं है। वह योजना उनकी यह थी कि ९ जिले लिये जायं और उनका सर्वे कराया जाय। मैंने इस बजट में कहीं उसका जिक्र नहीं देखा। तो पानी का इन्तजाम नहीं करोगे, शिक्षा क इन्तजाम नहीं करोगे, मकान का इंतजाम नहीं करोगे, दवाई का इंतजाम नहीं करोगे, खाने का इन्तजाम नहीं करोगे, तो क्या करोगे? कैसे इस प्रान्त की तरक्की होगी? इन सब दृष्टि से यह बजट कोई बहुत अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता।

साथ ही, यह भी सही है कि कुछ सरकार की भी अपनी कठिनाइयां हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी सारे प्रान्तों से ज्यादा है और जमीन के लिहाज से वह नम्बर ४ पर है। हमारे यहां पशुओं की संख्या भी लगभग ५ करोड़ के है। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक पशु के लिये २ एकड़ जमीन चरागाह के लिये चाहिये, मगर वह बहुत कम है। दूसरी बात यह कि गन्ने का भाव दो रुपये मन आपने किया, लेकिन अगर गन्ने का चारा काटकर अगर कोई बेचे तो उसको ५-७ रुपये मन मिल जायेगा। वरसीम का भाव ४ रुपये मन था, मगर उसे कोई देता नहीं। मेरा तो खयाल है कि अगर यही हालत चलती रही तो लोग खेती करना छोड़ देंगे और घास वगैरह बोने लगेंगे।

दो, एक बातें और कहना है। उत्तर प्रदेश और बिहार का सूबा ऐसा है कि जिसको आबादी के लिहाज से केन्द्रीय सरकार से सहायता बहुत कम मिली है। और सभी प्रान्तों में आबादी के लिहाज से सहायता ज्यादा है। इस सूबे की जो कठिनाइयां हैं उनके लिये हमारी सरकार तो जिम्मेदार है ही, मगर केन्द्रीय सरकार भी बहुत हद तक उसके लिये जिम्मेदार है। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में भरपूर होती थी और इससे शक्कर का भाव यहां कम था। आज कल के भावों को देखते हुए मुझे हैरत होती है कि हम कहां जा रहे हैं। मैं तो यही समझता हूं कि हम

लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। जब मैं आपके सामने कैबिनेट में काम करता था तब मैंने देखा कि जितना आपका कच्चा माल है वह सारा का सारा और प्रान्तों को जाता है। इस सम्बन्ध में मैं पंडित नेहरू से भी मिला था और यह कहा था कि ये न अपने पांवों पर खड़े होते हैं और न ही कुछ ठीक तरह से कर पाते हैं। हम लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा, प्लान चाहे पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, तीन सालों में २४५ करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस साल में १३१ हुआ, अगले में १४१ से भी बढ़ा कर १५५ करोड़ खर्च करने का प्राविजन किया गया है। पहले आप सोते रहते हैं और बाद में जल्दी-जल्दी रुपया खर्च करने की सोचते हैं, इससे उत्पादन क्या बढ़ेगा? आज जो समस्या देश की है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। दूसरे जो भाव की बातें हैं, इनमें से बहुत-सी मुसीबतें तो हमने अपने आप ही पैदा कर ली हैं। जहां तक कीमतों का सवाल है उसके लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि सन् १९४८ के मुकाबले में जुलाई सन् १९६४ की कीमतें बराबर हुईं। अनाज की कीमतें जुलाई, १९६४ में १००.२ थीं सन् ४८ के मुकाबले और जब मई के बाद खाद्य मंत्री ने कागज बांटे थे उसमें उन्होंने कहा था कि "वी हैव बीन एबिल टु होल्ड दि प्राइस लाईन" होली तक हमने भाव ऊंचे नहीं जाने दिये। होली का जो भाव था वह भी पचास रुपये फी क्विंटल था और यह जो जुलाई का भाव है यह ६० रुपये है और आपने भाव ४० से ५० रुपये तक फिक्स किये हैं। ये भाव ६४ में कभी नहीं थे।

यह बात भी मानी जा सकती है कि आप किसानों की मदद कर रहे हैं। परन्तु यह गाड़ी इस तरह से कभी नहीं चल सकती। इतना रुपया आप सबसिडी का देते हैं किसानों को। जो अन्न आप बाहर से मंगाते हैं उनको तो आप बीस-बीस रुपया मन देते हैं, दे दीजिये, पर इस तरह से समस्या हल होने वाली नहीं है। इसी तरह से मक्का और बाजरा का जो सरकारी भाव है वह सस्ता है। इसमें खर्चा ज्यादा होता है पर दाम कम मिलते हैं। तो इसे किसान क्यों कर पैदा करेंगे। आपने यह जो भाव फिक्स किये थे उस पर क्या अमल हो गया? अगर अमल नहीं हुआ तो आपको उन्हें वापस ले लेना चाहिये। सरकार को और ऐसे भाव मुकर्रर करने चाहिए जिन पर अमल हो सके वरना यह तो बिना मतलब की एक चीज है और रिश्वत का रास्ता है। तो यह समस्यायें बहुत कठिन हैं। और सब चीजें छोड़ कर इस समस्या की तरफ हम ध्यान दें वरना यह कुर्सियां भी जायंगी और यह हाउस भी जायगा। मुल्क का चलना मुश्किल हो जायगा। केवल अध्यापक ही परेशान नहीं हैं, सब लोग परेशान होने जा रहे हैं।

मैंने अभी देखा, उत्तर प्रदेश की बात तो शायद और जटिल होगी, भारतवर्ष की बात यह थी कि २४ परसेंट आदमियों को तो दूध पीने को नहीं मिलता और ६७ फीसदी को फल नहीं मिलता। फल के लिए आप कह सकते हैं कि फल लग्जरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र पूरब के एक जिले के रहने वाले हैं, वह रिसर्च में काम करते थे मेरे साथ, उन्होंने बताया कि मैं गया अपने जिले में और तीन चार गांव घूमा। हर गांव में तीन चार व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके यहां दोनों वक्त खाना बनता है, बाकी लोगों के यहां एक वक्त खाना पकता है। इत्तिफाक से उस जिले के एक मंत्री भी हैं। मैंने मंत्री जी से कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे यहां अक्सर ऐसा होता है। तो जहां गांवों में खाना भी दोनों वक्त न मिलता हो वहां टैक्स लगाने की बात सोचना महज एक खामखयाली है और यह रास्ता चलने वाला नहीं है। आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की और एकाउन्टेण्ट जनरल की रिपोर्ट उठा कर देखें, पांच-पांच और दस, दस करोड़ रुपया तो मिसयूज हुआ है, कितना ही रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ है और कितना रुपया बकाया है। इन तीनों को अगर आप देखें, जो बकाया है उसको वसूल करें, जो जाया हो रहा है उस को जाया न होने दें और जो रुपये का इस्तेमाल नहीं होता उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करें तो मेरे खयाल से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत समय दिया। यह स्पीच मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं कन्डेम करूं सरकार को या किसी को। आज कठिनाई है सब लोगों को और इसका रास्ता सबको

[श्री फूल सिंह]

मिल कर निकालना चाहिए। अगर रोजाना यही बात रही कि लेक्चर दिये और अपने घर चले गये तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। रास्ता बैठ कर के और सोचकर निकालना चाहिए। जहां गलती हो उसको हम ठीक करें ताकि अगला कदम आगे को उठे। कदम आगे को नहीं उ गा तो बड़ी मुिकल हो जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बजट पर हम विचार कर रहे हैं मेरी राय में हमारे राज्य के अन्दर जो गहरा संकट व्याप्त है और जो हमारे राज्य की आज स्थिति है चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में हो, मैं समझता हूं यह बजट उसका प्रतिबिम्ब नहीं है। पिछले १७–१८ साल से हम जिस रास्ते पर चलते रहे हैं आज उस रास्ते का नतीजा यह है कि पूरे मुल्क के अन्दर हम सबसे पिछड़े हुए हैं। तो मैं यह उम्मीद करता था कि हमारे नये वित्त मंत्री और हमारी सरकार जो चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रही है, गम्भीरता से इस संकट पर गौर करके अपनी नीतियों के अन्दर कोई मोड़ लायेगी और कुछ मौलिक परिवर्तन करेगी। लेकिन मुझे बहुत मायूस होना पड़ा और मैं ही नहीं, अभी मुझसे पूर्व वक्ता माननीय फूलसिंह ने भी जो विचार व्यक्त किये है वह इस प्रदेश के आम नागरिकों के विचार हैं। हम कहां जा रहे हैं? हमारा प्रदेश तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में आज जहां खड़ा है उसकी चिन्ता न केवल उधर के बैठने वाले लोगों को है बल्कि उधर के बैठने वालों को भी है और हमारे बहुत से केन्द्रीय मंत्री चिन्ता व्यक्त किये हैं कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ता चला जा रहा है। श्रीमन्, खाद्य संकट आज पूरे देश के अन्दर व्याप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह एक राष्ट्रीय संकट के रूप में, बड़े भयंकर रूप में मौजूद है। उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? इस संकट को सरकार किस प्रकार से दूर करना चाहती है? क्या उसके लिये उसने कोई मोड़ या दिशा नि चित की है? आज इस सरकार की जो कृषि नीति है, जो खाद्य नीति है, उसके अन्दर बड़ा भारी कन्फ्यूजन फैला हुआ है। सरकार के इस सम्बन्ध में जो कायदे कानून हैं वे स्पष्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर है जो इन कायदे कानूनों को बनाने के जिम्मेदार हैं। दूसरे प्रदेश और देश के व्यापारी लोग हैं और तीसरे बड़े बड़े किसान हैं। ये तीनों ही अ ज की इस गलत नीति के लिये जिम्मेदार हैं। इन तीनों के नापाक गठबन्धन ने सरकार को गड़बड़ में डाल रखा है और जनता को संकट में डाल रखा है। इन नीतियों पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जो आंकड़े सरकार के नियोजन विभाग के द्वारा दिये गये हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में ५७१.९ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती के काबिल है, लेकिन इसमें से केवल ४४० लाख एकड़ जमीन पर ही खेती होती है। १३२ लाख एकड़ जमीन जो खेती के योग्य है वह परती पड़ी हुई है। आज इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति अख्तियार की है। जब खाद्य का इतना गहरा संकट हो वहां सवा करोड़ एकड़ खेती योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई हो, उसके बारे में सरकार को अपनी नीति को घोषित करना चाहिये। इसी सदन में माननीय माल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हदबन्दी के कानून के बन जाने के बाद ९ लाख एकड़ जमीन गरीबों को बांट दी जायगी। लेकिन वह कानून आपका निरर्थक साबित हो गया है। अगर ऐसा है तो उसको बदलने के बारे में सरकार क्या कर रही है?

नियोजन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे कृषि के सम्बन्ध में उनमें से आप केवल ८८ प्रतिशत लक्ष्यों को ही पूरे कर पाये हैं। १९६१–६४ के बीच सरकार वचनबद्ध थी कि

४७ लाख टन गल्ला वह बढ़ायेगी, लेकिन केवल १५ लाख टन ही पैदा कर पायी। अपने लक्ष्य का केवल ३५ प्रतिशत अन्न ही पैदा कर पायी। सरकार को यह सोचना चाहिये कि अपना यह प्रदेश कहां जा रहा है, उनकी कृषि की नीति कहां जा रही है?

अभी माननीय फूलसिंह जी ने संकेत किया कि योजना के तीन सालों में से पहली साल में ९७ प्रतिशत की पूर्ति की, दूसरे साल में ९५ प्रतिशत की और अब आप उसको १४१ करोड़ से बढ़ा कर १५५ करोड़ कर रहे हैं। यह अनप्लाण्ड तरीके से आप खर्च करने जा रहे हैं। आखीर साल में आप रुपये को पानी की तरह से बहा देना चाहते है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आज पूरे राज्य में असन्तोष फैला हुआ है। मंत्री लोग बतायें कि आज पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? आपके कर्मचारी १५-१५ दिन तक प्रदर्शन करते हैं उन पर आप की धमकियों का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रदेश के अध्यापकों और मजदूरों को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनको वे उठाना नहीं चाहते। निकायों के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत देने को तैयार है, हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लिये देने को तैयार है, लेकिन इस सरकार के पास रुपया नहीं है कि केन्द्र से अनुदान प्राप्त कर सके। जो एक गहरा संकट आज हमारे राज्य में पैदा हुआ है उसका कारण यह है कि राज्य सरकार जानबूझ कर पूंजीवादी नीति प्रदेश के अन्दर लागू कर रही है। आज सर सरकार ने पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक दिये हैं क्योंकि अभी तीन चार दिन हुए कानपुर के अन्दर ६ हजार मजदूरों ने हड़ताल की। एक साल पहले लिखित समझौता हुआ था कि मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को बोनस मिलेगा, लेकिन यह सरकार मजदूरों को और मिल मालिकों को एक स्तर पर रख कर ही एक सा ही उनके साथ व्यवहार करती है—जिससे मजदूरों में असन्तोष है, आखिर यह कहां की नीति है?

आज सरकार उद्योग तथा कृषि के अन्दर पूंजीवादी तथा सामन्तवादी नीति अपना रही है। कृषि के अन्दर ३ प्रतिशत बड़े-बड़े फार्म वाले तथा पुराने जमींदारों के पास खेती योग्य जमीन का ३३ प्रतिशत है जब कि साढ़े ८२ प्रतिशत किसानों के पास केवल २७ प्रतिशत ही है। इस तरह से जमीन के मामले में भी आज देहातों के अन्दर कुछ लोगों की मानोपाली है जिनके लिये आपका कोई कानून नहीं है जब कि वे जखीरेबाजी करते हैं और व्यापारियों के साथ मिल कर सरकार की नीति को बेकार करने की भी कोशिश करते हैं। आज सरकार के अधिकारी अपने को लुंजपुंज महसूस कर रहे हैं और उनके सुधार की दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इसके ऊपर कोई मजबूती के साथ कदम उठाना चाहती है या नहीं।

आज हमारे पूरे देश के अन्दर संकट है जिसकी चर्चा की गयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह नौकरशाही परम्परा का बजट है, यह ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशन वाला बजट है और अफसोस है कि १५ साल के तजुर्बे के बाद भी आप उससे कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। आप समाजवाद की बात तो बहुत करते है, लेकिन उसके लिये कोई कदम नहीं उठाते। आप की वह नीति भी असफल हुई जिसका नतीजा है कि आज हमारा प्रदेश, देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। उस नीति में कोई परिवर्तन करने का आपका इरादा है या नहीं ताकि हमारा प्रदेश पूरे देश के नक्शे में पिछड़ा हुआ न रह सके। इसलिये मैं सरकार से तथा कांग्रेस दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है कि गम्भीरता के साथ बैठ कर इस प्रश्न पर हमको और आपको भी गौर करना पड़ेगा जिससे प्रदेश की यह दयनीय स्थिति ठीक हो सके। तीन पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ उठा कर सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा और देश के अन्दर उत्तर प्रदेश को इस मामले में नेतृत्व करना होगा। आज महाराष्ट्र के अन्दर, तामिलनाड के अन्दर भी वही स्थिति है लेकिन वहां यह बात नहीं है। सरकार का कहना है कि उनके पास पूरे साधन हैं जब कि हमारे पास नहीं हैं। मैं कहता हूं कि आपको साधन जुटाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। देखा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं कि पूंजीपतियों से बकाया रकम वसूल की जाय, वे प्रस्ताव पास करते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग को लागू करने के लिये सरकार कदम उठावे वे प्रस्ताव करते हैं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के लिये सरकार कदम उठावे, उनका प्रस्ताव पास हो ता है कि टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन होना चाहिये, लेकिन यह सरकार चुपचाप बैठी हुई है। यह हमारी भावना नहीं है, यह कोई हमारी मांग नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है, कांग्रेस जन की मांग है कि आज की स्थिति में बगैर साधन उपलब्ध हुए प्रदेश उद्योग की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन यह सरकार उस साधन को प्राप्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाती। यह सरकार की नीति का ही परिणाम है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है कि इस ओर मजबूती के साथ कदम उठाया जाय।

आज तामिलनाड में क्या है। हिन्दी के सवाल को लेकर वहां एक संकट पैदा हो गया है जो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये एक बड़ी भारी चुनौती है और एक बड़ा भारी खतरा उत्पन्न करने वाला है। सोचने की बात यह है कि आखिर यह संकट क्यों है? हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे संविधान ने उसे मान्यता प्रदान की है, अतः उसका विकास होना चाहिये, उसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन जिस ब्यूरोक्रेटिक मेथड से जनता को बगैर समझाये हुए उसे लागू करने की कोशिश की गयी उसी का यह नतीजा है। जनता को इस बात का आश्वासन होना चाहिये था कि इससे वहां की भाषा का पुनरुत्थान होगा। वहां के लोगों की रोजी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ब्योरोक्रेटिक तरीके पर घोषणा हुई कि २६ जनवरी के बाद हिन्दी राष्ट्र की भाषा हो जायगी। इस तरह की नीतियां आप के बैठे हुये अधिकारी चलाते रहते हैं जो आप को खाई में ले जाने वाली हैं। इस सरकार को गौर करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश जो हिन्दी का प्रदेश है वहां की इस विषय में सब से बड़ी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष—

भाषा तो केन्द्र का विषय है, आपको उसकी चर्चा यहां नहीं करनी चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हमारा सूबा हिन्दी का मुख्य प्रदेश है और हमें इस बात का आश्वासन देना चाहिये। हम देखते हैं कि यहां बजट पेश होते हैं, उसकी प्रति हिन्दी में उपलब्ध होनी चाहिये, लेकिन जब उसके साथ अंग्रेजी पर बैन लगाने की बात की जाती है तो उससे क्या भावना पैदा होती है। इस प्रकार की नीति को सरकार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, हमारी नीति में एक समन्वय होना चाहिये और दूसरे प्रदेशों की भाषाओं को भी विकास का समान अवसर प्रदान करना चाहिये जिससे हिन्दी के विरुद्ध कोई भावना पैदा न हो। आज देश में ऐसे तत्त्व मौजूद हैं जो कि अन्धे भाषावाद के पोषक हैं, वह हिन्दी का हित नहीं कर रहे हैं, न वे राष्ट्रभाषा का ही हित कर रहे हैं और उससे तो देश और प्रदेश के अहित की ही सम्भावना है।

हमारे यहां संसदीय प्रथा के मुताबिक एक केबिनेट बनी हुई है जो हमारे प्रशासन के भार को लिये हुये है और उसकी जिम्मेदारी उठाये हुये है। लेकिन आज जो स्थिति आपसी गुटबाजी की बिना पर इस केबिनेट में है जिसका कि प्रदर्शन रोज अखबारों में होता रहता है उससे प्रदेश को भारी क्षति पहुंच रही है। खुले आम प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाता है और इस कारण से प्रशासन चौपट हो रहा है और सारे पिछड़ेपन का यह कारण बनी हुई है। इसके लिये गुटबाजी और नेताओं का हर काम में हस्तक्षेप जिम्मेदार है। बराबर यहां से एक लेखपाल तक के तबादले में हस्तक्षेप होता है और जिलाधीश की सिफारिश तक को टाल दिया जाता है। इस तरह से गुटबन्दी के आधार पर हस्तक्षेप आज सारे प्रशासन को और सर्विसेज को डिमारेलाइज किये हुये है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये और उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन अच्छे प्रशासन के लिये नौकरशाही पर अंकुश रहना आवश्यक है। लेकिन अगर गुटबन्दी के आधार पर यह हस्तक्षेप जारी रहेगा तो प्रशासन चौपट होता है। अगर एक जिलाधीश से आप कोई गलत काम कराते हैं तो

उससे उसका हौसला बढ़ता है और अगर उसके बाद वह दस गलत काम भी करता है तो आपका नैतिक साहस उसके उन गलत कामों पर प्रतिबन्ध लगाने का नहीं हो सकता। आज सूबे के प्रशासन की दयनीय स्थिति है। इस गम्भीर परिस्थिति पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश के जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनकी ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में उनके विकास के लिये कदम उठाये जायंगे। वहां की स्थिति का ज्ञान हासिल करने के लिये पटेल आयोग बनाया गया, लेकिन उसकी सिफारिशें जिन ४ जिलों में लागू हुई हैं उनमें भी जो कदम उठाये जाने चाहिये वे वह नहीं उठाये गये और वहां की हालत सुधारने के लिये समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, केवल कुछ अफसर भेज दिये गये हैं, समुचित कदम नहीं उठाया गया है। दूसरे माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इन ४ जिलों की तो टेस्ट के रूप में प्रतीक रूप में सिफारिश मांगी गई है बाकी उसी रिपोर्ट के आधार पर सभी पूर्वी जिलों में कार्य किया जायगा, लेकिन सब जिलों में पटेल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर बलिया के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुनाथ राम, श्री दीनदयालु जी और श्री मुन्नीलाल जी ३ आदमी बलिया की गरीबी और मुख्य मंत्री के आश्वासन को लेकर यहां आये हुये हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पटेल कमीशन की सिफारिशों को बलिया में भी लागू किया जाय। उनकी प्रतीकात्मक हड़ताल है तीन दिन के लिये। मैं समझता हूं कि इस पर कोई मतभेद नहीं है, हमारे पूर्वी जिलों के अन्य सदस्य यहां बैठे हुए हैं कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाय। प्रदेश के जो दूसरे पिछड़े जिले हैं वहां भी लागू की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं बड़े गौर से नेता विरोधी दल और दूसरे माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। मुझे कम से कम नेता विरोधी दल से निराशा हुई इसलिये कि सिद्धान्तों की एक भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में नहीं की। वही कुछ सिद्धान्तों की बातें माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहीं, लेकिन वह भी अपनी टेकनीक इस्तेमाल करने में कतई अपनी बुद्धि को उठा नहीं रखे। जितनी अच्छी टेक्नीक कम्यूनिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वह सारी टेक्नीक इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। एक तरफ उन्होंने कहा आज नौकरशाही, देहात के कुछ बड़े लोग और सरकार तथा पूंजीपति मिले हुए है जिन्होंने एक षड़यंत्र और मोनोपली बना रखी है और यही सारे लोग कारण हैं खाद्य समस्या के। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि जिस रूस की बात वह करते हैं और जिसकी वजह से उनकी पार्टी में दो दल हो गये, उस रूस में प्रति परिवार २२ एकड़ भूमि पड़ती है जब कि हमारे यहां ७ एकड़ है। खाद्य संकट का हल यही नहीं है, मैं बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था।

एक तरफ जो असन्तोष खाद्य संकट से है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ जो दक्षिण में असन्तोष बढ़ रहा है उसका भी इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहता हूं कि वह कलेजे पर हाथ रख कर सोचें कि अगर आप यह कहेंगे कि २६ जनवरी से एकाएक नौकरशाही ने हिन्दी का साम्राज्यवाद लादने की कोशिश की तो मैं कहूंगा कि हिन्दी और संविधान के साथ अन्याय होगा। २६ जनवरी एकाएक नहीं आ गयी, उसका एलान बहुत पहले ही हो चुका था कि उस दिन से हिन्दी को लागू किया जायगा। लेकिन हमारे दोस्त इस मोह का भी संवरण नहीं कर सके कि जहां नौकरशाही को थपथपाया वहीं दूसरी तरफ अहिन्दी भाषी लोगों के उस आन्दोलन को थपथपाया जो आन्दोलन कर रहे हैं तथा खाद्य समस्या में जो लोग जकड़े हुए हैं जिनकी आर्थिक अवस्था इस बात की ओर सोचने के लिये मजबूर करती है उनकी भावनाओं को अपनी तरफ खींचने की जो होशियार कोशिश उन्होंने की, मैं जरूर कहूंगा कि अक्लमन्दी का

[श्री कल्पनार्थसिंह]

काम उन्होंने किया। लेकिन उन्हें सोचना चाहिये कि इससे इस देश और प्रदेश का कल्याण नहीं होगा।

हमारे दोस्त ने योजनाओं पर चिन्ता प्रकट की। निःसन्देह आपको चिन्तित होना चाहिये क्योंकि आप स्वतंत्र पार्टी के सदस्य नहीं हैं। मैं कहता हूं कि योजना में विश्वास करने वाले लोग यह सोचें कि . . .

श्री विजयसिंह—

स्वतंत्र पार्टी के लोग विश्वास करते हैं। लेकिन आपके तरीकों में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

योजनाओं के बारे में आप कहते हैं कि हमारे एचीवमेंट पूरे नहीं हुए हैं। एक में ९७ प्रतिशत और दूसरी में ९५ प्रतिशत हो गए। सेन्ट परसेन्ट योजनाओं की प्राप्ति के जो कारण हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और इन कारणों की ओर ध्यान देकर सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि ३ या ५ फीसदी ही पूरा नहीं किया गया, माननीय यादव जी के आंकड़ों के हिसाब से मुझे भी इस बात का दावा नहीं है कि सेन्ट परसेन्ट या १०० प्रतिशत का एचीवमेंट होगा, इन योजनाओं का। गरीबी, अशिक्षा और रोग आदि से अभी हमें लड़ना है। इन सारी मुसीबतों के लिए ही ये हमारी योजनायें हैं। मैं सोशलिस्टों को आवाहन करता हूं कि वे इन योजनाओं में हमारा समर्थन करें।

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है, उसके बारे में भी २–१ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मित्र लोगों का कहना है क्रैश प्रोग्राम चलाया जाय, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें ठीक से चलायी जायें और वस्तुओं के दाम बांधे जायं। मोटे-मोटे तौर पर खाद्य समस्या के सम्बन्ध में एस० एस० पी० ने अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रस्ताव पास किया पर जब यह सरकार क्रैश प्रोग्राम और सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं की बात करती है और उसके लिए उचित धनराशि का बजट में प्राविधान करती है तो कहा जाता है कि बजट भाषण और लिटरेचर तो रद्दी की टोकरी में फेकने के लायक है। जिन सोशलिस्टों की विचारधारा ऐसी है वे किस प्रकार से समाजवाद को देश और प्रदेश में ला सकते हैं और सोशलिस्टिक नियोजन कैसे होगा। मैं यह चाहता हूं कि ये लोग, चाहे किसी भी पक्ष के हों, जब तक जनता निर्धन है, उसमें गरीबी है, बेकारी है, देश में खाद्य संकट है या दूसरे राष्ट्रीय संकट हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारी सरकार से मिल जुल कर काम करें। आपके विचारों में कार्यान्वयन के प्रश्न पर हमसे मतभेद हो सकता है। एक दल में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप अपने को सोशलिस्ट कहना बन्द कर दें या इस सरकार का सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं. . . .

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं माननीय कल्पनाथ जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो स्लाइडिंग स्केल पर महंगाई भत्ता दिया गया है कि कम वेतन पाने वाले को कम और ज्यादा वेतन पाने वाले को ज्यादा तो क्या आपके समाजवाद का यही रूप है?

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्दलीय दल के नेता का बड़ा शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने एक बात जानने की कोशिश की। मैंने एक निवेदन किया था कि अगर किसी कार्यान्वयन के प्रश्न पर मतभेद भी हो तो भी उसूल के सवाल पर हमारा और आपका एका होना चाहिए। एक तरफ तो आप यह धमकी देंगे कि इस सरकार का जो आर्थिक श्रोत होगा उसको हम बन्द करेंगे

और दूसरी तरफ यह धमकी देंगे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आन्दोलन करेंगे। मैं चाहता हूं कि १०० रुपये से कम आमदनी किसी की न हो। लेकिन सरकार १ रुपए की भी बढ़ोत्तरी करती है तो नीचे वाले कम से कम १ परसेन्ट उधर खिसके तो। इसके अलावा ५ रुपये बढ़ोत्तरी अन्तरिम रिपोर्ट है।

श्री मैनेजरसिंह—

गोरखपुर और देवरिया का बाजार भाव क्या है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय सदस्य को बता दूं, हमारी तरफ बैलों का बाजार लगता है वहां भाव गिर गया, लेकिन उनके जिले में ददरी मेला में गायों का भाव बढ़ गया है। इस बजट में कुछ ऐसी विचारणीय बातें हैं जिन पर कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां तक पटेल आयोग की सिफारिशों का सवाल है मैं नियोजित अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखने के कारण इस राय का हूं कि प्रदेश तथा देश में पूर्वी जिले ही नहीं, जो-जो भी क्षेत्र पिछड़े हों वहां पर वैसी सिफारिशें सरकार को लागू करना चाहिए और मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और पहाड़ी जिले, बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों पर विशेष ध्यान देगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि आज एक निश्चित दाम नीति अख्तियार की जानी चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा। उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उपभोक्ता की जेब जो बीच का दलाल काटता था उससे भी वह बच जायेगा। मूल्य नियन्त्रण करने के लिए जो अध्यादेश लागू किया गया है उससे कीमतों की बढ़ोत्तरी रोकने में सरकार असफल हुई है। मैं समझता हूं कि इसका और मजबूती से पालन किया जाय तो ज्यादा लाभ हो सकेगा।

मेरा यह भी विश्वास है कि खाद्यान्नों तथा दूसरी जीवनोपयोगी वस्तुओं में स्टेट ट्रेडिंग की जाय, लेकिन हाउस में इस सम्बन्ध में लेक्चर न देकर इसके लिए जनमत तैयार किया जाय और लोगों को तैयार किया जाय कि वे इसमें अपना सहयोग दें। यह नहीं होना चाहिए कि यहां तो स्टेट ट्रेडिंग की बात करें और पब्लिक में जा कर कहें कि यह जनहित विरोधी है। मेरा अन्त में विरोधी पक्ष से यही अनुरोध है कि इस प्रदेश तथा देश की नियोजित अर्थ व्यवस्था में तरक्की देने के लिए सरकार को अपना सहयोग दें।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस समय कोई मन्त्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई न कोई मन्त्री रहना चाहिए।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, १९६५–६६ का बजट निराशाजनक और उत्साहहीन तथा समाजवाद विरोधी है। जब मैं इस बजट को समाजवादी विरोधी बजट कहता हूं तो उसका कारण यह है कि इस बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री ने कुछ कर्मचारियों की जैसे स्वायत्त शासन के कर्मचारी और अध्यापकों की बिल्कुल उपेक्षा की है। स्वायत्त शासन के कर्मचारियों को न तो १९६२ में कोई महंगाई भत्ता दिया गया, जबकि राजकीय कर्मचारियों के ५ रुपये बढ़ाए गये थे, न १९६४ में कुछ दिया गया और न १९६५ में ही कुछ दिया गया है। जिला बोर्ड, नगर-पालिका, टाउन एरिया और नगरमहापालिका के कर्मचारियों को इन संस्थाओं की दया के ऊपर ही छोड़ दिया गया है और यह कह दिया गया है कि यदि उनकी आर्थिक दशा ठीक हो तो वे अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे सकती हैं। वित्त मन्त्री जी ने इन कर्मचारियों की उपेक्षा करके उन्हें इस बात की प्रेरणा दी है कि वे भी अपना आन्दोलन करें और संगठित होकर विरोध

[श्री बालोजी अग्रवाल]

करें तथा हड़ताल आदि करें तभी कुछ उनको मिल सकता है, यदि शान्त बैठे रहेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। इन संस्थाओं की आर्थिक दशा कभी सुधर नहीं सकती है क्योंकि जो टैक्स ये लगा सकती हैं वे सरकार ने लगा रखे हैं। भूमि-भवन कर सरकार ने लगाकर इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। इसका पैसा इनको ही मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ बिक्री-कर और मनोरंजन-कर का कुछ हिस्सा भी इनको मिलना चाहिए। तभी इनकी आर्थिक दशा सुधर सकती है और वे कर्मचारियों को भत्ता दे पायेंगी।

सरकार ने १९४९ में इन कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बिठाया था। इसके बाद से आज तक कोई आयोग नहीं बिठाया गया है। जबकि पिछले साल अगस्त में सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम इनके लिए एक आयोग बिठाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ६ महीने के बाद भी कोई वेतन आयोग नहीं बैठाया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेहतरों के लिए आयोग बैठाने के लिए कहा गया है, लेकिन इन के लिए कोई बात नहीं की गई है।

मान्यवर, अध्यापकों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया है। जो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते है जिनके ऊपर भावी पीढ़ी के निर्माण करने की जिम्मेदारी है, वे प्रदर्शन करते है, नारे लगाते है, जुलूस निकालते है और मांग करते है कि सरकार कम से कम इतना तो दे जिससे वे अपना जीवन-यापन ठीक तरह से कर सकें। मान्यवर, जिस प्रस्ताव को इन्होंने पास किया है यदि उसको कार्यान्वित किया गया तो हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षायें नहीं हो सकेंगी और लाखों विद्यार्थियों का जीवन खतरे में पड़ जायगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार उनको इतना महंगाई भत्ता दे जिससे वे अपना जीवन-यापन ठीक से कर सकें। यदि सरकार महंगाई नहीं देना चाहती है तो जो उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं है उनको सस्ते दाम पर दिलाने का व्यवस्था करे। जिससे वे अपने परिवार का पालन कर सकें।

मान्यवर, सरकार हमेशा यह कहती है कि बचत का कोई ऐसा साधन बताइए जिससे बचत हो सके। मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में दो सुझाव इस सरकार को देना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव तो यह है कि नगरिक सुरक्षा के नाम पर सरकार ने ३ करोड़ ४९ लाख ८४ हजार २ सौ रुपया मांगा है। नागरिक सुरक्षा पर होने वाले खर्च को दो भागों में दिखाया गया है, एक हवाई हमले से बचने के उपायों पर और दूसरा होम गार्डस् पर। होमगार्डस् के मद पर होने वाले व्यय का तो मैं समर्थना करता हूं, किन्तु हवाई हमले से बचने की बात मेरी समझ में नहीं आती। आज के युग में जब राकेट और अणुबमों का जमाना है, हवाई हमले से बचाव के जो तरीके आप बता रहे हैं, उचित नहीं मालूम होते हैं। आप गड्ढे बनवाते हैं, जिसमें दो आदमी छिपें। आप यह सिखाते फिर रहे हैं कि किस प्रकार से हवाई हमले के समय लेटा जाय, किस प्रकार से छिपा जाये, किस प्रकार से पानी दिया जाए और किस प्रकार से आग बुझाई जाये। आप आग बुझाने के लिए बाल्टियां दे रहे हैं। सिर पर लगाने के लिए टोप दे रहे हैं। इन सबसे कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस मद में ४२ लाख ६८ हजार की जो रकम है वह बिल्कुल बेकार जाती है और कुछ लोगों की जेब में चली जाती है। इससे प्रदेश और देश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो, श्रीमन्, मैं इस बात को सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हवाई हमले वाले स्कीम को न चलाए और केवल होम-गार्डस् वाली स्कीम को चलाए। होमगार्डस् की जहां तक बात है, उसमें भी धांधली हो रही है, फर्जी ट्रेनिंग और कैम्प दिखाए जाते हैं, उस पर रुपया खर्च हुआ दिखाया जाता है, और उस रुपए को कुछ लोग अपनी जेबों में भर लेते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि मोटर ह्विकिल्स ऐक्ट के अनुसार ट्रक २०० मन बोझ लाद सकते हैं। किन्तु आज के समय में जब लेलैंड और मरसीड़ीज जैसे बड़े-बड़े ट्रक हैं, जिसमें २०० नहीं वह ३०० और ४०० मन वजन लादते हैं, लेकिन आप उनको २०० मन का ही परमिट देते हैं।

जबकि पास के दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश राजस्थान आदि में ढाई सौ मन बोझ के लिए परमिट दिया जाता है। किन्तु आपके यहां २०० मन का ही परमिट देते हैं जिससे टैक्स की चोरी भी होती है और भ्रष्टाचार भी होता है। आपको भी अपने यहां २०० से ऊपर सीमा बढ़ानी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। क्योंकि ट्रक हमेशा ढाई सौ मन और ३०० मन लादकर आपके राज्य में चलती हैं। इससे करों की चोरियां भी होती हैं और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और सरकार की आमदनी भी घटती है। इसलिए अधिक नहीं तो आप कम से कम २५० मन बोझ लादने की परमिट देने के आदेश देना शुरू करें।

मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत सी बातों में पिछड़ता जा रहा है। चिकित्सा में, शिक्षा में, कृषि में और उद्योग में, सभी में पिछड़ा हुआ है, लेकिन एक बात में हमारा प्रदेश अवश्य तरक्की कर रहा है। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है, आप देखें पेज १२ पर लिखा है कि "स्टरलाइजेशन आपरेशन कराने के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिनके फलस्वरूप इस प्रकार का आपरेशन कराने वालों की संख्या बढ़कर २३ हजार से अधिक हो गई है जबकि पिछले कई वर्षों में आपरेशनों की संख्या ६ हजार ८ सौ से अधिक नहीं गई।" यानी यह प्रदेश लोगों को खस्सी बनाने में तरक्की कर रहा है—

एक सदस्य—

"खस्सी किसे कहते हैं?"

श्री बालोजी अग्रवाल—

यानी हिजड़े बनाने में तरक्की कर रहा है। हम सब चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं लेकिन इसमें उन्नति कर रहे हैं। पता नहीं सरकार के किन-किन माननीय सदस्यों और मन्त्रियों ने आपरेशन करा कर अपने को खस्सी बनाया है।

कुछ सदस्य—

सब मान लिए जाएं।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मान्यवर, एक बात मुझे आपके द्वारा और कहनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितना धन इस प्रदेश में जमा हुआ है और कितना धन केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है, इसका कोई हिसाब-किताब इस आदरणीय सदन को नहीं दिया गया है। जब माननीय गुप्ता जी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस बात का हिसाब कराऊंगा और सदन को बताऊंगा कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ और किस-किस माननीय सदस्य ने उसमें कितना योग दिया, लेकिन उसका हिसाब आज तक सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। मान्यवर, इसमें लाखों रुपये का घोटाला है। मेरे शहर आगरे में सुरक्षा कोष के नाम पर फिल्म स्टार शो किया गया जिसमें १५० हजार रुपए की आमदनी हुई, परन्तु सरकार को ५५ हजार रुपया ही भेजा गया और उस शो का अब तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। जिले से १०५ हजार रुपया भेजा गया। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी यही बात होगी। मैं सरकार से, मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका जिलेवार हिसाब मंगाया जाय और यह सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय।

मान्यवर, अपराध के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अपराध को कम करने के लिए पुलिस के ऊपर खर्चा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अपराध में कोई कमी नहीं हो रही है।

[श्री बाजोजी अग्रवाल]

मान्यवर, आप देखेंगे कि १९६३ में डकैती १,८३५ हुईं, लूट २,१९४, हत्याएं २,१९२ और सेंध लगाना ३५,४१४ और सन् १९६४ में डकैती २,१४२, लूट २,५८१, हत्या २,३८५, सेंध लगाना ४१,५८० ।

मान्यवर, यह आपके प्रदेश का नक्शा है कि पुलिस किस प्रकार से इस क्षेत्र में काम कर रही है ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध के सम्बन्ध में हमारे कुछ जिले जैसे आगरा और झांसी के कुछ हिस्से जोकि चम्बल की घाटी के पास-पास हैं, वहां पर अपराध सबसे अधिक होता है । सरकार को चाहिए कि चम्बल विकास आयोग बनाए, जिससे कि वहां के निवासियों की आर्थिक दशा सुधर सके, खेती में उन्नति हो सके । सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि चम्बल घाटी में जो डाकुओं को रहने के लिए उपयुक्त स्थान हैं, उनको समाप्त किया जाय तभी अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उस क्षेत्र से समाप्त हो सकती है अन्यथा वह क्षेत्र अपराध करने के लिए लोगों को पैदा करता रहेगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि वह चाहते हैं कि उस क्षेत्र में शांति रहे, अमन रहे और जिले में डकैती और हत्याओं के कांड कम हों तो सरकार को ऐसे आयोग की स्थापना शीघ्र करनी चाहिए ।

मान्यवर, उद्योग के सम्बन्ध में कहा गया । माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में २२ उद्योग आस्थान खोलने की बात कही है । मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि उद्योग आस्थान खोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । जैसा माननीय फूलसिंह जी ने बताया कि जब वे उद्योग मन्त्री थे, उनको पता है कि कच्चा माल मिलता नहीं है, ऋण मिलता नहीं है, बिजली मिलती नहीं है, तो किस प्रकार से उद्योग चलाएंगे ।

मान्यवर, बिजली नहीं मिलती है । मैं कहना चाहता हूं कि आगरे शहर में उद्योग के लिए बिजली किसी प्रकार भी नहीं मिलती है । बिजली दिन में भी नहीं मिलती है । बिजली रात में भी नहीं मिलती है ।

मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगरे शहर में १०० रु० प्रति हार्स पावर के हिसाब से दिन की बिजली दी जाती है और ५० रु० के हिसाब से रात को बिजली दी जाती है । हम मन्त्री जी के पास जाते हैं तो वे मना कर देते हैं और आपके विभाग से ५ रु० और १० रु० के हिसाब से बिजली मिल जाती है । मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि आपकी जो नीति है उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ।

मान्यवर, आगरे जिले में एक बड़े उद्योग की आवश्यकता है । आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि की सीमा पर स्थित है । आगरा में एक बड़े उद्योग की अत्यन्त आवश्यकता है, यदि वह नहीं खोला जायगा तो उस क्षेत्र की आर्थिक दशा नहीं सुधर सकती ।

मान्यवर, नए कर लगाने की बात माननीय वित्त मन्त्री जी ने कही है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी-अभी भूमि-भवन-कर लगाया गया है, जो कि शहरी जनता के ऊपर ही ज्यादातर लगा है । मनोरंजन-कर, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य कर जितने भी कर बढ़े हैं उनका अधिक से अधिक भार शहरी जनता पर ही पड़ रहा है इसलिये यदि सरकार ने शहरी जनता पर आगे टैक्स लगाया तो उसका डटकर विरोध किया जायगा और उसे किसी भी प्रकार से बरदाश्त नहीं किया जायगा ।

यहां पर हिन्दी और अंग्रेजी का प्रश्न उठाया गया । मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि हम किसी पर जबरदस्ती हिन्दी को थोपना नहीं चाहते, लेकिन हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो कुर्बानी हो सकती है वह हम करने के लिए तैयार हैं ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय.....,

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं जानना चाहता हूं कि अभी गवर्नर साहब के सम्बोधन में आपने इनको मौका दिया, हम लोगों को भी कभी मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी ५ दिन हैं। सभी को मौका मिलेगा।

श्री शिवचरण—

व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त व्यवस्था की कोई बात नहीं है। आप बैठिए।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश जिन दिक्कतों से गुजर रहा है और जिन बातों की हमें आवश्यकता है उन सब को ध्यान में रखकर वित्त मन्त्री जी ने जो भाषण हमारे सामने किया है उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले उन्होंने खाद्यान्न की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस संकट का दूर होना बहुत आवश्यक है और उसको दूर करने के लिए जितने भी सम्भव उपाय हो सकते थे उन सब को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव सिंचाई के साधनों को दिए जाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। छोटी-बड़ी, सभी प्रकार की सिंचाई की योजनाएं लगभग साढ़े ६ लाख एकड़ भूमि को सींचने के लिए चलाई गई हैं और उसका काफी हिस्सा पूरा हो चुका है। किसानों की भलाई और विशेष रूप से अन्न संकट को देखते हुए हमें इससे खुश होना चाहिए।

जहां तक ऋण देने का प्रश्न है उसकी योजनायें पहले भी बहुत थीं और अब तो जो लोग भूमिधर हैं उनको उनके लगान का १५० गुना तक दिया जायगा। इससे कोई भी किसान जो अपने खेत में सिंचाई के साधन उपलब्ध करना चाहता है उसे दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी आवश्यकता सिंचाई के लिए बिजली की है। मैं अपने विद्युत् मन्त्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कोई भी किसान जो किसी भी इलाके से आया और उसने कहा कि उसे ट्यूबवेल लगाना है तो बिना न नु किए फौरन बिजली का आर्डर किया। कृषि उत्पादन के लिए यहां से या अपने जिलाधीश से, दोनों जगहों से बिजली मिली है, कोई भी बिजली से वंचित नहीं रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब कोई यह कहता है कि यहां उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहता हूं कि १५ अगस्त, सन् १९४७ के पहले और उसके बाद के उद्योगों की स्थिति को देखना चाहिए। मैं यह अनुभव करता हूं कि उस समय की और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अन्तर है। जो लोग छोटे-छोटे दुकानदार थे, जिन लोगों के बहुत सीमित साधन थे आज उनके यहां कल कारखाने लगे हुए हैं। उत्पादन बढ़ रहा है और पैसा उनके पास आया है और उनके जरिए से मजदूरों के पास भी पैसा आया है। इसलिए यह कहना कि हमारे प्रान्त में उद्योग नहीं बढ़े हैं, सही नहीं है। मैं केवल यही बात कहूंगा कि इसकी तुलना १५ अगस्त, १९४७ से और आज की स्थिति से करनी चाहिए और उस समय से आज तक कितने उद्योग धंधे बढ़े हैं यह देखना चाहिए।

इसके साथ-साथ आवश्यकता होती है संचार साधनों की। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है हमारे प्रान्त में बहुत लाइन उसकी नहीं बिछी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

यहां नई-नई सड़कें और नई रेलवे लाइनें न बनी हों। जहां तक हमारी प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध है इस तीसरी योजना में लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें बनी हैं और लगभग १,४०० मील लम्बी सड़कें, जो खराब थीं, उनको सुधारने का प्रयत्न किया गया है। एक योजनाकाल में हमारे यहां संचार साधनों का इतना सुधार हुआ है कि जो किसी भी सरकार के लिए बहुत गौरव की बात हो सकती है।

एक बात हरिजनों के लिए कही गई कि उनके लिए कोई विशेष कार्य क्रम नहीं हुआ है। इस बजट में भी यह बतलाया गया है कि हम दो शिक्षण संस्थाएं केवल हरिजनों के लिए खोल रहे हैं। टाइप राइटिंग और आशुलिपि सिखाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार स्कूल खोल रही है। इसके अलावा बहुत से वजीफे और नए होस्टल या दूसरे प्रबन्ध जो आवश्यक हैं, वह सरकार कर रही है। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए ये सुविधाएं कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए यह प्रयत्न कर रही है कि आगे और अधिक उनको सुविधा मिले।

एक बात और यहां हिन्दी के लिए उठाई गई जिसको नहीं उठाना चाहिए था। यह विषय केन्द्रीय सरकार का है। उसमें प्रान्तीय सरकार अधिक नहीं कह सकती। जहां तक इस प्रान्तीय सरकार की नीति का सम्बन्ध है उसने यह निश्चय कर लिया कि हमारा सारा कामकाज हिन्दी में हुआ करेगा।

मैं एक बात जनसंघ के सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि जहां इस समय झगड़ा चल रहा है मद्रास में वहां पर आपकी पार्टी ने कौन-सा समझाने का कार्य किया, जिससे वे लोग जो गलत काम कर रहे हैं और गलत आन्दोलन कर रहे हैं न करें। लेकिन अपना कोई कर्तव्य हम न करें और केवल सरकार से यह अपेक्षा करना कि सरकार ने ऐसा नहीं किया सही बात नहीं है। एक-दो सदस्यों ने यह कहा कि सरकार ने उनको समझाया नहीं कि हम हिन्दी को लादना नहीं चाहते हैं। सरकार तो सभी प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहती है। मैं समझता हूं जिस दिन से कांग्रेस सरकार बनी है उसी दिन से इस बात पर जोर दिया गया कि सभी प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जितना ही प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया उतना ही वह एक झगड़े की जड़ बनीं। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह मानी हुई बात है कि हमने भाषा के आधार पर कुछ प्रान्त भी बनाये और इसी आधार पर अपने भाइयों को समझाने की भी कोशिश की। मैं जानता हूं कि श्री जगजीवनराम जी ने एक बात कही थी मद्रास वालों से कि वे यह तय कर लें कि नौकरियों में कितने परसेन्टेज चाहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा परसेन्टेज वह चाहें उनको दे दिया जाय, लेकिन उनको यह मान जाना चाहिये कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। इतनी सफाई करने पर यह कहना कि हिन्दी के विषय में समझाया नहीं, सही बात नहीं है।

एक बात यह कही गई कि रोजाना सरकारी कर्मचारियों के और अध्यापकों के प्रदर्शन हो रहे हैं। यह करना ठीक है या गलत है मैं इस बात में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम लोग भूल गये कि उनके लिये भी ५ रुपये, १० रुपये और १२॥ रुपये बढ़ाये गये हैं और अध्यापकों के लिये भी ५ रुपये और जिनको २० रुपये भत्ता नहीं मिलता था उनको भी २० रुपये दिये गये हैं। यह हो सकता है कि उनकी इच्छा पूर्ति न हुई हो, लेकिन उनके लिये कुछ तो जरूर किया गया है। यह कहना अच्छा नहीं मालूम होता है कि कुछ नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय सदस्यों से एक बात जानना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य यह तो बतलायें कि कितनी तनख्वाह, कितना महंगाई भत्ता, किसी एक कर्मचारी को दे दिया जाय तो उससे संतोष होगा? खाली तनख्वाह या महंगाई बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। देखना तो यह है कि कितना बढ़ा दिया जाय और उससे संतोष होगा या नहीं। ११ करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में इस काम के लिये किया गया है। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्यों को इसके

लिये एक कार्यक्रम बनाना चाहिये कि कितनी महंगाई बढ़ाने से कर्मचारियों को संतोष होगा और फिर सरकार सोचे कि वह उतना कर सकती है या नहीं ।

एक बात और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । यह कहा जाता है कि प्रजातंत्र में सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है । मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो तो वह प्रजातंत्र नहीं है, वह तो रूस या चीन की हुकूमत हो सकती है । प्रजातंत्र में तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है । जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तब तक कोई भी तंत्र चले यह प्रजातंत्र नहीं चल सकता । आज कहा जाता है कि सरकार यह नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है,-यह कहा जाता है कि मिनिस्टर नौकरशाही के शिकंजे में फंसे हुये हैं, कहा जाता है कि सिफारिशों के आधार पर तबादले किये जाते हैं । आखिर यह सीमा कैसे मुकर्रर हो कि कौन नौकरशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और कौन नहीं ? जो बात आपके अनुकूल है वहां वह शिकंजे में नहीं जकड़े हैं, जो आपके प्रतिकूल है वहां वे शिकंजे में जकड़े हैं । इस तरह की बात कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसलिये हमको हर बात के लिये यह देखना चाहिये कि यह प्रणाली कारगर हो सकती है या नहीं ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां उसे दूध नहीं देती, लेकिन समझदार मां के लिये यह उचित नहीं है । सरकार से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह समझदारी नहीं है कि जब कभी कोई वर्ग, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक या निकायों के कर्मचारी आन्दोलन करें तभी उनकी मांगों पर विचार किया जाय और जब तक वे शांत रहें तब तक उनके लिये कोई विचार ही न किया जाय । मैं समझता हूं कि इससे सरकार की प्रतिष्ठा कम होती है, बढ़ती नहीं । इसलिये सरकार के पास उनकी मांगें आ जायं इतना काफी है । उसके बाद हमारा कर्तव्य है कि हम सोचें कि हमारी सीमायें क्या हैं तथा हम उनके लिये क्या कर सकते हैं और इस संबंध में एक नीति निर्धारित करने के बाद सरकार को उससे फिरना नहीं चाहिये और जो लोग प्रदर्शन करें, अनुचित दबाव डालने की कोशिश करें उनके दबाव में आकर सुविधा प्रदान करना मैं समझता हूं सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है । हमको चाहिये कि हम स्वयं उस बात को सोचें अन्यथा उससे अराजकता उत्पन्न हो जाती है और प्रजातंत्र में सब से ज्यादा खतरनाक चीज अराजकता है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आन्दोलन के दबाव से कभी कोई काम न करे । बल्कि किसी काम के औचित्य अनौचित्य पर विचार करके ही अमल करे, तभी प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी अन्यथा नहीं ।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत का भविष्य खतरे में है । ऊपर से चीन, पूर्व से बर्मा, पश्चिम से पाकिस्तान और दक्षिण से लंका हमें परेशान कर रहा है । लंका से यतीम बच्चों की तरह हमको निकाला जा रहा है । हमारी सरकार फिर भी मौन है । पूर्वी पाकिस्तान से कई लाख जनता निकाली जा चुकी है । हमसे हमारी औरतों को छीन लिया गया और उनको अरब में बेचा गया । शक्ति से ही देश की रक्षा हो सकती है, इसलिये जरूरत है देश की शक्ति को बढ़ाने की । शक्ति से ही स्त्री की रक्षा हो सकती है । आज होमगार्ड्स की स्थापना की जा रही है । उसमें कुली हैं इक्के वाले हैं, तांगे वाले हैं । क्या इनसे देश की रक्षा हो सकेगी ? जो आवारा हैं वही आज होमगार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं । इससे देश की रक्षा होने वाली नहीं है ।

आप कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी सरकार नहीं चला सकती । यह गलत है । आप किसी को खाना नहीं दे पाये, उद्योग धंधे नहीं खोल पाये, फिर आप कैसे सरकार चलायेंगे ? मैंने सुझाव दिया था कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोले जायं । बांदा में पयाल काफी पाया जाता है, वह सड़ जाता है । उसको काम में लाया जा सकता है कागज

[श्री मतोला सिंह]

बनाने के लिये । हमारे यहां खरिया मिट्टी, रंगीन मिट्टी तथा गिलास बनाने का कच्चा माल काफी है । बांस भी काफी होता है । सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता । सरकार कहती है अनुदान ले लो । अनुदान से काम चलने वाला नहीं है । सरकार को वहां उद्योग स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये । जब देश में काफी उद्योग धंधे होंगे, देश शक्तिशाली होगा, तभी देश की सुरक्षा कायम रह सकेगी ? और तभी हम भी इस सदन में बैठ सकेंगे ।

वृक्षारोपण की बात कही जाती है । बहुत से मिनिस्टर वृक्षारोपण के लिये दौड़े जाते हैं, वृक्षारोपण होता है, वृक्ष लगा दिया जाता है, लेकिन बाद को कोई देखने वाला नहीं होता कि वह वृक्ष जिन्दा भी है या मर गया । मेरे यहां एक सड़क है विल्हा से बांदा जिसमें अंग्रेजों के जमाने के पेड़ लगे हुये हैं । उनमें आज पत्ती तक नहीं है । उनकी पत्तियां काट कर लोग बेच डालते हैं । यह सरकार उनकी रक्षा तक नहीं कर पाती ।

१०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों की दननीय दशा क्या है यह किसी से छिपी नहीं है । बेचारे केवल एक वक्त खाना खाते हैं । उनके खाने-कपड़ा का कोई प्रबन्ध नहीं है। परन्तु सरकार कहती है कि हमने १० रुपये बढ़ा दिये हैं । सरकार से हम तो यही कहेंगे कि इस तरफ वह विशेष ध्यान दे । सरकार गल्ले का भी नियंत्रण रखे । अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार अन्न की कोई कठिनाई नहीं आई । इस कारण हमारी सरकार अयोग्य सिद्ध हुई है । हमारी सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । हमारी सरकार के मंत्रिगण इस ओर न ध्यान देकर पहिले चिट्ठियां भी अगर देखते हैं तो उनमें भी ये देखते हैं कि कहां अन्न-प्रासन्न, कहां खतने का कार्यक्रम और कहां-कहां के शिलान्यास कार्यक्रम हैं । अगर ऐसी चिट्ठियां नहीं हुई तो उदास हो जाते हैं । मिनिस्टर्स का काम इस तरह से दावतें उड़ाना और चाय पीना ही रह गया है । अपने पैसे को खर्च नहीं करते हैं । सरकार को यह खत्म करना चाहिये । हमारी सरकार को चाणक्य जैसे मंत्रियों की आवश्यकता है । चाणक्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा ही । चाणक्य एक कुटी में रहता था । जब चाणक्य की निपुणता से प्रभावित होकर सिकन्दर का मंत्री सैल्यूकस चाणक्य से मिलने गया तो चाणक्य की कुटी में एक चिराग टिमटिमा रहा था । चाणक्य ने अपनी बातों के दौरान में उस चिराग को भी बुझा दिया । सैल्यूकस के पूछने पर कि यह क्यों बुझाया गया तो चाणक्य का यह उत्तर था कि यह राष्ट्र का धन है इसके जलते रहने से राष्ट्र की हानि होगी । इस प्रकार के उदाहरणों की आवश्यकता है हमारी सरकार में भी । यहां मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे बांदा जिले का फूड अधिकारी बहुत ही भ्रष्टाचार फैलाये हुये हैं । शायद उस जैसा भ्रष्टाचारी कहीं ढूंढ़े से भी मिले ।

बांदा में पुलिस की लापरवाही से कत्ल, डकैती दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ चुकी है । सरकार को इस तरफ खास तौर पर ध्यान देना चाहिये । सरकार लगान बढ़ाने की धृष्टता मत करे । इससे किसान असन्तुष्ट हो जायेंगे और वह आन्दोलन भी छेड़ देंगे । यह ठीक है कि पैदावार अधिक है और दो सेर, डेढ़ सेर का अन्न बिक रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि उनके और खर्चे कहां से आते हैं । अगर एक बैल मर जाता है तो एक हजार रुपया लगता है और कर्जा लेकर उसको काम करना पड़ता है । इसलिये सरकार लगान बढ़ाने की कोशिश न करे ।

सरकार कंट्रोल को अविलम्ब हटा दे क्योंकि कंट्रोल से दिन बदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और उससे विशेष हानि हो रही है ।

अब आइए चरित्र के ऊपर । जो चरित्र हमारा मुसलमान अपने कार्य-काल में नहीं गिरा सके, जिसे अंग्रेज नहीं बिगाड़ सके वह १७ सालों के अन्दर हमारा चरित्र कहां से कहां गिर गया और हम पतित हो गये । इसलिये सरकार चरित्र की ओर ध्यान दे । आज स्कूलों की दशा क्या है ? म शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि स्कूलों में जाकर वह मास्टरों का चरित्र पहले ठीक

करें क्योंकि उससे लड़कों का चरित्र गिरता है । शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों को हालत सुधारने के लिये उनका चरित्र ठीक करने की ओर सरकार विशेष ध्यान दे । बजट में उस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है ।

हमारे यहां बांदा जिले में बेटा नाम का एक गुंडा है जिसके कारण किसी भले आदमी की इज्जत-आबरू सेफ नहीं है, कोई भला आदमी बाहर नहीं सोता है न कोई भला आदमी बाहर निकलता है । सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन उसके पैरोकार वहां के जिले के अध्यक्ष हैं। वह और कुछ एम० एल० एज० उसकी सिफारिश करने यहां आये हैं कि उसको छोड़ दिया जाय । यह बड़े दुख की बात है । सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है,बड़ा सराहनीय काम किया है उस बेटा को गिरफ्तार करके, क्योंकि उसके मुकाबिले का खूंखार, डकैत और दूसरे की इज्जत आबरू लेने वाला दूसरा कोई न होगा, यह उसका पेशा है । मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार गुंडों द्वारा, गुंडों को पैदा करके एलेक्शन जीतने की तैयारी मत करे । वह गुंडा कांग्रेस का खास व्यक्ति है और अध्यक्ष जिला परिषद का खास व्यक्ति है । मैं सरकार से कहूंगा कि उस बेटा के पैरोकार जितने उसकी सिफारिश में आये हों उन पर कड़ा ऐक्शन लें ।

आजतक मकान बनाने की बात सरकार बहुत करती है । मकानों की बड़ी कमी है । लेकिन मकानों में क्या होता है, आज बनते हैं कल गिरने लगते हैं । मेरे जिले में चलकर देखिये, सबकी छतें टूटी हुई हैं । गरीबों को मकान की कमी है उनको मकान बनाने दीजिये और आप इस धन को बचाकर सुरक्षा में लगाइए । सरकार बलवान बने, और बलवान बनने की तैयारी नहीं करती है, फौजी तैयारी और अस्त्र-शस्त्र तैयार नहीं करती है, तो देश का भविष्य खतरे में है और यह सरकार जल्दी ही फेल होगी । आज चीनियों ने क्या किया ? हमारे पास अस्त्र-शस्त्र न होने की वजह से सामान न होने की वजह से हमारी वह शक्तिशाली फौजें जो झांसी में थीं और जिन्होंने जर्मनी को हराया था, जर्मनी ने जिनका लोहा माना था वह वहां मार डाले गये बुरी तरह से हथियारों की कमी के कारण । उन्होंने हमारी जमीन छीन ली और अब हमसे सुलहनामे की बात करते हैं । जमीन मांगे से नहीं मिलती है, शक्ति से मिलती है। मैं फिर दोहराता हूं कि शक्ति के उपासक बनो ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस चौथे वर्ष में हम फिर अपनी सरकार के सालाना बजट के बारे में कुछ कहने के लिये और फर्ज अदा करने के लिये बड़े उत्सुक हैं । प्रजा के प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा अधिकार बजट के समय अपने विचार सदन में रखने का है, सरकार को आलोचना करने का और उनके अच्छे कामों के लिये तारीफ करने का है । सबसे पहले मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अल्प समय में इतनी अच्छी योग्यता के साथ अपना भाषण तैयार करके हमारे सामने पेश किया।

इस बजट में हमें यह भी देखना होगा कि सरकार ने जनता की भलाई के लिये क्या मांगे रखी हैं । कुछ मांगें इसमें ऐसी हैं जिनके लिये मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर वे इस वित्तीय वर्ष में न भी रखी जातीं तो कोई नुकसान नहीं होता । लेकिन खास बात देखने की यह है कि जन-समाज की शिक्षा के लिये, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये कितना रुपया रखा है । इसके लिये ६१-१/२ करोड़ रुपया मांगा गया । यह एक मामूली बात नहीं है । १९२४ में और उसके लगभग हमारा आय-व्यय का सारा बजट करीब १२, १३ करोड़ के होता था और आज हमारे कई विभाग ऐसे हैं जो अकेले १९ करोड़ और १५ करोड़ के हैं । इससे साफ जाहिर है कि हमारी जनता ने और सरकार ने कितनी उन्नति कर ली है । यह ठीक है कि जितनी हम चाहते थे या जितनी होना चाहिये थी उतनी उन्नति नहीं हो पाई है। फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की मांगों के लिये ६१-१/२ करोड़ की मांग है ।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि हमारे पिछड़े हुए जिले गढ़वाल में बड़ी मुश्किल से एक डिग्री कालेज श्रीनगर में हुआ था। उसमें साइंस क्लास तो थे, लेकिन आर्ट्स क्लास नहीं थे। हर्ष का विषय है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को महसूस किया है कि गढ़वालियों को आर्ट्स के लिये बरेली, लखनऊ या दूसरी जगह आना पड़ता था। इस बजट में उन्होंने श्रीनगर में आर्ट्स क्लासेज खोलने के लिये भी अनुदान रखा है जिसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। वह मेरे धन्यवाद के पात्र ज्यादा होंगे अगर चमोली में भी एक डिग्री कालेज, जिसकी बहुत दिनों से मांग है, खोलने की कृपा करेंगे। वह स्वयं वहां गये थे। वहां इंटरमीडिएट कालेज मौजूद है और कई इमारतें भी ऐसी हैं जिनमें डिग्री कालेज खोला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुकन्दीलाल जी, अब आप अपना भाषण कृपया कल जारी रखें।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदनार्थ संकल्प

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४, का अननुमोदन करता है।

उपाध्यक्ष जी, सरकार को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पड़ी और आज सत्र चलने पर सदन में लाना पड़ा। इसका अननुमोदन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परिस्थितियां इस तरह का अध्यादेश निकाले जाने हेतु समय-समय पर अनगिनत रूप में होती रहती हैं, इसका जो कारण श्री राज्यपाल की ओर से दिया गया है या दिया जाता है, ये परिस्थितियां अधिकतम संख्या में हमारे शासन के विभिन्न विभागों की अदूरदर्शिता और कार्य-दक्षता में कमी होने की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। एमर्जेंसी काल के बाद भी हमारी दूरदर्शिता और कार्य-क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। अगर आप इसी अध्यादेश को देखेंगे तो इसमें जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं उनका मुख्य कारण यही रहा कि १९१६ के म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में अगस्त, ६४ में संशोधन कर दिये गये। १९१६ के ऐक्ट के अनुसार, या तो जिला जज के यहां चुनाव-याचिका दाखिल कर सकता था या जिलाधीश के यहां जो जिला जज के यहां चली आती थी। परन्तु अगस्त, सन् ६४ में धारा ९ और १७ के विभिन्न उपधाराओं के अनुसार ऐसा संशोधन कर दिया गया कि कलेक्टर के यहां याचिकायें न पेश की जायें और जहां हेडक्वार्टर पर जिला जज न हों वहां सिविल जज के यहां उपस्थित की जा सकती हैं। १९६४ में ८ नवम्बर तक म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव समाप्त हो गये और ३० दिन में चुनाव याचिका प्रस्तुत हो जानी चाहिये। संशोधन कानून जो अगस्त में पास हो गया था और विभाग को जो घोषणा करने का अधिकार मिला था उसका प्रयोग ऐसे समय पर हुआ कि ३० दिन का समय न तो पुराने ऐक्ट के अनुसार हो पाया और न नये ऐक्ट के अनुसार, अर्थात् ८ नवम्बर से ८ दिसम्बर तक के बीच में इस ऐक्ट का गजट किया गया। अगर यही संशोधन विधेयक ८ नवम्बर से पहले गजट कर दिया जाता तो जो परिस्थिति पैदा हुई...

श्री उपाध्यक्ष—

राजेन्द्र सिंह जी, एक बात है। इस पर आपका अननुमोदन का संकल्प भी है और बिल भी है। अगर एक पर ही बहस हो तो हमको ज्यादा मौका मिलेगा। जैसा आप लोग मुनासिब समझें वैसा करें। वैसे, मुझे कोई एतराज नहीं है, वह आपका हक है। लेकिन एक ही चीज पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होगा कि आप माननीय मंत्री जी को यह आदेश कर दें कि वह भी अपने बिल को मूव कर दें तब दोनों पर बहस हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक यह प्रस्ताव रहता है तब तक वह उसे कैसे मूव कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि म्युनिसिपैलिटीज का अमेंडमेंट ऐक्ट अगर ८ नवम्बर से पहले गजट हो जाता तो फिर इस अध्यादेश की आवश्यकता न पड़ती। कुछ याचिकायें कलेक्टर के यहां पेश हो गयीं और इसी बीच में यह लागू हो गया कि सिविल जज के यहां हों। अब कलेक्टरों के यहां जो याचिकायें लग गयीं उनको रेग्युलेराइज करने के लिये इसको निकालने की जरूरत पड़ी। यह विधायिका विभाग की निष्क्रियता के कारण ही ऐसा हुआ। या तो वह ८ नवम्बर से पहले गजट कर देते या ८ दिसम्बर के बाद करते तो इस अध्यादेश को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रशासन में कार्यक्षमता और दूरदर्शिता का अभाव है उसके कारण ही दिन प्रतिदिन ऐसा होता है। इनको दूर करने के लिये सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। वरना इसी प्रकार की तमाम परेशानियां सरकार को होती रहेंगी। इन कारणों से मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, पहले इसको खत्म कर लिया जाय। हम आर्डिनेंस के बारे में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। यदि वह समाप्त हो जाता है तो कोई जरूरत ही न होगी। विधेयक पर हम लोग कम बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह सब विधेयक पर कह लीजिये। इससे बहस में जल्दी हो जायगी।

श्री कमलासिंह यादव—

आर्डिनेंस का विरोध करना हमारे लिये ओपेन रहेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसमें कुछ भ्रम मालूम पड़ता है। साधारण बात यह है कि म्युनिसिपैलिटीज में कुछ दिक्कतें पैदा हो गयीं, उनकी वजह से ही ऐसा करना पड़ा। इसमें अदूरदर्शिता की कोई बात नहीं थी। उन्हीं दिक्कतों की वजह से यह आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। माननीय सदस्य ने मालूम पड़ता है इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। वह तो ऐसी चीज थी जिसको हमें करना ही पड़ता। इस कारण से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इस अमेंडमेंट ऐक्ट को ८ नवम्बर और ८ दिसम्बर, १९६४ के बीच में गजट न करते तो क्या दिक्कत थी डिपार्टमेंट को जिसके कारण यह दिक्कत पैदा हुई? इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला।

श्री उपाध्यक्ष—

भूल हो गयी होगी, इसको तो वे मानते हैं। भूल को सुधारना पड़ता ही है।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष जी, श्री राजेन्द्रसिंह जी ने इस म्युनिसिपल (संशोधन) अध्यादेश के अननुमोदन का जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है, अगर पूछा जाय तो ईमानदारी की बात यह है कि इस अध्यादेश को निकालना जरूरी ही नहीं था क्योंकि जब ९ नवम्बर को म्युनिसिपल संशोधन बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था तो मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जरा आप धारा ४३ (ए) को समझ लें तब कोई परिवर्तन करें या साफ कर दें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न पेश हो। उस समय तो माननीय मंत्री जी ने उसे माना नहीं और कह दिया कि हम इसको नहीं मानते, लेकिन आज फिर उसी के बारे में सदन का इतना समय खराब किया गया और जितना समय इस पर खर्च होगा उतना ही अधिक रुपया भी बर्बाद होगा। जिस समय हम लोग कोई सुझाव देते हैं तो रीजनेबिल यही था कि उसको मान कर आप उसी समय साफ कर देते ताकि जो दिक्कत भविष्य में आने वाली थी वह न आती।

सब से बड़ी दिक्कत यह थी कि म्युनिसिपल बोर्ड का जो प्रेसीडेंट होता है वह जिला परिषद् का मेम्बर भी बना रहेगा लेकिन हमारे यहां कोई भी किसी कानून के अन्दर ऐसा प्राविधान नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड प्रेसीडेंट का दूसरा एलेक्शन भी वह लड़ सकेगा। क्योंकि उसके सामने कठिनाई यह आ सकती है कि चूंकि वह जिला परिषद् का मेम्बर है, इसलिये जब तक वह जिला परिषद् से इस्तीफा न दे वह फिर म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकेगा। यह प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिये म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर या तो कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिये था कि प्रेसीडेंट का एलेक्शन लड़ने से पहले वह एस्तीफा दे दे या प्राविधान में कोई परिवर्तन कर दिया जाय जिससे यह डिसक्वालिफिकेशन हट जाय या उसी के सामने कोई प्राविजो करके या एक्सप्लेनेशन के जरिये साफ कर दिया जाय कि चूंकि वह जिला परिषद् का मेम्बर है इसलिये उसे इस्तीफा देने की नौबत न आवे, इसलिये कि वह प्रेसीडेंट के एलेक्शन के लिये खड़ा हो सकता है। यह एक साफ बात थी और इसी वजह से सदन का इतना समय बर्बाद हुआ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी एलेक्शन पिटीशन के लिये कलेक्टर की जगह जजेज को अथोराइज करने लगे। इस आर्डिनेंस के जरिये उस गलती को दूर करने की कोशिश की गयी है। तो दिक्कत जरूर थी लेकिन आर्डिनेंस अगर निकालना ही था तो बहुत पहले निकालते, लेकिन इसमें काफी विलम्ब हुआ जिससे यह दिक्कत हुई। मैं समझता हूं कि अफसरों की नातजुर्बेकारी की वजह से यह हुआ, हालांकि ए० जी० की रिपोर्ट में भी यह है। बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दी गयी है, लेकिन फिर भी जैसा आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री में खींचातानी है २ ग्रुप्स् में अंर वे आपस में लड़ते हैं और उसका फल यह होता है कि देरी से अध्यादेश आया और उसकी वजह से सदन को दिक्कत भुगतनी पड़ रही है। मैं अब अधिक समय न लेकर इतना कहना चाहता हूं कि यह आर्डिनेंस जो मंत्री जी ने निकाला है इस तरह का कोई अध्यादेश उन्हें निकालना ही था तो वह आरंभ में निकालते जिस वक्त यह चीज स्ट्राइक की थी या उस वक्त ही बिल में संशोधन कर लेते जब कि उन का ध्यान इस तरफ दिलाया गया था। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की नौबत न आती और न दिक्कत होती। इन शब्दों के साथ में इस अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून अगस्त में पास हुआ था और उसके बाद यह जानते हुए कि चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद जो नतीजा याचिकाओं का होता है उसको ध्यान में रखते हुए वक्त पर सरकार नहीं जागी, उन का विभाग सोता रहता है और उसके बाद जो खर्च संशोधन में लाना होता है और इस तरह के कई संशोधन हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो रिपीटीशन है ।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट—

लेकिन इन्हें समय पर तो जागना चाहिये था, यह कब तक सोते रहेगें । कई चीजें हैं, इन के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए, जिन्होंने समय पर नहीं कराया । अगस्त में ऐक्ट पास हुआ, सितम्बर में कर सकते थे लेकिन फिर चुनाव हो रहे थे । या तो पुराने ऐक्ट के अनुसार ही काम कराते, या इस को प्रसारित ही न करते । यह तो बड़ी भारी भूल है जिस के कारण करदाता का पैसा व्यय होता है जो कि नहीं होना चाहिए था ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका था जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा यह चीजें ऐसी थीं कि जो पहले सोची जा सकती थीं, और एडवोकेट जनरल का भी हवाला दिया, उनकी राय यहां बताने की जरूरत नहीं है । अलग-अलग रायें हैं लेकिन राय बताने की जरूरत नहीं है, हमने तो मुकदमेंबाजी को बचाने के लिए और पेटीशन्स दायर न हों और लोगों के खड़े होने के चांसेंस न रहें इस तरह की दिक्कतों को दूर करने लिए यह अध्यादेश जारी किया था। यह तो वह भी मानते हैं कि इसकी जरूरत है केवल उन का कहना यह था कि इसको पहले ही कर लिया जाता । लेकिन कौन सी चीज किस वक्त नहीं आई और क्या शक्ल होती है यह आप समझते हैं कि इस की जरूरत है इसलिए उन के अननुमोदन का प्रस्ताव मुनासिब न होगा । वह स्वयं इसकी जरूरत को समझते हैं, ठीक है पहले होना चाहिए था लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंम्बरों के प्रश्न पर प्रकाश डाला लेकिन दूसरे आर्डिनेंस का जो क्लाज ऐक्ट में संशोधित करने से परेशानी पैदा हुई उसके बारे में मेरा कहना है कि या तो वह ८ नवम्बर से पहले होता या ८ दिसम्बर के बाद होता । यह स्वायत्त शासन विभाग और विधायिका विभाग की गलती से हुआ उस को महसूस कर लेते और कहते कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होना चाहिए ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अब गजट तो बदल नहीं जायेगा । अब यह बहस बेकार है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

लेकिन सरकार की इस प्रकार की गलतियों से जनता का पैसा तो व्यर्थ में व्यय होता है और ऐसी चीजों की स्वीकृति सदन से ली जाती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५†

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सदन की इच्छा हो तो इसी बिल को ले लिया जाय ।

(किसी के विरोध न करने पर)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय । इस पर काफी विचार हो चुका है और यह छोटा सा विधेयक है और जैसा अभी बताया गया धारा २२ की उपधारा (२) में एक संशोधन है और धारा ४३–बी की उपधारा (३) में एक संशोधन है । यह दोनों पेटीशन्स के सिलसिले में हैं । पहले पेटीशन्स के दाखिला का प्राविधान जिला मैजिस्ट्रेट के यहां था और प्रेसीडेंट से संबंधित पेटीशन का दाखिला डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर आफ इलेक्शन के यहां था । लेकिन अब चेंज हो गया है और यह पेटीशन्स डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होना चाहिए । लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुई कि कलेक्टर वगैरह के यहां दाखिल हो गई । तो अब यह प्रोवाइड किया गया है कि जो कलेक्टर के यहां दाखिल हुई हैं वे जज के यहां दाखिल समझी जायं और कलेक्टर उनको जजेज के यहां भेज दें जिनको इस काम के लिए ऐप्वाइंट किया जाय और कुछ समय दिया गया है कि अगर लोग कुछ संशोधन करना चाहें तो कर दें ।

इसके अलावा जैसा कमलासिंह जी ने बताया था कि जो म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे वह नये कानून क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पदेन सदस्य हो गये । पुराने डिस्ट्रक्ट बोर्ड ऐक्ट में प्रावीजन था कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होगा वह म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष नहीं हो सकता । लेकिन वह एक डेड लेटर हो गया । एक उसमें प्रावीजन था कि जो प्रावीजन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में है वह जिला परि द् पर भी लागू होगा । यह कुछ स्पष्ट नहीं था । हालांकि कानूनी राय वही है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट खत्म हो गया और जिला परिषद् और क्षेत्र समिति के अब मेम्बर हैं इसलिए उन पर यह लागू नहीं है, और वह खड़े हो सकते हैं । लेकिन यह एक परिस्थिति थी कि जो पहले चेयरमैन है वह दुबारा खड़ा होना चाहता है तो उसको यह बार हो जाता, और कुछ इस तरह की आपत्तियां न हों, म्युनिसिपैलिटीज के अध्यक्षों के बारे में इसलिए इसको स्पष्ट किया जा रहा है इस संशोधन के जरिए से और इसको लागू किया जा रहा है प्रारंभ से जब से नया परिवर्तन हुआ। इस तरह के दो संशोधन हैं जो बहुत जरूरी हैं । इस पर विचार किया जाय यही मेरा प्रस्ताव है ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा है उसमें मेरा संशोधन है कि :—

"उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ को ३ मास तक जनमत जानने के लिए जनता में परिचालित किया जाय ।"

---

†८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने देखा कि जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं उसका यही परिणाम होता है । उस समय हर प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं लेकिन सरकार उनको नहीं मानती । आज भी जो संशोधन ला रहे हैं मुमकिन है एक मास बाद फिर कोई संशोधन न लाना पड़े क्योंकि विधेयकों पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया जाता । जल्दी जल्दी में पास किये जाते हैं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि विधेयक पर अच्छी तरह से विचार किया जाय और तब इसको सदन के सामने लाया जाय ।

आप देखें कि धारा ३ की उपधारा (२) इस प्रकार है :

"जब कोई याचिका उपधारा (१) के अधीन जज को हस्तांतरित की जाय तो जज, याचिकाओं के संस्थित करने की अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, याची द्वारा १५ दिसम्बर, १९६४ से तीस दिन के भीतर तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसे याचिका में ऐसा संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जिससे कि वह याचिका में किसी पक्ष को सम्मिलित कर सके या अन्य प्रकार से उसे संशोधक अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बना सके ।"

अब देखिए जो विधेयक बना है उसमें पार्टी की एमेंडमेंट के लिए कहां प्राविधान है । मूल अधिनियम में यह कहीं नहीं था । इतना तो ठीक है कि इतना राइट तो दे दें कि जो कलेक्टर के यहां थी वह जज के यहां चली जाये । वहां तक तो कानून से, कायदे से तरमीम हो सकती थी लेकिन ये एक्सट्रा रख रहे हैं । ये किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए कर रहे हैं । पहले विधेयक में दिया हुआ है कि कब होगा । इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें जल्दी न हो और इसे कुछ दिनों के लिए परिचालित किया जाय ताकि इसमें रोज रोज की तरमीम और संशोधन न हों ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन तिवारी जी ने पेश किया है उससे तो मैं एग्री नहीं करता लेकिन फिर भी मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के संबंध में जो अध्यादेश सदन के सामने प्रस्तुत किया है करीब करीब वे ही धाराएं इस विधेयक में ह । एक बार अध्यादेश के अननुमोदन के समय हम लोगों ने अपनी राय दी । अब जब कि वही चीजें फिर हमारे सामने आती हैं तो एक समस्या उठ खड़ी होती है । मेरी राय में ३ माह तक जारी रखने पर अध्यादेश का जो मन्तव्य है वह बेकार हो जायगा अतः एक मास का समय रखना चाहिए और यही मौजूं है ।

पार्टी बनाने का हक हमें नहीं देना चाहिए । कोई भी आदेश जारी करते हैं, कोई भी कानून बनाते ह तो आपको पार्टी को मौका देना चाहिए कि विदइन सम टाइम वह फलां पार्टी बनाना चाहता है । यह बहुत ही जरूरी है कि लिटिगेशन जितना कम हो सके कम हो । इसको कम करने के लिए यह आवश्यक होगा । इसलिए यह जरूरी होता है कि मौका दीजिए कि पेटीश्नर जो है अपने पैटीशन में अगर कोई खामी है कि किसी आदमी को पार्टी नहीं बनायी है तो उसे पार्टी बना सके। अगर आर्डिनेंस में यह अमेंडमेंट हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था । पहले मैंने पेटीशन के बारे में यह कहा था कि इस पैटीशन के अन्दर २ खराबियां हैं । पहली तो यह है कि पहले माननीय मंत्री जी इस विधेयक की उपरोक्त बात को ठीक करें नहीं तो मुझे उम्मेद है कि उन्हें फिर राय देंगे कि एक संशोधन लाया जाय । पहले तो इसमें एक बात यह है कि कोई भी दस इलेक्टेड मेम्बर्स पिटीशन लाना चाहें तो किसी मेंबर के खिलाफ ला सकते हैं । यह उचित नहीं है । अगर उस कांस्टीट्यूएंसी के वे इलेक्टेड हों तब तो बात रीजनेबिल हो सकती है, तब तो उसी कांस्टीट्यएंसी से इलेक्टेड १० मेंबरों को पिटीशन फाइल करने का अख्यितार होना चाहिए लेकिन ऐसी बात नहीं है । किसी दूसरे क्षेत्र के भी १० मेंबर चाहें तो दस्तखत करके पिटीशन ली सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरे जो कैंडिडेट होगा वह उसी वक्त इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकेगा जब कि वह सीट का डिक्लेयरेशन कराना चाहे तो यह बात भी उचित प्रतीत नहीं होती। यह कहाँ का कानून है? इन बातों पर ला डिपार्टमेंट से राय ले ली जाय और अमेंडमेंट लाना चाहें तो इसी वक्त ले आइये, बाद में बड़ा अनर्थ होगा। ऐसी बातें कहीं किसी ऐक्ट में भी नहीं पाई जायेंगी सिवा इस ऐक्ट के और न किसी ऐक्ट में ऐसी कोई प्रणाली है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी ला-डिपार्टमेंट से इन दोनों बातों पर कंसल्ट कर लेंगे और संशोधन अभी ले आयेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला जो प्रस्ताव है उसको माननीय कमलासिंह ने स्वयं माना है कि उचित नहीं है क्योंकि अध्यादेश जो है उसमें ऐसी बात नहीं है कि जनता की बात उसमें हो। यह छोटा सा विधेयक है और उसका ध्येय बहुत सीमित है। इसलिए म उसका विरोध करता हूं। यह जो आपके सामने विधेयक है यह बहुत सीमित चीजों को ले कर है। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि जो कलेक्टर के यहां पिटीशंस दायर हो गये हैं वे पिटीशंस जज के यहां दायर माने जायें और वह कागजात उनके पास भेज दें, केवल इतना है। पहले जो पेश किया जाता था उसका प्रावीजन कोई दूसरा हो तो थोड़ा सा मौका दे दिया जाय कि वे खुद अमेंड कर सकें। यह सीमित है, कौन कर सकता है, क्या कर सकता है इसके बारे में तो प्रवर समिति में भेजने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो बात कही है मैं उस पर विचार करूंगा और जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है और मैं इस चीज को देखूंगा। मैं माननीय कमलासिंह यादव के प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उसको वापस ले लें।

(इस समय ५ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा (२) की ओर ले जाना चाहता हूं। आपने जो पार्टीज के अमेंडमेंट के लिए कहा है और जहां तक जूरिस्डिक्शन का सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दाखिल कर दे या कलक्टर के यहां, यह भ्रम था। यह आपने लगा दिया कि पार्टीज को भी कर सकते हैं अगर मियाद नहीं रहती है। दूसरे पार्टीज के बनाने का सवाल इसमें क्यों ला रहे हैं। पहले ऐक्ट में इतना था कि कहां दाखिल हो। अगर वहीं तक करते तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन आप कहते हैं कि अनुमति दे सकते हैं जिसमें वह याचिका को प्रसारित कर सके। आप उसको राइट क्यों देते हैं,वह तो इनफ्रक्चूअस हो जायगा। उसको कोई राइट नहीं देना चाहिए। इस कारण हम अपने प्रस्ताव पर ही बल देते हैं ताकि इसका स्थायी रूप आ सके। बाद को आप नहीं मानेंगे और कहेंगे कि रिट हो गई इसलिए ऐसा करना चाहते हैं। इसमें पार्टीज के लिये न रखा जाय। बियोन्ड लिमिटेशन पार्टीज को ऐड करना उचित नहीं होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक मेरे प्रस्ताव का सवाल है मैं उनको वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपने कोई प्रस्ताव मूव नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यदि कोई गड़बड़ी हो तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं क्योंकि मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ को ३ मास तक जनमत जानने के लिए जनता में परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १–४, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को और संशोधित करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ४३–एए का संशोधन

२—(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४३-ए ए की उपधारा (२) के खंड (बी) को निकाल दिया जाय तथा १ मई, १९५८ से निकाला गया समझा जाय ।

(२) इस धारा के उपबन्ध उन समस्त कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे जो १५ दिसम्बर, १९६४ को किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों ।

कतिपय निर्वाचन याचिकाओं के संबंध में, संक्रमणकालीन उपबन्ध

३—मूल अधिनियम, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे संशोधक अधिनियम कहा गया है) द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, की धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन किसी जिले के कलक्टर को या धारा ४३-बी की उपधारा (३) के अधीन किसी अधिकारी को, १५ दिसम्बर, १९६४ के पूर्व, चाहे वह संशोधक अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व हो अथवा पश्चात्, प्रस्तुत की गयी कोई निर्वाचन याचिका उक्त कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा संशोधक अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (५) या, यथास्थिति, धारा ४३-बी की उपधारा (३) में उल्लिखित जज (Judge) को हस्तांतरित कर दी जायगी और तत्पश्चात् उस पर इस प्रकार यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

(२) जब कोई याचिका उपधारा (१) के अधीन जज को हस्तांतरित की जाय तो जज, याचिकाओं के संस्थित करने की अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, याची द्वारा १५ दिसम्बर, १९६४ से तीस दिन के भीतर तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसे याचिका में ऐसा संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जिससे कि वह याचिका में किसी पक्ष को सम्मिलित कर सके या अन्य प्रकार से उसे संशोधक अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बना सके ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, १९६४

४—(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

निरसन तथा अपवाद ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम १५ दिसम्बर, १९६४ को प्रारंभ हुआ हो ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, ४ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) बिधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता था कि यह जो गन्ना क्रय कर वाला अध्यादेश है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बहस होगी और इसमें बहुत से माननीय सदस्य रुचि रखते होंगे । तो मैं यह चाहूंगा कि यह गन्ना क्रय वाला आज स्थगित कर दिया जाय और कल ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

इसमें कोई ज्यादा नहीं है, इसमें तो दो लाइनें हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

[माननीय मंत्री जी को तो इसमें दो लाइनें लगती हैं, लेकिन सारे प्रदेश का गुड़ और खांड-सारी का धंधा इन्होंने बन्द कर रखा है ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे विचार से तो इसे रहना चाहिए, इसे स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैसे भी यह आज के कार्यक्रम में है ही ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं यह चाहूंगा कि अगर यह बिल और यह दोनों के दोनों साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। यह ठीक नहीं होगा कि आज बहस हो और फिर कल यह लिया जाय। विधेयक और वह एक साथ ले लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इसके बारे में कोई विधेयक प्रस्तुत तो है ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी का कहना है कि जब विधेयक आ जाय तब इस पर विचार किया जाय। अतः इस पर आज विचार स्थगित माना जाय।

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

मुझे इसके संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना है, जो बिल का उद्देश्य है, उसमें मैंने साफ कर दिया है कि यह कठिनाई हमारी इसलिए पड़ी कि सड़कों के दोनों तरफ बाहर की ओर काफी फैलाव हो गया था और उसको रोकने के लिए यह विधेयक लाना पड़ा। इस संबंध में एक अधिनियम हमारा है, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई आई और उसमें हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ और इसलिए हमें यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस पर विचार करे।

(श्री कमलासिंह यादव के खड़े होने पर)

एक सदस्य—

एजेंडे में तो इनकी तरफ से विरोध लिखा हुआ है, श्रीमन्।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता [महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिए एक माह तक घुमाया जाय।'

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब से.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बातें बन्द करें।

श्री कमलासिंह यादव—

इस विभाग के इंजीनियरों ने १९४९ में मद्रास में यह सम्मेलन किया और यह तय किया कि प्राब्लम आफ रिबन डेवलपमेंट पर कि यह बहुत पोस्टवार के समय में बढ़ रही है, सड़कें भी बहुत बढ़ेंगी, इसलिए ऐसा विधेयक लाया गया। जहां तक नेशनल हाईवेज का संबंध है, उसके संबंध में मुझे ऐतराज है। जहां तक उत्तर प्रदेश रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट है उसके अन्तर्गत यदि उसकी धारा ५ को हम देखें तो उसमें दिया गया है कि जो सड़कें सेंट्रल प्लेस्ड हैं या उससे

---

†८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

४४० गज तक कंट्रोल होगा वह कंट्रोल एरिया होगा। तो, श्रीमन्, इस तरह की दिक्कत है, ४४० गज दोनों साइड में यह कंट्रोल एरिया रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी जरा शांति बनाये रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

जैसा कि तजुर्बा मेरा हुआ है, गाजीपुर जिले में एक नेशनल हाईवेज बन रहा है, वहां की घटना देखकर मुझे दुखित होना पड़ा है कि कितना अनर्थ इस विधेयक के जरिए हुआ है। हालांकि इस बात से मैं भी सहमत हूं कि सड़कों के किनारे मकानात बनाना रोकना चाहिए, लेकिन डिब्रूगढ़ रजवारी रोड जो गाजीपुर जिले में बनाई जा रही है, मुझे उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यह विभाग क्या कर रहा है? वहां पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। पी० डब्लू० डी० के पास पहले वह था फिर वह नेशनल हाईवेज के नाम से आया। और तरीके पर मैं देख रहा हूं कि पुल के करीब करीब ४०० फुट चौड़ी सड़क बनी है, इससे हमारी कितनी दिक्कत है। इस तरीके पर मैं देख रहा हूं कि यह वह जमाना है जहां पर फूड की समस्या हमारे सामने है। आज माननीय मंत्री जी के कहने के बावजूद भी, इंजीनियर साहब के कहने के बावजूद भी अभी ६ तारीख को मैं यहां आया हूं, मुझे बाध्य होकर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बनारस को, फोन करना पड़ा। श्रीमन्, कई फरलांग तक, मनमाना ढंग तक जो फसल आज कटने को तैयार है और करीब करीब पक चुकी है—उसको इस तरीके से बरबाद किया जा रहा है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे इससे क्या मतलब है?

श्री कमलासिंह यादव—

नेशनल हाई वे का मतलब क्या है। श्रीमन, इस विभाग के अन्तर्गत १५ सेक्शन जो हैं, उसके अन्तर्गत मैं जिक्र कर रहा हूं। उन बातों का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय जहां तक इन सड़कों का सवाल है, मैंने यह देखा कि नेशनल हाई वे और यह हमारी सरकार की चीज नहीं है, यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की चीज है। सेंट्रल गवर्नमेन्ट की चीज अगर इनकी जगह हो, जैसे रेलवे जा रही है, अगर उसके साथ साथ जो जमीन होगी वह रेलवे की होगी, जो पटरी उसकी होगी वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो पहिले तो यह चाहिये कि पुल के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की कोशिश करें। ओवर ब्रिज बनाने से हमारी साधारण कठिनाई दूर हो सकती है। और पुल बनाने के बावजूद भी, वहां के लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा और मैंने भी कहा कि एक बार आप खुद मौके पर जाकर देख लें कि कितना नुकसान पब्लिक का है। मैं जानता हूं कि जमीन आप जितनी चाहते हैं, उतनी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, जो नेशनल हाई वे पर लागू हो वही आप कहें।

श्री कमलासिंह यादव—

यहां यह सवाल नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि नेशनल हाई वे या राजपथ जो है उस पर यह ऐक्ट लागू किया जाय या न किया जाय। मैं यही

बता रहा हूं कि इसकी धारा जो है अगर लागू कर देंगे तो कितनी जमीन आप बरबाद कर देंगे ।

आज जो मनमाना ढंग से फसल बरबाद करें, उनकी जमीन को बरबाद करें, क्योंकि यह कहा जायगा कि इन गुड फेथ आपने काम किया है और यही कारण है कि . . (व्यवधान), हाई कोर्ट ने इस बात पर नहीं रद्द किया । हाई कोर्ट ने यह इस बात पर रद्द किया कि जो डिफिनीशन है कि वह इन्क्लूड नहीं करने को ह । राजपथ भी उसमें शामिल है । लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर सड़क की डेफिनीशन में हाई वे इन्क्लूड कर देंगे तो यह विधेयक उन सड़कों पर भी लागू हो जायगा । हालांकि सेक्शन ५ में वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की चीज है और वह चाहें तो आप से उसे मेन्टेन करा सकते हैं । तो आपको बनाना था तो पहले ही कर लेना चाहिये था लेकिन जब लिटीगेंट्स आपके पास आये तो आपका ध्यान गया क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग आपके खिलाफ हुई । तो मैं चाहता हूं कि ऐसी दिक्कतें इसमें हैं जिनकी वजह से उनकी फसलें बरबाद होती हैं और जमीन उनकी जबरदस्ती ली जाती है उनको दूर किया जाय । जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है . . . . .

श्री जगनप्रसाद रावत—

इससे इसका ताल्लुक नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसलिये यह सब कह रहा हूं कि लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत आप जब इसे करेंगे तो माकट वैल्यू से जमीन ले ली जायगी और लोगों को उनकी जमीन की असली कीमत नहीं मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बहुत विस्तार से जा रहे हैं । संक्षेप में कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

खैर, तो मैं अब एक ही बात कहूंगा । एक तरफ तो आप कहते हैं कि म्युनिसिपल एरियाज या टाउन एरियाज जिनके बीच से हो कर नेशनल हाईवेज जाती हैं तो वह नेशनल हाई वेज नहीं रहेंगी, उस टाउन एरिया या म्युनिसिपल एरिया की सड़क वह हो जायगी बशर्ते कि वहां पापुलेशन २० हजार से कम हो । लेकिन आज भी जो नेशनल हाई-वेज नये तरीके से बनाये जा रहे हैं वह भी गांवों के बीच से ले जाये जा रहे हैं । अगर इसका नमूना देखना हो तो गाजीपुर चलिये । वहां गावों के किनारे के मकानात लिये जा रहे हैं और उससे लोगों को परेशानी हो रही ह । उसको दूर करना चाहिये जिससे लोगों को दिक्कत न हो । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश रोड साइड लैन्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे बिधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर दे । कारण, कुछ तो माननीय कमलासिंह जी ने बताया कि जो फैसला हुआ है और जिसकी बुनियाद पर यह संशोधन विधेयक रखा गया है उसमें केवल जजेज ने एक राउन्ड पर यह चूंकि हाईवेज उत्तर प्रदेश अधिनियम में नहीं आता है इस वजह से जो भी इधर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---]

कार्यवाही इन्होंने की है, वह सब गलत है, उन प्रोसीडिंग्स को गलत बताया है। म मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह हाईवेज अधिनियम ५६ का है। उसके पूर्व भी मकान बन चुके थे। यह आपका अधिनियम उत्तर प्रदेश में ४५ का है। अभी केवल रिट में इतना ही फैसला है कि आपको कोई अधिकार नहीं था। आप केवल अपने उस अधिकार को लेने के लिये यह जोड़ रहे हैं कि इस डेफिनिशन में "हाई बेज" भी जोड़ दिया जाय। अब यह भी देखने का विषय है कि हाईवेज में एक नोटिफिकेशन होता ह कि आपको क्या अधिकार होगा। उसमें कोई अधिकार किसी बेदखली के लिये आपको नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर रिट दाखिल होगा और हमको फिर कहने का मौका मिलेगा और आप फिर संशोधन इसमें करेंगे। आपको अधिकार केवल मेन्टेनेन्स और डेवलेपमेन्ट करने का होता है। उस समय फिर आप सोचेंगे कि हमने कर तो दिया लेकिन फिर इसकी जरूरत पड़ गई। इसलिये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपके लिये यह बहुत आवश्यक है कि इसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिये, इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। वह इस विषय पर विचार करके, अध्ययन करके अच्छा प्रारूप तैयार करेगी। तब आप इसको यहां पर पेश करें तो अच्छा है। नहीं तो फिर आपको यहां पर संशोधन लाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं और आशा है मेरा प्रस्ताव सदन स्वीकार करेगा।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कमलासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और निर्माण मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बिल यहां पर प्रस्तुत किया ह जिसके अनुसार सड़कों को और चौड़ा कर दिया जायगा। जो मकान गांव वाले या कस्बे वाले बना लेते हैं उनको भी पी० डब्लू० डी० वाले गिरा देते हैं। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ बनारस, मेरठ, बुलन्दशहर में कोई मकान नहीं गिराया गया क्योंकि वहां पर बड़े-बड़े पैसे वाले लोगों के मकान हैं। उनकी बिल्डिंग को नहीं गिराया जाता है। गिराते किनके हैं, उन लोगों के गिराते हैं जो बेचारे गरीब हैं। मुहीउद्दीनपुर में गरीब लोमों क मकान गिरा दिये। नहर विभाग पहले नहर के इधर उधर की जमीन खेतिहर मजदूरों को देता था तो इससे वे उत्पादन करते थे जिससे देश का भला होता था। वह जमीन बची पड़ी रहती थी। अब अगर उमको न दी जाय तो इससे गरीब का नुकसान होगा और प्रदेश का भी लाभ नहीं होगा। अब सरकार कह रही है कि गरीबों के मकान भी नहीं बनने दिये जायंगे और उनको गिरा दिया जायगा। तो इस तरह से प्रदेश का लाभ नहीं होने वाला है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। अब जो मकान बने हुए हैं वह हट नहीं सकते हैं लेकिन उनको गिराने के लिये और गांव वालों को परेशान करने के लिये उनकी जमीन को लेने के लिये यह विधेयक यहां पर लाया गया है। अगर ईमान्दारी के साथ सड़कों को ऊंचा करना है तो हमारे मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव को बापस लेना चाहिये।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यह जो अध्यादेश जारी हुआ है उसमें सब से बड़ी दिक्कत की तरफ मैं माननीय मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अध्यादेश जो निकाला गया है यह सन् १९५७ से लागू समझा जायगा। इसे आप देखें। सन् ५७ में सड़क के अगल बगल जो मकान बने हुए हैं उस सड़क के नेशनल हाईवे बन जाने की वजह से वह मकान, बाग, बगीचे, सब गिरा दिये जायंगे और सड़क में मिला लिये जायंगे। यह एक बड़ी भारी दिक्कत है। मेरा मंत्री जी को सुझाव यह है कि इसे ५७ से लागू न करिये। अगर करना है तो इसे १९६५ से लागू करिये। अगर ऐसा आपने न किया तो आपके प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के हजारों मकान गिरा दिये जायंगे। इसके लिये आपको सोचना चाहिये। इस हालत में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें १९५७ के स्थान पर आप १९६५ रख दीजिये और उसमें भी आपको छूट देने का प्राविधान कर देना चाहिये। अगर छूट देने की बात इसमें न रक्खी गयी तो भी बहुत काफी नुकसान हो जायगा। सारी सड़कों के किनारे चौपट हो जायंगे। यह सड़क ४४० फीट चौड़ी होगी .....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

४४० फीट नहीं, यार्ड।

श्री ऊदल—

तब तो सचमुच गजब हो जायगा। कल मैं आजमगढ़ में दीदारगंज गया था ...

श्री अधिष्ठाता—

आप यह १९५७ करने के लिये कोई संशोधन तो लाये नहीं हैं। यह हो नहीं पायेगा।

श्री ऊदल—

जब बिल पर विचार होगा तब मैं संशोधन ले आऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो सब समाप्त होने जा रहा है, खैर, आप कहिये।

श्री ऊदल—

मेरा विचार है कि मंत्री जी जरूर मेरी बात मान लेंगे। श्रीमन्, जो रास्ता गाजीपुर से शाहगंज होकर बलिया जाता ह उस पर दीदारगंज पड़ता है। वहां से एक सड़क खेतासराय की तरफ जा रही है। वह ४० फीट तो चौड़ी है जिस भाग पर मिट्टी पड़ रही है और खन्दक वगरह ले कर वह १०० फीट की बनेगी। दीदारगंज के पास नयी सड़क बनी है लेकिन उस पर कोई चलता नहीं। तो जब हमारे यहां ऐसा खाद्य संकट है, नेगी जी परेशान हैं उस समय भी काफी बर्बादी हो रही है। आपको इसलिये सोचना चाहिये कि कैसे काम चले और कैसे बचत हो। सड़कें भी सुरक्षित रहें और मकान भी, इसका रास्ता आपको निकालना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी मेरा एक सुझाव अवश्य मान लें।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक आज पेश है वह बहुत ही जरूरी है। जो भाई यहां इस विधेयक के विरुद्ध प्लीड कर रहे हैं वे स्वयं देखते हैं कि लोगों ने सड़क के बीच तक में मकान बना रखे हैं और उनका इंक्रोचमेन्ट बढ़ता जा रहा है। अगर इस बात का नियंत्रण न किया जाय कि सड़क के दोनों ओर कितनी दूर तक मकान बनायें जायंगे तो नतीजा यह होगा कि आपकी सड़क का रकबा भी लोगों के मकानों में आ जायगा। आज इस नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। यह बहुत आवश्यक है कि जो रोड बनी हुई है उससे कितनी दूरी पर इमारत आदि बने। इस संशोधन क जरिये हम लोगों को यह मालूम हो जायगा कि कितनी दूरी पर हम लोगों को मकान बनाने हैं या और कोई अपना काम करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सी मुख्य-मुख्य सड़कों के किनारे लोगों ने अपने भट्ठे आदि बना लिये हैं। इस विधेयक के द्वारा ऐसी चीजों को रोका जा रहा है। आज हमारी आबादी जिस रफतार से बढ़ रही है उसको देखते हुए भी यह जरूरी है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय। कम्युनिकेशन की महत्ता को देखते हुए भी यह जरूरी है कि इस ओर सरकार कड़ा से कड़ा प्रतिबन्ध लगावे। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी, रास्ते महफूज नहीं रह सकते। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन है और इसका मतलब भी बहुत सीमित ही है। मेरे खयाल से माननीय सदस्यों ने गौर से इसे देखा नहीं है। होता यह था कि जो हमारी सरकार की सड़कें होती थीं या लोकल बाडीज की होती थीं उनके संबंध में तो सन् १९४५ का ऐक्ट था, लेकिन जो राजपथ या राष्ट्रीय पथ थे उनके बारे में कुछ नहीं था। इस संशोधन के जरिये किसी की जमीन लेने का या काश्तकार को नुकसान पहुंचने का सवाल नहीं है। इसका संबंध केवल इसी से है कि जो सड़क हो, उसकी केन्द्र रेखा से एक सीमा तक कोई अपना स्ट्रक्चर आदि न बना सके। उसके लिये पहले नोटिफिकेशन होगा, उस पर एतराजात मांगे जायेंगे। इसलिये इस विधेयक में केवल "राजपथ या राष्ट्रीय पथ" शब्दों को जोड़ा गया है या उनसे संबंधित कुछ और संशोधन हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिन बातों का उल्लेख माननीय कमला सिंह जी ने, या माननीय ऊदल जी ने किया है,उनका संबंध इससे नहीं है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने को इन्हीं बातों तक, जिनका जिक्र इस विधेयक में है, सीमित रखें। मुझे आशा है माननीय कमला सिंह जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—(श्री कमलासिंह यादव से) क्या आप प्रस्ताव वापस कर रहे हैं ?

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो विचारधारा प्रस्तुत की गई है, मेरा विश्वास है कि वह इस विधेयक का प्रयोजन नहीं है और ऐसी बात इस तरीके से माननीय मंत्री जी के मुंह से नहीं निकलनी चाहिये। इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे ऐक्ट की धारा (२) को अगर आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी सड़क हम उस शेड्यूल से निकाल सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो उस वक्त जो ऐड करेंगे उसका नतीजा यह होगा कि ४४० गज की जो दूरी होगी वह कंट्रोल एरिया में एप्लाई करेगी। इस संबंध में मैं आपका ध्यान फिर आकृष्ट करूंगा कि आप सदन को धोखे में मत डालिये। मैं अंग्रेजी प्रति से ऐक्ट की धारा (२) व (३) को आपके सामने पढ़े दे रहा हूं।

"(2) The Central Government may, by notification in the official gazette, declare any other Highway to be a National Highway and on the publication of such notification, such highway shall be deemed to be specified in the schedule.

(3) The Central Government may, by like notification omit any highway from the schedule and on the publication of such notification, the highway so omitted shall cease to be a national highway."

तो इसमें यह है कि पुराने जमाने के जो नेशनल हाई वे हैं वे काफी चौड़ी नहीं हैं। अगर उसमें शामिल करेंगे तो वे सड़कें चौड़ी बनानी पड़ेंगी। आपको इसमें नये निर्माण करने पड़ेंगे। और जो नये निर्माण करेंगे उस समय वे चीजें आयेंगी जो आप नहीं लाना चाहते थे। दूसरी चीज जो मकान वगैरह के बारे में कही गई हैं उसका मतलब यह होगा कि इस विधेयक के अन्दर जो रोडसाईड ऐक्ट है उसकी सेक्शन ५ में यह दिया हुआ है कि ५७ के बाद जो मकान बनेंगे अगर कम्पैन्सेशन का सवाल आयेगा तो आपको गिराना होगा तो गिरा भी सकेंगे और कम्पेन्सेशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह १९५७ से लागू है क्योंकि उसमें ऐसा ही प्राविजन है कि अगर कलेक्टर की परमिशन के बगैर बिल्डिंग इरेक्ट या रिईरेक्ट करेंगे तो कोई कम्पैन्सेशन नहीं मिलेगा। या अगर कहीं आपको गिराना हो या लैन्ड ऐक्वायर करनी हो तो हमें उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुआवजा बिलकुल नहीं देंगे, वह सिर्फ लैन्ड का देंगे क्योंकि मार्केट वेल्यू वह उस डेट से निकालेंगे जिस रोज कि यह ऐक्ट लागू होगा। १५ अप्रैल, सन् ५७ से इसको लागू करेंगे तो कोई भी मकान वगैरह जो ५७ के बाद ५८ में, ५९ में बने या आज के पहले बने उन सब पर यह अफेक्ट करेगा। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी कोई भी कार्यवाही अगर आप करेंगे तो वह एक बड़ी विध्वंसक नीति होगी। मकान पहले बन गए और आज इस ऐक्ट को लागू करके आप हमें महरूम कर देते हैं कि हम उसका उचित कम्पेन्सेशन न पा सकें।

श्रीमन्, संविधान में भी लिखा है कि कोई भी आदमी अपनी प्रापर्टी से डिप्राइव नहीं किया जायगा बिना उचित कम्पेन्सेशन के। आप एक नामिनल कम्पेन्सेशन पर किसी का भी मकान गिरा दें यह उचित नहीं है। सदन को भी इस बात की जानकारी है कि कितना कम कम्पेन्सेशन आप पे करते हैं जब कभी लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार लन्ड ऐक्वायर करते हैं। हालांकि आपने देखा कि जहां तक गाजियाबाद का सवाल है वहां कितनी लड़ाई हुई, आज भी वहां के किसान बरबाद हो रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कीमत वहां आपने देने की कोशिश की लेकिन पूर्वी जिले के जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनको आप कितना कम्पेन्सेशन देते हैं? अगर उनको उचित कम्पेन्सेशन दें तो अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह जमीन लेकर वह अपनी गुजर-बसर करने की कोशिश करते लेकिन आप बहुत नामिनल वैल्यू पर जमीन ले लेकर उनको तबाह कर रहे हैं और फसलें भी बरबाद कर रहे हैं। तो और अधिक न कहकर मैं फिर आपसे यह अनुरोध करूंगा कि यह एक संशोधन भी मैंने दिया है १९६५ का अगर आज के बाद किसी का मकान बनता है या नये तरीके पर कोई बनावे तो आप उसको पनिश करें, एरेक्ट या रीएरेक्ट करे तो आप उसका कम्पेन्सेशन न दें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि अब कोई भी आदमी मकान बनावेगा तो उसके लिये लाजिमी होगा कि वह कलेक्टर की परमीशन से बनाये और कलेक्टर परमीशन देता है तो बनायेगा और उसके बाद कम्पेन्सेशन भी उसको मिलेगा लेकिन अगर कलेक्टर परमीशन नहीं देगा तो कोई भी कम्पेन्सेशन कानून के अन्दर उसको नहीं मिलेगा। इसीलिये मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

यह बातें मैंने हवा में नहीं की हैं, पहले नेशनल हाई वे पर यह चीज लागू ही नहीं थी और रोड की जो डेफीनीशन है उसमें नेशनल हाई वे जोड़ दिया जायगा तो जमीन बहुत काफी दूर तक आपके कब्जे में आ जायगी, यानी वह कंट्रोल एरिया में आ जायगी। मैं मानता हूं वह कंट्रोल बहुत जरूरी चीज है और पहले भी लोगों ने कहा है कि सड़कें जो हैं उनके दोनों तरफ इतने मकान बनते जा रहे हैं कि जिनसे बड़ी दिक्कत है। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, कि, दिक्कत है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आपको अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के मेम्बर हैं, बापू के पुजारी हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपके हाथ से ऐसी चीज हुई तो वह बहुत ही हंसी की ही चीज नहीं होगी बल्कि बड़े दुख की चीज होगी। इसलिए आप इस विधेयक को १९६५ से लागू कर दें या पहली जनवरी से लागू करें। इस तरह की चीज अगर आप मान लेते हैं तो उससे जनता को राहत मिलेगी और आपका विधेयक जो है उसे तो हर हालत में आपको पास करना ही है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने न्याय विभाग से इस बारे में सलाह ले लें। मेरा विश्वास है कि वह भी इसी राय का होगा कि हमको इस समय कोई अधिकार ही नहीं है। जो आपत्तियां माननीय कमलासिंह जी और माननीय ऊदल जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

बतायीं उनके अतिरिक्त और भी दिक्कतें हैं जिनको ओवरकम करने के लिए आपको संशोधन लाना पड़ेगा। कोई सी हाई वे कभी भी ली जा सकती है। नोटीफिकेशन के द्वारा और सड़कों को भी आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों को भी हाईवे बनाया जा सकता है। लेकिन इसके द्वारा आपको अधिकार न होगा। वह फिर दूसरा दावा कर सकता है और तब हाई कोर्ट के जज इसका निर्णय करेंगे। इसलिए इसको समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह जो सुधार उचित हों उनको कर दे।

श्री जगन्नप्रसाद रावत—

अधिष्ठाता महोदय, जो ५७ और ६५ की बात कही गयी है वह उचित नहीं है। असल में किसी भी ऐसी जगह कार्यवाही होने की आवश्यकता नहीं है जहां नोटीफिकेशन इश्यू न हो गया हो। जहां नोटीफिकेशन का उल्लंघन किया गया है वहीं लागू होगा। दूसरी बात ४४० गज की कही गयी। इसका अधिकार लिया गया है लेकिन जिन सड़कों के आसपास उसकी जरूरत है वहीं हम ले रहे हैं। और सड़कों पर १९६० का जी० ओ० ही लागू होगा जिसके अनुसार ७५ फीट से ज्यादा जमीन हम नहीं ले रहे हैं। इसलिए ४४० गज के अन्दर के मकानों को गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी का नुकसान होता हो। यह तो केवल सार्वजनिक और यातायात की सहूलियत की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, चलिए मन्त्री जी ने अपना बोलने का ट्रेन्ड तो बदला। पहले तो कहा था कि लैंड एक्वायर करने का सवाल ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो स्वयं जानते हैं कि मन्त्री जी के बाद आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं क्लेरीफिकेशन के रूप में ही कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक विधेयक का सवाल है, मैं मन्त्री जी की बात मानता हूं कि जब नोटीफिकेशन हो जायगा तो जिन लोगों ने ऐन्क्रोचमेंट किया है उनके मकान हटा दिए जायेंगे। लेकिन अगर आप इसको अप्रल, ६५ से लागू करेंगे तो उनको रिलीफ देने का सवाल पैदा होगा जिन्होंने पहले मकान बनाए हैं। उन लोगों ने जिन्होंने उस वक्त बिल्डिंग बनायी थी जब कि कलेक्टर की परमीशन की आवश्यकता नहीं थी, जबकि वे इरेक्ट और रिइरेक्ट कर सकते थे लेकिन जब यह ऐक्ट लागू हो गया तब कलेक्टर की परमीशन की जरूरत होगी। अगर मान लिया जाय कि आप इसको सन् १९५७ से लागू करते हैं तो जिस आदमी ने सन् १९५७ के बाद कोई मकान बना लिया है तो उसमें दिक्कत होगी.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका संशोधन है, उस पर आप बोलेंगे। क्या आप अपने इस संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

जी नहीं, मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिए एक माह तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो; तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—६

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९४५ की धारा २ का संशोधन

२—यू० पी० रोडसाइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खण्ड (६) के स्थान पर निम्नलिखित नया खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

'(६) "सड़क" का तात्पर्य राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित पक्की सड़क या मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सीमांकित मार्ग से है और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ भी हैं।'

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि राष्ट्रीय राजपथ की दशा में, सड़क को ही नियन्त्रित क्षेत्र नहीं समझा जाएगा";

(२) उपधारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(८) ऐसी सड़क के सम्बन्ध में, जो बाद में नेशनल हाईवेज ऐक्ट, १९५६ के अधीन राष्ट्रीय राजपथ हो जाय, इस धारा के अधीन जारी की गयी कोई विज्ञप्ति अथवा की गयी कोई घोषणा, सड़क के इस प्रकार राष्ट्रीय राजपथ हो जाने पर भी, वैध बनी रहेगी तथा प्रचलित रहेगी।"

विज्ञप्तियों आदि का वैधीकरण

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ किए जाने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, दिया गया प्रत्येक आदेश, की गयी प्रत्येक घोषणा, की गयी प्रत्येक कार्यवाही अथवा किया गया प्रत्येक कार्य, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त ऐक्ट के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति, दिया गया आदेश, की गयी घोषणा, की गयी कार्यवाही अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी वैध समझा जायगा और सदैव से बैध रहा समझा जायगा।

अपवाद

५—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात से कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के कारण जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध न था उक्त उपधारा के अधीन किसी दण्ड का भागी न होगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६४ का निरसन

६—उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५ तथा ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५

यू० पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कन्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलाएगा।

(२) धारा २ और ३, १५ अप्रैल, १९५७ से प्रचलित हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रचलित होंगी।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १ के उप खण्ड (२) में "१५ अप्रैल, १९५७" के स्थान पर "१५ अप्रैल, १९६५" रख दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सी बातें मैं पहले ही इसके बारे में कह चुका हूं। मेरा सिर्फ यह मतलब है कि आपके जरिए में माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि अगर १९५७ में इसका नोटीफिकेशन हो गया तो यह ऐक्ट उसी समय से लागू समझा जायगा और अगर उसके बाद जिन लोगों ने उस रोड के किनारे जिसे आप नेशनल हाई वे बनाने जा रहे हैं, अपना कोई मकान एक मंजिला या दो मंजिला बना लिया है तो उनको उसके लिए कोई मुआविजा नहीं मिलेगा। यदि नोटीफिकेशन के बाद कोई भी उसका कार्य हुआ होगा तो वह अवैधानिक माना जायगा और इस तरीके पर चूंकि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने मकान बनाए होंगे, तो वह उस जमीन का इम्प्रूवमेंट माना जायगा और कानून के मुताबिक उस इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें कोई मुआविजा नहीं मिलेगा। संविधान की धारा १५ का जहां तक संबंध है उसके अनुसार कोई भी आदमी अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा, किसी भी आदमी का अगर आप कोई मकान या जमीन लेते हैं तो उसका उचित मुआविजा आपको देना चाहिए जैसा कि आप जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में दे चुके हैं और उनको उचित मुआविजा दिया हैं। यही यहां की रीति भी रही है कि सब को उचित मुआविजा देने की व्यवस्था की गयी है। कानून का इन्टरप्रिटेशन भी यही माना जायगा और इसीलिए आपको यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा। यह जो दिक्कतें आर्डिनेन्स लाने की पड़ रही हैं वह इसी लिए पड़ रही हैं और सदन में बराबर अपोजीशन की तरफ से इन चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेकिन सरकार मानती नहीं, वह हमारी बात सुनती नहीं। हम लोग मन्त्री जी से प्रार्थना करते हैं तो वह अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं और अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे आदमी के खिलाफ जैसा कि मैंने बताया कि आज के पहले अगर किसी ने मकान बना लिया है तो उस वक्त हाई वे बनाने पर उसके साथ अन्याय होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यह बिल जो कि आर्डिनेन्स के रूप में लाया गया या इसका नोटिफिकेशन जब हुआ तो उस तारीख के बाद या जिस तारीख को मकान बनाया हो या कुछ किया हो तो सख्ती बरतिए, यह पालिसी आप की ठीक है, सड़क बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है और इस तरह के इन्क्रोचमेन्ट को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। लेकिन नोटीफिकेशन या गजट में जारी होने या लागू होने के पहले अगर किसी ने बनाया है और उस आदमी को जानकारी नहीं थी कि इस तरह का आगे आर्डिनेन्स आयेगा और आप उसको नेशनल हाई वे बनायेंगे तो वह तो निर्दोष होगा। उसने दो मंजिला या तीन मंजिला अगर मकान बना लिया है और बाद में आप उसको नेशनल हाई वे बनाते हैं तो उसका क्या कसूर है, उसका कोई इरादा इन्क्रोचमेन्ट का नहीं था; पहले की उसकी चीज बनी है। ऐसे केसेज को आपको देखना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब अपने विचार तो रख चुके हैं, मैं मन्त्री जी से पूछे लेता हूं कि उनको यह स्वीकार है या नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

इस तरह से आप विचार व्यक्त नहीं करने देते। इस तरह से आप चाहते हैं कि बस कानून जरा देर में पास हो जायं, उसका फल यह होता है कि आपको अध्यादेश लाने पड़ते हैं और आपका कोई भी कानून ऐसा नहीं बनता कि जो हाई कोर्ट में जाकर तितर-बितर न हो जाता हो। लोग जो कहते हैं कि यहां "अंगूठाटेक" पड़े हैं तो हम भी चुप रह जाते हैं कि हमारी सरकार इस तरह के कानून बना रही है। हम देखते हैं कि वह अधिकारी जो इनको बनाते हैं वह जब कोई गलत कानून बन गया तो कहते हैं कि विधान सभा ने बनाया है और अगर अच्छा बन गया तो कहते हैं कि हम ने फ्रेम किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि आज जब हम वाद-विवाद करते हैं तो सरकारी अधिकारी यह कहते हैं कि "हमारे तीतर खूब लड़े"। इसमें लड़ने का प्रश्न नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में कानून सी-आर० पी० सी०, आई० पी० सी० आदि तमाम कानून बने हुए हैं जिनमें इतने साल हो गए कहीं भी उंगली नहीं लगाई जा सकती। अंग्रेजों के जमाने में ला विभाग में काम्पीटेंट अफसर रखे जाते थे और हर तरह से हर चीज पर विचार किया जाता था। उनका आप एक-एक शब्द देख लें, तबियत खुश हो जाती है। आज के कानूनों में दो दिन के बाद ही संशोधन आने आरम्भ हो जाते हैं। यह भी हमने देखा है कि सरकार के जो अधिकारी हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें तक पता नहीं रहता कि कब अमेंडमेंट किस चीज का हुआ और किस तरीके पर हुआ। इसलिए कोई भी दिक्कत जो भविष्य में जनता को आने वाली हो अगर उनके बारे में पहले से सुन लें और तब कानून बनायें तो जो हम आपसे बार-बार सिफारिश करने जाते हैं उसकी नौबत ही नहीं आयेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि गलत काम के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और हर आदमी इस बात से सहमत होगा। लेकिन जब काला कानून बना कर किसी को परेशान करेंगे तो बड़ी दिक्कतें होंगी और हमारे सामने परेशानियां आती हैं जिनके कारण हम बाध्य हो जाते हैं आपकी शरण में जाते हैं। आप जानते हैं कानून कोई भेदभाव नहीं बरतता, जो लिटरल इन्टरप्रीटेशन होता है वही न्यायालय में माना जाता है और यही कारण है कि जब किसी बड़े आदमी से मुकाबला पड़ता है तो वह रिट में चला जाता है और उस समय आपको मालूम होता है हमारे कानून में कहां लूप होल्स हैं। लाखों केसेज आपके सामने आयेंगे कि जो पहले से मकानात उन सड़कों के किनारे बने होंगे जिनको आप नेशनल हाई वे की परिभाषा में शामिल करेंगे क्योंकि नेशनल हाई वे की परिभाषा इस विधेयक में नहीं है। इसलिए उस शेड्यूल में जब किसी सड़क को नेशनल हाई वे के तौर पर ऐड करेंगे तब वह नेशनल हाई वे कहलाएगा और जिसको निकालेंगे वह निकली हुई मानी जायगी। इसलिए जो संशोधन मैंने रखा है इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि १९५७ से इसको लागू करने से आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसने जबरदस्ती मकान बना लिया हो तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कि आप उसकी जमीन

[श्री कमलासिंह यादव]

एक्वायर कर सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि अच्छी सड़कें न बनाइए। मैं चाहता हूं अच्छी सड़कें बनें लेकिन साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो इसलिए मैं कहता हूं कि १९५७ रखने से अनर्थ होगा। मैं चाहता हूं कि आप अप्रैल, १९६५ या जनवरी, १९६५ रख लें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जो संशोधन मैंने रखा है कि जिस दिन से यह कानून पास हो उस दिन से लागू हो तो अच्छा रहेगा। इससे हम सब का भला होगा और हम लोग भी बार-बार आपके पास दौड़ कर नहीं जायंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करत हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए इस संशोधन को मन्त्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अधिष्ठाता महोदय, कोई संशोधन लाया जाता है तो उसका कारण होता है। यहां पर सरकार की तरफ से उद्देश्य और कारण में दिया गया है कि "उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि भले ही राज्य सरकार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजपथों का संधारण कर रही हो, किन्तु उक्त ऐक्ट में दी गयी 'रोड' की परिभाषा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ नहीं आते।" रोड साइड के लिए हाई वे इनक्लूड करायें तो ठीक था। यह ऐक्ट, १९५६ का है और आपका यू० पी० रोडसाइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ का है। तो दोनों में से आपने कोई वर्ष नहीं रखा बल्कि १९५७ रख दिया। सन् १९५७ के पश्चात् जिस व्यक्ति ने मकान बनाए हैं उसका क्या होगा। उसको अधिकार था कि वह अपना मकान बनाता आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके मकान, को रोकें। यह बहुत घोर अन्याय होगा कि जो लोग अपना अधिकार समझकर सन् १९५७ के बाद मकान बराबर बनाते रहे हों आप उसे गिरा सकते हैं। इस वजह से आप यहां से सन् "१९५७" निकाल दें। जिस दिन से आपने अध्यादेश जारी किया, या जिस दिन से आपने गजट में दिया है वह तारीख भी कुछ न्यायोचित है। यदि नहीं; तो नतीजा यह होगा कि आप किसी के भी मकान को गिरा सकेंगे। अतः प्रार्थना है कि यह संशोधन मान लिया जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १ के उप खंड (२) में "१५ अप्रैल, १९५७," के स्थान पर "१५ अप्रैल, १९६५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

क्या, श्रीमन्, इसके बाद भी कोई विधेयक लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

हां। जब तक समय रहेगा तब तक कार्य चलेगा।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय मन्त्री जी को इतना समझाया और सारी बातें कानून के मुताबिक जो पासिबिल थीं, पब्लिक के ऊपर जो इससे अत्याचार होगा वह भी बताया लेकिन फिर भी माननीय मन्त्री जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके उद्देश्य और कारणों में जो बातें दी हुई हैं, वे पब्लिक हित में नहीं हैं। अतः यदि इसे माना जायगा तो दिक्कत हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

जाने दीजिए, वे देख लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी एक प्रस्ताव ला चुके हैं जो अध्यादेश के रूप में आया है। कानूनी रूप से उस पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है लेकिन जो बातें कहीं उन पर भी वे विचार करने को उद्यत नहीं हैं।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है माननीय मन्त्री जी पंडित पन्त के जमाने में भी रह चुके हैं। वे कितने सख्त आदमी हैं कि उनको एक बार पढ़ा दिया गया है वे उससे पीछे नहीं जा सकते हैं। मैं तो यह जानता हूं कि अगर कोई आदमी किसी बात का प्रयोग सही रूप से बताए कि इसकी खामी रह गयी है तो वह मान लेना चाहिए पर वे तो इस बिल पर उसी तरह की मुहर लगा देना चाहते हैं, जो उचित न होगा। हम कोई कानून बनाते हैं हमें उसमें जनता की दिक्कतें जो होती हैं, उनको भी समझना होगा। यहां पर जो कानून बनते हैं, वे मन्त्री जी से भी कठोर होते हैं। मेरे विचार में हमें विचार करके छानबीन करनी चाहिए। ताकि उसमें लेचेज न हों जिससे कि वह अदालत के सामने जाय और वहां उसकी छीछालेदर हो जैसी कि आज तक हुई है। जहां तक इस लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट का सम्बन्ध है जिसके जरिये से आप सड़कों के लिये जमींने लेते हैं वह देखा जा रहा है कि इस प्रदेश के अन्दर और बगल में जो पड़ोसी प्रदेश हैं दोनों के लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट्स में बहुत ही भिन्नता ह। बिहार में तथा पंजाब में कोई जमीन ली जाती है किसी नेशनल हाई वे को बनाने के लिये तो कम्पेनसेशन वहां अधिक दिया जाता है लेकिन यहां कम्पेनसेशन बहुत कम दिया जाता है। इससे किसान तबाह हो जाता है। उसको मार्केट वेल्यू से रुपया मिलना चाहिये। इसके लिये इस विधेयक के अन्दर तरमीम होनी चाहिये ताकि इस आदमी को जिसकी जमीन ली जा रही हो, राहत मिल सके।

दूसरे यह भी मैंने देखा है कि नेशनल हाई वे के लिये जब जमीन ली जाती है उसमें जो कुवां होता है वह शामिल नहीं किया जाता है। नदी के किनारे ४, ५ हजार रुपया लगा कर कुयें बनाये जाते हैं लेकिन लैंड एक्वीजीशन में कह दिया जाता है कि हमें कुवें की जरूरत नहीं है। जो आदमी कुवें का मालिक होता है वह उससे महरूम हो जाता है क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पैसेंजर उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपकी वहां सड़क होती है। लिहाजा आपका धर्म हो जाता है कि जिस समय जमीन ली जाय और उसमें कुवां हो तो कुवां भी आप लें और उसके लिये भी कम्पेनसेशन दें।

रोड साइड पर यह देखा जाता है कि आबादी होती है। अभी तक यह कानून था कि पुराने नेशनल हाई वेज चले आते हैं जिनके दोनों तरफ कस्बे के मकानात हैं। अब यह देखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जाता है कि दोनों तरफ मकानात हैं और करीब-करीब हैं और घनी आबादी होने के कारण आपको यह खतरा रहता है कि एक्सीडेंट न हो जायं। श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

जहां पर घनी बस्ती है वहां पर एक्सीडेन्ट्स होने का अधिक डर है। इसलिये आपने नई नीति अपनाई है कि जो साइड ट्रेक लेते हैं वह कस्बे से बाहर से सड़क बनाते हैं। इसलिये आपको यह देखना चाहिये कि जो नई सड़क बनाई जाती है वह किसी गांव के बीच से होकर तो नहीं निकलती है। इसलिये आपको अपने अधिकारियों के ऊपर इस मामले में काफी सख्ती बरतनी चाहिये। एक तरफ तो यह रवैया है कि सड़क कस्बे के अन्दर से जाती है उसको बाहर करने के लिये कस्बे के बाहर से निकालते हैं लेकिन दूसरी तरफ रवैया यह है कि वह सड़क गांव के बीच से निकलती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो समस्या पहले थी वह अब भी बाकी रह जाती है। इसलिये यह पालिसी आपको अख्तियार नहीं करनी चाहिये। मैं रजवाड़ी रोड का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां पर एक्सीडेंट्स का बहुत डर रहता है। वहां पर आप मकान एक्वायर कर रहे हैं। इसलिये जहां यह सवाल आये वहां आप इंक्वायरी करा लें जिससे ऐसी बात फिर न होने पाये।

श्रीमन्, सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जहां पर साइड ट्रैक बनाई जाय तो वह किसी गांव के बीच से न जाय और न उसमें किसी मकान के गिराने का ही प्रश्न पैदा हो। अगर आप मकान एक्वायर करेंगे और साइड ट्रैक गांव के बीच से गुजरेगी तो आपकी नीति असफल होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इन चीजों पर ध्यान दें जिससे आयन्दा गलती न हो। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो सड़कें बनेंगी उनमें इस बात का ध्यान रक्खा जायगा।

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैंने माननीय कमलासिंह यादव की बातों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं उनको आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस पर काफी सोचा है और जैसा कि आपने कहा मैंने इसके ऊपर ला डिपार्टमेंट से भी काफी बातचीत की है। इन सब बातों को खूब सोचने समझने के बाद ही मैं यह विधेयक लाया हूं। मैं यह कह सकता हूं कि इस विधेयक को लाने का मंशा किसी को परेशान करने का नहीं है और न किसी को परेशान किया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदन इस विधेयक को पारित करने की कृपा करे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५*

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

---

*१० फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जहां तक स्थानीय निकाय का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं और इस पर एक संशोधन आया है और माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। इसलिये ज्यादा उपयुक्त होगा कि उस पर ही विचार किया जाये और इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

अब चूंकि मैंने माननीय मंत्री जी को बुला लिया है और उनको बोलने के लिये कह दिया है, इसलिये इसे ही चलने दीजिये, यह स्थगित नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१५ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २, ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९५ पर)

जिला आजमगढ़ की खाद्य परामर्श-दात्री समिति की गत अप्रैल, मई तथा जून मासों में हुई बैठकों में किये गये निर्णयों तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूची ।

४ अप्रैल, १९६४ की बैठक के निर्णय	निर्णय पर की गई कार्यवाही का विवरण
१—सस्ते गल्ले की दुकानों पर आधा गेहूं तथा आटा दिया जाय तथा यह आटा कानपुर से न मंगाकर वाराणसी से मंगाया जाय ।	१—देहाती क्षेत्र की दुकानों पर आधा गेहूं तथा आधा आटा दिया जाने लगा । क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर से वाराणसी से आटा मंगाने के लिये बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने कुल आटा वाराणसी से देने में असमर्थता प्रकट की ।
२—जिले में सीमेंट की कमी पर विचार किया गया तथा यह निर्णय हुआ कि अप्रैल, मई, जून के महीनों में विकास कार्य के लिये दिया जाय । इसी बैठक में यह भी तय पाया गया कि प्रत्येक जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को तीन महीने के लिये २०० बोरी सिमेन्ट दी जाय जिससे वे अपने क्षेत्र में सिमेन्ट का वितरण कर सकें ।	२—समिति के निर्णयानुसार कमेटी के सदस्यों को २०० बोरा प्रत्येक को सीमेंट बांटने के लिये दे दिया गया, और शेष सीमेन्ट विकास कार्यों के लिये दिया गया । परन्तु कुछ सदस्यों ने सिमेन्ट वितरण करने में असमर्थता प्रकट की । अतः कुल सिमेन्ट विकास क्षेत्र अधिकारियों को विकास कार्य के लिये दिया जाने लगा ।
३—जहां पर सदस्यों को सस्ते गल्ले की दूकान खुलवाना हो उसकी तालिका जिला पूर्ति अधिकारी को अविलम्ब दे दें ।	३—उस समय जो सूची सदस्यों से प्राप्त हुई आवश्यकतानुसार दुकानें खोल दी गईं ।
२ मई, १९६४ की बैठक का निर्णय	
१—सरकार से यह प्रार्थना की जाय कि जिले में आधा गेहूं तथा चावल दिया जाय क्योंकि बाजार में चावल मिलने में कठिनाई पैदा होती है ।	१—गेहूं और चावल दुकानों पर दोनों ही दिया जा रहा है ।
२—सरकार के पत्र संख्या १७९८/२९—ए—एफ० आर० एफ० ३०९ दिनांक १४—५—६४ के आदेश के अनुसार श्री शुकदेव प्रसाद एवं कृष्ण प्रसाद गुप्त के सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के समस्त कागजात बैठक के सामने प्रस्तुत किये गये तथा समिति के निर्णय के अनुसार दोनों दुकानें चेतावनी के साथ बहाल कर दी गईं ।	२—समिति के निर्णयानुसार दोनों दुकानें चेतावनी के साथ बहाल कर दी गईं ।

२ मई, १९६४ को बैठक के निर्णय	निर्णय पर की गई कार्यवाही का विवरण
३—जाली राशन कार्ड की जांच के विषय में यह तय पाया कि एक यह कार्य जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कराया जाय ।	३—समिति के निर्णय के अनुसार राशन कार्डों की जांच कराई गई ।
४—यह तय पाया गया कि श्री रामप्यारे उपाध्याय को उनके शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में लिखा जाय कि जिला पूर्ति कार्यालय तथा मार्केटिंग कार्यालय के विरुद्ध उनके पास कोई ऐसा प्रमाण-पत्र है जिससे यह सिद्ध हो सके कि सप्लाई आफिस तथा मार्केटिंग आफिस के कर्मचारियों ने दूकानदारों एवं जनता से घूंस लिया है तो यह जिलाधीश को भेजे ताकि कार्यवाही हो सके ।	४—श्री रामप्यारे उपाध्याय से इसके विषय में अनुरोध किया गया एवं सम्बन्ध स्थापित करने के बाद मालूम हुआ कि सभी अभियोग साधारण प्रकृति के थे। विशिष्टीकरण करते समय बताया कि सरकारी टेलीफोन जो जिला पूर्ति कार्यालय में लगा है वह श्री पी० डी० टंडन भूत पूर्व जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अपने निजी उपयोग में उपभोग किया जाता है। यह भी बतलाया कि चिरइया कोट एवं पुलिस अधीक्षक के बंगले के पास मौजूदा भट्ठों से २ मील के अन्तर्गत नये भट्ठे खुले हैं। तय हो गया था परन्तु ऐसा न करने पर इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया है। विशेष शिकायत भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारी श्री पी० डी० टंडन के विरुद्ध थी जिनके चले जाने के कारण जिले को सन्तोष है। वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी से यह कह दिया गया है कि कार्यालय से दूर अपने रहने के लिये स्थान ढूढ़ें। वर्तमान समय में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से दूर रहते हैं। इस तरह यह मामला स्वयं हल हो गया। प्रधान लिपिक एवं एकाउन्टेन्ट निलम्बित कर दिये गये ह। दो लिपिक अपनी सेवाओं से मुक्ति (अलग) कर दिये गये । एक इन्सपेक्टर के भी विरुद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही होने ही वाली थी कि उन्होंने अपना त्याग-पत्र दे दिया।
५—यह तय पाया कि जहां पर दूकानें नहीं हैं उसकी तालिका अगली बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।	५—इसके सम्बन्ध में अगली बैठक दिनांक २६-६-६४ में जिलाधीश ने यह बताया कि वर्तमान परिस्थिति में और सस्ते गल्ले की दूकानों का खोलना सम्भव नहीं है। इसलिये तालिका प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

२६ जून, १९६४ की बैठक के निर्णय	निर्णय पर की गई कार्यवाही का विवरण

२६ जून, १९६४ की बैठक का निर्णय

१—श्री सुरजनराम, सदस्य के सुझाव के अनुसार यह तय पाया गया कि यदि एक न्याय पंचायत की सस्ते गल्ले की दूकान दूसरे न्याय पंचायत में चलती है तो उसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु दे दें ।	२—इस प्रकार की कोई सूचना जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में नहीं नहीं प्राप्त हुई है ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

खंडसारी के परमिट जो जिलेवार दिये गये

(मात्रा मैट्रिक टनों में)

जिला	सफेद दानेदार खंडसारी		सफेद बादामी सफेद		पीली खंडसारी		भूरी खंडसारी	
	परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा
१—मुरादाबाद ..	८१	१५४.०	१९६	३,३६८.०	११	९७९.०	—	—
२—बरेली ..	७	५४.६	११५	४,३९०.२	८९	२९२०.०	—	—
३—बदायूं ..	७१	२२.५	१३२	६२.८	—	—	—	—
४—रामपुर ..	—	—	८	३४.०	—	—	—	—
५—पीलीभीत ..	३३	३४.०	२७७	४७१.९	१०	५२३.५	—	३१४.०
६—बिजनौर ..	—	१२७.०	६	७३.०	—	—	—	—
७—शाहजहांपुर ..	७	२९.३	३२	१६३.०	४२	५९५.०	९	८४.८
८—देहरादून ..	६	२०.४	७	३६.५	—	—	—	—
९—सहारनपुर ..	२	२.०	६४८	१२७.०	४	१२१.०	१	७.०
१०—मुजफ्फरनगर ..	—	—	६९७	१४.७३६.५	१८४	४,९२०.३	—	—
११—मेरठ ..	४	८.८	२१९	५,११९.७	६५	१,८८८.५	१	९.०
१२—बुलन्दशहर ..	४	१३.३	११४	१०९.१	—	—	—	—
१३—अलीगढ़ ..	१	१.०	४	३६.६	—	—	—	—
१४—मथुरा ..	३३०	४५.५	५८	१५.२	२	७४.००	—	—

जिला		सफेद दानेदार खंडसारी		सफेद बादामी सफेद		पीली खंडसारी		भूरी खंडसारी	
		परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा	परमिटों की संख्या	मात्रा
१५—आगरा	..	—	—	८२	२,९३५.०	१८	६५८.०	—	—
१६—मैनपुरी	..	—	—	५	८.४	—	—	—	—
१७—एटा	..	—	—	११	१.५	—	—	—	—
१८—फर्रुखाबाद	..	—	—	—	५१९.५	—	—	—	—
१९—इटावा	..	२२	९.९	१२७	८९.३	—	—	—	—
२०—कानपुर	..	३	८९.४	—	८.२	—	—	१	१४.५
२१—फतेहपुर	..	३००	३१.८	६८४	३०.२	—	—	—	—
२२—इलाहाबाद	..	७९३	११८.८	१,६७१	२३२.७	—	—	—	—
२३—बांदा	..	१६०	१४.०	३३१	१९.०	—	—	—	—
२४—हमीरपुर	..	—	२.४	—	—	—	—	१.६	—
२५—झांसी	..	३	१२.२	१७	४०.८	—	—	—	—
२६—जालौन	..	७	९.४	१	१.०	—	—	—	—
२७—वाराणसी	..	—	—	—	८८.०	—	—	—	—
२८—मिर्जापुर	..	१२५	०.३	७५	१३.९	५०	१३.९	१००	२.३
२९—जौनपुर	..	—	—	२	६४.९	१	१७.३	१	५.२
३०—गाजीपुर	..	१०२	१७.७	२१६	४३.३	—	—	—	—
३१—बलिया	..	—	—	—	—	—	—	—	—
३२—देवरिया	..	—	—	८०	९.३	१	१५.०	—	—
३३—गोरखपुर	..	—	११.२	—	३३.०	—	—	—	—
३४—बस्ती	..	—	—	—	—	—	—	—	—
३५—आजमगढ़	..	—	५.४	—	—	—	—	—	—
३६—नैनीताल	..	५०	१४२.१	३५	३०.४	१६	१६.०	—	—

३७—अल्मोड़ा	..	—	०.६	—	१७.६	—	७.१	—	१.७
३८—गढ़वाल	..	२४८	१७.९	११९	१७.८	—	—	२१	१.०
३९—पिथौरागढ़	..	—	—	—	—	९	५.६	—	—
४०—उत्तरकाशी	..	३०	०.९	—	—	२०	०.३	—	—
४१—चमोली	..	—	—	—	११.३	—	१.७	—	—
४२—टेहरी गढ़वाल	..	—	०.६	—	—	—	—	—	—
४३—लखनऊ	..	—	५५.०	—	८.०	—	५.०	—	—
४४—उन्नाव	..	—	७.६	—	८.०	—	—	—	—
४५—रायबरली	..	—	—	४७	८.०	—	—	—	—
४६—सीतापुर	..	—	०.३	—	९.७	—	—	—	—
४७—हरदोई	..	—	—	४२४	५१.६	—	—	—	—
४८—खीरी	..	—	—	३६४	२४.५	—	—	—	—
४९—फैजाबाद	..	—	—	६	६.१	—	—	—	—
५०—गोंडा	..	—	—	—	—	—	—	—	—
५१—बहराइच	..	—	—	—	—	—	—	—	—
५२—सुलतानपुर	..	—	३.५	—	०.६	—	—	—	—
५३—प्रतापगढ़	..	—	—	२३७	३३.७	—	—	—	—
५४—बाराबंकी	..	—	—	—	२.८	—	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

सरस्वती शिशु मंदिर के पट्टे की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

भूमि पर केवल नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत चित्र के अनुसार ही स्कूल तथा हास्टेल बनाया जायगा इसके अतिरिक्त यह किसी और उपयोग में न लाई जायगी। इस बने हुए भवन का कोई भाग किराए पर न दिया जायगा और भूमि को न तो विभाजित किया जायगा और न भूमि का कोई भाग किसी को स्थानान्तरित किया जायगा।

रामकृष्ण मिशन को दी गई भूमि के पट्टे की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

१—भूमि पर नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत चित्र के अनुसार ही दातव्य अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय तथा उससे सम्बन्धित भवन बनाया जायगा। इसके अतिरिक्त यह किसी और उपयोग में न लाई जायगी। इस पर बने हुए भवन का कोई भाग किराए पर न दिया जायगा और भूमि को न तो विभाजित किया जायगा और न भूमि का भाग किसी को स्थानान्तरित किया जायगा।

२—गार्डेन के लिए दी गई भूमि पर केवल पार्क ही बनाया जायगा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का सारांश

सिफारिशें	कार्यवाही
१—जिला सम्पूर्ति कार्यालयों का पुनःसंगठन	
१—उन सभी कर्मचारियों को जो एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हों, स्थानान्तरित किया जाय ।	ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
२—कमिश्नरों को अपने डिवीजन के एक जिले से दूसरे जिले में अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के लिये अधिकार दिये जायं ।	कमिश्नरों को ऐसे अधिकार दे दिये गये हैं ।
३—कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जायं और सम्पूर्ति विभाग में नये युवक भर्ती किये जायं तथा अदक्ष कर्मचारियों को हटाया जाय ।	सस्ते गल्ले की दूकानों की देखभाल करने के लिये कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक वृद्धि कर दी गई है । नये युवक भर्ती किये जाने के लिये भी आदेश जारी कर दिये गये हैं । काम न ठीक करने वाले तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने तथा जिनका विभाग में रहना जनहित में न हों उनकी सेवायें समाप्त किये जाने के लिये भी आदेश जारी किये जा चुके हैं ।
४—सीनियर पी० सी० एस० अफसरों को सम्पूर्ति कार्य का इंचार्ज बनाया जाय ।	कैथाल जिलों में जिला पूर्ति अधिकारी के अतिरिक्त पी० सी० एस० अफसर, टाउन राशनिंग आफिसर की जगह नियुक्त किये गये हैं । अन्य जिलों में अतिरिक्त जिलाधीश अथवा किसी अन्य पी० सी० एस० आफिसर का खाद्यान्न से संबंधित कार्य का इन्चार्ज बनाया गया है ।
२—इन्फोर्समेंट और इन्सपेक्शन डाइरेक्टरेट को पुनः प्रवर्तित किया जाय ।	इस पर विचार किया जा रहा है ।
३—परिचय-पत्रों की जांच नियमित रूप से की जानी चाहिये ।	जारी किये गये परिचय-पत्रों की घर-घर जांच करने के लिये प्रदेश भर में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की सहायता से एक अभियान चलाया गया जिसके फल-स्वरूप करीब ५ लाख यूनिट कम हुए । इस तरह की जांच को नियमित रूप से करना संभव नहीं है । क्योंकि इसके लिये

सिफारिशें	कार्यवाही
	पूर्व राशनिंग के समय में दिये गये स्टाफ की आवश्यकता है जो इस समय देना संभव नहीं है ।
४—देहाती क्षेत्रों में भूमिहीनों और अतिनिर्धन जनता की सूची तैयार की जाय ।	जिलाधीशों ने अपने जिले में ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है ।
५—सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाय ।	प्रत्येक सस्ते गल्ले की दुकानों से गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति सम्बद्ध कर दी गई है । इसके अतिरिक्त एक अधिकारी को रोज गश्त लगाने और कहीं-कहीं दूकानों का निरीक्षण करने के लिये तैनात कर दिया गया है ।
(१) देहाती क्षेत्रों में दुकानें उन जगहों पर खोली जायं जहां साप्ताहिक बाजार लगती हो।	प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक दुकान खोली गई है और जिलाधीश स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए दुकान की जगह निश्चित करता है ।
(२) सस्ते गल्ले की दुकानों के लाभोपान्त कम हैं और पुनः निश्चित किये जायं ।	समिति ने किसी निश्चित लाभोपान्त का सुझाव नहीं दिया है तथापि पहले से अब लाभोपान्त बढ़ा दिया गया है ।
(३) सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्नों की मांग करने की प्रक्रिया को सरल किया जाय ।	समिति ने इस संबंध में किसी निश्चित प्रक्रिया के लिये सुझाव नहीं दिया है । वर्तमान प्रक्रिया आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है ।
(४) सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय ।	सस्ते गल्ले की दुकानों के एलाटमेन्ट के संबंध में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
६—केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों की पर्याप्त और नियमित संपूर्ति के लिये प्रबन्ध हो।	केन्द्रीय सरकार से विदेशी गेहूं का कोटा मिलता है । अधिक से अधिक और नियमित रूप से गेंहूं प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रायः ही लिखा जाता है । प्रदेश के लिये विदेशी गेहूं का जो कोटा निर्धारित किया गया है वह अपर्याप्त है।
७—अभाव के महीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्व से तैयारी की जाये ।	केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला विदेशी गेहूं का कोटा इतना कम है कि इन महीनों के लिये कोई बड़ा स्टाक बनाना संभव नहीं है। गेहूं के स्टाक को बचाने के लिये राशन में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि यदि ६ किलोग्राम गेहूं आटा और चावल ले

सिफारिशें	कार्यवाही
	लिया जायेगा तो मोटा अनाज बिल्कुल नहीं मिलेगा। परन्तु यदि एक किलोग्राम गेहूं अथवा चावल छोड़ दिया जायेगा तो २ किलोग्राम मोटा अनाज लिया जा सकता है। शर्त यह रहेगी कि ८ किलोग्राम प्रति यूनिट से राशन अधिक नहीं होगा।
८—आटा मिलों पर और कड़ी निगरानी रखी जाय।	प्रत्येक आटा मिल पर इन्सपेक्टर तैनात कर दिये गये हैं जो मिलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की शुद्धता और गेहूं के कोटे के उचित उपयोग के संबंध में निगरानी रखते हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

वेटरिनरी कालेज, मथुरा के प्रिंसिपल तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त मुख्य-मुख्य शिकायतों की सूची

१—प्रिन्सिपल वेटरिनरी कालेज मथुरा ने प्रान्तीयता के कारण श्री डी० के० मुर्त्ती को प्रोफेसर वैक्टीरियोलोजी के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की ।

२—श्री बी० एस० मठारू, लेक्चरर एनीमल मैनेजमेन्ट, जब हास्टेल सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, तो उन्होंने बिना इजाजत एक कुक्कुटशाला, सरकारी इमारत में बनवाई । इस कुक्कुटशाला को बनाने का सामान सरकारी इमारतों के बनाने के सामान से लिया गया । घोड़ों के खाद्य पदार्थ से वह कुक्कुटों के खाने का हिस्सा ले लेते थे । जब उन्होंने सरकारी क्वार्टर खाली किया तो उस कुक्कुटशाला को गिरवा दिया और गिराया हुआ सब सामान ले गये ।

३—श्री वी० एस० वी० राव सर्जन, कोठारी पशु चिकित्सालय, अपने क्वार्टर के चारों ओर की झाड़ियों को सरकारी नौकरों से कटवाते हैं और कटी लकड़ी को स्वयं ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं ।

४—श्री बी० एस० मठारू के घर का सामान सरकारी बैलगाड़ी पर दूसरी जगह ले जाया गया जबकि वे होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट का क्वार्टर खाली कर रहे थे ।

५—प्रधानाचार्य सरकारी नौकरों से घर का काम कराते हैं ।

६—श्री बी० एस० मठारू भी सरकारी नौकरों से घर का काम कराते हैं ।

७—पिछले १५ वर्षों से जो स्प्रिट, डिटाल, साबुन, तौलिया आदि हाईजीन विभाग के लिये लिया गया है वह अफसर अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाते हैं ।

८—स्वर्गीय डा० आर० बी० सिंह, एनीमल जैनेटिस्ट, ने ५०० रु० का गबन किया था ।

९—श्री बी० एस० मठारू ने १९५७-५८ में झूठा टी० ए० बिल पेश किया था ।

१०—श्री० एस० के० शाह, रिसर्च आफिसर, ने विद्यार्थियों के धन को पहले गबन किया, किन्तु बाद में वह धन तो वापिस कर दिया लेकिन अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

११—श्री बी० एस० मठारू सरकारी अहाते में फसलें उगाते थे और घोड़ों की लीद आदि को खाद के रूप में प्रयोग करते थे ।

१२—श्री मठारू ने पशुओं के माडेल खरीदने में घूस ली ।

१३—श्री इन्दु गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, मेटीरियां मेडिका, ने कुत्तों के पिंजड़े खरीदने में बेईमानी की ।

१४—फार्म मैनेजर ने पावर चैफ कटिंग मशीन के खरीदने में घूस ली ।

१५—फार्म मैनेजर डेरी की क्रीम को प्रति दिन ले लेते हैं ।

१६—सरकारी तांगा अफसरों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

१७—श्री मठारू सईसों से प्राइवेट काम लेते हैं।

१८—श्री सरताज सिंह अहलूवालिया, लेक्चरर हाईजीन, ने गोदरेज कबर्ड की चोरी कर ली थी, रिपोर्ट करने पर वापिस कर दिया किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

१९—डा० ए० राय, प्रोफेसर फिजियोलाजी, ने लेबोरेटरी असिस्टेन्ट के हाथ अपनी कार मरम्मत के लिये आगरा भेजी जहां वह कर्मचारी १५ दिन तक रहा किन्तु उसकी हाजिरी कालेज में दिखायी गयी।

२०—फार्म मैनेजर सरकारी खर्चे पर फार्म में एक व्यक्तिगत घोड़ा रखते हैं।

२१—प्रधानाचार्य तथा श्री मठारू के बच्चे सरकारी घोड़ों पर सवारी करते हैं और प्रधानाचार्य सरकारी मोटर व ड्राइवर का प्रयोग करते हैं।

२२—श्री मठारू, प्राइवेट प्रयोग के लिये सरकारी स्टोव को काम में लाते हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

निरीक्षण-कर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पद	दिनांक	बकाया टैक्स के संबंध में निरीक्षण-कर्त्ता अधिकारी के नोट
वर्ष १९६१		
श्री जी० एस० डेविड, जिलाधीश, बाराबंकी ।	१४-१-६१	इस टाउन एरिया में १६,५०८ रुपया बकाया टैक्स है जिसमें कुल १०,१५.५३ पैसा वसूल हुआ है। इसका मुख्यतः कारण देर से असेसमेन्ट लिस्ट तैयार करने से है । बख्शी को तम्बीह की जाय कि वह अच्छी तरह भविष्य में वसूल-याबी करके दिखाये और यह काम केवल बख्शी पर ही न डालकर सदस्यगण भी इसमें रुचि लें । जैसा कि जाहिर है कि बकाया टैक्स असेसमेन्ट लिस्ट देर से तैयार करने के कारण हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी कमेटी की है, टैक्स देने वालों के लिये एकदम इतना अधिक कर का भुगतान करना कठिन है इसलिये मुनासिब होगा कि उनकी किस्तें कर दी जायं ताकि बकाया धन शीघ्र से शीघ्र वसूल हो सके ।
श्री ए० एच० जैदी, एस० डी० एम०, रामसनेही घाट, बाराबंकी ।	१७-११-६१	बकाया टैक्स बहुत अधिक है और पिछले ८-१० वर्षों से बिना वसूल किये पड़ा है, सुझाव दिया है कि बख्शी को कुर्क अमीन के अधिकार दे दिये जायं या एक तहसील से कुर्क अमीन कुछ दिनों के लिये लगा दिया जावे कि टैक्स वसूल करे ।
श्री जी० एस० डेविड, जिलाधीश, बाराबंकी ।	२७-१२-६१	कम से कम २३१,२४/३८ पै० कमेटी के पास बकाया टैक्स हो गया है और जाहिर है कि पर्याप्त धन न होने के कारण कमेटी अपने कार्य को ठीक अन्जाम नहीं दे पा रही है । सन् १९६१-६२ की असेसमेन्ट लिस्ट अभी तक नहीं तैयार हुई जो कि असन्तोषजनक है और यदि भविष्य में इस पर ध्यान न दिया गया तो हमें गवर्नमेन्ट को इसके अतिक्रमण करने

निरीक्षण-कर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पद	दिनांक	बकाया टैक्स के सम्बन्ध में निरीक्षण-कर्त्ता अधिकारी के नोट
		के लिये मजबूरन लिखना पड़ेगा । कुल ४,६७३ .१८ पै० अब तक बकाया टैक्स के वसूल किये गये हैं । बख्शी को सावधान किया जावे और सदस्यगण स्थिति को ठीक करने में सहयोग दें तथा वे अपने स्वयं के बकाया टैक्स अदा करके उदाहरण प्रस्तुत करें ।
वर्ष १९६२		
श्री जी० एस० डेविड, जिलाधीश, बाराबंकी ।	१३–११–६२	यह बिलकुल असन्तोषजनक है कि सन् १९६२–६३ की असेसमेन्ट लिस्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है । प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार के बिलम्ब से ही मुख्यतः ३४,३१२.४७ पै० की धन-राशि टैक्स की बकाया में पड़ी हुई है । केवल ३,८२८.०० रुपया बकाया के वसूल हुए हैं । टैक्स की वसूलयाबी अत्यन्त असन्तोषजनक है और यह सबूत है कि कमेटी कस्बे की उन्नति के लिये कुछ भी करने में असमर्थ है ।
वर्ष १९६३		
श्री ए० एच० जेदी, एस० डी० एम०, राम सनेही घाट, बाराबंकी ।	२५–१२–६३	इस टाउन एरिया में पाया जाता है कि बहुत अधिक टैक्स वसूल करने को पड़ा है । इस वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ४०,५५२.२७ पै० बकाया टैक्स के दिखाये गये हैं । केवल ४,८५७.६२ पै० अब तक वसूल हुए हैं जो कि बहुत ही असन्तोषजनक है । बख्शी को सख्त परि-श्रम करके बकाये की वसूलयाबी करनी चाहिये । सरकारी कर्मचारियों के जिम्मे बहुत बकाया बताया जाता है । चेयरमैन एक लिस्ट प्रत्येक विभाग की अलग-अलग बनाये और उन विभागों को भेज दें । टैक्स की वसूलयाबी बहुत असन्तोषजनक है और यही कारण है कि कस्बे में कोई तरक्की नहीं हो पाई ।
वर्ष १९६४		
कोई मुआयना नहीं हुआ ।		

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२६ पर)

नगरमहापालिका, कानपुर, की सीमा में १९५९ से १९६३ तक मिलाये गये गांवों की सूची

१—शेखपुर
२—जाना
३—किशनपुर
४—मदारपुर
५—अलौलापुर
६—सुखनीपुर
७—खजुरिहा
८—मोतीपुर
९—त्रिलोकपुर
१०—अटवा
११—गदनपुर
१२—संतनपुरवा
१३—खलार
१४—कुलगांव
१५—हिन्निहा
१६—बख्तीरीपुरवा
१७—पहाड़पुर
१८—बिनगवां
१९—अर्रा
२०—जरौली
२१—खान्डेपुर
२२—नौबस्ता का गड़रियन पुरवा
२३—टीकापुर
२४—कपिली
२५—गम्भीरपुर
२६—सुजानपुर
२७—गड़रियनपुरवा (आरासिरोई)
२८—भवानीपुर
२९—वारारीहो
३०—चमारनपुरवा
३१—रूमा
३२—नरायनपुरवा
३३—टिकारिया
३४—तछमरा छोटा
३५—छतमरा बड़ा
३६—गौरिया
३७—उचटी
३८—दीपपुर
३९—दौलतपुर
४०—टिकरा
४१—कल्यानपुर
४२—चकेरी
४३—चकेरी का पुरवा
४४—लालपुर
४५—तिरम्बो
४६—हंसपुर
४७—तावेकपुर

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३१ पर)

(१) चावल की खरीदारी की दरें ।

श्रेणी				मूल्य प्रति क्विन्टल २३ अक्तूबर, ६४ से ३१ दिसम्बर, ६४ तक	१ जनवरी, १९६५ से
१	विशेष	..	..	८३.१०	८५.५०
१	..	..	..	७५.४०	७७.५०
२	..	..	..	६७.५४	६९.५०
३	..	..	..	५८.२५	६०.००
४	..	..	..	५०.२४	५५.००
५	..	..	..	४४.२०	५२.००

(२) ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीदारी की दरें ।

				रु०	
(१)	ज्वार	..	..	.. ३८.५०	प्रति क्विन्टल
(२)	बाजरा ..	..	..	.. ४०.५०	,,
(३)	मक्का ..	..	..	.. ३६.५०	,,

१९ दिसम्बर, १९६४ से ज्वार की खरीदारी की दरें निम्नलिखित निर्धारित की गयी हैं ।

				रु०	
(१)	ज्वार (सफेद)	..	..	.. ३९	प्रति क्विन्टल
(२)	ज्वार (पीला)	..	..	.. ३८.५०	,,
(३)	ज्वार (लाल)	..	..	.. ३८	,,

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

तालिका "क"

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ विदेशी गेहूं। (संख्यायें मी० टन में)	सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित किया हुआ गल्ला गेहूं, चावल और मोटा अनाज। (सं० मी० टन में)
१९६१–६२	९२,५१८	१,९२,८१९
१९६२–६३	५७,६४०	१,५३,६५९
१९६३–६४	३,३७,०५७	४,०६,४१२

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

जिला	संख्या		
	शहरी क्षेत्र में/ग्रामीण क्षेत्र में	कुल संख्या	
१—आगरा	२२४	३३१	५५५
२—अलीगढ़	९८	१९५	२९३
३—मेरठ	१८८	२९१	४७९
४—बुलन्दशहर	८८	१००	१८८
५—सहारनपुर	१२०	१५३	२७३
६—मथुरा	५६	१०३	१५९
७—देहरादून	८५	८२	१६७
८—मैनपुरी	५३	११८	१७१
९—एटा	५१	१४२	१९३
१०—मुजफ्फरनगर	९४	१३७	२३१
११—टेहरी गढ़वाल	१७	१९१	२०८
१२—उत्तर काशी	८	३३	४१
१३—उन्नाव	२७	१७६	२०३
१४—बाराबंकी	३९	१२७	१६६
१५—रायबरेली	२७	१७	४४
१६—सीतापुर	८१	२००	२८१
१७—हरदोई	७६	—	७६
१८—खीरी	३१	१०२	१३३
१९—शाहजहांपुर	७१	७९	१५०
२०—पीलीभीत	२९	८१	११०
२१—बिजनौर	८७	२०१	२८८
२२—बदायूं	८१	१९२	२७३
२३—रामपुर	६४	४१	१०५
२४—मुरादाबाद	१७९	८१	२६०
२५—प्रतापगढ़	१५	१३४	१४९
२६—सुल्तानपुर	१०	२४४	२५४
२७—फैजाबाद	५७	२०२	२५९
२८—नैनीताल	५७	११४	१७१
२९—बरेली	११७	१७४	२९१
३०—लखनऊ	२१४	११६	३३०
३१—अल्मोड़ा	२९	२९४	३२३
३२—पिथौरागढ़	१०	१२२	१३२
३३—गढ़वाल	२२	२००	२२२
३४—चमोली	७	८२	८९
३५—इलाहाबाद	१७३	६९	२४२
३६—इटावा	३७	१५१	१८८

जिला			संख्या		
			शहरी क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	कुल संख्या
३७—फतेहपुर	..	..	३७	१२८	१६५
३८—कानपुर	..	..	२८०	१७६	४५६
३९—फर्रुखाबाद	..	..	६३	१६८	२३१
४०—झांसी	..	..	१०३	१३५	२३८
४१—बांदा	..	..	३५	९१	१२६
४२—जालौन	..	..	४४	३२	७६
४३—हमीरपुर	..	..	३२	५०	८२
४४—मिर्जापुर	..	..	६५	१९३	२५८
४५—जौनपुर	..	..	३६	१५६	१९२
४६—गाजीपुर	..	..	३४	२२२	२५६
४७—बलिया	..	..	४७	३३७	३८४
४८—आजमगढ़	..	..	७०	३९९	४६९
४९—देवरिया	..	..	५०	३५०	४००
५०—गोरखपुर	..	..	६५	४७०	५३५
५१—बस्ती	..	..	२३	१९६	२१९
५२—गोंडा	..	..	३०	२१४	२४४
५३—बहराइच	..	..	३५	१६७	२०२
५४—वाराणसी	..	..	१८२	२९७	४७९
योग	..		३८५३	८८५६	१२७०९

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११४–११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

नगरपालिका, गौरा बरहज को वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में दिये गये अनुदानों तथा उनसे किये गये कार्यों का विवरण, जैसाकि नगरपालिका ने सूचित किया है ।

संलग्नक

वर्ष	मद जिसमें अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि	अनुदान से किये गये कार्य का विवरण
१९६२–६३	शिक्षा कार्य	११,०००	एक बालिका भवन का निर्माण कराया गया तथा उसे साज सज्जा से युक्त किया गया ।
	सड़क कार्य	५०,०००	जैनगर-पैना सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ।
१९६३–६४	सफाई कार्य	१,०१२	सफाई विभाग के कर्मचारियों को बन्द बाल्टी, रबड़ के दस्ताने, गम बूट्स तथा स्क्रेपर्स आदि दिया जायगा ।
१९६४–६५	शिक्षा कार्य	१,०००	पठानटोली क्षेत्र में खोले गये बालिका विद्यालय के लिये फर्नीचर बनवाया जा रहा है ।
	शिक्षा कार्य	२,०३८	तिवारीपुर क्षेत्र में एक बाल विद्यालय खोला गया ।
	शिक्षा कार्य	२१,५९०	बालिका विद्यालय का निर्माण-कार्य कराया जायगा तथा उसे साज सज्जा से युक्त किया जायगा ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

घटना का विस्तृत विवरण

२–१२–६४ को पशु चिकित्सक, आगरा, को आगरा के शाहगंज क्षेत्र में पशुओं में भीषण बीमारी फैलने की सूचना मिली और वे रोगी पशु को देखने गये। रोगी पशु (भैंस) की मृत्यु हो गई और उसकी शव-परीक्षा पश्चात् रोगी से सम्बंधित अंगों को पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा में परीक्षण हेतु भेज दिया गया। इस बीच आगरा महापालिका के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण पशु पालन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया और वहां रोग के प्रतिरोध हेतु पशुओं में टीका लगाने का प्रचार किया और दिनांक ३-१२-६४ को माता रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीन मंगा कर विभिन्न क्षेत्रों में ४ पशु चिकित्सक तथा १२ पशु सेवकों की टोली द्वारा ६७४० पशुओं को टीका लगाया गया और इस प्रकार बीमारी की रोकथाम कर ली गई। ६–१२–६४ को समाचार-पत्रों में १०० पशुओं से अधिक पशुओं के मरने का समाचार छपने पर उसका पुष्टीकरण करवाया गया और उस पर ज्ञात हुआ कि ५४ पशुओं की मृत्यु शाहगंज क्षेत्र में इस भयंकर रोग से हुई। अब रोग की रोकथाम कर ली गई है।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

उन विधायकों के नाम जिन्हें तुरन्त उच्च श्रेणी में रखा गया

१—श्री सत्य नारायण पांडेय,
२—श्री मेवालाल,
३—श्री सालिगराम जैसवाल,
४—श्री कल्याण चन्द मोहिले,
५—श्री चौधरी नौनिहाल सिंह,
६—श्री बाबू सिंह,
७—श्री राधेश्याम,
८—श्री गिरजा प्रसाद शुक्ल,
९—श्री रामेश्वरनाथ चौबे,
१०—श्री बेनी प्रसाद माधव,
११—श्री कृष्णा राय,
१२—श्री उग्रसेन,
१३—श्री गया प्रसाद,
१४—श्री शशिभूषण सिंह,
१५—श्री वीरेन्द्र सिंह,
१६—श्री बलवान सिंह,
१७—श्री रियासत हुसैन,
१८—श्री शराफत हुसैन,
१९—श्री लखी सिंह ।

उन विधायकों के नाम जिन्हें बाद में उच्च श्रेणी मिली ।

१—श्री भीमा प्रसाद,
२—श्री राम सुन्दर पांडेय,
३—श्री प्रभुनारायण सिंह,
४—श्री बांकेलाल,
५—श्री चन्द्रबली सिंह,
६—श्री उमाशंकर तिवारी,
७—श्री नत्थू सिंह,
८—श्री केसरी प्रसाद,
९—श्री तेजभान सिंह,
१०—श्री रतीपाल सिंह,
११—श्री भगवानदीन,
१२—श्री पितईराम ।

उन विधायकों के नाम जिन्होंने उच्च श्रेणी नहीं ली ।

१—श्री कमला सिंह,
२—श्री शिवनाथ सिंह,
३—श्री छंगाराम ।

नत्थी 'ढ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

सन् १९६४ में शक्कर के थोक विक्रेताओं का कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया।

सन् १९६४ में शक्कर के फुटकर विक्रेता जिनकी दुकान रद्द की गई इस प्रकार हैं।

नाम दुकानदार तथा पता	रद्द किए जाने का कारण	मुकदमा चलाया गया तो उसका परिणाम
१—श्री हीरा लाल, जफराबाद ..	दुकान दूसरे को उठा दी गई थी, शक्कर होते हुए शक्कर की बिक्री नहीं की गई।	..
२—श्री रामगोपाल राम आसरे, जी० टी० रोड, फतेहपुर।	स्टाक में शक्कर अधिक पाई गई और उनके पास थोक का भी लाइसेन्स था।	..
३—श्री मुन्नूलाल, मसौली ..	एक बोरा चीनी ब्लैक में बेचते पाया गया।	मुकदमा चल रहा है।
४—श्री हरिशचन्द्र, जाम ..	फर्जी बिक्री दिखाकर ब्लैक किया	,,
५—श्री लक्ष्मण प्रसाद, जाफरगंज	कोटा नहीं उठाया गया और दूकान बन्द रखी।	,,
६—श्री बाबूराम गुप्ता, बिन्दकी	शक्कर वितरण बिना आदेश किया	,,
७—श्री राम कुमार, तेंदुली ..	शक्कर की बिक्री फर्जी की और स्टाक ठीक नहीं पाया गया।	,, ,,
८—श्री बलभद्र प्रसाद, असनी ..	फर्जी बिक्री की। ..	,,
९—श्री पन्नालाल, ठकौली ..	शक्कर वितरण संतोषजनक नहीं किया।	,,
१०—श्री विश्वनाथ सिंह, मडराव	स्टाक में कमी थी और रजिस्टर ठीक तरह से नहीं रखे गए।	,, ,,
११—श्री भगवन्त प्रसाद, फतेहपुर..	राशन कार्ड इकट्ठा करके शक्कर दाखिल करते थे और कार्डों पर सही मात्रा नहीं लिखी गयी थी।	,, ,, ,,
१२—श्री जलालउद्दीन, खखोरू ..	रजिस्टर ठीक ढंग से नहीं बनाए गए और बिक्री ठीक ढंग से नहीं हुई।	,,
१३—श्री राजेश्वरी प्रसाद शाह ..	शक्कर का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया गया।	,,
१४—श्री मुन्नूलाल, खदरा ..	न्याय पंचायत का रहने वाला नहीं था	,,
१५—श्री भदई, करनपुरा ..	,, ,,	,,
१६—श्री रामौतार, नरैचा (अरगल)	,, ,,	,,

नाम दुकानदार तथा पता	रद्द किए जाने का कारण	मुकदमा चलाया गया तो उसका परिणाम
१७—श्री हर प्रसाद अशोक कुमार, पैगम्बरपुर	न्याय पंचायत का रहने वाला नहीं था	मुकदमा चल रहा है
१८—श्री रामप्रसाद, करमौन ..	,,	,,
१९—श्री शिवनारायण लाल, कासिमपुर	,,	,,
२०—श्री जगदेव प्रसाद, मुहम्मदाबाद	,,	,,
२१—श्री शिवनारायण लाल, पट्टीशाह	,,	,,
२२—श्री शितल प्रसाद, अल्लीपुर ..	,,	,,
२३—श्री केशव प्रसाद, विजईपुर ..	,,	,,
२४—श्री अजीज, मो० इकडला ..	,,	,,
२५—श्री मोहन चन्द्र वर्मा, चुरीपानी	,,	,,
२६—श्री लखनलाल, बनर्जी ..	,,	,,
२७—श्री पासुराम, मकनपुर ..	,,	,,
२८—श्री मो० युसुफ, खास मऊ ..	न्याय पंचायत में एक से अधिक की दुकान थी।	
२९—श्री रघुनाथसिंह, खास मऊ ..	,,	,,
३०—श्री रियासत अली, गढ़ा ..	,,	,,
३१—श्री बृजभान, गढ़ा ..	,,	,,
३२—श्री आंधेश सिंह, पुरइन ..	,,	,,
३३—श्री लक्ष्मीनारायण, गुदवन ..	,,	,,
३४—श्री संतोषकुमार, वकेवर ..	,,	,,
३५—श्री बाबूलाल, आलमगंज ..	,,	,,
३६—श्री बाबूराम, आलमगंज ..	,,	,,
३७—श्री राम प्रसाद, बहरामपुर ..	,,	,,
३८—श्री सत्यनारायण, बहरामपुर ..	,,	,,
३९—श्री कृष्णदत्त, हस्वी ..	,,	,,
४०—श्री ताराचन्द, हस्वा ..	,,	,,
४१—श्री लक्ष्मीनारायन, गाजीपुर ..	,,	,,
४२—श्री मुन्नूलाल, गाजीपुर ..	,,	,,
४३—श्री देवचरन, बहुआ ..	,,	,,
४४—श्री शिवशंकर, बहुआ ..	,,	,,
४५—श्री राधनी, बहुआ ..	,,	,,
४६—श्री श्रीपाल, बहुआ ..	,,	,,

नाम दुकानदार तथा पता	रद्द किये जाने का कारण	मु. दमा चलाया गया तो उसका परिणाम
४७—श्री भगवानदीन शाह, . .	न्याय पंचायत में एक से अधिक दुकानें थीं	मुकदमा चल रहा है।
४८—श्री अब्दुल अजीज, कोजार . .	,,	,,
४९—श्री सन्त सेवक सिंह, ककिन . .	,,	,,
५०—श्री मो० अवसार अटमी, शाहनगर	,,	,,
५१—श्री किशोरीलाल, शाहनगर . .	,,	,,
५२—श्री रामसिंह	,,	,,
५३—श्री जगदेवसिंह, मोहार . .	,,	,,
५४—श्री राजबहादुर सिंह, औभ . .	,,	,,
५५—श्री राजपाल सिंह, मलना . .	,,	,,
५६—श्री सोहन लाल, मलवा . .	,,	,,
५७—श्री रामस्वरूप, मोजीखेरा . .	,,	,,

सत्यमेव जयते

सन् १९६४ में गल्ले के जिन फुटकर विक्रेताओं की दूकानें रद्द की गईं या जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, इस प्रकार हैं।

क्रम-संख्या	नाम दूकानदार तथा पता	रद्द किये जाने का कारण	मुकदमा चलाया गया तो उसका परिणाम
१	२	३	४
१	राम गोपाल, खैसहन ..	विभिन्न अनियमितताएं एवं बनावटी विक्रय।	
२	क्षेत्रीय सहकारी समिति, सस्वा	अनियमितता	
३	राम स्वरूप, प्रेमाइया ..	,,	
४	कल्लू सिंह	बनावटी विक्रय एवं अनियमिततायें	
५	रियासत खां भंडार कोडार ..	इस्तीफा दे दिया	
६	राम सजीवन गुप्ता, देवलान ..	अनियमितता	
७	श्याम लाल 'गुन्नौर' ..	फर्जी सेल एवं विभिन्न अनियमितायें	
८	राजाराम सोनार, दतौली ..	अनियमितता	
९	जगुनाथ, कोडार ..	अल्पकाल के लिये कार्यभार दिया गया शक्कर के विक्रेता को।	
१०	कल्लू सिंह, कोडार ..	विभिन्न अनियमितताएं	
११	शिव दर्शन, कोडार ..	बनावटी विक्रय एवं अनियमितता	
१२	रामदुलारे, ठेकियानी ..	अनियमितता	
१३	राम नरेश, चखरिया ..	विभिन्न अनियमितताएं एवं फर्जी सेल	
१४	ओ० सी०, हसेनगंज ..	अनियमितताएं	
१५	श्री प्रसाद, मकनपुर ..	विभिन्न अनियमितताएं	
१६	लक्षमण सिंह ..	,,	
१७	द्वारिका प्रसाद जगदीश प्रसाद, जहानावाद	इस्तीफा दे दिया	
१८	राम किशन अग्रवाल ..	वितरण कार्य सुचारू रूप से न किया जाना।	
१९	दया शंकर, सुल्तानगढ़ ..	इस्तीफा दे दिया	
२०	केदार, नाला आलमगंज ..	,, ,,	
२१	बदलूराम, कोटिया ..	,, ,,	

क्रम-संख्या	नाम दूकानदार तथा पता	रद्द किये जाने का कारण	मुकदमा चलाया गया तो उसका परिणाम
२२	आदित्य प्रकाश गुप्ता, खागा	सभी दुकानों को आ० मा० सो० के स्थापित होने के कारण रद्द किया गया ।	
२३	संतोष कुमार सील राम, खागा		
२४	ओंकार प्रसाद		
२५	ज्ञान प्रकाश		
२६	पहाड़ी नाथ गोस्वामी, विशुनपुर	अनियमितताएं	
२७	राम प्यारे वैश्य, टेनी ..	,,	
२८	दर्शन सिंह, भजनपुर ..	,,	
२९	रनधीर सिंह, शाहनगर ..	,,	
३०	रघुनाथ सहाय, परगीधपुर ..	,,	
३१	चन्द्रभान द्विवेदी, केवट मई ..	,,	
३२	बाबूलाल, खिडौरा ..	,,	
३३	किशोर चन्द्र गुप्ता, कासीमपुर	,,	
३४	त्रिलोकी नाथ, मायबेर गाती ..	,,	
३५	मा० रसीद, हसनपुर ..	अनियमितता एवं पंजी सेल विवरण	
३६	संगम लाल ..	विक्रय कार्य ठीक से न किया जाना ।	

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४३ पर)

राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५८ द्वारा १११ परमिट पाने वालों के नाम

१—श्री रामा राइस मिल, पचपेड़वा, गोंडा ।
२—तुलसीपुर सहकारी समिति, तुलसीपुर, गोंडा (मिल नहीं खड़ा किया)
३—श्री मद्धेशिया आयल एंड राइस मिल, खलीलाबाद, बस्ती
४—श्री मन्नू लाल श्रीवास्तव, गोरखपुर । (ग्राम लक्ष्मीपुर देउरवा) ।
५—श्री जार्ज वार्ले मार्टिन, मो० शाहपुर, गोरखपुर । (मिल नहीं खड़ा किया)
६—श्री लाल राइस मिल, नौतनवां, गोरखपुर । ,, ,,
७—मेसर्स ओमप्रकाश श्यामसुन्दर, नौतनवां, गोरखपुर । ,, ,,
८—श्री बेचन प्रसाद गुप्ता, परतावल बाजार, गोरखपुर ।
९—मेसर्स रामनाथ शिवपूजन, न्यूकोशी, वाराणसी ।
१०—खन्डेल वाल राइस मिल, व्यवस्थापक बद्री नारायण मदन लाल अलीनगर, वाराणसी ।
११—को० सहकारी संघ चकिया, वाराणसी । (मिल नहीं खड़ा किया)
१२—श्री शम्भू प्रसाद, राइस मिल, सैदपुर, वाराणसी ।
१३—श्री अन्नपूर्णा राइस मिल, मिर्जापुर ।
१४—ढेलई राम होरालाल, जंगीरोड, मिर्जापुर ।
१५—श्री दीनानाथ गुप्त, दुर्जनीपुर, मिर्जापुर ।
१६—मेसर्स खुन्नीलाल सुन्दरलाल, रुद्रपुर, नैनीताल ।
१७—मेसर्स प्रतापसिंह कुमरा एंड कम्पनी, पीलीभीत ।
१८—श्री राधेश्याम अग्रवाल, पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।
१९—कुटन राइस मिल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
२०—अनिल कुमार रमेश चन्द्र, रुद्रपुर, नैनीताल ।
२१—गनेश दास एंड संस, बाजपुर, नैनीताल । (मिल नहीं खड़ा किया)
२२—श्री हंसराज मुल्क राज, रुद्रपुर, नैनीताल ।
२३—लक्ष्मी राइस मिल, किच्छा, नैनीताल ।
२४—प्रेमदास ठाकुर भूषण, रुद्रपुर, नैनीताल ।
२५—राठी बरफ मिल, गोला, जिला खीरी ।
२६—नवभारत राइस मिल, किच्छा, जिला नैनीताल ।
२७—हनुमान राइस मिल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
२८—बिलासपुर कोआपरेटिव सोसाइटी, बिलासपुर, जिला रामपुर ।
२९—गोपीनाथ एड सन्स, चन्चौकी, जिला खीरी ।
३०—सुमेर चन्द्र जैन, लखनऊ ।
३१—रामभरोसे लाल सिंह, रामपुर ।
३२—तारमल सर्राफ, गोला, जिला खीरी । (मिल नहीं खड़ा किया)
३३—शंकर फलोर मिल, गोला, जिला खीरी । ,, ,,
३४—हरजीमल रामगोपाल, तिकुनिया, जिला खीरी । ,, ,,
३५—होतीलाल भगवान दास, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
३६—मनोहर दास एंड राइस मिल, शाहजहांपुर ।
३७—पूरनलाल, बरेली ।
३८—रामभरोसे लाल, बरेली ।

३९—गुरुनानक राइस मिल, बिलासपुर, जिला रामपुर । (मिल नहीं खड़ा किया)
४०—श्री केहर सिंह, बरेली ।
४१—श्री अब्दुल मजीद, गोरीफान्टा, जिला खीरी । (मिल नहीं खड़ा किया)
४२—नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
४३—कृष्णानन्दन हुन्डीवाल, रामनगर, जिला नैनीताल ।
४४—कमल राइस मिल, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
४५—चौधरी रघुबीर सिंह, सितारगंज, जिला नैनीताल । (मिल नहीं खड़ा किया)
४६—रामनगर कोआपरेटिव सोसाइटी, रामनगर, जिला नैनीताल ।
४७—मेसर्स राजाराम आनन्द प्रकाश, रामनगर, जिला नैनीताल ।
४८—मेसर्स रावलपिन्डी फलोर मिल, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
४९—श्री गोपीराम वास्ते हन्स राइस मिल, रुद्रपुर, नैनीताल ।
५०—श्री रामदयाल प्रसाद, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
५१—श्री लोकमणी ईश्वर दत्त, बहेड़ी, जिला बरेली । (मिल नहीं खड़ा किया)
५२—श्री बी० के० अग्रवाल, रुद्रपुर, जिला नैनीताल । ,, ,,
५३—श्री हकीम चन्द्र गुरमुखदास, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
५४—मेसर्स ग्राम उद्योग सहकारी समिति, बागवाला, रुद्रपुर, नैनीताल (मिल नहीं खड़ा किया)

५५—मेसर्स शंकर राइस एंड जनरल मिल्स, रुद्रपुर, नैनीताल ।
५६—श्री इन्द्रासन सिंह, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
५७—श्री बुधराम अग्रवाल, गदरपुर, जिला नैनीताल । (मिल नहीं खड़ा किया)
५८—श्री नारमल सर्राफ, गोला, जिला खीरी ।
५९—श्री प्रेम बल्लभ कुठारी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
६०—मेसर्स तराई कोल्ड स्टोरेज, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
६१—मेसर्स कोटद्वारा मारकेटिंग सोसायटी, कोटद्वारा, गढ़वाल । (मिल नहीं खड़ा किया)
६२—मेसर्स शंकर इन्डस्ट्री, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल ।
६३—मेसर्स होरीलाल अग्रवाल, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल । (मिल नहीं खड़ा किया)
६४—मेसर्स हरदयाल मल, किच्छा, जिला नैनीताल ।
६५—मेसर्स सोहनलाल, गदरपुर, जिला नैनीताल । (मिल नहीं खड़ा किया)
६६—कुमारी सरोजनी गुप्ता, खीरी । ,, ,,
६७—श्री सतेह सिंह, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल । ,, ,,
६८—श्री नेपाल सिंह, गदरपुर, जिला नैनीताल । ,, ,,
६९—मेसर्स अग्रवाल राइस मिल, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।
७०—मेसर्स अरविन्द ब्रादर्स, बछरावां, जिला राय बरेली ।
७१—मेसर्स तिलहर कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी, शाहजहांपुर ।
७२—गोयल दाल, राइस एवं पलावर मिल, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
७३—मेसर्स लक्ष्मी श्री कृष्ण राइस एवं जनरल मिल्स, देवबन्द, सहारनपुर । (मिल नहीं खड़ा किया)

७४—मेसर्स रामपुर कोआपरेटिव सोसाइटी, सहारनपुर । ,, ,,
७५—मेसर्स ललित गुड़ उद्योग, गांव कलसिया, सहारनपुर । ,, ,,
७६—मेसर्स प्रेम प्रकाश भल्ला, हरिद्वार, सहारनपुर ।
७७—मेसर्स भगवान राइस एवं जनरल मिल्स, ननौता, सहारनपुर । ,, ,,
७८—मेसर्स रूरल राइस एवं जनरल मिल्स, ननौता, सहारनपुर ।
७९—मेसर्स श्री रिखी राम छिबरामऊ, फर्रुखाबाद ।
८०—मेसर्स बासनमल सलामत राय, अतर्रा, बांदा ।
८१—मेसर्स गोपाल राइस ऐन्ड आयल मिल्स, जिला कानपुर ।

८२—मेसर्स लखनलाल अग्रवाल, इलाहाबाद।
८३—मेसर्स रनवल दास, अतर्रा, बांदा।
८४—मेसर्स श्रीनाथ यादव, इलाहाबाद।
८५—मेसर्स रामगुलाम बचईलाल, बिन्दकी, फतेहपुर।
८६—मेसर्स रामदास गुप्ता, फतेहपुर।
८७—मेसर्स विश्वजीतमल राधाकृष्ण, बांदा।
८८—सर्वश्री गयाप्रसाद सत्यनारायण, बिन्दकी, फतेहपुर।
८९— ,, भगवानदास केदारनाथ, खुरहन्ड, बांदा।
९०— ,, जगन्नाथप्रसाद गुप्ता, अतर्रा, बांदा।
९१— ,, गंगाप्रसाद, अतर्रा, बांदा।
९२— ,, हरवीन युगल किशोर, अतर्रा, बांदा।
९३— ,, गया प्रसाद पाण्डे, अतर्रा, बांदा।
९४— ,, रामदास राम गोपाल, अतर्रा, बांदा।
९५— ,, काशी प्रसाद साहू, बांदा।
९६— ,, खूबचन्द नाथूराम, बांदा।
९७— ,, राधा किशन सिधानी, करवी, बांदा।
९८— ,, गोपाल राइस मिल, फतेहपुर।
९९— ,, नारायणदास बांकेलाल, अतर्रा, बांदा।
१००— ,, जगप्रसाद जनारधन प्रसाद, खुरहन्ड, बांदा।
१०१— ,, छोटेलाल द्विवेदी, खुरहन्ड, बांदा।
१०२— ,, ब्रह्मदेव पान्डे, खाका, फतेहपुर।
१०३—फतेहपुर कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी, फतेहपुर। (मिल नहीं खड़ा किया)
१०४—श्री शिवभजन सिंह, फतेहपुर।
१०५—श्री शारदाप्रसाद गुप्ता, डेरवा, फर्रुखाबाद।
१०६—श्री नारायणसिंह, किवराई, हमीरपुर।
१०७—भरथना कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी, भरथना, इटावा। (मिल नहीं खड़ा किया।)
१०८—सर्वश्री लोधाराम फेरूमल, बेला, इटावा।
१०९—मंगल सिंह युगेन्द्र सिंह, औरैया, इटावा।
११०—श्रीमती शान्ती चतुर्वेदी, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद।
१११—सूरज राइस मिल, अकबरपुर, कानपुर।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर नीचे पृष्ठ ६४४ पर)

उन नागर क्षेत्र के स्थानीय निकायों के जिलेवार नाम जो अवक्रमित हैं, अवक्रमण तिथि के साथ व सम्भावित चुनाव होने की तिथि के साथ।

नाम जिला		नाम स्थानीय निकाय	अवक्रमण समाप्त होने की तिथि
१—मेरठ	..	(१) नगरपालिका, गाजियाबाद	नवम्बर, सन् १९६५
२—अलीगढ़	..	(२) नगरपालिका, अलीगढ़ ..	जुलाई, सन् १९६५
३—अलीगढ़	..	(३) नगरपालिका, हाथरस ..	दिसम्बर, सन् १९६५
४—बदायूं	..	(४) नगरपालिका, सहसवान ..	अक्तूबर, सन् १९६५
५—मिर्जापुर	..	(५) नगरपालिका, मिर्जापुर ..	फरवरी, सन् १९६६
६—जौनपुर	..	(६) नगरपालिका, जौनपुर ..	सितम्बर, सन् १९६५
७—फैजाबाद	..	(७) नगरपालिका, फैजाबाद ..	अप्रैल, सन् १९६५
८—बहराइच	..	(८) नगरपालिका, बहराइच ..	फरवरी, सन् १९६६
९—बुलन्दशहर	..	(९) नगरपालिका, डिबाई ..	जुलाई, सन् १९६५
		(१०) टाउन एरिया कमेटी, जेवर	चुनाव हो गया है
		(११) टाउन एरिया कमेटी, गुलावठी	चुनाव हो गया है
१०—मुरादाबाद	..	(१२) नगरपालिका, मुरादाबाद	सितम्बर, सन् १९६५
		(१३) टाउन एरिया कमेटी, बहजोई	चुनाव हो गया है।
११—मैनपुरी	..	(१४) टाउन एरिया कमेटी, कुरावली।	चुनाव हो गया है।
१२—पीलीभीत	..	(१५) टाउन एरिया कमेटी, बिलसंडा।	चुनाव हो गया है।
१३—इटावा		(१६) टाउन एरिया कमेटी, जसवन्तनगर।	जून, सन् १९६५
१४—बिजनौर	..	(१७) नोटीफाइड एरिया कमेटी, नेहटौर।	चुनाव हो गया है।

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५४ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ का संशोधन करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की प्रस्तावना को निकाल दिया जाय। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९ की प्रस्तावना का निकाला जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में:— — धारा २ का संशोधन

(१) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिये जायें:

(कक) 'जिला न्यायाधीश' का तात्पर्य उस जिले के न्यायाधीश से है, जिसमें भूमि स्थित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा अपर जिला न्यायाधीश भी है जिसे धारा १०—क के अधीन कोई अपील संक्रमित की जाय;

"(ककक) 'भूमि' का तात्पर्य किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी गयी भूमि से है और इसके अन्तर्गत वन भूमि भी ह, तथा उस पर खड़े वृक्ष भी है"

(२) खण्ड (ङ) में कोष्ठक तथा शब्द "(जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है)" निकाल दिये जायें; और

(३) खण्ड (ञ) के अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाय, खंड (ञ) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन तथा "और" रख दिये जायें, और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

(ट) "किसी अधिनियमिति की दशा में अभिदेश, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियमिति के सम्बन्ध में अभिदेश समझा जायगा और कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए, उक्त कोड के सम्बन्ध में अभिदेश समझा जायगा।"

धारा ३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, तो वह" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्थात्—

(क) उसके नियोजित उपयोग,

(ख) वनरोपण अथवा वन का संधारण या विकास,

(ग) विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासन,

(घ) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में उसे बांटना,

(ङ) सहकारी खेती के लिए उसका उपयोग, या

(च) कोई अन्य प्रयोजन जो भूमि संरक्षण, वन-विकास, खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा भूमि ऐसे साम्यिक वितरण से सम्बद्ध हो जिससे सार्वजनिक कल्याण हो सके, तो वह।"

धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के ऐसे आदेश से, जिसमें—

(१) सार्वजनिक भूमि अथवा उसके किसी भाग को खाली करने तथा हानिपूर्ति का भुगतान करने का निदेश दिया गया हो, या

(२) इस प्रकार निदेश देने से इनकार किया गया हो, क्षुब्ध कोई पक्ष, जिसके अन्तगत राज्य सरकार भी है,

धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (५) म शब्द "व्यक्ति" के स्थान पर शब्द और कामा "पक्ष, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है," रख दिये जायें और सदव से रक्खे गये समझे जायें।

नयी धारा १०-क का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"१०—क जिला न्यायाधीश का अपील संक्रमण करने का अधिकार

कोई जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी अपील को अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है।"

धारा १३ का संशोधन ऐक्ट संख्या ९, १९०८ ऐक्ट संख्या ३६, १९६३

८—मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३" रख दिये जायें।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

९—(१) धारा ३, ५, ६, ७ तथा ८ के उपबन्ध उत्तर प्रदश सावजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के जारी होने के समय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे।

(२) यदि उक्त अध्यादेश के जारी होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१), अथवा धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई अपील किसी जिला न्यायाधीश द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दी गयी हो कि राज्य सरकार को उक्त उपधाराओं के अधीन अपील का कोई अधिकार नहीं था, तो राज्य सरकार उक्त अध्यादेश के जारी होने से तीस दिन के भीतर, उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिए उक्त जिला न्यायाधीश अथवा उसके उत्तराधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकती है, और तदुपरान्त जिला न्यायाधीश, या कोई अपर जिला न्यायाधीश, जिसको वाद संक्रमित किया जाय, आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अधिनियम की उपबन्धों की कार्यान्विति के लिए आवश्यक हो।

१०.—(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है। निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६५।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २७ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

हाल ही में डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल ने सार्वजनिक प्राधिकारी के उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९) की धारा ३ (१) के अधीन जारी की गयी नोटिसों के खारिज किये जाने के आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा दायर की गयी बहुत सी अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शासन को धारा ५ के अधीन अपील करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार के उपबन्ध धारा ७ में हैं। इस विषय में कोई सन्देह न रहे, इसलिये यह इष्टकर समझा गया जिससे कि सार्वजनिक प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील करने के अधिकार के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाये।

एक कठिनाई और भी अनुभव की जा रही थी कि उक्त अधिनियम के अधीन वन विभाग की भूमि पर अनधिकार कब्जेदारी के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन हो रहा था, क्योंकि यह अधिनियम उक्त भूमि पर लागू नहीं होता। इस प्रयोजन के लिये भी संशोधन करना आवश्यक था।

इस स्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९ में आवश्यक संशोधन करने के लिये २७ जनवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ प्रख्यापित किया गया।

तदनुसार यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुर:स्थापित किया जा रहा है।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०६ एल० ए०—१९६५—८७० ।